

63

वीं वार्षिक रिपोर्ट  
RD ANNUAL REPORT  
2020 - 2021



ईसीजीसी लिमिटेड  
ECGC Limited

## विज़न

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना।

## VISION

To excel in providing export credit insurance and trade-related services.

## मिशन

भारतीय निर्यात बाज़ार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

## MISSION

To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilization of available resources.



इंसीजीसी लिमिटेड ECGC Limited

(भारत सरकार का उद्यम)  
(A Government of India Enterprise)

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे  
You focus on exports. We cover the risks.

## पंजीकृत कार्यालय

एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400021  
 CIN: U74999MH1957GOI010918  
 आई आर डी ए आई पंजीकरण सं. 124

## REGISTERED OFFICE

Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021  
 CIN: U74999MH1957GOI010918  
 IRDAI Regn. No. 124

**कंपनी सचिव**  
**COMPANY SECRETARY**

श्रीमती स्मिता वि. पंडित  
 Smt. Smita V. Pandit

**नियुक्त बीमांकिक**  
**APPOINTED ACTUARY**

श्रीमती प्रिसिला सिन्हा  
 Smt. Priscilla Sinha

**संयुक्त संविधिक लेखा परीक्षक**  
**JOINT STATUTORY AUDITORS**

मेसर्स ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी  
 सनदी लेखाकार  
 फर्म पंजीकरण सं. 105016W/W-100015  
**M/s. abm & associates LLP**  
 Chartered Accountants  
 Firm Registration No. 105016W/W-100015

मेसर्स एस एन के एंड कं.  
 सनदी लेखाकार  
 फर्म पंजीकरण सं. 109176W  
**M/s. SNK & Co.**  
 Chartered Accountants  
 Firm Registration No. 109176W

**बैंकर्स**  
**BANKERS**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक)  
 आई डी बी आई बैंक  
 Union Bank of India  
 (Erstwhile Corporation Bank)  
 IDBI Bank

क्र.सं. S. No.	विषय-वस्तु/ CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2.	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	09
3.	निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	10
4.	अध्यक्ष का संबोधन Chairman's Message	12
5.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	16
6.	कंपनी शासन Corporate Governance	50
7.	निगमित सामाजिक दायित्व Corporate Social Responsibility	73
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	84
9.	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	
(i)	राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता एवं तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet	112
(ii)	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	119
(iii)	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	134
(iv)	लेखागत पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	144
(v)	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	172
(vi)	अर्जन एवं भुगतान खाता Receipts & Payments Account	177
10.	प्रबंधन रिपोर्ट Management Report	179
11.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	183
12.	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	199
13.	सेवा तंत्र Service Network	201

## निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



**श्री एम सेंथिलनाथन**  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अ प्र नि),  
ईसीजीसी लिमिटेड (29 अप्रैल 2020 से अ प्र नि के पद पर नियुक्त) कार्यकारी निदेशक

**Shri M. Senthilnathan**  
Chairman-cum-Managing Director (CMD),  
ECGC Limited (Appointed as CMD w.e.f. April 29, 2020)  
Functional Director



**श्रीमती पद्मावती आर.**  
कार्यपालक निदेशक (का नि), ईसीजीसी लिमिटेड  
(09 जून 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त )  
(दिनांक 30 जून 2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति),  
कार्यकारी निदेशक

**Smt. Padmavathy R.**  
Executive Director (ED), ECGC Limited  
(Appointed as Director, ECGC Limited w.e.f June 09, 2020)  
(Ceased to be Director, ECGC Limited w.e.f June 30, 2020)  
Functional Director



**श्री सुनील जोशी**  
कार्यपालक निदेशक (का नि), ईसीजीसी लिमिटेड  
(09 जुलाई 2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)  
कार्यकारी निदेशक

**Shri Sunil Joshi**  
Executive Director (ED), ECGC Limited  
(Appointed as Director, ECGC Limited w.e.f July 09, 2020)  
Functional Director

## निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

**श्री बिद्युत बेहारी स्वेन**

विशेष सचिव (वि स), वाणिज्य विभाग, (वा वि), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, (वा व उ मं), भारत सरकार (दिनांक 04 नवंबर 2020 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति) सरकारी निदेशक-गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri Bidyut Behari Swain,**

Special Secretary (SS), Department of Commerce (DoC), Ministry of Commerce & Industry (MoC&I), GOI (Ceased to be Director w.e.f. November 04, 2020) Government Director Non-Executive Part-Time-Director

**श्री अमिताभ कुमार**

संयुक्त सचिव (सं स) वाणिज्य विभाग, (वा वि), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय (वा व उ मं), भारत सरकार (दिनांक 16 नवंबर 2021 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति) सरकारी निदेशक गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri Amitabh Kumar**

Joint Secretary (JS), Department of Commerce (DOC), Ministry of Commerce & Industry (MOC&I), GOI (Ceased to be Director w.e.f. November 16, 2021) Government Director Non-Executive Part-Time-Director

**श्री विपुल बंसल**

संयुक्त सचिव (सं स) वाणिज्य विभाग, (वा वि), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय (वा व उ मं), भारत सरकार (दिनांक 16 नवंबर 2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त) सरकारी निदेशक-गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri Vipul Bansal**

Joint Secretary (JS), Department of Commerce (DOC), Ministry of Commerce & Industry (MOC&I), GOI (Appointed as Director w.e.f. November 16, 2021) Government Director Non-Executive Part-Time-Director

**श्री के राजारामन**

अतिरिक्त सचिव (अ स) आर्थिक मामले विभाग (आ मा वि), वित्त मंत्रालय (वि मं), भारत सरकार (दिनांक 18 अक्टूबर 2021 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति) सरकारी निदेशक गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri K. Rajaraman**

Additional Secretary (AS), Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance (MoF), GOI (Ceased to be Director w.e.f. October 18, 2021) Government Director Non-Executive Part-Time-Director

## निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

**श्रीमती अपर्णा भाटिया**

आर्थिक सलाहकार (अ.स.), आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (दिनांक 16 नवंबर 2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त)

सरकारी निदेशक - गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Smt. Aparna Bhatia**

Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, GOI

(Appointed as Director w.e.f. November 16, 2021)

Government Director

Non- Executive Part-Time-Director

**श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू**

कार्यपालक निदेशक (का.नि.), भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) (दिनांक 10 जनवरी 2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)


गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri Shirish Chandra Murmu**

Executive Director (ED), Reserve Bank of India (RBI)

(Appointed as Director w.e.f. January 10, 2020)

Non-Executive Part-Time Director

**श्री डेविड रस्किना**

प्रबंध निदेशक ( प्र नि )

एक्विम बैंक ( दिनांक 31 मई 2021 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति )

पदेन गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri David Rasquinha**

Managing Director (MD),

EXIM Bank

(Ceased to be Director w.e.f. May 31, 2021)

Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director

**श्रीमती हर्षा बंगारी**

प्रबंध निदेशक (प्र नि) एक्विम बैंक

(दिनांक 23 सितंबर 2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त)

पदेन गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Smt. Harsha Bangari**

Managing Director (MD),

EXIM Bank


(Appointed as Director w.e.f. September 23, 2021)

Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director

## निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



**श्री देवेश श्रीवास्तव**  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ( अ प्र नि ) जीआईसी  
(दिनांक 21 जनवरी 2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)  
पदेन गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक  
**Shri Devesh Srivastava**  
Chairman-cum-Managing Director  
(CMD), GIC  
(Appointed as Director w.e.f. January 21, 2020)  
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



**श्री शरद कुमार सराफ**  
पूर्व अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन  
(एफआईईओ) (दिनांक 28 जून 2021 से ईसीजीसी  
लिमिटेड के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति)  
पदेन गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक  
**Shri Sharad Kumar Saraf**  
Former President, Federation of Indian Export  
Organisations (FIEO)  
(Ceased to be Director w.e.f. June 28, 2021)  
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



**डॉ ए. शक्तिवेल**  
अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ)  
(दिनांक 09 अगस्त 2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त)  
पदेन गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक  
**Dr. A. Sakthivel**  
President, Federation of Indian Export Organisations (FIEO)  
(Appointed as Director w.e.f. August 09, 2021)  
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



**श्री रजनीश कुमार**  
पूर्व अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक  
(दिनांक 06 अक्टूबर 2020 से ईसीजीसी  
लिमिटेड के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति )  
गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक  
**Shri Rajnish Kumar**  
Former Chairman, State Bank of India (SBI)  
(Ceased to be Director w.e.f. October 06, 2020)  
Non-Executive Part- Time Director



## निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा  
निदेशक

(दिनांक 11 नवंबर 2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त)  
गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Smt. Pratibha Kushwaha**  
Director

(Appointed as Director w.e.f. November 11, 2021)  
Non-Executive Part- Time Director




श्री अमित कुमार अग्रवाल  
निदेशक

(दिनांक 03 नवंबर 2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त)  
गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

**Shri Amit Kumar Agarwal**  
Director

(Appointed as Director w.e.f. November 03, 2021)  
Non-Executive Part- Time Director

## वरिष्ठ प्रबंधन / Senior Management



श्री एम. सेंथिलनाथन / Shri M. Senthilnathan  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / Chairman-cum-Managing Director



श्री सुनील जोशी / Shri Sunil Joshi  
कार्यपालक निदेशक / Executive Director



श्री सी.एन.ए. अन्बरसन / Shri C.N.A. Anbarasan  
कार्यपालक निदेशक / Executive Director

## महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS



श्री परमदीप लाल ठाकुर  
Shri Paramdeep  
Lal Thakur



श्री ईशनाथ झा  
Shri Ishnath Jha



श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ  
Shri Sristiraj  
Ambastha



श्री सुबीर कुमार दास  
Shri Subir Kumar  
Das



श्री निर्दोष चोपड़ा  
Shri Nirdosh Chopra



श्रीमती स्मिता वि. पंडित  
Smt Smita V. Pandit



श्री आनंद सिंह  
Shri Anand Singh



श्रीमती प्रिसिला सिन्हा  
Smt Priscilla Sinha

## उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

- |                          |                          |  |                             |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1. श्री बलबीर सिंह मान   | Shri Balbir Singh Maan   | 10. श्री सुभाष चन्द्र चाहर   | Shri Subhash Chandra Chahar |
| 2. श्री एन. सुब्रमणियन   | Shri N. Subramanian      | 11. श्री नीरज गुप्ता   | Shri Niraj Gupta            |
| 3. श्री अभिषेक कुमार जैन | Shri Abhishek Kumar Jain | 12. श्री आर. महालिंगम  | Shri R. Mahalingam          |
| 4. श्री आर. के. पांडियन  | Shri R.K. Pandian        | 13. श्री राजेश जमनानी  | Shri Rajesh Jhamnani        |
| 5. श्री कुमार अंशुमन     | Shri Kumar Anshuman      | 14. श्री राहुल   | Shri Rahul                  |
| 6. श्री गौरव अंशुमन      | Shri Gaurav Anshuman     | 15. श्री रंगराव तु. हांडे  | Shri Rangarao T. Hande      |
| 7. श्री यशवंत बी. ब्रीद  | Shri Yashwant B. Breed   | 16. श्री सचिन खन्ना  | Shri Sachin Khanna          |
| 8. श्रीमती अर्पिता सेन   | Smt Arpita Sen           | 17. श्री शशांक बाजपेयी   | Shri Shashank Bajpai        |
| 9. श्री वाई. सुधीर       | Shri Y. Sudheer          | (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) (Chief Information Security Officer) |                             |

## निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

वर्ष / YEAR	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
<b>संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED</b>										
अल्पावधि पॉलिसियाँ/** Short Term Policies**	2,41,934.17	2,15,021.77	1,98,872.00	1,77,349.00	1,72,788.00	1,35,871.97	1,33,983.00	1,31,344.00	1,26,100.00	1,19,621.00
अल्पावधि ई सी आई बी***/** Short Term ECIB***/**	3,54,200.12	3,41,826.72	4,55,267.00	4,56,684.00	4,48,604.00	1,27,534.80	1,38,555.00	1,38,150.00	1,33,251.00	1,20,119.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	6,667.25	4,757.37	5,787.00	7,415.57	6,027.26	5,979.06	7,652.00	9,762.80	10,160.00	6,886.50
<b>कुल / Total</b>	<b>6,02,801.54</b>	<b>5,61,605.86</b>	<b>6,59,926.00</b>	<b>6,41,448.57</b>	<b>6,27,419.26</b>	<b>2,69,385.83</b>	<b>2,80,190.00</b>	<b>2,79,256.00</b>	<b>2,69,512.00</b>	<b>2,46,626.00</b>
<b>प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME</b>										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87	388.57	360.68	355.89
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29	869.68	751.72	601.82
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24	45.48	44.85	47.12
<b>कुल / Total</b>	<b>1,062.28</b>	<b>1,075.47</b>	<b>1,247.54</b>	<b>1,240.41</b>	<b>1,267.62</b>	<b>1,320.73</b>	<b>1,362.40</b>	<b>1,303.73</b>	<b>1,157.25</b>	<b>1,004.83</b>
<b>प्रदत्त दावें / CLAIMS PAID</b>										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98	109.29	113.69	87.03
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	761.87	261.64	813.39	1,131.47	655.50	995.52	462.85	639.55	396.61	626.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	-	-	31.79	14.99	22.99	-	-	148.65	38.20	-
<b>कुल / Total</b>	<b>1,046.74</b>	<b>408.41</b>	<b>1,013.31</b>	<b>1,283.16</b>	<b>885.34</b>	<b>1,122.84</b>	<b>589.83</b>	<b>897.49</b>	<b>548.50</b>	<b>713.03</b>
<b>वित्तीय शुल्क,कों / RECOVERIES MADE</b>										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61	5.76	7.40	6.31
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52	144.53	104.71	152.59
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18	8.02	8.02	8.42	9.74
<b>कुल / Total</b>	<b>117.47</b>	<b>166.44</b>	<b>150.83</b>	<b>185.61</b>	<b>138.67</b>	<b>114.04</b>	<b>160.15</b>	<b>158.31</b>	<b>120.53</b>	<b>168.64</b>

**नोट:** \* इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित से अधीन जोखिम औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यवर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।

**Note:** \* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

\*\* कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानी सीमा(ए एल एल) का 20 गुना लिया गया है क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यवर्त अनुपात (ईटीओ) 5% तक होता है जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता है। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01.04.2017 से प्रभावी है। विवरण कों तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई है।

\*\* The RV for customised MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL), the reason being under customized policies, the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 01.04.2017. To make the comparison equitable, the figure w.e.f 01.04.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.





\*\*\* वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया कों दर्शाता हैं।  
\*\*\* Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

\*\*\*\* ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन किया गया है।

\*\*\*\* The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

निष्पादन विशेषताएँ / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2020-2021


उत्पाद समूह वितरण  
Product Group Distribution



- ईसीआईबी-अल्पावधि बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB-ST: Export Credit Insurance for Banks-Short Term
- पॉलिसी-अल्पावधि / Policy-ST: Policy-Short Term
- एम. एल. टी. : मध्यम एवं दीर्घावधि / MLT: Medium and Long Term

## अध्यक्षीय संबोधन – 2020-21

## CHAIRMAN'S MESSAGE - 2020-21



श्री एम. सेंथिलनाथन  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

**Shri M. Senthilnathan**  
Chairman-cum-Managing Director

- वर्ष 2020 कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और निर्यात ऋण एजेंसियों (ई सी ए ) के लिए परीक्षा का समय रहा। वैश्विक वस्तु व्यापार में वर्ष 2019 के स्तर से लगभग 7.5% की गिरावट के साथ 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी दर्ज की गई। 'जोखिम' में तेज वृद्धि के बावजूद 'ईसीए' ने प्रति-चक्रीय उपाय के रूप में अपने सहयोग को जारी रखा।
  - इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरर्स (बर्न यूनियन – बीयू) द्वारा संकलित डेटा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के ईसीए द्वारा वर्ष 2020 में अल्पावधि (एसटी) के अधीन अपनी प्रतिबद्धता में 9% की वृद्धि दर्ज करते हुए 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने अपनी प्रतिबद्धता को 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम कर दिया। सार्वजनिक ईसीए एवं निजी बीमा कंपनियों द्वारा मध्यम और दीर्घ अवधि (एमएलटी) के निर्यात प्रतिबद्धता में लगभग 22% यथा 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। बीयू सदस्यों द्वारा समर्थित वैश्विक वस्तु निर्यात की हिस्सेदारी
- The year 2020 was a testing time for the global economy and Export Credit Agencies (ECAs) due to the onset of the COVID-19 pandemic. The global merchandise trade decreased by USD 1.4 tn i.e. around 7.5% fall from 2019 level. Despite a sharp increase in risk ECA's expanded their support as a counter-cyclical measure.
  - The data compiled by the International Association of Credit and Investment Insurers (Berne Union – BU) reveal that the public ECAs increased their commitment under Short-Term (ST) by 9% amounting to USD 81 bn in 2020 while private insurers decreased their commitment by USD 12 bn. The Medium and Long-Term (MLT) export commitment by both private insurers and public ECAs declined by around 22% i.e. USD 29 bn. The share of global merchandise export supported by BU members increased from 12.4% in 2019 to 13.6% in 2020. Apart from new

2019 के 12.4% से बढ़कर 2020 में 13.6% हो गई। रक्षा प्रदान किए गए नए व्यवसाय के अलावा, ऋण बीमा उद्योग में भी अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा के अधीन दावों में 35% की वृद्धि देखी गई। समग्र बकाया प्रतिबद्धता पर कुल दावों का अनुपात 2019 के 0.25% से बढ़कर 2020 में 0.30% रहा। वर्ष 2020 में दावों के अनुपात में वृद्धि वर्ष 2014-15 के वैश्विक वस्तु मूल्य संकट के बाद में दावों के अनुपात में 0.35% की वृद्धि तथा वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद 0.40% की वृद्धि की तुलना में कम है।

3. विभिन्न देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग के लिए आरंभ किए गए राजकोषीय और मौद्रिक पैकेजों के चलते भी दावों में आंशिक वृद्धि हुई। मौद्रिक, राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की प्रभाविता का अनुमान इस बात से भी लगता है कि ये वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में दिवालियापन स्तर के 12% तक कम करने में सफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2020 में अपेक्षित बहुत अधिक दावे दर्ज नहीं किए गए, हालांकि, वैश्विक व्यापार को अपना सहयोग देते हुए ईसीए सतर्क रहे। प्रोत्साहन पैकेज को क्रमशः रूप से वापस लेने से ही दावों में अपेक्षित उछाल से बचा जा सकता था। लेकिन, इससे वर्ष 2020 के अंत तक 277 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 360% के अभूतपूर्व वैश्विक ऋण स्तर को देखते हुए, इसके क्रमशः वापसी की अत्यधिक आशा बनी हुई है।
4. विश्व व्यापार संगठन ने मार्च 2021 में 8% के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 2021 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा में 10.8% से वृद्धि का पूर्वानुमान किया है। आपूर्ति पक्ष के मुद्दे जैसे कि उच्च इनपुट लागत और कच्चे माल की कमी के साथ-साथ पोर्ट लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यवधान विकास को बाधित कर सकते हैं, लेकिन ये केवल अल्पावधि के लिए होंगे। सार्वजनिक ईसीए द्वारा दिए जाने वाला सहयोग वर्ष 2021 में भी जारी रहने का अनुमान है जो कि वैश्विक वस्तु व्यापार के विकास के लिए एक प्रमुख सकारात्मक पक्ष होगा।
5. ईसीजीसी पर भी महामारी का प्रभाव रहा। लॉकडाउन के कारण एक तिहाई से अधिक काम के घंटों के कमी, महामारी के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिबंध के अलावा कंपनी के 10% से अधिक कर्मचारी संक्रमित होने के कारण कंपनी ने उत्पादक समय भी खोना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का निर्यात पिछले वर्ष के 22.19 लाख करोड़ रुपये (लगभग 3% की गिरावट) से घटकर 21.52 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि कंपनी द्वारा समर्थित निर्यात का मूल्य 5.62 लाख करोड़ से

business covered, the credit insurance industry also witnessed 35% increase in claims under ST export credit insurance. The overall claims ratio to outstanding commitment increased from 0.25% in 2019 to 0.30% in 2020. The rise in claims ratio in year 2020 is less compared to rise in claims ratio to 0.35% in 2014-15 after the global commodity price crisis and to 0.40% in 2009 after the global financial meltdown.

3. The moderate increase in claims is partly attributed to the fiscal and monetary packages rolled out by various countries to support their national economies. The intensity of monetary, fiscal and financial stimulus package can be judged by the salutary impact of these measures in decreasing the insolvency level by 12% in the year 2020 compared to 2019. As a result of this, the expected claims deluge failed to materialize in 2020, however, the ECAs continue to remain cautious while extending their support to global trade. Only an orderly withdrawal of stimulus package may avoid the anticipated surge in claims. But, given the unprecedented global debt level estimated at USD 277 tn by the year end 2020 or 360% of world GDP, the expectation of gradual withdrawal remains highly optimistic.
4. The WTO has predicted global merchandise trade volume growth of 10.8% in 2021 revising its forecast of 8% in March 2021. Supply side issues such as high input costs and raw material shortages along with disruptions in port logistics sector may impede growth but only in the short term. The increased support by public ECAs is expected to continue in the year 2021 also and will be a major positive for the growth of global merchandise trade.
5. ECGC was not immune to the impact of pandemic. In addition to loss of more than one-third working hours due to lockdown, restrictions in the number of employees attending the office during various phases of the pandemic, the Company also lost productive time, as more than 10% of employees got infected during the year. In the Financial Year (FY) 2020 – 21 while India's export decreased to ₹21.52 lakh crore from ₹22.19 lakh crore (decline of around 3%) in the previous year the value of export supported by the

लाख करोड़ रु से बढ़कर 6.03 रुपये हो गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि दर्शाता है। कुल मिलाकर कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान भारत के लगभग 28% निर्यात को समर्थन प्रदान किया गया है। हालांकि 1062 करोड़ रुपये की सकल प्रीमियम आय पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 1% कम थी, परंतु वर्ष के दौरान निर्यातकों को कंपनी द्वारा 285 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 573 दावों का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी बीमा रक्षा के अधीन बैंकों को 762 करोड़ रुपये मूल्य के 161 दावों का भुगतान भी किया।

6. ईसीजीसी ने वर्ष के दौरान जारी की गई रक्षाओं के अंतर्गत पॉलिसीधारक द्वारा दायित्वों के अनुपालन से संबंधित विभिन्न छूटों को भी लागू किया। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के रोकथाम सम्बंधी उपायों के कारण उत्पन्न अतिदेय के बावजूद खरीदारों पर बीमा सहायता जारी रखने का एक सचेत निर्णय लिया गया। कंपनी द्वारा 31 अगस्त, 2021 तक निर्यातकों से प्राप्त खरीदार सीमा आवेदनों पर साख सीमा आवेदन शुल्क को भी माफ कर दिया, साथ ही 31.03.2021 तक समाप्त होने वाली पॉलिसियों के लिए प्रसंस्करण शुल्क को 50% तक कम कर दिया गया। इन उपायों का सकारात्मक प्रभाव हुआ एवं निर्यातकों को जारी रक्षा के अंतर्गत समर्थित व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि के साथ 2.42 लाख करोड़ रुपये हो गया।
7. 31 मार्च 2021 तक कंपनी का दावा हेतु प्रावधान 6,885 करोड़ रुपये था। कंपनी ने पिछले वर्ष के 400 करोड़ रुपये की तुलना में 588 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया है। वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 460 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष के 324 करोड़ रुपये के स्तर से 42% की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। 31 मार्च, 2020 के 5,215 करोड़ रु. की तुलना में, 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की निवल मालियत (एन डब्ल्यू) रु. 6,365 करोड़ थी।
8. कंपनी राजभाषा नीति का सतत अनुपालन कर रही है एवं सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। हिंदी दिवस समारोह के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत कंपनी को वर्ष 2020–21 के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
9. कंपनी सतत रूप से सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करती है तथा कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत इसे 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। सेवाओं के

Company increased to ₹6.03 lakh crore from ₹5.62 lakh crore reflecting an increase of more than 7% over the previous year. Overall the Company has supported around 28% of India's exports during FY 2020-21. Though the gross premium income at ₹1,062 crore was less by around 1% from previous year level, the Company paid a record 573 claims amounting ₹285 cr. to exporters during the year. Additionally, the Company also paid 161 claims of value ₹762 crore to banks under the export credit working capital insurance cover.

6. ECGC also implemented various relaxations relating to compliance of obligations by the insured under the covers issued to them during the year. Further, a conscious call was taken to continue insurance support on buyers despite overdues that arose due to the COVID-19 containment measures. The Company also waived off Credit Limit Application fees on buyer limit application received from exporters till August 31, 2021, in addition to reducing the processing fee by 50% for policies expiring up to 31<sup>st</sup> March, 2021. These measures had a positive effect and the business supported under covers issued to exporters increased by 13% over the previous year to ₹2.42 lakh crore.
7. The Company's claim provisions as of 31<sup>st</sup> March, 2021 was ₹6,885 crore. The Company has achieved a profit before tax of ₹588 crore compared to ₹400 crore in the previous year. The net profit for the year stands at ₹460 crore reflecting an increase of 42% from the previous year level of ₹324 crore. The Net worth (NW) of the Company as of 31<sup>st</sup> March, 2021 was ₹6,365 crore as against ₹5,215 crore as of 31<sup>st</sup> March, 2020.
8. The Company continues to abide by the Official Language Policy and ensures its effective implementation by all the Branch offices, Regional offices and the Head office. The Company was conferred the third prize for the FY 2020-21 under the Rajbhasha Kirti Puraskar by the Ministry of Home Affairs during the Hindi Divas Samaroh.
9. The Company continuously adheres to the best corporate governance practices and has been rated as 'Excellent' as per DPE guidelines on Corporate

कुशल वितरण के लिए अपनी प्रक्रिया श्रृंखला में लगातार सुधार करते हुए, कंपनी अपने संचालन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयासरत है। कंपनी द्वारा प्रासंगिक वैधानिक और नियामक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं निगरानी रखने के लिए एक सिस्टम स्थापित किया गया है। कंपनी अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में, देश के कई क्षेत्रों में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण और स्वच्छ भारत पहल में योगदान करती है।

10. कंपनी निदेशक मंडल के सभी निदेशकों के योगदान की सराहना करती है। श्री अमिताभ कुमार और श्री सुनील जोशी वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में शामिल हुए। श्री विद्युत बेहारी स्वेन एवं श्री रजनीश कुमार की वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सदस्यता समाप्त हो गई। श्रीमती पद्मावती आर. को वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किया गया था और वर्ष के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति पर वह निदेशक नहीं रहीं। हम निर्यातकों और बैंकों के आभारी हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया एवं हमारे साथ कारोबार किया। हम अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को हार्दिक आभारी हैं। हम वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीएजी, नीति आयोग, डीपीई, भारतीय रिजर्व बैंक और आईआरडीएआई को उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।
11. मैं अपने सहकर्मियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कठिन समय में भी कंपनी को अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सरकार के निरंतर समर्थन के साथ, कंपनी आने वाले वर्षों में और अधिक प्रतिष्ठित होगी।

**एम. सेंथिलनाथन**

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Governance. While continuously improving its process chain for an efficient delivery of services, the Company strives to ensure fairness, transparency and accountability in its operations. The Company has put in place systems to keep a check and comply with relevant statutory and regulatory norms as required. The Company as part of its corporate social responsibility actively contributes to healthcare, education, women and child welfare and Swachh Bharat initiatives, in many regions across the country.

10. The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. Shri Amitabh Kumar and Shri Sunil Joshi joined the Board during the year. Shri Bidyut Behari Swain, Shri Rajnish Kumar ceased to be on the Board during the year. Smt. Padmavathy R. was inducted on the Board during the year and ceased to be a Director during the year on her superannuation. We are grateful to exporters and banks for reposing their trust and placing business with us. We extend our sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry for the immense support and guidance. We thank Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, CAG, NITI Aayog, DPE, Reserve Bank of India and IRDAI for their valuable support.
11. I thank my colleagues for their efforts in enabling the Company to achieve the good results despite the trying times. I am confident that with the commitment of the employees and the continuing support from the Government, the Company is poised for greater glory in the coming years.

**M. Senthilnathan**

Chairman-cum-Managing Director



## निदेशकों की रिपोर्ट

## DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक सहर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ, कंपनी की 63<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

## वित्तीय विशेषताएँ

आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएँ, समीक्षाधीन अवधि के लिए निम्नलिखित हैं:

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	2020-21	2019-20
पण्यवर्त (सकल प्रीमियम)	1062.28	1075.47
वित्तीय शुल्कों, कर, मूल्यहास/परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए)	594.75	404.54
घटाएं : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यहास/परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीटीडीए)	594.75	404.54
घटाएं : मूल्यहास	6.65	4.52
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	588.10	400.02
कराधान हेतु प्रावधान	127.79	76.18
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	460.31	323.84

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹. 408.41 करोड़ की तुलना में कम्पनी द्वारा कुल ₹. 1046.74 करोड़ के दावों की अदायगी की गई है। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किये गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹. 958.42 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर ₹. 884.52 करोड़ हो गए। पिछले वर्ष के ₹. 882.95 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश एवं अन्य आय 15.43% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹. 1019.22 करोड़ हो गई।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित सकल प्रीमियम पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹1075.47 करोड़ की तुलना में ₹1062.28 करोड़ रहा एवं 1.23% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पुनर्बीमा सत्र का समायोजन एवं जारी जोखिमों के लिए प्रावधान के उपरांत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) पिछले वित्त वर्ष के

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 63<sup>rd</sup> Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2021.

## FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

Particulars	(₹ In Crore)	
	2020-21	2019-20
Turnover (Gross Premium)	1062.28	1075.47
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation / Amortization (PBITDA)	594.75	404.54
Less : Finance Charges	-	-
Profit Before Depreciation / Amortization (PBTDA)	594.75	404.54
Less : Depreciation	6.65	4.52
Net Profit Before Taxation (PBT)	588.10	400.02
Provision for Taxation	127.79	76.18
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	460.31	323.84

During the FY 2020-21, the total claims paid by the Company are ₹1046.74 crore against ₹408.41 crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim decreased for the FY 2020-21 to ₹884.52 crore against ₹958.42 crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹1019.22 crore in FY 2020-21 from ₹882.95 crore in the previous FY reflecting a growth of 15.43%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2020-21 was ₹1062.28 crore against ₹1075.47 crore during the previous FY registering a negative growth of 1.23%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net)

₹831.16 करोड़ की तुलना में घटकर ₹827.31 करोड़ हो गया एवं 0.46% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।


**लाभ एवं विनियोजन**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, परिचालन से कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1350.45 करोड़ की तुलना में ₹1405.51 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने, पिछले वित्तीय वर्ष में ₹86.91 करोड़ की तुलना में ₹159.10 करोड़ का परिचालन लाभ

for the FY 2020-21, decreased to ₹827.31 crore, against ₹831.16 crore for the previous FY registering negative growth of 0.46%.

**PROFITS AND APPROPRIATIONS**

During the FY 2020-21, total income from operations was ₹1405.51 crore against ₹1350.45 crore in the previous FY. During the FY 2020-21, the Company posted an Operating Profit of ₹159.10 crore against ₹86.91 crore



अर्जित किया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वित्त वर्ष के ₹400.02 करोड़ की तुलना में ₹588.10 करोड़ था। आयकर और पूर्व अवधि समायोजन के लिए ₹127.79 करोड़ प्रदान करने के बाद, वित्त वर्ष 2020-21 में विनियोग के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (पीएटी) पिछले वित्त वर्ष में ₹323.84 करोड़ की तुलना में ₹460.31 करोड़ रहा।

**लाभांश**

निदेशक मंडल सहर्ष, ₹159.50 करोड़ की राशि के, ₹100 प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹5 प्रति इक्विटी शेयर के पूर्ण और अंतिम लाभांश की अनुशंसा करते हैं। कुल लाभांश ₹159.50 करोड़, ₹460.31 करोड़ के कर उपरांत लाभ के 34.65% के भुगतान अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

**प्रारक्षित निधियाँ**

बोर्ड द्वारा, दिनांक 16 जुलाई, 2021 को सम्पन्न अपनी 431<sup>वीं</sup> बैठक के दौरान ₹300.80 करोड़ की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधियों में स्थानांतरित करना प्रस्तावित किया है।

**अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोश में स्थानांतरण**

पिछले वर्ष के दौरान कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित और भुगतान न किए जाने की कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

**शेयर पूंजी**

31 मार्च, 2021 तक, कंपनी की कुल संपत्ति ₹6365.22 करोड़

in the previous FY. During the FY 2020-21, Profit Before Tax (PBT) was ₹588.10 crore, against ₹400.02 crore in the previous FY. After providing ₹127.79 crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2020-21 was ₹460.31 crore, against ₹323.84 crore in the previous FY.

**DIVIDEND**

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹5 per Equity Share on the 31,90,00,000 Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹159.50 crore. The total dividend amounts to ₹159.50 crore representing a pay-out ratio of 34.65% of the PAT of ₹460.31 crore.

**RESERVES**

The Board, at its 431<sup>st</sup> Meeting, held on July 16, 2021, proposed to transfer ₹300.80 crore to General Reserve.

**TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND**

Since, there was no unpaid/unclaimed dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

**SHARE CAPITAL**

As of March 31, 2021, the Company's Net Worth was ₹6365.22 crore (₹5214.92 crore as on March 31, 2020),

(31 मार्च, 2020 को ₹5214.92 करोड़) थी, जिसमें ₹3190 करोड़ की पेड-अप शेयर पूंजी (वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम सप्ताह के दौरान प्राप्त ₹300 करोड़ और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹390 करोड़) एवं ₹3175.22 करोड़ के आरक्षित और अधिशेष शामिल हैं।

### क. प्रतिभूतियों की वापस खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है।

### ख. स्वेट इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई भी स्वेट इक्विटी शेयर नहीं जारी किए गए हैं।

### ग. बोनस शेयर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई बोनस शेयर जारी नहीं किये गए।

### घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं उपलब्ध कराई गई है।

### कंपनी के बहिर्नियम

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

### शोधक्षमता मार्जिन


31 मार्च, 2021 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 19.25 गुना रहा जिसका विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2020-21	2019-20
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन(आर.एम.एस.) (रु. करोड़ों में)	298.41	323.84

comprising Paid-up Share Capital of ₹3190 crore (including ₹300 crore received during the last week of FY 2019-20 and ₹390 crore received during the FY 2020-21) and Reserves and Surplus of ₹3175.22 crore. With the infusion of additional capital of ₹260 crore during the current FY, the Paid-up Share Capital of the Company as on the date of this report amounts to ₹3450 crore.

### a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.



### b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

### c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

### d. EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

### MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2020-21 there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

### SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2021 is 19.25 against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5. The details are as under:

Particulars	2020-21	2019-20
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in crore)	298.41	323.84

उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन(ए.एम.एस.) (रु. करोड़ों में)	5745.67	4865.09
शोधक्षमता अनुपात (कुल ए.एस.एम./आर.एस.एम.) (गुना)	19.25	15.02

### अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है जिसके अंतर्गत किसी कम्पनी द्वारा , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत , बीमांकन किया जा सकता है , इसी क्रम में 31 मार्च 2021 तक कम्पनी की अधिकतम देयता ₹1,00,000 करोड़ पर अपरिवर्तनीय रही। 31 मार्च, 2021 तक एमएल ₹1,01,238.01 करोड़ था। भारत सरकार से अधिकृत एमएल को बढ़ाकर ₹3.6 लाख करोड़ करने का अनुरोध किया गया है।

### नये उत्पाद का प्रारम्भ

वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी द्वारा कोई नया उत्पाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

### निवेश

कंपनी के निवेश आईआरडीए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

### प्रबंधन व्यय

संबन्धित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए के 29.26% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत रूप में 28.37% (पिछले वर्ष 27.22%) रहा।

(₹ करोड़ में)

विविध समूह / कॉर्पोरेट			
भारत में बीमाकर्ताओं द्वारा बीमांकित कुल सकल प्रीमियम का भाग	प्रीमियम	प्रीमियम का प्रतिशत	स्वीकृत व्यय
प्रथम	200.00	35.00%	70.00
अगला	150.00	30.00%	45.00
शेष	712.28	27.50%	195.88
<b>भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम</b>	<b>1062.28</b>		<b>310.88</b>
<b>स्वीकृत व्यय का %</b>			<b>29.26</b>

### राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, मध्यम एवं दीर्घावधि ( एम एल टी ) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च 2021 को ट्रस्ट के पास ₹3256.71 करोड़ की बीमांकन राशि उपलब्ध

Available Solvency Margin (ASM) (₹ in crore)	5745.67	4865.09
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	19.25	15.02

### MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 crore as of March 31, 2021. The ML as of March 31, 2021 was ₹1,01,238.01 crore. The Government of India has been requested to enhance the authorised ML to ₹3.6 lakh crore.

### INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2020-21, no new product was introduced by the Company.

### INVESTMENT

The investments of the Company are in conformity with the guidelines of the IRDAI.

### MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2020-21 stand at 28.37% (previous FY 27.22%) against the IRDAI norm of 29.26%.

(₹ In crore)


Miscellaneous Group / Corporate			
Part of the total Gross Premium of the insurer written in India	Premium	Percentage of Premium	Allowable Expenses
First	200.00	35.00%	70.00
Next	150.00	30.00%	45.00
The Balance	712.28	27.50%	195.88
<b>Total Written Premium in India</b>	<b>1062.28</b>		<b>310.88</b>
<b>% of Allowable Expenses</b>			<b>29.26</b>

### NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA) TRUST

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term exports (MLT)/ project exports which are desirable from the point

रही। ट्रस्ट की बीमंकन क्षमता ₹65,134.20 है जिसके 25% अर्थात् ₹13,721 करोड़ की राशि कम्पनी द्वारा जारी एम.एल.टी. रक्षाओं हेतु प्रारक्षित की गयी है। 45 देशों में ₹38,466.81 करोड़ मूल्य की 188 परियोजनाओं का समर्थन करते हुए 295 कवरों के संबंध में जोखिम

of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹3,256.71 crore as of March 31, 2021. The underwriting capacity of the Trust is ₹65,134.20 crore of which 25% amounting to ₹16,283.55 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the



को एनईआईए ट्रस्ट के साथ ₹12,262.68 करोड़ की सीमा तक साझा किया गया है। ₹65,134.20 करोड़ में से शेष 75% राशि ₹48,850.65 करोड़ एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के लिए निर्धारित की गई है। मार्च 31, 2021 तक, ट्रस्ट ने श्रीलंका, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया देशों में ₹14,393.56 करोड़ मूल्य की 23 परियोजनाओं के लिए ₹20,036.95 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 23 खरीदार ऋण रक्षा जारी किए हैं। भारत सरकार, ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापक है और ईसीजीसी प्रबंध एजेंसी है।

### निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, दो अंशकालिक निदेशक अर्थात् श्री विद्युत बेहारी स्वेन, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार कंपनी के निदेशक पद पर नहीं रहे। श्रीमती पद्मावती आर., उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यात्मक निदेशक नहीं रहीं (उन्हें 09 जून 2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था)। श्री एम. सेंथिलनाथन, कार्यकारी निदेशक को दि. 29 अप्रैल 2020 से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के

Company. Risk in respect of 295 covers issued supporting 188 projects of value ₹38,466.81 crore in 45 countries has been shared with the NEIA Trust to the extent of ₹12,262.68 crore. The balance 75% of ₹65,134.20 crore amounting to ₹48,850.65 crore is earmarked for the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31, 2021, the Trust has issued 23 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹20,036.95 crore for 23 projects of value ₹14,393.56 crore in the countries Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D' Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname and Mauritania. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

### BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and Executive Director (Policy Matters) are appointed by the President of India.

During the FY 2020-21, two Part-Time Directors viz. Shri Bidyut Behari Swain, Special Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India ceased to be Directors of the Company. Smt. Padmavathy R., ceased to be the Functional Director on

रूप में पदोन्नत किया गया है। श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में और श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (नीति मामले), ईसीजीसी लिमिटेड एक कार्यकारी निदेशक के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए।

श्री डेविड रस्किना, प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक, दि.31.05.2021 को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की सेवाओं से उनकी सेवानिवृत्ति पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे। श्री शरद कुमार सराफ, पूर्व अध्यक्ष, फियो अपना कार्यकाल पूरा होने पर 28 जून, 2021 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, बोर्ड में अंशकालिक निदेशकों (एक महिला निदेशक के पद सहित) के तेरह पदों में से नौ पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया हेतु भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी निदेशक पुनर्निर्वाचित/पुनर्नियुक्त नहीं हुआ था।

### निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबंधित कंपनी की नीति

कंपनी के सरकारी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति/हटाने, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) और (4) के प्रावधान तथा निदेशकों की स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने और पारिश्रमिक एवं आय परिलब्धियों पर नीति की सिफारिश करने से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

### वार्षिक प्रतिफल

कंपनी ( प्रबंधन तथा प्रशासन ) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल के उद्घरण **अनुलग्नक I** में उपलब्ध है। (कंपनी का वार्षिक रिटर्न, कंपनी की वेबसाइट - [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) पर उपलब्ध है)

### स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक संबंधी घोषणा

पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर लागू स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 के प्रावधानों का सिवाय दिनांक 15 मई, 2020 से 08 जून, 2020 और 01 अक्टूबर, 2020 से अब तक किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति के विषय को छोड़कर, अब तक पूरी तरह से अनुपालन किया

her superannuation (she was appointed as a Director w.e.f. June 09, 2020). Shri M. Senthilnathan, Functional Director has been elevated as the Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. April 29, 2020. Shri Amitabh Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry as a Part-Time Government Director and Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited as a Functional Director were inducted into the Board during FY 2020-21.

Shri David Rasquinha, Managing Director, EXIM Bank ceased to be a Director of the Company w.e.f. May 31, 2021 on his superannuation from the service of Export-Import Bank of India (EXIM Bank). Shri Sharad Kumar Saraf, past President, FIEO ceased to be a Director w.e.f. June 28, 2021 on completion of his tenure.

As of the date of this report, nine of the thirteen positions of Part-Time Directors (including the position of a Woman Director) on the Board remain vacant. The process of filling up of these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected/re-appointed during the year under review.

### COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS' APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(2), (3) and (4) of the Companies Act, 2013 related to appointment/removal of Directors, formulating the criteria for determining the qualifications, positive attributes and independence of Directors and recommending the policy on remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other officers of the Company and other considerations in formulating the policy for remuneration are not applicable to the Company being a Government Company and hence it has not devised any policy related to the appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors' qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

### ANNUAL RETURN

The extract of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed at **Annexure I**. (Annual Return of the company is available on the company's website - [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in))

### DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS AND WOMAN DIRECTOR

The provisions of Section 149 pertaining to the

जाता रहा है। कंपनी यथाशीघ्र एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष मामले को उठा रही है।

### समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशक मण्डल की पांच बैठकें का आयोजन किया।

### लेखा परीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-

क्रम सं.	निदेशकों के नाम
1.	श्री के राजारामन (दि. 08/08/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
2.	श्री अमिताभ कुमार (दि. 20/11/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू (दि. 10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव (दि. 21/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	श्री शरद कुमार सराफ (दि. 22/07/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 28/06/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
6.	श्री डेविड पॉल रस्किना (दि. 07/08/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 31/05/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
7.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन (दि. 20/04/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 04/11/2020 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)

एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली लेखा परीक्षा समिति की उपरोक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री डेविड रस्कीन, अध्यक्ष, (31/05/2021 को सेवानिवृत्त), श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, श्री देवेश श्रीवास्तव और श्री शरद कुमार सराफ (28/06/2021 से सदस्य नहीं रहे), शामिल हैं, जो बहुमत बनाते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक लेखा परीक्षा समिति द्वारा समिति की बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है। शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा

appointment of Independent Directors and Woman Directors applicable to Public Limited Company are fully complied with except the appointment of Woman Director on the Board from May 15, 2020 to June 08, 2020 and oct 01, 2020 to till date. The Company is pursuing the matter with the administrative ministry for appointment of a Woman Director at the earliest.

### NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company conducted five Board Meetings during the financial year under review.

### DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members-

Sr. No.	Name of the Directors
1.	Shri K. Rajaraman (appointed as a Member since 08/08/2018)
2.	Shri Amitabh Kumar (appointed as a Member since 20/11/2020)
3.	Shri Shirish Chandra Murmu (appointed as a Member since 10/01/2020)
4.	Shri Devesh Srivastava (appointed as a Member since 21/01/2020)
5.	Shri Sharad Kumar Saraf (appointed as a Member since 22/07/2019) (ceased to be a Member since 28/06/2021)
6.	Shri David Paul Rasquinha (appointed as a Member since 07/08/2019) (ceased to be a Member since 31/05/2021)
7.	Shri Bidyut Behari Swain (appointed as a Member since 20/04/2018) (ceased to be a Member since 04/11/2020)

The above composition of the Audit Committee headed by an Independent Director consists of Independent Directors viz. Shri David Rasquinha, Chairman (superannuated on 31/05/2021), Shri Shirish Chandra Murmu, Shri Devesh Srivastava and Shri Sharad Kumar Saraf (ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021), who form the majority. The Audit Committee shall elect the Chairman at the meeting of the Committee until a Chairman is appointed by the Board of Directors.

The Company has established a vigil mechanism and oversees, through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other

निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सहकर्मचारियों तथा कंपनी के हितों से संबन्धित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया गया है।

### सहायक कंपनियाँ , संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

### जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

### भारत सरकार (भा.स.) के साथ समझौता ज्ञापन

#### (स.ज्ञा.)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर साल वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों के आकलन के आधार पर, कंपनी के प्रदर्शन को वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 में 'अच्छा' के रूप में दर्ज किया गया है और वित्त वर्ष 2019-20 में 'अच्छा' के रूप में मूल्यांकन किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' के रूप में मापे जाने की आशा है।

कोविड-19 महामारी और उसके परिणामों का वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि प्रभाव वर्तमान वित्त वर्ष में भी जारी है तथापि कंपनी ने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपाय किए हैं।

### संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2019-20 की ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में 10 मार्च 2021 को प्रस्तुत की गई थी।

### कर्मचारियों का विवरण

ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जो वर्ष भर कार्यरत रहा हो या जो वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित हो और उस वर्ष के लिए एक करोड़ दो लाख रुपये या उससे अधिक का कुल पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो या वर्ष के भाग के लिए आठ लाख पचास हजार रुपये का कुल पारिश्रमिक प्रति माह प्राप्त कर रहा हो।

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित है:

Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided contact details of the Chairman of the Audit Committee to employees for reporting issues concerning the interests of employees and the Company.

### SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

### DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Good" in FY 2017-18, FY 2018-19, FY 2019-20. The performance of the Company is expected to be rated as "Very Good" for the FY 2020-21.

The COVID-19 pandemic and the consequences thereof had an adverse impact on the performance of the Company in FY 2019-20 and FY 2020-21. While the impact continues in the current FY also, the Company has put in measures to improve the performance.

### PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd. for the year 2019-20, along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on March 10, 2021, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

### PARTICULARS OF EMPLOYEES

There was no employee who was employed throughout the year or who was employed for part of the year and was in receipt of aggregate remuneration of Rupees one crore two lakh or more for that year or was in receipt of aggregate remuneration of Rupees eight lakh fifty thousand per month for part of the year respectively.

Particulars of the employees who were in receipt of remuneration in excess of remuneration drawn by the Whole-Time Director are provided below:



## क.

क्र सं.	विवरण	कर्मियों का नाम
1.	नाम कर्मियों का पदनाम:	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा नियुक्त बीमांकिक (मप्र संवर्ग के समांतर)
2.	प्राप्त परिलब्धि:	रु. वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹85,43,280/-रु
3.	रोज़गार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा:	संविदा पर, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त
4.	कर्मियों की योग्यता एवं अनुभव:	सांख्यिकी में बी एस सी एवं सांख्यिकी में एम एस सी फेलो, इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुरिस इन इंडिया डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट, एन आई आई टी डिप्लोमा इन एक्चुरियल टेक्निक्स, इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुरिस, यू के
5.	रोज़गार के आरम्भ की तारीख;	दिनांक 18.04.2019 से संविदा आधार पर रोज़गार का आरम्भ
6.	कर्मियों की आयु;	54
7.	कम्पनी में नियुक्ति के पहले इस प्रकार के कर्मियों का पिछला रोज़गार;	भा सा बी नि
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ में परिभाषा के भीतर इस प्रकार के कर्मियों द्वारा धारित इक्विटी शेयर; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का सम्बन्धी है एवं यदि हाँ तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम दर्शाएँ	नहीं

## ख.

क्र सं.	विवरण	कर्मियों का नाम
1.	नाम कर्मियों का पदनाम:	श्री शशांक बाजपेयी मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी-सीसो (उमप्र संवर्ग के समांतर)
2.	प्राप्त परिलब्धि:	रु. वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹48,00,000/-रु
3.	रोज़गार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा:	संविदा पर, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त

## A.

Sr No.	Details	Name of the Employee
1.	Name Designation of the employee:	Smt. Priscilla Sinha Appointed Actuary (at par with rank of GM)
2.	Remuneration received:	₹85,43,280 in FY 2020-21
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise:	Appointment is contractual on a fixed term basis
4.	Qualifications and experience of the employee:	B.Sc in Statistics and M.Sc in Statistics. Fellow, Institute of Actuaries in India. Diploma in System Management, NIIT. Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK.
5.	Date of commencement of employment;	Commencement of employment on contractual basis on 18.04.2019
6.	The age of such employee;	54
7.	The last employment held by such employee before joining the Company;	GIC
8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	NIL
9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

## B.

Sr No.	Details	Name of the Employee
1.	Name Designation of the employee:	Shri Shashank Bajpai Chief Information Security Officer -CISO (at par with rank of DGM)
2.	Remuneration received:	₹48,00,000 in FY 2020-21
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise:	Appointment is contractual on a fixed term basis

4.	कर्मियों की योग्यता एवं अनुभव:	आईएसबी हैदराबाद से साइबर गवर्नेंस में एग्जिक्युटिव मास्टर्स सर्टिफिकेट (वर्ष 2019) सीडैक हैदराबाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर और सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वर्ष 2012) पुणे विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग (बीई) (वर्ष 2011) प्रमाणन: ईसी-काउंसिल से प्रमाणित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसीआईएसओ)(2018) जीसीएचक्यू, यूके से प्रमाणित इंसिडेंट प्लानिंग एंड रिसपॉस(2018) आईएसएसीए से प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम) (2013)
5.	रोज़गार के आरम्भ की तारीख;	दिनांक 01.08.2019 से संविदा आधार पर रोज़गार का आरम्भ
6.	कर्मियों की आयु;	34
7.	कम्पनी में नियुक्ति के पहले इस प्रकार के कर्मियों का पिछला रोज़गार;	एसीकेओ साधारण बीमा लिमिटेड
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ में परिभाषा के भीतर इस प्रकार के कर्मियों द्वारा धारित इक्विटी शेयर; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का सम्बन्धी है एवं यदि हाँ तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम दर्शाएँ	नहीं

4.	Qualifications and experience of the employee:	Executive Master's Certificate in Cyber Governance from ISB Hyderabad (Year 2019) Post Graduate Diploma in System Software & Security from CDAC Hyderabad (Year 2012) Bachelor of Engineering (B.E.) from University of Pune (Year 2011) Certifications: Certified Chief Information Security Officer (CCISO) from EC-Council (2018) Certified Incident Planning and Response from GCHQ U.K. (2018) Certified Information Security Manager (CISM) from ISACA (2013)
5.	Date of commencement of employment;	Commencement of employment on contractual basis on 01.08.2019
6.	The age of such employee;	34
7.	The last employment held by such employee before joining the Company;	ACKO General Insurance Limited
8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	NIL
9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

**ग्राहक हित रक्षा तंत्र**

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में, एक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीति के अनुसार, किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा एक उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी, यदि पहले के निर्णय को दोहराया जाना है। शिकायत को विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार निपटाया जा सकता है। एक शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी), जिसमें प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, कंपनी के खिलाफ किसी भी ग्राहक शिकायत के लिए सर्वोच्च आंतरिक अपीलिय प्राधिकारी है। वित्त वर्ष 2020-21 के

**CUSTOMER CARE MECHANISM**

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office in Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority in case the earlier decision is to be reiterated. The complaint can be dealt with four times by different officials/Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint

दौरान समिति ने 18 बार बैठक की एवं 25 मामलों का निपटारा किया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एक चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आईआरसी) का भी पुनर्गठन किया गया, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेश व्यापार और ऋण बीमा के क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे, जो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान तीन बार मिले एवं 10 मामलों का निपटारा किया।

कंपनी इरडा के केंद्रीकृत एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीआईजीएम एस) से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉगऑन कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब अपनी संबंधित शिकायतों को या तो सीआईजीएमएस पर या कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करने का विकल्प है। इसके अलावा, कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) द्वारा संचालित शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई है।

### ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी(लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

### विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन ₹39.09 करोड़ ( पिछले वित्तीय वर्ष में ₹71.55 करोड़ रु) रहे जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹1.95 करोड़ रु ( पिछले वित्तीय वर्ष ₹2.31 करोड़ रु) रहा।

### नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आईआरडीएआई के अनुमोदन से दिनांक 18 अप्रैल 2021 से पूर्ण-कालिक नियुक्त बीमांकिक (एए) अनुबंधित किया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एक अलग बीमांकिक विभाग की स्थापना की गयी, जो कि बीमांकिक कार्यों में (एए) की सहायता करता है जैसे “उपगत पर रिपोर्ट न किया गया” (आई बी एन आर)/“उपगत पर पर्याप्त रिपोर्ट न किया गया” (आई बी एन ई आर) दावा अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अनुमानित दावा लागत वित्तीय स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट, आर्थिक पूँजी गणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण एवं समीक्षा आदि कार्य। (एए) के रिपोर्ट एवं पर्यवेक्षण कंपनी के समग्र जोखिम प्रबंधन नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं। नियुक्त बीमांकिक एवं परामर्शदाता बीमांकिक अपने कार्य आई आर डी ए आई (एए) अधिनियम 2017 एवं आई आर डी ए आई (एए) अधिनियम 2017 के अधीन जारी अस्थायी प्रावधानों के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ही कार्य करते हैं। ए ए के साथ ही परामर्शदाता बीमांकिक भी बीमांकिक मामलों के लिए ज़िम्मेदार होगा।

against the Company. The Committee met 18 times and disposed off 25 cases during the FY 2020-21. A four member Independent Review Committee (IRC) was also re-constituted during the FY 2020-21, consisting of external experts from the fields of Judiciary, Banking, Foreign Trade and Credit Insurance, which met three times during the FY 2020-21 and disposed off 10 cases.

The Company is linked to the Centralized Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI, where customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the CIGMS or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms, Government of India at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

### PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

### FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the FY 2020-21 is ₹39.09 crore (₹71.55 crore in the previous FY) while Foreign Exchange outgo during the FY 2020-21 is ₹1.95 crore (₹2.31 crore in the previous FY).

### APPOINTED ACTUARY

A full-time Actuary was appointed on a contract basis by the Company with approval of IRDAI effective from April 18, 2019.

A separate 'Actuarial Department' was set up in the FY 2012-13, which provides support to the Appointed Actuary (AA) in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing and review etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company. The Appointed Actuary functions in accordance with the "IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017".

### STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were

## सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 9 सितम्बर 2020 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसका संज्ञान दिनांक 24 नवंबर 2020 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

दिनांक 24 नवम्बर 2020 को सम्पन्न 62 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। मेसर्स एबीएम एंड एसोशिएट एलएलपी, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 105016W/W-100015 तथा मेसर्स एसएनके एंड कम्पनीसनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 109176W भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

## भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

सी ए जी की टिप्पणियाँ निदेशकों की रिपोर्ट का भाग एवं संलग्नक बनेगी।

## कंपनी शासन

कंपनी का कम्पनी शासन दर्शन सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करना तथा उचित कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। आर एस पाडिया एंड एसोशिएट्स, कम्पनी सचिव पेशेवर(एफसीएस 6804, सीओपी 7488) से प्राप्त सर्टिफिकेट, कम्पनी शासन की रिपोर्ट के साथ

appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the FY 2020-21 vide their letter dated September 09, 2020, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 24, 2020 and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 62<sup>nd</sup> AGM held on November 24, 2020 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the C&AG under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office and Branch Offices of the Company for the FY 2020-21 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for the FY 2020-21 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

## AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors' Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. abm & associates LLP, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 105016W/W-100015 and M/s. SNK & Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 109176W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the C&AG, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2020-21. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

## COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors' Report as an addendum to the same.

## CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound corporate governance practices. A detailed Corporate Governance Report along with Certificate from R. S. Padia & Associates, Practicing Company Secretary (FCS 6804, COP 7488), on corporate governance is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report (Annexure II).

## SECRETARIAL AUDIT

विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है (अनुबंध II)

### सचिवीय लेखा परीक्षा

मेसर्स ए. लखोटिया एंड कंपनी (पूर्व में अभिषेक लखोटिया एंड कंपनी के नाम संचालित), सेक्रेटेरियल लेखा परीक्षक (एफसीएस 9082, सीओपी 10547) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म नंबर एमआर-3) (अनुलग्नक III) ने निदेशकों की प्रशिक्षण नीति और 15 मई, 2020 से 08 जून, 2020 तक और 01 अक्टूबर, 2020 से अब तक किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन की सूचना दी। इस पर प्रबंधन का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है:

(क) निदेशकों की प्रशिक्षण नीति के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना: ईसीजीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक नए निदेशक के शामिल होने के बाद, नए निदेशक को एक स्वागत पत्र संबोधित किया जाता है जिसमें उन्हें उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आवश्यक अनुपालनों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू विधियों/नियमों/विनियमों के तहत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण प्रदान किया जाता है। कंपनी का प्रबंधन कंपनी के विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों/विभागों द्वारा अपनाई जाने वाली कंपनी, उसके संचालन, महत्वपूर्ण नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में नए निदेशक को परिचित कराता राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) और सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई), डीपीई आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निदेशकों को नियमित रूप से प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है जिसमें बोर्ड से संबंधित प्रथाओं पर प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराए जाती सभी निदेशकों को कंपनी के निदेशकों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन और अन्य लागू नियमों और विनियमों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

वर्तमान में, बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशक अपने-अपने संगठनों में उच्च स्तर के पदों पर हैं और आमतौर पर अपने पूर्व-व्यवसाय और व्यस्त कार्यक्रम के कारण प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने / भाग लेने में असमर्थ हैं। ईसीजीसी लिमिटेड ने औपचारिक रूप से वाणिज्य विभाग के माध्यम से डीपीई से दिनांक 24 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से निदेशकों के प्रशिक्षण पर डीपीई प्रावधानों से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

विचाराधीन लेखापरीक्षा अवधि के लिए, डीपीई दिशानिर्देशों के

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the FY 2020-21 received from M/s A. Lakhotia & Co. (formerly known as Abhishek Lakhotia & Co.), Secretarial Auditor (FCS 9082, COP 10547) (Annexure III) reported non-compliance with the Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines regarding Directors' Training Policy and non-appointment of Woman Director from May 15, 2020 to June 08, 2020 and and oct 01, 2020 to till date. Reply of the Management to the same is given below:

(a) Non-compliance with DPE Guidelines regarding Directors' Training Policy: Post induction of a new Director on the Board of ECGC Ltd., a welcome letter is addressed to the new Director providing him/her with details of duties and responsibilities required to be performed, in addition to the compliances required to be observed by him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including the DPE Guidelines. The Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by the various Sectors/Departments, including the role and responsibilities of the various Departments of the Company. Directors are also regularly encouraged and sponsored to attend important training programmes organised by various institutes of repute such as National Insurance Academy (NIA), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) and training organised by Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), DPE etc. imparting relevant information on Board related practices. All the Directors are regularly updated on various provisions related to the corporate governance and other applicable rules and regulations to the Company during Board/Committee Meetings as per the internal training policy for Directors of the Company.

Presently, all the Independent Directors on the Board are holding higher level positions in their respective organizations and generally unable to attend/participate in sponsored training programs due to their pre-occupation and busy schedule. ECGC Ltd. has formally requested the DPE through the Department of Commerce to grant exemption from the DPE provisions on Directors' Training vide letter dated July 24, 2019. Reply is awaited.

For the Audit Period under consideration, the criteria set under DPE Guidelines could be partially fulfilled by sponsoring the following two Directors for Training programs:

- Shri Devesh Srivastava, CMD, GIC Re.
- Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters),

तहत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, निर्धारित मानदंडों को निम्नलिखित दो निदेशकों को प्रायोजित करके आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है:

- (i) श्री देवेश श्रीवास्तव, अ.प्र.नि., जीआईसी सी.
  - (ii) श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड.
- (ख) 15 मई, 2020 से 08 जून, 2020 और 01 अक्टूबर, 2020 से अब तक किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। महिला निदेशक की नियुक्ति का न होना: कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 63 के अनुसार की जाती वाणिज्य विभाग (डीओसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सरकार भारत सरकार निदेशकों की नियुक्ति के आदेश जारी करती है। कंपनी ने 08 जुलाई, 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए डीओसी से अनुरोध किया है और 22 फरवरी, 2021 को एक अनुस्मारक भेजा गया था। वाणिज्य विभाग से आगे की कार्यवाही जारी है।

**इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता**

**I. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)**

वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान उभरी कोविड -19 महामारी से वित्त वर्ष 2020-21 पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्थिति पर काबू पाने के इरादे से, भारत सरकार ने महामारी से निपटने के लिए मार्च 2020 में अपने पहले राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की। सितंबर 2020 तक लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोला गया।

दुनिया भर में, विभिन्न देशों ने एक ही उद्देश्य के लिए अलग-अलग डिग्री के लॉकडाउन को लागू किया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा सलाह दी गई रोकथाम उपायों और आगे की सावधानियों ने दैनिक जीवन के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दुनिया भर की सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपायों की घोषणा और कार्यान्वयन किया है कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार को सामान्यता के रास्ते पर रखा जाए।

विश्व स्तर पर, व्यापार काफी धीमा हो गया है और ऋण चक्र में वृद्धि के कारण व्यक्तिगत फर्मों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। विलंबित भुगतान या व्यावसायिक हानि की प्रत्याशा में, विश्व स्तर पर पुनर्बीमा व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। पुनर्बीमाकर्ता जोखिम जोखिम में अधिक चयनात्मक हो गए, पुनर्बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई और पुनर्बीमा के लिए संधि की शर्तें अधिक कठोर हो गईं। इन विकासों के प्रभाव को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और कंपनी को विश्वास है कि दावों में परिणामी वृद्धि प्रबंधनीय होगी।

ECGC Limited.

- (b) Non-appointment of Woman Director from May 15, 2020 to June 08, 2020 and oct 01, 2020 to till date. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India in terms of Article 63 of the Articles of Association of the Company. The Department of Commerce (DoC), Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India issues the orders appointing the Directors. The Company has requested the DoC for appointment of a Woman Director to comply with the provisions of Section 149 (1) of the Companies Act, 2013 on July 08, 2020 and a reminder was sent on February 22, 2021. Follow up is being made with DoC.

**MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT**

**I. Enterprise Risk Management (ERM)**

FY 2020-21 was adversely impacted by the COVID-19 pandemic that emerged during the last quarter of FY 2019-20. Intending to get hold of the situation, the Government of India announced a nation-wide lockdown in March 2020, to tackle the pandemic. The lockdown was gradually reversed by September 2020.

Across the world, various countries have implemented varying degrees of lockdown towards the same objective. The containment measures and further precautions advised by relevant authorities have impacted international trade significantly, apart from daily life. The governments across the world have also announced and implemented various stimulus measures to ensure that their economies and trade are put on a path to normality.

Globally, the trade has slowed down considerably and individual firms' working capital requirements have increased due to elongation of credit cycle. In anticipation of delayed payment or business loss, reinsurance business globally was also affected. The reinsurers became more selective in underwriting risk, reinsurance premium increased and treaty conditions for reinsurance have become more stringent. The impact of these developments is yet to be quantified and the Company is confident that the resultant increase in claims will be manageable.

**II. अंधेरी प्रॉपर्टी का अद्यतन****(i) कार्यालय परिसर**

1. निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न अपनी 398वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी से दिनांक 26 मई 2015 के पत्र में वर्णित ₹111,24,12,901/- के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ही ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के मध्य दिनांक 06 जून 2016 को हमारे अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन ( स झा ) पर हस्ताक्षर किए गए।
2. समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 7 के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने जमा की किशतों की मांग की थी और तदनुसार, कंपनी ने अब तक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 87.80 प्रतिशत जमा राशि के रूप में ₹97,66,89,030 का कुल भुगतान किया है।
3. ठेकेदार, सैम इंडिया बिल्टवेल प्रा लिमिटेड, ने 30 मार्च, 2017 से कार्यालय भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू किया। सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दिनांक 16 जून, 2021 के अपने मेल द्वारा सूचित किया, कार्यालय भवन के लिए 89% काम पूरा हो चुका है।
4. निदेशक मंडल ने 07 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 422 वीं बैठक में, अंधेरी साइट पर नए कार्यालय भवन के लिए कारखाने से बने नॉक-डाउन कार्यालय मॉड्यूलर फर्नीचर की खरीद और स्थापना के लिए ₹926.62 लाख के प्रारंभिक लागत अनुमान को मंजूरी दी। यह सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया गया था और इसके लिए कंपनी और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 26 सितंबर, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के खंड बी (3) के अनुसार, कंपनी ने ₹4,42,66,200 (चार करोड़ बयालीस लाख छियासठ हजार दो सौ मात्र) के रूप में जारी किए हैं। स्वीकृत अनुमान की अग्रिम जमा राशि ₹926.62 लाख है।

**(ii) आवासीय परिसर**

1. निदेशक मंडल द्वारा 07 नवंबर, 2016 को आयोजित अपनी 405वीं बैठक में, ₹73,95,80,728 के प्रारंभिक अनुमान पर एक आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई
2. ईसीजीसी और सीपीडब्ल्यूडी ने कंपनी के आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए 10 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3. कंपनी ने 30 जनवरी, 2017 को ₹73,95,80,728 की अनुमानित प्रारंभिक लागत के 10% की प्रारंभिक जमा राशि के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹7,39,58,073 का भुगतान किया।
4. सीपीडब्ल्यूडी ने आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए

**II. Update of Andheri Property****(i) Office premises**

1. The Board of Directors had, at its 398<sup>th</sup> meeting held on July 15, 2015, approved construction of the office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901 as per the estimation given by Central Public Works Department (CPWD) vide their letter dated May 26, 2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same had been signed between ECGC Limited and CPWD on June 06, 2016 for construction of office building at the Company's Andheri plot.
2. As per Clause No. 7 of MoU, CPWD had demanded instalments of deposits and accordingly, so far, the Company has made a total payment of ₹97,66,89,030 being 87.80% deposit towards construction of the office building.
3. The contractor, Sam India Builtwell Pvt. Ltd., started the construction work for the office building from March 30, 2017. As informed by CPWD officials vide their e-mail dated June 16, 2021, 89% of work has been completed for the office building.
4. The Board of Directors, at its 422<sup>nd</sup> meeting held on August 07, 2019, approved the preliminary cost estimate of ₹926.62 lakh for purchase and installation of factory-made knock-down office modular furniture for the new office building at the Andheri site. This was communicated to CPWD and an MOU for the same also was signed by the Company and CPWD on September 26, 2019. As per Clause B (3) of the MOU, the Company has released ₹4,42,66,200 (Rupees four crore forty two lakh sixty six thousand two hundred only) being advance deposit of the estimation approved for ₹926.62 lakh.

**(ii) Residential premises**

1. The Board of Directors had, at its 405<sup>th</sup> meeting held on November 07, 2016, approved construction of a residential complex at a preliminary estimate of ₹73,95,80,728.
2. ECGC and CPWD signed an MOU on January 10, 2017 for construction of the Company's residential buildings complex.
3. The Company made a payment of ₹7,39,58,073 to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹73,95,80,728 on January 30, 2017.
4. CPWD had floated a tender for construction of the residential building complex. The tender was opened on December 28, 2017.

- निविदा जारी की थी। निविदा 28 दिसंबर, 2017 को खोली गई।
5. कंपनी को मुंबई महानगर निगम (एमसीजीएम) से दिनांक 02 दिसंबर, 2017 का पत्र सं. सीएचई/116/बीपी/(एसपीएल.सेल)एलओकेई/-337 प्राप्त हुआ, जिसमें आरडीडीपी-2034 (मई 2016) में 9.15 मीटर डीपी रोड (विकास योजना) को प्लॉट के भीतर बनाए रखते हुए व आर.एच.2.1 (अस्पताल), आरओएस 1.1 (सार्वजनिक खुली जगह) का आरक्षण रद्द करने की सूचना दी गई थी।
  6. उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व में ले-आउट के लिए दिया गया अनुमोदन अमान्य हो गया। नतीजतन, पांच आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ठेका देने के लिए चयनित बोली को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वापस ले लिया गया।
  7. डीपी रोड के लिए आरक्षण अस्पताल और सार्वजनिक खुले स्थान के सामान्य उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। चूंकि अस्पताल और सार्वजनिक खुली जगह के लिए आरक्षण खाली कर दिया गया था, डीपी रोड के लिए आरक्षण का कोई उद्देश्य नहीं था और इस हिस्से के लिए भी आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए था। कंपनी ने उपरोक्त डीपी रोड को आरक्षित करने के लिए 14 दिसंबर, 2017 के पत्र संख्या ईसीजीसी/एपीडीसी/245/2017 के माध्यम से शहरी विकास विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
  8. शहरी विकास विभाग के साथ जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 12 मार्च 2021 की अधिसूचना संख्या टीपीबी-432/सीआर-20/2021/यूडी-11 के तहत प्लॉट से डीपी रोड 9.15 मीटर को हटाने की मंजूरी दी।
  9. आर्किटेक्ट्स ने पहले सूचित किया था कि एमसीजीएम द्वारा लागू फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया था कि कंपनी आवासीय भवनों की योजना की समीक्षा कर सकती है और एमसीजीएम द्वारा अनुमोदन के लिए योजना प्रस्तुत करने से पहले फ्लैटों की संख्या/क्षेत्र में वृद्धि सहित आवश्यक संशोधनों को समायोजित किया जा सकता है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत और उपस्थिति पर परिणामी प्रतिबंधों के कारण समीक्षा शुरू की जानी बाकी है।
5. The Company received Letter No.CHE/116/BP/(Spl. Cell) LOKE/- 337 dated December 02, 2017 from the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), informing de-reservation of RH.2.1 (Hospital), ROS 1.1 (Public Open Space), while retaining the 9.15 meter DP Road (Development Planning) in RDDP-2034 (May 2016) within the plot.
  6. In view of the above developments, the approval given for lay-out previously became invalid. Consequently, the bid selected for award of contract for construction of five residential buildings was withdrawn by CPWD.
  7. The reservation for the DP road was provided for the general purpose of approach to hospital and public open space. As the reservation for hospital and public open space had been vacated, reservation for DP Road did not serve any purpose and de-reserving should have been made applicable rightfully for this portion also. The Company submitted its representation to the Government of Maharashtra through the Urban Development Department vide letter No. ECGC/APDC/245/2017 dated December 14, 2017, for de-reserving the DP Road in question.
  8. After vigorous follow up with the Urban Development Department, the Government of Maharashtra sanctioned the deletion of DP Road 9.15 meter from the plot vide Notification No.TPB-432/CR-20/2021/UD-11 dated March 12, 2021.
  9. The Architects had informed earlier that the applicable Floor Space Index (FSI) has been revised upwards by the MCGM. They had suggested that the Company may review the residential buildings plan and the required modifications including increase in number/area of flats can be accommodated before submitting the plan for approval by the MCGM. However, due to the onset of the second wave of the COVID-19 pandemic and the resultant restrictions on attendance the review is yet to be initiated.

### (iii) यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

1. कंपनी द्वारा अंधेरी संपत्ति में कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के अनुबंध को समाप्त किए जाने के बाद कंपनी यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल रही है। जबकि यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने कंपनी पर ₹23,02,81,857 का दावा प्रस्तुत किया है, 30 जून 2015 को, कंपनी ने ₹31,63,42,930
1. The Company has been involved in an arbitration proceeding initiated by Unity Infraprojects Limited after the contract for construction of Office and Residential buildings in Andheri property was terminated by the Company. While Unity Infraprojects Limited, Project Contractor have submitted a claim on the Company to the tune of ₹23,02,81,857, on June 30, 2015, the Company has claimed a compensation of ₹31,63,42,930.
  2. Unity Infraprojects has filed for insolvency before the National Company Law Tribunal (NCLT) in



के मुआवजे का दावा किया है।

- यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने जून 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष दिवाला के लिए दायर किया था और एनसीएलटी ने 'मोराटोरियम' का आदेश पारित किया था। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स और कंपनी के बीच मध्यस्थता में पिछली सुनवाई 20 दिसंबर, 2017 को हुई थी। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर लगाए गए स्थगन को देखते हुए, मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी और 'स्टे' अभी भी जारी है। एनसीएलटी में पिछली सुनवाई 23 मार्च, 2021 को हुई थी और यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स के दिवालिया होने पर आदेश सुरक्षित है। मध्यस्थता कार्यवाही में आदेश एनसीएलटी के आदेश के बाद पारित किया जाएगा।

### III. एचसीएल मध्यस्थता का अद्यतन

- कंपनी ने मध्यस्थता के अंतर्गत ₹29,17,48,342.96 एवं ब्याज का दावा प्रस्तुत किया है और एचसीएल द्वारा ₹146,98,02,403 एवं ब्याज का एक प्रति दावा प्रस्तुत किया गया है।
- इस मामले में साक्ष्य दाखिल करने, गवाहों की परीक्षा और जिरह, मौखिक दलीलें और दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें पूरी कर ली गई हैं।
- वर्तमान में मध्यस्थता निर्णय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से प्रतीक्षित है।
- मध्यस्थता निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हो, कंपनी उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें निर्णय आया है, हेतु उचित लेखांकन समायोजन करेगी।

### कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित एवं कार्यान्वित करने से सम्बंधित विवरण

कम्पनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार में है एवं यह आई आर डी ए आई के साथ गैर जीवन बीमा कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समूहन कारोबार की प्रकृति में ही निहित है। कम्पनी ने, उपक्रम व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित कर अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के ज़रिये कम्पनी के जोखिम प्रोफाइल का नियमन के लिए अपने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कम्पनी सदैव ही अपने कारोबार के सभी पहलुओं में विवेकपूर्ण सीमा के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त भारत सरकार से पर्याप्त पुनर्बीमा/सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी) कम्पनी के कारोबार के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमा एवं विकासों के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करती है। कम्पनी द्वारा एक निवेश पोर्टफोलियो बनाया गया है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों का विवरण है। निवेश जोखिमों का प्रबंधन विविध उद्योग एवं प्रतिभूतियों में इस प्रकार निवेश के ज़रिये किया जाता

June 2017 and the NCLT had passed an Order of 'Moratorium'. The last hearing in the arbitration between Unity Infraprojects and the Company was held on December 20, 2017. In view of the moratorium imposed on Unity Infraprojects Limited, the arbitration proceeding was stayed and the 'Stay' is still continuing. The last hearing in the NCLT was held on March 23, 2021 and the order upon insolvency of Unity Infraprojects is reserved. The order in arbitration proceedings shall be passed after the order of the NCLT.

### III. Update on HCL Arbitration

- The Company has filed a claim of ₹29,17,48,342.96 plus interest and HCL has filed a counter claim of ₹146,98,02,403 plus interest under arbitration.
- The filing of evidence, examination and cross examination of witnesses, oral arguments and written submission on behalf of both the Parties have been completed in the matter.
- Currently the arbitration award is awaited from the Arbitration Tribunal.
- Based on the arbitration award, the Company will make appropriate accounting adjustments, if required during the relevant FY in which the award is given.

### STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As a part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance from reinsurers and support from the Government of India in addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises of Shareholders' and Policyholders' funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities, in such a way that ensures liquidity risks are minimized with optimum return on the investment. It is monitored by the Investment Committee of the Board. The Company also follows the Board approved Asset Liability Management (ALM)

है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश में अधिकाधिक अर्जन हो एवं नकदी जोखिम न्यूनतम हो। बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। कम्पनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति का पालन किया जाता है एवं मॉनिटर किया जाता है। ए एल एम स्थिति की सूचना तिमाही आधार पर बोर्ड की आर एम सी को रिपोर्ट की जाती है। कम्पनी ने बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता से इसे और अधिक गतिशील बनाने के लिए इसके जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

### कार्पोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट:

कृपया अनुबंध IV देखें

### कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

शून्य

### संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से कारोबार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा अंतरण के विवरण:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रनि इसके अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए 5% प्रीमियम आय का हकदार है। ईसीजीसी वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहा है।

### निदेशकों का दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि-

- (क) कंपनी ने आवश्यक तथ्यों से विचलन, यदि कोई हो तो, पर उचित स्पष्टीकरणों के साथ वार्षिक लेखाविवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है।
- (ख) दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कम्पनी के कार्यों को सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत एवं दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ को प्रदर्शित करने के लिए निदेशकों ने उचित लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं अनुमान किये हैं;
- (ग) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशकों ने यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी

policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The Company has initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic with the help of external consultants.

### ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Please refer to **Annexure IV**.

### PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

### PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH THE RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

The NEIA Trust is a Public Trust formed by the Government of India. ECGC is administering the Trust. CMD is the Chairman of the Trust and Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled to 5% of premium income to meet administrative expenditure. ECGC has been managing the Trust since 2006.

Form AOC-2 with particulars of contract/ arrangement entered into by the Company with the related party during the FY 2020-21 is given at **Annexure IX**.

### DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that –

- (a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;
- (b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on March 31, 2021 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2021;
- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2021, on a 'going concern' basis;

बरती है;

- (घ) निदेशकों ने वित्तीय वर्ष, जो कि 31 मार्च, 2020 को खत्म हुआ, के लिए लेखांकन 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' आधार पर किया;
- (ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है; तथा,
- (च) निदेशकों ने सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र की रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है और प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

### अभिस्वीकृति

निदेशक मण्डल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, बाह्य मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों और विकास में विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैंकों और पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों और ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण एफआईआईओ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों और समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

एम. सेंथिलनाथन  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07376766

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई, 2021

- (e) the Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

### ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure and Department of Financial Services, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs; Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India; Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI); the Comptroller & Auditor General of India; Reserve Bank of India; NITI Aayog and offices of the Indian Embassies and High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are grateful to Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the Rating Agencies and Debt Collection Agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors thank and place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance Brokers. The Directors place on record, their thanks to the Auditors for the valuable advice and support received from time to time. The Directors express their deep sense of appreciation to all Officers and Staff who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-  
M. Senthilnathan  
Chairman-cum-Managing Director  
DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: July 16, 2021

**फॉर्म सं एम् जी टी 9**

**वार्षिक विवरणी का सारांश**

31 मार्च , 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम 2013 एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुकरण में

**I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :**

- i) सी आई एन : U74999MH1957GOI010918
- ii) पंजीकरण की तारीख : 30.07.1957
- iii) कम्पनी का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड
- iv) कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी: सरकारी कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण: 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021.
- vi) क्या सूचीबद्ध है हाँ/नहीं : नहीं
- vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो तो, का नाम व पता: लागू नहीं

**II. कम्पनी की मुख्य कारोबार गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:-**

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं:

क्रम सं	मुख्य उत्पादों एवं सेवाओं के नाम व विवरण	उत्पाद व सेवा की एन आई सी कोड	कम्पनी के कुल पण्यार्वत का %
1	गैर जीवन बीमा	65120	100%

**III. अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों की धारिता का विवरण**

क्रम सं	कम्पनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनी की धारिता	धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held	लागू धारा
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**IV. शेयर धारिता पद्धति (कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विश्लेषण)**

**Form No. MGT-9  
EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

as on the financial year ended on March 31, 2021

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:**

- i) CIN: U74999MH1957GOI010918
- ii) Registration Date: 30.07.1957
- iii) Name of the Company: ECGC Limited
- iv) Category/Sub-Category of the Company: Government Company/Public Limited
- v) Address of the Registered office and contact details: 10<sup>th</sup> Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai - 400021.
- vi) Whether listed Company Yes / No: No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: N.A

**II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

All the Business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company are:-

Sr. No.	Name & Description of main products/ services	NIC Code of the Product / service	% to total turnover of the Company
1	NON-LIFE INSURANCE	65120	100%

**III. Particulars of holding, subsidiary and associate Companies**

Sr. No.	Name and Address of the Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary / Associate	% of shares held	Applicable section
1	NA	NA	NA	NA	NA

**IV. Shareholding pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)**

## i) Category-wise Shareholding

श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
क. प्रवर्तक (1) भारतीय A. Promoters (1) Indian									
क) व्यक्ति/हिं अ प a) Individual/HUF	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) केंद्र सरकार b) Central Govt. I) भारत के राष्ट्रपति I) President of India II) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत II) Nominee of the President of India	लागू नहीं NA	249999992	249999992	100	लागू नहीं NA	318999992	318999992	100	0
ग) राज्य सरकार(रें) c) State Govt(s)	लागू नहीं NA	8	8		लागू नहीं NA	8	8		0
घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
च) बैंक/वि सं e) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) कोई अन्य f) Any Other	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप-योग (क) (1) :- Sub-total (A) (1):-	लागू नहीं NA	250000000	250000000	100	NA	319000000	319000000	100	लागू नहीं NA
(2) विदेशी (2) Foreign									
क) अप्रभा-व्यक्ति a) NRIs - Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) अन्य व्यक्ति b) Other Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
ग) निगमित निकाय c) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
घ) बैंक/वि सं d) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) कोई अन्य e) Any Other	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप-योग (क) (2) :- Sub-total (A) (2):-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता = (क)(1)+(क)(2) Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NA	250000000	250000000	100	NA	319000000	319000000	100	0
ख. सार्वजनिक शेयर धारण B. Public Shareholding									
1. संस्थान 1. Institutions									
क) म्युचुअल फंड a) Mutual Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान b) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
घ) राज्य सरकार (रें) d) State Govt(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ड) वेंचर कैपिटल फंड e) Venture Capital Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
च) बीमा कम्पनियाँ f) Insurance Companies	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक g) FIIs	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ज) विदेशी वेंचर कैपि- टल फंड h) Foreign Venture Capital Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
झ) अन्य (स्पष्ट करें) i) Others (specify)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप योग (ख) 1):- Sub-total (B)(1):-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
<b>2. गैर संस्थान 2. Non- Institutions</b>									
क) निगमित निकाय a) Bodies Corp.									
i) भारतीय i) Indian	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ii) विदेशी ii) Overseas	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) एकल b) Individuals									
i) ₹1 लाख तक के सांकेतिक शेयर पूँजी तक की व्यक्तिगत शेयर धारकों की शेयरधारिता i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹1 lakh	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
ii) ₹1 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूँजी के शेयर धारिता के शेयर धारक ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग) अन्य (स्पष्ट करें) c) Others (specify)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप कुल (ख)(2):- Sub-total (B)(2):-									
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2) Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B) (2)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग. संरक्षकों द्वारा धारित जी डी आर एवं ए डी आर C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल योग (क+ख+ग) Grand Total (A+B+C)	NA	250000000	250000000	100	NA	319000000	319000000	100	0



ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता

## ii) Shareholding of Promoters

क्र सं Sr. No.	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की सं No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	गिरवी रखे गए / भारित शेयरों का कुल % % of Shares Pledged / encumbered to total shares	शेयरों की सं No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए / भारित शेयरों का % % of Shares Pledged / encumbered to total shares	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का % % change In sharehold- ing during the year
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	249999992	100	0	318999992	100	0	0
2.	राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत Nominees of the President of India	8			8			
	<b>कुल Total</b>	<b>250000000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>319000000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

iii) प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हो तो)

## iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्र सं Sr. No.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company
1.	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	<b>250000000</b>	<b>100</b>	<b>250000000</b>	<b>100</b>
2.	प्रवर्तकों के शेयर धारण पद्धति में वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण स्पष्ट करें (उदा आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc.)			वर्ष के दौरान आबंटित अतिरिक्त शेयर्स: (i) 15/05/2020 - 3,00,00,000 (ii) 21/08/2020- 60,00,000 (iii) 23/09/2020 - 35,00,000 (iv) 24/11/2020 - 55,00,000 (v) 04/02/2021 - 2,40,00,000. Additional Shares allotted during the year : (i) 15/05/2020 - 3,00,00,000 (ii) 21/08/2020-60,00,000 (iii) 23/09/2020 - 35,00,000 (iv) 24/11/2020 - 55,00,000 (v) 04/02/2021 - 2,40,00,000.	
	वर्ष के अंत में At the end of the year			<b>319000000</b>	<b>100</b>

iv) सर्वप्रमुख दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जी डी आर एवं ए डी आर धारकों के अलावा) की शेयरधारण पद्धति :

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र सं. Sr. No.	प्रत्येक मुख्य 10 शेयरधारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारण Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारण Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2.	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (उदा आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer/ bonus/ sweat equity etc.):	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	वर्ष के अंत तक (अथवा विभाजन की तारीख तक, यदि विभाजन वर्ष के दौरान हुआ हो तो) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों की शेयर धारिता

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र सं. Sr. No.	प्रत्येक निदेशक एवं प्र प्र व के लिए For Each of the Directors and KMP	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शे- यरों का कुल % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2.	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (उदा आबंटन/ अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.):	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	वर्ष के अंत तक At the End of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

(श्री एम. सेंथिलनाथन, अ प्र नि द्वारा एक शेयर, श्री अमिताभ कुमार, सं.स. द्वारा एक शेयर एवं श्री के राजारामन, सहा.स. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत के रूप में एक शेयर धारित)

(Two shares are held by Shri Amitabh Kumar, JS and one share each is held by Shri M. Senthilnathan, CMD and Shri K. Rajaraman, AS - Director as nominees of the President of India.)

#### V. ऋण ग्रस्तता

भुगतान के लिए अदेय बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता

#### V. Indebtedness

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payments

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल उधार ग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋण ग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन i) Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज ii) Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल योग (i+ii+iii) Total (i+ii+iii)	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ें • घटाएं Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
निवल परिवर्तन Net Change	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the end of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल उधार ग्रस्तता Total Indebtedness
i) मूलधन i) Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज ii) Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
<b>कुल योग (i+ii+iii) Total (i+ii+iii)</b>	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

**VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की परिलब्धियां**

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधक

**VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel**

**A. Remuneration to Managing Director (MD), Whole-time Directors (WTD) and/or Manager:**

(in Rs.)

क्र सं Sr. No.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि/ प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/ Manager			कुल राशि Total Amount
		श्री एम. सेंथिलनाथन (29-04-2020 से अप्रनि के रूप में नियुक्ति व 01-11- 2019 से 28-04-2020 तक कार्यपालक निदेशक एवं अप्रनि अतिरिक्त प्रभार) <b>Shri. M. Senthilnathan</b> (Appointment as CMD w.e.f. 29/04/2020 Executive Director and Additional Charge of CMD from the period 01/11/2019 to 28/04/2020)	श्री सुनील जोशी (09-07-2020 से का नि के रूप में नियुक्ति) <b>#Shri. Sunil Joshi</b> (Appointment as Executive Director w.e.f. 09/07/2020)	श्रीमती पद्मावती आर. (09-06-2020 से का नि के रूप में नियुक्ति तथा 30- 06-2020 से कार्यपालक निदेशक के पद से मुक्ति) <b># Smt. Padmavathy R.</b> (Appointment as Executive Director w.e.f.09/06/2020 and Ceased to be Executive Director w.e.f. 30/06/2020)	
1.	सकल वेतन (₹) Gross salary (₹)				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	2,851,521	2,718,390	668,927	6,238,838

(in Rs.)

क्र सं Sr. No.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/ Manager			कुल राशि Total Amount
		श्री एम सेंथिलनाथन (29-04-2020 से अप्रनि के रूप में नियुक्ति व 01-11- 2019 से 28-04-2020 तक कार्यपालक निदेशक एवं अप्रनि अतिरिक्त प्रभार) <b>Shri. M. Senthilnathan</b> (Appointment as CMD w.e.f. 29/04/2020 Executive Director and Additional Charge of CMD from the period 01/11/2019 to 28/04/2020)	श्री सुनील जोशी (09-07-2020 से का नि के रूप में नियुक्ति) <b>#Shri. #Sunil Joshi</b> (Appointment as Executive Director w.e.f. 09/07/2020)	श्रीमती पद्मावती आर (09-06-2020 से का नि के रूप में नियुक्ति तथा 30- 06-2020 से कार्यपालक निदेशक के पद से मुक्ति) <b>#Smt. Padmavathy R.</b> (Appointment as Executive Director w.e.f.09/06/2020 and Ceased to be Executive Director w.e.f. 30/06/2020)	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का कुल मूल्य b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	685,788	673,514	365,847	1,725,149
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option	-	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी Sweat Equity	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में -अन्य स्पष्ट करें Commission - as % of profit -others, specify	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify	-	-	-	-
	<b>कुल (क) Total (A)</b>	<b>3,537,309</b>	<b>3,391,904</b>	<b>1,034,774</b>	<b>7,963,987</b>
	अधिनियम के अनुसार सीमा Ceiling as per the Act	ईसीजीसी पर लागू नहीं क्योंकि यह पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी है Not applicable to ECGC Limited as it is a wholly-owned Government Company			

# निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

# Ceased to be KMP on appointment as a Director.

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियां

**B. Remuneration to other Directors:**

(in Rs.)

क्र सं Sr. No.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors	कुल राशि Total Amount
		श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	
1.	बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क/कमीशन/अन्य, कृपया स्पष्ट करें. Independent Directors Fee for attending board/committee meetings Commission, Others, please specify.	95,000	95,000
	<b>कुल योग (1) / Total(1)</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>
2.	बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए गैर कार्यपालक निदेशकों का शुल्क/कमीशन/अन्य, कृपया स्पष्ट करें. Other Non-Executive Directors Fee for attending board /committee meetings Commission, Others, please specify.	-	-
	<b>कुल योग (2) / Total(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>कुल योग (ख) =(1+2) Total(B)=(1+2)</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धियां Total Managerial Remuneration	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>
	अधिनियम के अनुसार सीमा Overall Ceiling as per the Act	ईसीजीसी लिमिटेड पर यह लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली कम्पनी है. Not applicable to ECGC Limited as it is a wholly-owned Government Company	

ग. प्र नि / प्रबंधक / पू का नि के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए परिलब्धियां

## C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

₹ में / in ₹

क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Com- mission - as % of profit- other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ छू का नकदीकरण/ नियोक्ता का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encash- ment/ Employ- er Contribu- tion-NPS Current Year
1	श्री सी.एन.ए. अंबरसन, (23-09-2020 से कार्यपालक निदेशक परिचालन) Shri C.N.A. An- barasan, (Executive Director Operations w.e.f. 23/09/2020)	2,682,350.00	843,691.00					114,541.36	3,640,582.36
2	श्री पी.एल. ठाकुर, ( महाप्रबंधक व प्रमुख बीमांकन अधिकारी - ईसीआईबी एवं एम एल टी) Shri P.L. Thakur, General Manager (Chief Underwriting Officer) (ECIB-ST and MLT)	2,618,545.00	889,834.00					-	3,508,379.00
3	श्री निर्दोष चोपड़ा, (21-05-2020 से महाप्रबंधक व मु वि अ । 2-05-2019 से पारदर्शिता अधिकारी) Shri. Nirdosh Chopra, General Manager (Chief Finance Officer w.e.f. 21/05/2020, Chief Risk Officer w.e.f. 02/05/2019 & Transparency Officer)	2,411,434.00	914,089.00					-	3,325,523.00

₹ में / in ₹

क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Op- tion	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Com- mission - as % of profit- other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ छू का नकदीकरण/ नियोक्ता का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encashment/ Employer Contribution- NPS Current Year
4	श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, महाप्रबंधक (21-05-2020 से आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख व मुख्य सतर्कता अधिकारी) Shri Sristiraj Ambastha, General Manager (Chief of Internal Audit & Chief Vigilance Officer) w.e.f. 21/05/2020	2,330,516.00	618,150.00					-	2,948,666.00
5	श्री ईशनाथ झा, महाप्रबंधक (मासंवि) दि 21-05-2020 से Shri Ishnath Jha, General Manager (HRD) w.e.f. 21/05/2020	2,388,858.00	895,727.00					-	3,284,585.00
6	श्री सुबीर कुमार दास, म हाप्रबंधक (मुख्य हामीदारी अधिकारी-पॉलिसी) 21- 05-2020 से Shri Subir Kumar Das, General Manager (Chief Underwriting Officer (Policy)) w.e.f 21/05/2020	2,305,192.00	821,710.00					-	3,126,902.00
7	सुश्री प्रिंसीला सिन्हा, नियुक्त बीमांकक 27- 01-2020 से Smt. Priscilla Sinha, Appointed Actuary w.e.f. 27/01/2020	8,543,280.00	-					-	8,543,280.00



क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Com- mission - as % of profit- other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ छू का नकदीकरण/ नियोक्ता का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encashment/ Employer Contribution- NPS Current Year
8	सुश्री स्मिता वी पंडित (मुख्य अनुपालन अधिकारी 04-06- 2013 से) Smt. Smita V. Pandit, Chief Compliance Officer w.e.f. 04/06/2013	2,307,516.00	567,875.00					-	2,875,391.00
9	सुश्री अर्पिता सेन, मुख्य निवेश अधिकारी 26-11-2019 से Smt. Arpita Sen, Chief Investment Officer w.e.f. 26/11/2019	2,122,396.00	801,404.00					89,756.26	3,013,556.26
10	श्री शिवाजी नार्वेकर, महाप्रबंधक (मुख्य विपणन अधिकारी (29-09-2017 से 28-02-2021 तक) Shri Shivaji Narvekar, General Manager (Chief Marketing Officer) (from 29/09/2017 till 28/02/2021)	2,330,828.00	823,088.00					2,324,685.00	5,478,601.00

नोट :- सकल वेतन एवं परिलब्धियों को पूर्ण वर्ष के लिए दर्शाया गया है भले ही अधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए ही मु प्र का के रूप में रहा हो.

**Note: Gross Salary and perquisites have been given for full year though the officer may be KMP for part of the financial year.**

VII. अपराधों की भरपाई के लिए जुर्माना / दंड

VII. Penalties/ Punishment/ Compounding of offences

प्रकार Type	कम्पनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाए गए शुल्क की भरपाई में लगाया गया जुर्माना/दंड Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकारी (आर डी/एन सी एल टी /न्यायलय) Authority (RD / NCLT/ COURT)	किये गए अपील , यदि कोई हो तो (विवरण दें) Appeal made, if any (give details)
जुर्माना Penalty	-	-	-	-	-
दंड Punishment	-	-	-	-	-
समग्र Compounding	-	-	-	-	-
<b>चूकाधीन अन्य अधिकारी / Other officers in default</b>					
जुर्माना Penalty	-	-	-	-	-
दंड Punishment	-	-	-	-	-
समग्र Compounding	-	-	-	-	-

कृते निदेशक मंडल की ओर से  
For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-  
एम. सेंथिलनाथन  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
M. Senthilnathan  
Chairman-cum-Managing Director  
DIN 07376766

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 16 जुलाई, 2021  
Place : Mumbai  
Date : July 16, 2021

## कंपनी शासन

अनुलग्नक II

## CORPORATE GOVERNANCE

Annexure II

## कंपनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

## निदेशक मण्डल

निदेशक मंडल रणनीतियां एवं नीतियां का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करता है। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ कार्यपालक निदेशक (परिचालन)/ वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कम्पनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, बोर्ड में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मंडल में कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों का ईष्टतम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक ( गैर कार्यपालक अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा खे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार ) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित कम्पनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आरपीटी) नीति

## ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the financial year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

## BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association (AOA) of the Company. Articles 57 and 63 of the AOA provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors is being done by the Government of India. As of date, nine of the thirteen positions of the Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to qualify for their appointment as an Independent Director under the provisions of the Companies Act, 2013.

यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं/अथवा बोर्ड के ध्यानार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) द्वारा किसी भी संविदा में, जिससे वह सम्बंधित है, अपने रुझान का प्रकटन आवश्यक है।

बोर्ड जोखिम प्रबंधन योजना का सावधिक पुनरीक्षा करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणियाँ जिनके आधार पर उन्हें नियुक्त किया गया है, का विवरण सारणी 1 के अंतर्गत निम्नलिखित है:

The Board approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The name of Directors on the Board during the Financial Year 2020-21 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in Table 1 below:

सारणी 1 / Table 1

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited	बी एससी, एम बी ए B.Sc., MBA	30/12/2015 29/04/2020 से प्रभावी अप्रति 30/12/2015 CMD w.e.f. 29/04/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2	श्री के. राजारमन, भा प्र से Shri K. Rajaraman, IAS	बी टेक., एम बी ए (वित्त प्रबंधन)। एम ए (अर्थशास्त्र) B.Tech., M.B.A (Fin Mgt.), M.A (Economics)	08-08-2018	गैर कार्यकारी अंशकालिक, सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
3	श्री अमिताभ कुमार, भा.रा.से. Shri Amitabh Kumar, IRS	एम बी ए, एल एल बी MBA, LL.B	20/11/2020	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
*4	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, आर बी आई Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI	एम एस सी, सी ए आई आई बी M.Sc., CAIIB	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*5	श्री देवेश श्रीवास्तव, अ.प्र.नि., जी.आई.सी. Shri Devesh Srivastava, Chairman, GIC	एम एस सी (भौतिकी), पी जी डी बी एम M.Sc.(Physics), PGDBM	21/01/2020	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non- Government Director
6	श्री सुनील जोशी कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	एम एस सी (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	09/07/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
*7	श्री शरद कुमार सराफ़ अध्यक्ष, एफ.आई.ई.ओ Shri Sharad Kumar Saraf, President, FIEO	आई आई टी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर Electronics Engineering from IIT Bombay	22/07/2019 (दि.28/06/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 28/06/2021)	पदेन , गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*8	श्री डेविड पॉल रस्किना, प्रनि, एक्विज बैंक Shri David Paul Rasquinha, MD, Exim Bank	बीजिनेस मेनेजमेंट में स्नातकोत्तर Post Graduate in Business Management	22/07/2019 (दि.31/05/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 31/05/2021)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
9	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन, भा.प्र.से. Shri Bidyut Behari Swain, IAS	जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय से कला परास्नातक(राजनीति शास्त्र) तथा इंस्ट्र्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से लोक नीति तथा प्रबंधन Master's Degrees in Arts (Political Studies) from Jawaharlal Nehru University and in Public Policy & Management from the Institute of Social Studies	20/04/2018 (दि.04/11/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Director w.e.f. 04/11/2020)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non- Executive Part- Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
*10	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष एस बी आई Shri Rajnish Kumar, Chairman, SBI	एम एस सी (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	29/05/2019 (दि.06/10/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 29/05/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 06/10/2020)	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11	श्रीमती पद्मावती आर. कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Smt. Padmavathy R., Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	बी कॉम, सी आई आई बी (भाग-I) B. Com., CAIIB (Part I)	09/06/2020 (दि.30/06/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Director w.e.f. 30/06/2020)	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)

\* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

\* Non-Official (Independent) Directors

### नए निदेशक का संक्षिप्त परिचय:-

#### 1. श्री अमिताभ कुमार -

श्री अमिताभ कुमार 1992 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) अधिकारी हैं। अक्टूबर, 2020 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कई पदों पर कार्य किया है जहाँ वे अप्रत्यक्ष कर नीति और योजना के निर्माण से जुड़े थे। उन्होंने जीएसटी परिषद सचिवालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग में विदेश व्यापार (दक्षिण-एशिया, सार्क, ईरान) और एसईजेड/ईओयू देख रहे हैं।

श्री कुमार ने ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (एजीएसई),

### BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTOR:-

#### 1. Shri Amitabh Kumar-

Shri Amitabh Kumar is an Indian Revenue Service (C&IT) officer of 1992 batch. Prior to his appointment in the Ministry of Commerce and Industry since October, 2020, he has held several positions in the Ministry of Finance, Government of India where he was associated with formulation of Indirect tax policy and planning. He worked as a Joint Secretary in the GST Council Secretariat, New Delhi. He is presently looking after the Foreign Trade (South-Asia, SAARC, Iran) and SEZ/EOUs in the Department of Commerce.

Shri Kumar holds the degree of Master of Business Administration (MBA) from the Australian Graduate

स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मेलबर्न से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) एवं एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की है। वह सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।

वे 20 नवंबर, 2020 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

**निदेशकों हेतु परिचयक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण**

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास (आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम / विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपलनों की सूची के तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं।

निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों / विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों / भारत सरकार, जैसे लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कम्पनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कम्पनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत बोर्ड/ समिति की बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा समय- समय पर आयोजित कार्यक्रमों की तिथियों पर निदेशकों की पूर्व-व्यस्तता/ व्यस्त कार्यक्रम के कारण कम्पनी आज की तारीख तक निम्नलिखित को छोड़कर सभी निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध करा पाई है जो निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	पद	निदेशकों के नाम	प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी (विषय एवं दिनांक)
1.	गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र निदेशक)	श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जी आई सी ऑफ इंडिया	आईआरडीएआई द्वारा राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में 19 से 21 अगस्त, 2020 तक बीमा कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2	पूर्ण-कालिक निदेशक	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड	एनएचआरडी द्वारा निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और केएमपी के लिए बोर्ड गवर्नेंस पर दिनांक 05 अगस्त, 2020 को आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला

School of Entrepreneurship (AGSE), Swinburne University of Technology, Melbourne and L.L.B. from Delhi University. He is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi.

He joined as a Director on the Board of the Company on November 20, 2020.

**DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS**

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including applicable guidelines of the Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by various Sectors/Departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board-related practices and orientation programmes etc. conducted by various institutes or organisations of repute like the National Insurance Academy, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Standing Conference of Public Enterprises, Indian Institute of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises etc.

All the Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during the Board/Committee meetings as per the internal training policy for the Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of the Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2020-21 as follows:-

Sr. No.	DESIGNATION	NAME OF THE DIRECTORS	DETAILS OF TRAINING IMPARTED (SUBJECT AND DATE)
1.	Non-Official (Independent Director)	Shri Devesh Srivastava, Chair-man-cum-Managing Director, GIC of India	Orientation Programme for Independent Directors of Insurance Companies conducted by IRDAI at National Insurance Academy, Pune from 19 to 21 August, 2020.
2	Whole-Time Director	Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	Online Workshop on Board Governance for Directors, Independent Directors and KMPs by NAHRD – August 05, 2020.

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल को वर्ष में कम से कम चार बार इस प्रकार बैठकों में भाग लेना आवश्यक है एवं दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक अथवा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते प्रदान की गई छूट की अवधि के अतिरिक्त का अंतराल न हों

कंपनी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी बोर्ड बैठक हेतु सचिवीय मानकों के अनुपालन में सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा तथा विस्तृत प्रकृति का एजेंडा नोट भेजी जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी निदेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो की सुविधा प्रदान करती है ताकि यदि वे चाहें तो बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पाँच बैठकें आयोजित की गयीं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण निम्नलिखित सारणी 2 में उल्लिखित है :-

**DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2020-21**

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days or such extended period shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013 or the relaxations granted by the Government of India on account of the COVID-19 pandemic. The Company sends notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature to all the Directors in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings if they desire. Five meetings were held during the FY 2020-21. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2020-21 are furnished below in **Table 2:-**

सारणी - 2 / Table 2:

क्रम संख्या Sr. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तारीख Date of the Meeting	बोर्ड संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	426	15/05/2020	8	7
2.	427	21/08/2020	9	6
3.	428	23/09/2020	9	6
4.	429	24/11/2020	8	7
5.	430	04/02/2021	8	7

दिनांक 31 मार्च 2021 (सारणी 3) तक निदेशक मंडल अन्य की बोर्ड बैठक, वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति एवं उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक के पदों के विवरण

**DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS, ANNUAL GENERAL MEETING AND THE NUMBER OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THEM AS OF MARCH 31, 2021 (Table 3)**

सारणी - 3 / Table 3

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	बैठकों में उपस्थिति / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल सं No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	दिनांक 24 नवंबर 2020 को आयोजित 62 वीं वा.सा.बै. में उपस्थिति Attendance at the 62nd AGM held on November 24, 2020	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं** No. of other Directorships held*
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	5/5	हाँ Yes	0
2	श्री के राजारमन Shri K. Rajaraman	2/5	नहीं No	1
3	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	2/2	नहीं No	1
4	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	3/5	नहीं No	0
5	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	4/5	हाँ Yes	0
6	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	4/5	नहीं No	4

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	बैठकों में उपस्थिति / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल सं No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	दिनांक 24 नवंबर 2020 को आयोजित 62 वीं वा.सा.बै. में उपस्थिति Attendance at the 62nd AGM held on November 24, 2020	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं* No. of other Directorships held *
7	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	5/5	नहीं No	4
8	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	4/4	हाँ Yes	0
9	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	2/3	नहीं NA	0
10	श्री रजनीश कुमार Shri Rajnish Kumar	2/3	नहीं NA	3
11	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	0/0	नहीं NA	0

\*कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन नियुक्त निदेशकों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन निजी कंपनियों, विदेशी कंपनी एवं सामान्य कंपनियों के निदेशक शामिल नहीं हैं।

\*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

#### लेखा-परीक्षा समिति- गठन एवं उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति का वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 20-11-2020 को पुनर्गठन किया गया। दिनांक 31-03-2021, तक लेखा परीक्षा समिति में छः गैर कार्यपालक निदेशक शामिल थे। श्री डेविड पॉल रस्किना को दिनांक 15-05-2020 को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वे 31 मई 2021 से कंपनी में अपने निदेशक पद की समाप्ति पर समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहे। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक लेखा परीक्षा समिति अपनी बैठक के दौरान अध्यक्ष का चयन करेगी। सुश्री स्मिता वी. पंडित, कम्पनी की कम्पनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के कुल लेखा परीक्षा कार्यों, जैसे कंपनी के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/ बाहरी लेखा परीक्षकों तथा भारत के सीएंडएजी द्वारा उठाए गए मदों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही आदि की देखरेख है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित भूमिका पूर्ण रूप से अदा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की दिनांक 15/05/2020, 21/08/2020, 22/09/2020, 23/11/2020 व 03/02/2021 को पाँच बैठकें संपन्न हुईं लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार सारणी 4 में दर्शाए गए हैं:

#### AUDIT COMMITTEE-COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been re-constituted on 20/11/2020 during the FY 2020-21. As of 31/03/2021, the Audit Committee of the Company comprises of six Non-Executive Directors. Shri David Paul Rasquinha was appointed as the Chairman of the Audit Committee w.e.f. May 15, 2020. He ceased to be the Chairman and Member of the Committee on cessation of his Directorship in the Company w.e.f. May 31, 2021. The Audit Committee shall elect the Chairman during the meeting of the Committee until a Chairman is appointed by the Board of Directors. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. total audit functions shall imply supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and C&AG of India. The Board approved Terms of Reference of the Audit Committee covers all matters specified under Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 22/09/2020, 23/11/2020 and 03/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in Table 4:



सारणी - 4 / Table 4

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	3/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	4/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	3/5
5.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
6.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	5/5
7.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3

**निवेश समिति - संगठन और उपस्थिति**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन 09/06/2020, 09/07/2020 एवं 20/11/2020 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश समिति की बैठकों का आयोजन 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 एवं 04/02/2021 को कुल पांच बार किया गया। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नलिखित सारणी 5 में दर्शाया गया है।

**INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE**

The Investment Committee of the Company was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. The Investment Committee met five times on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 04/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in

Table 5:

सारणी - 5 / Table 5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक/सदस्य का नाम Name of the Directors / Members	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	11/02/2016	5/5
2.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	3/5
3.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	2/2
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक/सदस्य का नाम Name of the Directors / Members	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
6	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7	श्री निर्दोष चोपड़ा Shri Nirdosh Chopra	02/05/2019 से सी आर ओ, 21/05/2020 से सी आर ओ एवं सी एफ ओ As CRO* w.e.f. 02/05/2019, as CRO* and CFO* w.e.f. 21/05/2020	4/5
8	श्रीमती प्रिसेला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	27/01/2020 से नियुक्त बीमांकक As Appointed Actuary w.e.f. 27/01/2020	4/5
9	श्रीमती अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	26/11/2019 से सी आई ओ As CIO* w.e.f. 26/11/2019	5/5
10	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	4/5
11	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
12	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0
13	श्री ईशनाथ झा Shri Ishnath Jha	08/05/2019 (21/05/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 08/05/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 21/05/2020)	1/1

\*सी आर ओ – मुख्य जोखिम अधिकारी, सी एफ ओ – मुख्य वित्त अधिकारी, सी आई ओ- मुख्य निवेश अधिकारी, ए ए – नियुक्त बीमांकक

### पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन, 09/06/2020, 09/07/2020 और 20/11/2020 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 एवं 03/02/2021 को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की पांच बैठकें सम्पन्न हुईं। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठकों के दौरान उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित सारणी 6 में दर्शाया गया है :

\*CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, AA – Appointed Actuary

### POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. The Policyholders' Interests Protection Committee met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 03/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interests Protection Committee Meetings are furnished below in Table 6:

सारणी -6 / Table 6

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
5.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
6.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 ( 31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	5/5
8.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

**जोखिम प्रबंधन समिति- संरचना और उपस्थिति**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, दि. 09/06/2020, 09/07/2020 व 20/11/2020 को किया गया। वित्तीय वर्ष 20120-21 में जोखिम प्रबंधन समिति की पाँच बैठकें 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 व 04/02/2021 को हुईं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 7 में दर्शाया गया है:

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE**

The Risk Management Committee of the Company was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. The Risk Management Committee met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 04/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings are furnished below in Table 7:

सारणी -7 / Table 7

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	3/5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
3.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	2/2
4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
6.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	5/5
8.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :**

ईसीजीसी में, सरकारी संस्थान होने के कारण पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति से सम्बंधित नियम व शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है यद्यपि, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति(एन.आर.सी.) का पुनर्गठन, दिनांक 09/06/2020, 09/07/2020 और 20/11/2020 को किया गया। एन. आर. सी. की कोई भी बैठक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित नहीं की गयी। एन.आर. सी. के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित सारणी 8 में दर्शाया गया है:

सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य के नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अमिताभ कुमार	20/11/2020
2.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू	10/01/2020
3.	श्री देवेश श्रीवास्तव	21/01/2020
4.	श्री शरद कुमार सराफ़	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
5.	श्री सुनील जोशी	09/07/2020
6.	श्री डेविड पॉल रस्किना	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)

**NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:**

ECGC Limited being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-Time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee (NRC) and it was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. No meeting of the NRC was held during the FY 2020-21. The details of the Members of the NRC are furnished below in Table 8.

सारणी 8 / Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member
1.	Shri Amitabh Kumar	20/11/2020
2.	Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020
3.	Shri Devesh Srivastava	21/01/2020
4.	Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)
5.	Shri Sunil Joshi	09/07/2020
6.	Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)

7.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
8.	श्रीमती पद्मावती आर	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
9.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016 (29/04/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार ( भा स ) के स्वामित्व वाली कंपनी है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की सिफरिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित कं र के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक की परिलब्धियों का निर्धारण भी फॉर्म द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में ) की जाती है तथा वे किसी प्रकार की परिलब्धियों/उपस्थिती शुल्क के पात्र नहीं होंगे। गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे (i) भारतीय रिजर्व बैंक (ii) अध्यक्ष, एक्जिम बैंक (iii) भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की श्रेणी में होंगे तथा भारत सरकार की निर्देशों/सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समितियों की बैठकों में उपस्थिती के लिए उपस्थिती शुल्क के पात्र होंगे (वर्तमान में कंपनी रु10,000/- रु. प्रति बोर्ड बैठक तथा रु5,000/- रु. प्रति समिति बैठक के हिसाब से अदायगी कर रही है)। कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं दिया है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ सिवाय इसके कि कंपनी द्वारा शांति सेवा निधि (एसएसएन) (ट्रस्ट) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए सात छात्रों को प्रायोजित करने के लिए किए गए लेनदेन अतिरिक्त कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि, जिसे लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

### निगम सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर.) एवं धारणीय विकास(एस.डी) परियोजनाओं पर बोर्ड की समिति:

कंपनी द्वारा सी. एस. आर. और एस. डी. परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सी.एस.आर. और एस.डी. हेतु एक समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दि. 09/06/2020, 09/07/2020 व 20/11/2020 को इस समिति का पुनर्गठन

7.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)
8.	Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)
9.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 29/04/2020)

ECGC is a 100% Government of India (GOI) owned Company. Appointment of all Directors including the Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance with the Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the ROC including informing IRDAI. Remuneration of the Whole Time Directors is fixed by the GOI.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations (presently the Company is paying ₹10,000 per Board Meeting and ₹5000 for each Committee Meeting per Member). The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2020-21 except the transaction made by the Company with Shanti Seva Nidhi(SSN) (Trust) for sponsoring seven students for Diploma in Mechanical Engineering course under the Corporate Social Responsibility (CSR) activity of the Company, which has been approved by the Board of Directors as recommended by the Audit Committee. The Pay Scales and allowances of Officers and Staff of ECGC Limited are approved by the GOI.

### COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. Shri

किया गया। श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को 01/11/2019 से 28/04/2020 तक कंपनी के अप्रति का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए दिनांक 29 अप्रैल, 2020 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सी एस आर व एस डी समिति की दिनांक 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 तथा 03/02/2021 को पांच बार बैठकें आयोजित की गयी। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 9 में दर्शाए गए हैं:

M. Senthilnathan, CMD was appointed as the Chairman of the Committee w.e.f. April 29, 2020 after holding the Chairmanship of the Committee while holding the Additional Charge of CMD of the Company from 01/11/2019 to 28/04/2020.

The Committee on CSR & SD met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 03/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in Table 9.

सारणी 9 / Table 9

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
5.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
6.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	4/5
8.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	श्रीमती पद्मावती आर Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

**निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक**

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जून 2015 के जरिये सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल तथा उसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जहां निदेशकों का मूल्यांकन शासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता हो। हमारे मामले में मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग ( भा स ) के साथ किए गए स ज्ञा के जरिये वित्तीय तथा गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले

**PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS, THE BOARD AND MEETING OF THE INDEPENDENT DIRECTORS**

The requirement relating to performance evaluation of Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated June 05, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) of the Act which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for the Government Companies, if Directors

अंकों/मान के आधार पर किया जाता है। हमारी उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) हमारे संबन्धित मंत्रालय द्वारा किए गए इस प्रकार के मूल्यांकन में पाये गए अंकों / ग्रेड पर आधारित होती है।

डीपीई द्वारा दिनांक 20 जून 2013 को जारी का.ज्ञा. द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा वापस ले ली है। एमसीए के दिनांक 05 जुलाई, 2017 को जारी परिपत्र ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्षों के मूल्यांकन तंत्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, दिनांक 23 नवंबर 2020 को बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों के उचित एवं प्रभावपूर्ण तरीके से पालन हेतु स्वतंत्र निदेशकों की डीपीई दिशानिर्देशों (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जून 2013) के अनुकरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता के मूल्यांकन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच जो बोर्ड को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है।

### साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार सारणी 10 में दर्शाये गए हैं :-

are evaluated by the Administrative Ministry. In our case such evaluation is done through the annual Memorandum of Understanding (MOU) with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weightage for financial and non-financial targets. Our Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on marks/ grade obtained in such evaluation by the respective Ministry.

The DPE vide OM dated June 20, 2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company from the purview of separate meeting of Independent Directors. MCA vide circular dated July 05, 2017 has also exempted evaluation mechanism of Non-Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in **Schedule IV** to the Companies Act, 2013.

During the FY 2020-21, the Independent Directors met on November 23, 2020 as per the requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated June 20, 2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

### GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 10**:

सारणी 10/ Table 10

क्र. सं. Sr. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वा सा बैठकों की सं No. of AGM	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की सं, यदि कोई हो तो No. of Special Resolutions passed, if any
1	2017-18	60	17 जुलाई, 2018 1400 बजे July 17, 2018 1400 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
2	2018-19	विशेष साधारण बैठक EGM	07 दिसंबर, 2018 1500 बजे December 07, 2018 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	10
3	2018-19	61	26 अगस्त, 2019 1500 बजे August 26, 2019 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
4	2019-20	62	24, नवंबर 2020 1500 बजे (वर्चुअल माध्यम से) November 24, 2020 1500 Hrs. (virtual mode)	पंजीकृत कार्यालय, मुंबई Registered Office, Mumbai	कुछ नहीं NIL

### कारोबार आचार संहिता एवं नैतिकता

निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों के लिए कारोबार आचार संहिता एवं नैतिकता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कंपनी के वेब साइट ([www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)) पर उल्लिखित किया गया है।

### CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company ([www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)).

**प्रकटन**

कंपनी द्वारा कारोबार के सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त निदेशकों अथवा उसके प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भौतिक वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेनदेन का संव्यवहार नहीं किया गया है, जिसमें उनका स्वयं का प्रत्यक्ष अथवा उनके रिश्तेदारों के जरिये निदेशकों के रूप में तथा/ अथवा भागीदारों के रूप में किसी भी प्रकार का हित शामिल हो। शांति सेवा निधि (एसएसएन) (ट्रस्ट) के साथ किए गए एक 34.72 लाख रुपये का एक संव्यवहार जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए सात छात्रों को प्रायोजित करने के लिए निदेशक मंडल की अनुमति प्राप्त की गयी थी। 15 मई 2020 को निदेशक मंडल द्वारा संबन्धित पार्टी संव्यवहार के अधीन नाम पद्धति “संबन्धित पार्टी संव्यवहार नीति” अपनाई गयी। कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक – 24 की आवश्यकताओं के प्रकटन के अनुसार संबन्धित पार्टी के समव्यवहारों के विवरणों को प्रकट किया गया एवं भारतीय कंपनियों को छूट प्रदान की गयी।

कंपनी की सी एस आर गतिविधि के अंश के रूप में सामान्य कारोबार में किए जाने वाले समव्यवहारों को छोड़ कर ऐसे किसी भी एकल फ़र्मों एवं संगठनों को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है जिसमें कंपनी के निदेशकों का निजी हित निहित हो।

गतिविधि का नाम	फर्म का नाम	इच्छुक निदेशक
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए सात छात्रों को प्रायोजित करना	शांति सेवा निधि ट्रस्ट (एस एस एन) (ट्रस्ट)	श्री शरद कुमार सराफ़

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन एवं इसके न्यूनीकरण के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनकी समय-समय पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण मानदंडों का प्रयोग किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है एवं साथ ही कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों में सुधार लाने हेतु किए गए उपायों की समीक्षा की जाती है।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई गयी है किसी भी स्तर के प्रत्येक कर्मचारी को बिना किसी परिणामी डर के उसके संज्ञान में आई किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक व्यवहार तथा / अथवा कदाचार की किसी भी घटना के विषय में सूचना देने हेतु सक्षम बनाती है,

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा, भूमि के विभिन्न कानूनों से संबंधित किसी भी मामले पर निम्नलिखित के अतिरिक्त कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया:

1. स्टैम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07 अप्रैल 2012 को निर्माण संविदा पर देय 7,20,500 रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06 जनवरी 2015 के पत्र के जरिये 4,46,710 (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस) रुपए का दंड लगाया गया।

**DISCLOSURE**

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business. One transaction made with the Shanti Seva Nidhi (SSN) (Trust) to sponsor seven students for Diploma in Mechanical Engineering course at a cost of ₹34.72 lakh was approved by the Board of Directors. On May 15, 2020 the Board adopted the revised policy on RPT under the nomenclature ‘Policy on Related Party Transactions’. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Indian Accounting Standard – 24 on Related Party disclosures and the exemption granted to the Government Companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business as part of the CSR activity of the Company:

Name of the Activity	Name of the Firm	Interested Director
Sponsoring seven students for Diploma in Mechanical Engineering	Shanti Seva Nidhi (SSN) (Trust)	Shri Sharad Kumar Saraf

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Board periodically reviews compliance report of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

1. The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated January 06, 2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710, for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500 payable on the construction contract agreement entered with the Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on April 07, 2012.

However, the Company has represented its case on



तथापि, दिनांक 22 जनवरी 2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष कंपनी द्वारा दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

चूंकि आदेशों हेतु अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण और पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास लंबित है, आज की तारीख में संबन्धित मामले में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952-ईसीजीसी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2016 के आदेश तथा दिनांक 18 नवंबर 2016 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सी एंड आर), मुंबई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आदेश के अनुपालन में सितंबर 2010 से जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए अस्थायी कर्मचारियों का पीएफ अंशदान ईसीजीसी के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट से ईपीएफओ हस्तांतरित किया गया (अगस्त 2017 से शुरू होने वाले अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफओ का नियमित पीएफ योगदान) एवं यह अंशदान भविष्य निधि के दोनों भाग अर्थात् नियोक्ता एवं सदस्य के अंशदान, अस्थायी कर्मचारियों की ओर से उनके कार्य आरंभ की तारीख से अगस्त, 2010 तक का योगदान है।

₹24,27,917 एवं ₹43,18,042 पर पीएफ अंशदान के लिए 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान पर धारा 14 बी के अधीन क्षति को पूरा करने हेतु सहायक पीएफ आयुक्त द्वारा, ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम की ईपीएफओ की धारा 7 क्यू के अधीन कंपनी को दिनांक 10 अप्रैल 2017 को एक समन जारी किया गया था। एपीएफसी, ईपीएफओ के समक्ष पिछली सुनवाई 07 जून, 2019 को आयोजित की गई थी जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। सुनवाई 07 जून, 2019 को समाप्त हुई एवं आदेश सुरक्षित है।

3. कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना, 1976 - ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ द्वारा अधिनियम की धारा 14 बी के अधीन (एवं धारा 7क्यू के अधीन ब्याज के भुगतान हेतु आदेश) दिनांक 12 मार्च 2019 को निम्नलिखित अवधि के दौरान विलंब भुगतानों के संबंध में 3 नोटिस जारी किए गए (जिसमें दिनांक 10 अप्रैल 2017 का ब्याज दंड हेतु समन भी शामिल है) जो कि निम्न अवधि के दौरान देरी से किए गए भुगतानों से संबन्धित थे:

- (i) जुलाई 1989 से फरवरी 1996 - की अवधि के लिए कुल राशि (क्षति एवं ब्याज सहित) ₹1,94,395;
- (ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 : की अवधि के लिए कुल राशि (क्षति एवं ब्याज सहित) ₹1,32,20,020 एवं
- (iii) सितंबर 2010 से अगस्त 2016 : की अवधि के लिए कुल राशि (क्षति एवं ब्याज सहित) ₹81,69,947 ;

प्राप्त नोटिसों की कुल राशि ( क्षति एवं ब्याज सहित ) ₹2,15,84,362 रही ;

ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के समक्ष अंतिम सुनवाई 07 जून, 2019

January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

As the appeal is pending for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, as on date there is no further progress in the matter.

2. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 - ECGC while executing the order dated August 09, 2016 issued by the Regional Provident Fund Commissioner-I and further order dated November 18, 2016 issued by the Regional PF Commissioner (C&R), Mumbai, Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) had transferred the PF Contribution in respect of casual workers from ECGC Employees' Provident Fund Trust to EPFO for the period from September 2010 to July 2017 (with regular PF Contribution with EPFO in respect of casual workers started from August 2017 onwards) and remitted both the shares of PF Contribution i.e. Employer and Member contribution on behalf of casual workers from the date of their respective engagements to August, 2010.

Asummon dated April 10, 2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s 7Q under EPF & MP Act for payment of interest on PF Contribution for ₹24,27,917 and ₹43,18,042 being damages u/s 14B for damages for the period from 01/04/2016 to 31/03/2017. The last hearing before APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and the orders are reserved.

3. Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976- APFC, EPFO has issued three notices dated March 12, 2019 (which also includes the interest and Penalty towards Summon dated April 10, 2017) u/s 14B of the Act (and order of payment of Interest u/s 7Q) for delay in remittances made during the following period were issued to the Company:

- (i) July 1989 to February 1996 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,94,395;
- (ii) March 1996 to August 2010 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,32,20,020; and
- (iii) September 2010 to August 2016 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹81,69,947.

Total amount (including damages and interest) of the notices received is ₹2,15,84,362.

The last hearing before the APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and

को आयोजित की गई थी, जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। आगे की सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई और आदेश सुरक्षित रखे गए।

### लेखा परीक्षित लेखों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना

भारत सरकार की ओर से कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं इस लिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

### शेयरधारकों की जानकारी

- (क) वार्षिक साधारण बैठक: 63 वीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 18 नवंबर 2021 को 16.00 बजे आयोजित है।
- (ख) 31 मार्च 2021 को शेयर धारण का स्वरूप: कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से 31,90,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमें कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।
- (ग) पत्राचार का पता: श्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड एक्सप्रेस टावर, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021. Email: [cs@ecgc.in](mailto:cs@ecgc.in).

### संपर्क के माध्यम

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) "हमारे बारे में" खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूजर फ्रेंडली और डाउनलोड हो सके इस रूप में उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणाम: वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) पर पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, सदस्यों तथा अन्य अधिकारिता प्राप्त व्यक्तियों को संचारित कर दी गई हैं प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण **अनुलग्नक V** में स्थापित निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है

कृते निदेशक मण्डल

एम. सेंथिलनाथन  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16 जुलाई 2021

the orders are reserved.

### PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts for the FY 2019-20 of the Company were tabled before both the Houses of Parliament on March 10, 2021, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of the Government of India.

### SHAREHOLDERS' INFORMATION

- (a) **Annual General Meeting:** The 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting is scheduled to be held at 1600 hrs. on November 18, 2021 in New Delhi.
- (b) **Shareholding Pattern as of March 31, 2021:** The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 31,90,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.
- (c) **Address for Correspondence:** Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021. Email: [cs@ecgc.in](mailto:cs@ecgc.in).

### MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in).
- Annual Report: The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at **Annexure V** forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-  
M. Senthilnathan  
Chairman-cum-Managing Director  
DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: July 16, 2021

**घोषणा**

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन किया गया है।

कृते

एम. सेंथिलनाथन  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2021

**कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र**

मैं स्मिता वी पंडित एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

स्मिता वि. पंडित  
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

**Declaration**

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2021.

Sd/-

M. Senthilnathan  
Chairman-cum-Managing Director  
DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: July 16, 2021

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time-to-time and nothing has been concealed or suppressed.

Sd/-

Smita V. Pandit  
(Company Secretary)

Place: Mumbai

Date: July 16, 2021

# **R.S. PADIA & ASSOCIATES**

## **COMPANY SECRETARIES**

### **CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR F.Y. 2020-21**

To,  
The Members  
ECGC Limited,  
10<sup>th</sup> Floor, Express Towers,  
Nariman Point,  
Mumbai – 400021.

1. I have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited (the “Company”)** CIN. **U74999MH1957GOI010918** in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010 for the Financial Year 2020-21. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from Government of India.
2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.
3. On the basis of my examination of the records produced and the explanations and information furnished, I certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> March 2021.
4. I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Mumbai  
Date: 08.07.2021  
UDIN: F006804C000597174

For R.S. Padia & Associates  
Company Secretaries

Rajshree  
Swadhin Padia

Digitally signed by  
Rajshree Swadhin Padia  
Date: 2021.07.08  
23:54:19 +05'30'

CS Rajshree Padia  
FCS: 6804. COP: 7488

**Address: B1, 601, Greenland CHSL, J B Nagar, Andheri East, Mumbai - 400059.**  
**Email: [rajshreecs@hotmail.com](mailto:rajshreecs@hotmail.com). (M): 9819164904**

**A Lakhota & Co.**  
 (Formerly Abhishek Lakhota & Co.)  
 Practicing Company Secretary  
 (A Peer Reviewed Firm)

202, 2nd Floor, Hallmark Business Centre,  
 LBS Road, Mulund, Mumbai, Maharashtra-80.  
 Tel: +91 22 2593 3179 HP : +91 96198 66999  
 Email: [info@alandco.in](mailto:info@alandco.in),  
 web: [www.alandco.in](http://www.alandco.in)

**Form MR-3**

**SECRETARIAL AUDIT REPORT**

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies  
 (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]


To,  
 The Members,  
**ECGC LIMITED**  
 Express Towers, 10th Floor, Nariman point,  
 Mumbai 400021

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC LIMITED** (hereinafter called "the Company") bearing CIN: U74999MH1957GOI010918. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2021** ('Audit Period') has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2021 according to the provision of:

- i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder **(not applicable as the Company is unlisted)**;
- iii. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;



A Lakhotia & Co.  
Practicing Company Secretary

- iv. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder **(not applicable)**;
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
- a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted)**; and
  - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 **(not applicable as the Company is unlisted)**
- vi. We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliance under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

- a) Insurance Act 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
- b) IRDA Act, 1999 and Rules made thereunder;
- c) Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
- d) The Sexual Harassment of Woman at Workplace Act, 2013.



A Lakhotia & Co.  
Practicing Company Secretary

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements entered by the Company with Stock Exchanges (**Not applicable to the Company**).

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except the following:

1. *Non-compliance with DPE Guidelines regarding Directors Training;*
2. *Non-compliance with sub-section (1) of section 149 of the Companies Act, 2013 with respect to appointment of Women Director from 15<sup>th</sup> May, 2020 till 08<sup>th</sup> June, 2020 and from 01<sup>st</sup> October, 2020 till date.*

**I further report that,**

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors except appointment of Woman Director from 15<sup>th</sup> May, 2020 till 08<sup>th</sup> June, 2020 and from 01<sup>st</sup> October, 2020 till date. All Directors on the Board of ECGC Ltd. are appointed by order of the President of India.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all the Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and in certain events at shorter notice and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the Meeting and for meaningful participation at the Meeting.

Majority decision is carried through unanimous resolution while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

Based on the representation and explanation given to me, I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations & guidelines.

I further report that during the reporting period, following changes took place in the Management of the Company:


1. Appointment of Shri M. Senthilnathan as the Chairman-cum-Managing Director with effect from 29<sup>th</sup> April, 2020;
2. Appointment of Smt. Padmavathy R. as Whole-Time Director with effect from 09<sup>th</sup> June, 2020;



A Lakhota & Co.  
Practicing Company Secretary

3. Appointment of Shri Nirdosh Chopra as General Manager, Chief Financial Officer (CFO) and Chief Risk Officer (CRO) with effect from 21<sup>st</sup> May, 2020;
4. Cessation of Shri Ishnath Jha as Chief Financial Officer (CFO) with effect from 21<sup>st</sup> May, 2020;
5. Cessation of directorship of Smt. Padmavathy R. as Whole-Time Director with effect from 30<sup>th</sup> June, 2020;
6. Appointment of Shri Sunil Kumar Joshi as Whole-Time Director with effect from 09<sup>th</sup> July, 2020;
7. Change in designation of Shri C.N.A. Anbarasan from General Manager to Executive Director (Operations) with effect from 23<sup>rd</sup> September, 2020;
8. Cessation of directorship of Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India, as Non-Executive Part-Time Director with effect from 06<sup>th</sup> October, 2020;
9. Cessation of directorship of Shri Bidyut Behari Swain, Special Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, as Non-Executive Part Time Government Director with effect from 04<sup>th</sup> November, 2020;
10. Appointment of Shri Amitabh Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry as Non-Executive Part Time Government Director of the Company with effect from 20<sup>th</sup> November, 2020.

Date: 09/06/2021  
Place: Mumbai



For, A Lakhota & Co.  
(formerly known as  
Abhishek Lakhota & Co.)

*Abhishek Kumar Lakhota*  
Abhishek Kumar Lakhota  
M No. : 9082  
C.P No: 10547  
UC No: S2011MH170500  
P.R No: 594/2019  
UDIN: F009082C000436861

**Note:** This report is to be read with my Annexure 'A' of even date which are annexed and forms an integral part of this report.

4



A Lakhota & Co.  
Practicing Company Secretary

'ANNEXURE - A'

My Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter:

**Management Responsibility:**

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

**Auditors Responsibility:**

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records and other legal compliances as declared by the Company. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

**Disclaimer :**


5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.



Date: 09/06/2021  
Place: Mumbai

For, A Lakhota & Co.  
(formerly known as  
Abhishek Lakhota & Co.)

  
Abhishek Kumar Lakhota  
M No. : 9082  
C.P No: 10547  
UC No: S2011MH170500  
P.R No: 594/2019  
UDIN: F009082C000436861

## निगमित सामाजिक दायित्व

अनुबंध IV

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Annexure IV

कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति का विवरण

कंपनी द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तथा परियोजनाओं के संदर्भ में कंपनी के सीएसआर नीति कि संक्षिप्त रूपरेखा तथा सी.एस.आर. पॉलिसी एवं प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम हेतु वेब-लिंक का संदर्भ।

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डी पी ई)के सीएसआर पर संशोधित दिशानिर्देशों को 2014 में अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी में सीएसआर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर लगभग ₹3.78 करोड़ का व्यय किया गया।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महत्वाकांक्षी ज़िला, राजगढ़, मध्य प्रदेश के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला द्वारा संचालित 2457 आंगनवाडी केन्द्रों के लिए प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराने, पोषण कार्यक्रम, ऑपरेशन भविष्य एवं स्वास्थ्य हेतु ज़िला अस्पताल, कायाकल्प, राजगढ़ के लिए ₹300 लाख की प्रतिबद्धता की एवं प्रस्तावों को मंजूरी दी। राजगढ़ एवं स्वास्थ्य हेतु प्रस्ताव-कायाकल्प जिला चिकित्सालय, राजगढ़। कंपनी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के माध्यम से एम-वार्ड परियोजना अर्थात् मुंबई में एम-पावर लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र, एम-वार्ड में बदलाव लाने हेतु अपना समर्थन जारी रखा है। एम-पावर द्वारा अपने छात्रों के लिए सभी स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की पाठ्यपुस्तकों का पुस्तकालय निर्मित किया गया है। इसमें एमपीएससी, यूपीएससी, एनईईटी, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहायतार्थ पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय न केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपितु इसमें सामान्य पढ़ने और सीखने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु पत्रिका और जर्नल सदस्यता, कई भाषाओं में समाचार पत्र एवं कथाओं का संग्रह भी शामिल है। यह टिस्स की सहायता से प्रतियोगी परीक्षाओं, कंप्यूटर शिक्षा, संवादी अंग्रेजी, करियर मार्गदर्शन, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से किए गए चार परियोजनाएं अर्थात्, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने एवं रोकथाम के लिए जागरूकता एवं स्क्रीनिंग, कुपोषण रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, वर्ली (मुंबई), कुपोषण रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, अन्ना भाऊ साठे नगर (मुंबई), मातृ एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम, माहुल गांव (मुंबई) जीवन कौशल शिक्षा, आदि के लिए कोचिंग भी प्रदान करता

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

The Company has adopted the revised guidelines issued by the Department of Public Enterprise (DPE) on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of the Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount of ₹3.78 crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2020-21.

The Company made a commitment of ₹300 lakh for FY 2020-21 for Aspirational District, Rajgarh, Madhya Pradesh and approved proposals viz. providing furniture in primary/secondary government schools, nutrition programme for Operation Bhabhisya for 2457 Anganwadi Centers being operated by the Women and Child Development Department, Distt. Rajgarh and proposal for Health – Kayakalp District Hospital, Rajgarh. The Company has continued its support to Transforming M-Ward Project i.e. M-Power Library and Study Centre in Mumbai, M-Ward through the Tata Institute of Social Sciences (TISS). M-Power offers its students a library stocked with textbooks of all streams (Arts, Science, Commerce). It has books to aid preparation for competitive examinations like MPSC, UPSC, NEET, etc. The library not only caters to satisfy the academic needs of the students but also includes magazine and journal subscription, newspapers in multiple languages and collection of fiction to foster general reading and learning habits. Under these programs, the TISS continues with the coaching for competitive exams, computer education, conversational English, career guidance, life skill education, etc. Four projects viz. awareness and screening for detection and prevention of breast and cervical cancer, Malnutrition prevention and control program at Worli (Mumbai), Malnutrition prevention and control program at Anna Bhau Sathe Nagar (Mumbai), Maternal and child health and nutrition at Mahul Village (Mumbai) were undertaken through implementing agency, Concern India Foundation during FY 2020-21.

है। कंपनी ने मुंबई में डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ़ डिसएडवांटेज इन सोसाइटी (डीडस), मुंबई द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास, आतिथ्य और खुदरा व्यापार में बधिर युवाओं के प्रशिक्षण पर परियोजनाओं को अपना समर्थन जारी रखा। कंपनी ने वर्ष के दौरान विवेकानंद केंद्र के माध्यम से ,ओडिशा में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और उत्तर पूर्व में चिकित्सा गतिविधियों से संबन्धित परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया। कंपनी ने कार्यान्वयन भागीदार सुधा (मानव सामाजिक उत्थान एवं विकास) के साथ मिलकर स्वच्छता कार्य योजना के अधीन महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाड तालुका में आदिवासी स्कूल में शौचालय/बाथरूम का निर्माण किया। कंपनी ने कार्यान्वयन भागीदार श्री आस्था महिला बचत गट के साथ मिल कर स्वच्छता कार्य योजना के अधीन एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई के परिसर में “स्मार्ट वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम प्लांट” का निर्माण किया। कंपनी ने श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भक्तिवेदांत अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, मीरा रोड, ठाणे जिले को दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की सहायता प्रदान की। यह अस्पताल ठाणे और पालघर जिलों के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा रोजवनम ट्रस्ट, मदुरै के माध्यम से मदुरै में वृद्धों एवं बेघरों के लिए हेल्प-होम को सहायता प्रदान की। कंपनी ने टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई के जरिये प्राप्त एनजीओ, शांति सेवा निधि के प्रस्ताव के माध्यम से तीन साल के लिए सात छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की शिक्षा हेतु समर्थन किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनिरुद्ध आपदा प्रबंधन अकादमी से प्राप्त मोखदा, के आदिवासी बेल्ट, महाराष्ट्र में पुनर्वास परियोजना, के लिए प्रस्ताव को कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के समर्थन में स्वच्छ भारत कोष में ₹0.49 करोड़ का योगदान दिया गया।

### 1. कंपनी की सी एस आर गतिविधि का संक्षिप्त विवरण :

- अपने सभी हिताधिकारियों के हितों की रक्षा करते हुए अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से बनाए रखने एवं परिचालित करने हेतु संगठन में सभी स्तरों पर एक वर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में एवं आसपास के समुदायों को लाभान्वित करने वाले प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाते हैं।
- समाज के कमजोर वर्ग, गरीब एवं उपेक्षित वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को कार्यान्वित करना।
- अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से हितधारकों के बीच कंपनी के लिए सद्भावना और गौरव उत्पन्न करना और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

The Company continued to support projects on skill development, training of deaf youth in hospitality and retail trade, implemented by Development Education Empowerment of Disadvantage in Society (DEEDS) in Mumbai. The Company supported the projects, Mobile Medicare Unit in Odisha and Medical activities in North East through Vivekananda Kendra during the year. The Company along with the implementing partner SUADHA (Social Upliftment and Development of Human), constructed toilets/bathrooms in tribal school in Murbad Taluka, Thane District in Maharashtra under Swachhta Action Plan. Company, along with the implementing partner Shree Aastha Mahila Bachat Gat constructed “Smart Vermi Compost System Plant” at the campus of the SNDT Women University, Mumbai under the Swachhta Action Plan. The Company supported with the medicines and consumables to the Bhaktivendanta Hospital & Research Institute, Mira Road, Thane District through Sri Chaitanya Seva Trust. This hospital provides services to rural and tribal areas of Thane and Palghar districts. Further, the Company gave support to Help-Home for the Aged & Homeless at Madurai through Rojavanam Trust, Madurai. The Company also supported seven students for their education in Diploma in Mechanical Engineering for three years through NGO, Shanti Seva Nidhi’s proposal received through Techonocraft Industries (India) Ltd., Mumbai. A proposal of Anirudda Academy of Disaster Management in tribal belt of Mokhada for Rehabilitation Project, Maharashtra was approved by the Company during FY 2020-21. Further, a contribution of ₹0.49 crore was made to the Swachh Bharat Kosh in support of the Swachh Bharat Abhiyan during the year.

### 1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

- To ensure an increased commitment at all levels in the organization, to operate its business in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of all its stakeholders.
- To directly/indirectly take up programs that benefit the communities in and around its various offices that enhance quality of life and well-being of the locals.
- To implement activities that empower weaker, less privileged and marginalized sections of the society.
- To generate, through its CSR initiatives, goodwill and pride for the Company among stakeholders and help reinforce a positive and socially responsible image of the Company as a corporate entity.

2. सी एम आर समिति की संरचना :

2. Composition of CSR Committee:

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख (दिन/महीना/वर्ष ) Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
5.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
6.	श्री शरद कुमार सराफ़ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	4/5
8.	श्री बिद्युत बेहरी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	सुश्री पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

3. वेब-लिंक जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है: [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3), यदि लागू हों, के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, (रिपोर्ट संलग्न करें):

**लागू नहीं**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किसी भी गतिविधि के आरंभ हेतु उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए गतिविधि के आरंभ के लिए के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

3. The web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company: [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)

4. The details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report):

**Not Applicable**

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

क्र. सं. Sr. No.	वित्तीय वर्ष Financial year	पिछले वित्तीय वर्ष से आरंभ के लिए उपलब्ध राशि Amount available for set-off from preceding financial year (in ₹)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में) Amount required to be set-off for the financial year, if any (in ₹)
1	2020-21	शून्य / Nil	शून्य / Nil

6. कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹281.39 करोड़  
6. Average net profit of the Company: ₹281.39 crore
7. (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹5.62 करोड़, सीएसआर के लिए आवंटित कुल बजट ₹7 करोड़  
7. (a) Two percent of average net profit of the company: ₹5.62 crore, Budget allotted for CSR ₹7 crore
- (ख) आगामी वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य  
(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: Nil
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि: यदि कोई हो: शून्य  
(c) Amount required to be set off for the financial year: if any: Nil
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग): ₹7 करोड़  
(d) Total CSR Obligation for the financial year (7a+7b+7c): ₹7 crore

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय हुआ अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय हुई राशि (₹ में) Total amount spent for the Financial Year (in ₹)	अव्ययित राशि (₹ में) Amount unspent (in ₹)				
	सी एस आर अव्ययित राशि खाते में अंतरित कुल राशि Total Amount transferred to Unspent CSR Account		अनुसूची VII के अधीन निर्धारित किसी विशिष्ट निधि में अंतरित राशि Amount Transferred to any fund specified under Schedule VII		
	राशि Amount	अंतरण की तारीख Date of transfer	निधि का नाम Name of the fund	राशि Amount	अंतरण की तारीख Date of transfer
694.41 लाख/Lakh	270.98 लाख/ Lakh	30.04.2021	स्वच्छ भारत कोष Swachh Bharat Kosh	49.11 लाख/ Lakh	10.06.2021

- (ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर किए गए व्यय की सीएसआर राशि का विवरण:  
परिशिष्ट देखें।  
(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:  
**Refer Appendix.**
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:  
परिशिष्ट देखें।  
(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:  
**Refer Appendix.**
- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि ₹5.38 लाख  
(d) Amount spent in Administrative overheads ₹5.38 lakh
- (च) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू हो पर व्यय की गई राशि: शून्य  
(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NIL
- (छ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ₹700 लाख  
(f) Total amount spent for the Financial Year ₹700 lakh
- (ज) गतिविधि के आरंभ हेतु अलग रखी गयी कुल राशि:  
(g) Excess amount for set off, if any

क्र. सं.	विवरण	राशि ₹ में
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कुल प्रतिशत	₹5.62 करोड़ (सी एस आर गतिविधि के लिए आबंटित कुल बजट ₹7 करोड़)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गयी कुल राशि	₹7 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गयी अतिरिक्त राशि	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो तो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि ((iii)-(iv))	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल आरही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: (₹ लाख में)

S.No.	Particular	Amount in ₹
(i)	Total percent of average net profit of the Company	₹5.62 crore (budget allotted for CSR ₹7 crore)
(ii)	Total amount spent for the financial year	₹7 crore
(iii)	Excess amount spent for the financial year	NIL
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years ((iii)-(iv))	NIL

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

**NIL**

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year (s): (₹ in Lakh)

क्र. सं. Sr. No.	परियोजना आई डी Project ID	परियोजना का नाम Name of the project	वित्तीय वर्ष जब परियोजना आरंभ की गयी Financial year in which the project was commenced	परियोजना की अवधि Project duration	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि Total amount allocated for the project	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गयी कुल राशि Amount spent on the project in the reporting Financial year.	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय की गयी कुल राशि Cumulative amount spent at the end of the re- porting Financial Year.	परियोजना की स्थिति ( पूर्ण / चल रही ) Status of the project (completed/ on-going)
1	शिक्षा Education	एस ओ एस बाल ग्राम SOS Children village	2019-20	एक वर्ष One year	3.89	3.89	12.96	पूर्ण Completed.
2	शिक्षा Education	विवेकानंद केंद्र - मोबाइल लाइब्रेरी सह ऑडियो विजुअल Vivekanand Kendra - Mobile Library cum audio visual	2019-20	एक वर्ष One year	3.06	1.92	1.92	पूर्ण (शेष राशि को प्रधान मंत्री राहत कोष में अंतरित) Completed. (balance amount transferred to PM CARES fund)
3	शिक्षा एवं स्वास्थ्य Education and health	विवेकानंद केंद्र - आनंदालय उड़ीशा Vivekanand Kendra - Anandalaya-Odisha	2019-20	एक वर्ष One year	9.40	4.44	4.44	पूर्ण (शेष राशि को प्रधान मंत्री राहत कोष में अंतरित) Completed (balance amount transferred to PM CARES fund)
4	स्वास्थ्य Health	अक्षय पात्र-भोजन वितरण Akshya Patra - distribution of meal	2019-20	एक वर्ष One year	1.30	1.30	1.30	पूर्ण Completed.
5	स्वास्थ्य Health	वनवासी कल्याण आश्रम - औषधि वितरण Vanvasi Kalyan Ashram- distribution of medicines	2018-19	एक वर्ष One year	20.00	4.88	20.00	पूर्ण Completed.
6	शिक्षा Education	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन Concern India Foundation	2018-19	एक वर्ष One year	0.40	0	25.00	पूर्ण (शेष राशि को प्रधान मंत्री राहत कोष में अंतरित) Completed. (balance amount transferred to PM CARES fund)
		<b>कुल / Total</b>			<b>23.29</b>	<b>16.43</b>		

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार निर्मित अथवा अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं**

11. यदि कंपनी द्वारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो उसका कारण निर्दिष्ट करें, : **लागू नहीं**

(एम. सेंथिलनाथन)  
सीएसआर समिति के मुख्य  
कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष

निर्दोष चोपड़ा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 16 जुलाई, 2021

### सीएसआर दायित्व विवरण

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर नीति को अपनाया है एवं उसकी अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चित करना, पर्यावरण, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, विकलांगों के लिए सेवाओं को मजबूत करना और अनुसूचित जनजाति समुदाय के समर्थन से संबंधित हैं। सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुकरण में है।

(एम. सेंथिलनाथन)  
सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष  
DIN 07376766

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 16 जुलाई, 2021

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR amount spent in the financial year:

**Not applicable**

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135 (5): **Not applicable**

(M. Senthilnathan)  
CEO & Chairman of the  
CSR Committee

(Nirdosh Chopra)  
Chief Financial Officer

Place: Mumbai  
Date: July 16, 2021

### CSR RESPONSIBILITY STATEMENT

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises and has a Board approved CSR Policy. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently-abled and support to Scheduled Tribe community. The implementation and monitoring of the CSR activities is in compliance with the CSR objectives and Policy of the Company.

(M. Senthilnathan)  
CEO & Chairman of the CSR Committee  
DIN 07376766

Place: Mumbai  
Date: July 16, 2021

अनुलग्नक IV का परिशिष्ट  
Appendix to Annexure IV

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर राशि के व्यय का विवरण  
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year

(₹ लाख में) / (₹ in lakh)

क्र. सं. Sr. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	स्थानीय क्षेत्र Local Area	परियोजना का स्थान Location of the projects		परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि Amount allocated for the project	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि Amount spent in the current financial year	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6)	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं) Mode of implementation - Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति Mode of implementation through implementing agency	
				राज्य State	ज़िला District							नाम Name
1	बोर्ड द्वारा अनुमोदित पिछले वर्ष की प्रतिबद्धता Commitment of previous year approved by Board.	स्वस्थ एवं शिक्षा Health and Education	नहीं No	परियोजना - ओड़ीशा, असम एवं अरुणाचल प्रदेश Project- Odisha, Assam and Arunachal Pradesh	सम्बलपुर, तिनसुकिया, वाराणसी Sambalpur, Tinsukia, Varanasi	एक वर्ष One year	47.03	18.72	12.65	नहीं No	विवेकानंद केंद्र एवं संकल्प Vivekanand Kendra and Sankalp	आवेदित Applied for
2	राजगढ़- महत्वाकांक्षी ज़िला - भौतिक सुविधाएं प्रदान करना - सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करवाना Rajgarh - Aspirational District - Providing physical facilities - furniture to Government Primary and Secondary Schools	शिक्षा Education	नहीं No	परियोजना - मध्य प्रदेश Project - Madhya Pradesh	राजगढ़ Rajgarh	एक वर्ष One year	300.00	147.30	152.70	नहीं No	ज़िला अधीक्षक का कार्यालय District Collectors office	जारी Ongoing
3	अस्पतालों में औषधि की उपलब्धता Supply of medicines to the Hospital	स्वस्थ Health	नहीं No	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	पालघर Palghar	एक वर्ष One year	9.60	4.80	4.80	नहीं No	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट Sri Chaitanya Seva Trust	आवेदित Applied for



क्र. सं. Sr. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	स्थानीय क्षेत्र Local Area	परियोजना का स्थान Location of the projects		परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि Amount allocated for the project	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि Amount spent in the current financial year	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135 (6)	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं) Mode of implementation - Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति Mode of implementation through implementing agency	
				राज्य State	ज़िला District							नाम Name
4	चिकित्सा संबंधी गतिविधियां - उत्तर पूर्व Medical activities - North East	स्वस्थ Health	नहीं No	परियोजना उत्तर पूर्व Project - North East	उत्तर पूर्व के विभिन्न जिले Various districts of North East States	एक वर्ष One year	20.90	8.36	12.54	नहीं No	विवेकानंद केंद्र Vivekanand Kendra	आवेदित Applied for
5	मोबाईल मेडिकेयर यूनिट - मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने हेतु Mobile Medicare Unit-provide free primary medical assistance	स्वस्थ Health	नहीं No	परियोजना उड़ीशा Project - Odisha	सम्बलपुर Sambalpur	एक वर्ष One year	16.14	6.46	9.68	नहीं No	विवेकानंद केंद्र Vivekanand Kendra	आवेदित Applied for
6	स्तन एवं सरवाईकल कैंसर के लक्षणों की पहचान कर उसके रोकथाम हेतु जागरूकता एवं जांच, वर्ली Awareness and Screening for early detection and prevention of Breast and Cervical Cancer, Worli	स्वस्थ Health	हाँ Yes	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One year	19.69	10.58	9.11	नहीं No	ज़िला अधीक्षक का कार्यालय Concern India Foundation	CSR00000898
7	कुपोषण निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम - वर्ली Malnutrition Prevention and Control Program, Worli	स्वस्थ Health	हाँ Yes	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One year	18.38	10.00	8.38	नहीं No	ज़िला अधीक्षक का कार्यालय Concern India Foundation	CSR00000898

क्र. सं. Sr. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	स्थानीय क्षेत्र Local Area	परियोजना का स्थान Location of the projects		परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि Amount spent in the current financial year	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135 (6)	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं) Mode of implementation - Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति Mode of implementation through implementing agency	
				राज्य State	ज़िला District					नाम Name	सी एस आर पंजीकरण सं CSR registration No.	
8	कुपोषण निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम - चेंबूर Malnutrition Prevention and Control Program, Chembur	स्वस्थ Health	हाँ Yes	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One year	10.41	5.20	5.21	नहीं No	ज़िला अधीक्षक का कार्यालय Concern India Foundation	CSR00000898
9	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, माहुल गांव, चेंबूर Maternal and child health and Nutrition, Mahul Village, Chembur	स्वस्थ Health	हाँ Yes	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One year	20.59	11.00	9.59	नहीं No	ज़िला अधीक्षक का कार्यालय Concern India Foundation	CSR00000898
10.	आपदा प्रबंधन - मोखदा पुनर्वास परियोजना Disaster Management towards Mokhada Rehabilitation project	पोषण Nutrition	हाँ Yes	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	मोखाड़ा विलेज Mokhada Village	एक वर्ष One year	26.59	9.25	17.34	नहीं No	अनिरुद्ध अकेडमी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट Anirudda Academy of Disaster Management	आवेदित Applied for
11	वृद्ध एवं बेघरों के लिए आवास Home for Aged and Homeless	स्वस्थ सेवा Healthcare	नहीं No	परियोजना तमिलनाडु Project - Tamil Nadu	मदुरै Madurai	एक वर्ष One year	17.60	10.56	7.04	नहीं No	रोजवानम ट्रस्ट Rojavanam Trust	आवेदित Applied for
12	10 वीं उत्तीर्ण छात्राओं को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हेतु सहायता Providing diploma in Mechanical Engineering to 10th Passed rural students	शिक्षा Education	नहीं No	परियोजना महाराष्ट्र Project - Maharashtra	पालघर Palghar	तीन वर्ष Three years	34.72	12.78	21.94	नहीं No	शांति सेवा निधि Shanti Seva Nidhi	आवेदित Applied for
					कुल TOTAL		541.65	255.01	270.98			

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम पर किए गए सीएसआर राशि के व्यय का विवरण:

Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year

(लाख ₹ में) / (₹ in lakh)

क्र सं Sr. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of activities in schedule VII to the Act	स्थानीय क्षेत्र Local area (Yes/No)	परियोजना का स्थान Location of the project		परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount spent for the project	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of implementation Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति Mode of implementation through implementing agency	
				राज्य State	ज़िला District			नाम Name	सी एस आर नं. CSR No.
1	बधिर युवाओं को आतिथ्य और खुदरा उद्योग पर प्रशिक्षण Training to deaf youth on hospitality and retail industry	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	10	नहीं No	समाज में वंचितों के लिए सशक्तिकरण - विकास शिक्षा Development Education Empowerment of Disadvantaged in Society	CSR00000703
2	स्मार्ट वर्मीकम्पोस्ट प्लांट का निर्माण Erection of Smart Vermi Compost Plant	Swachh Action Plan	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	11.7	नहीं No	एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय/ श्री आस्था महिला बचत गट SNDT Women's University/ Shree Aastha Mahila Bachat Gat	आवेदित Applied for
3	राजा हरिश्चंद्र विद्यालय (आदिवासी विद्यालय) में 8 शौचालयों का निर्माण Construction of 8 toilets at Raja Harischandra School (tribal school)	स्वास्थ्य Health	नहीं No	महाराष्ट्र Maharashtra	ठाणे Thane	9.07	नहीं No	सामाजिक उत्थान एवं मानव विकास Social Upliftment and Development of Human	आवेदित Applied for
4	एम पावर पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र M power library and study centre	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	68.69	नहीं No	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस Tata Information for Social Sciences	आवेदित Applied for

क्र सं Sr. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of activities in schedule VII to the Act	स्थानीय क्षेत्र Local area (Yes/No)	परियोजना का स्थान Location of the project		परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount spent for the project	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of implementation Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति Mode of implementation through implementing agency	
5	जीआई परिषद द्वारा आरंभ किए गए अखिल भारत बीमा जागरूकता अभियान PAN India Insurance Awareness Campaign initiated by GI council	शिक्षा Education	नहीं No	अखिल भारत All over India	ला न NA	5	नहीं No	जी आई परिषद GI Council	पूर्ण परियोजना Completed projects
6	परिवार स्वरूप सेवा कार्यक्रम Family like care program	स्वास्थ्य एवं शिक्षा Health and education	नहीं No	असम Assam	गुवाहाटी Guwahati	3.89	नहीं No	एस ओ एस चिल्ड्रेन SOS children	आवेदित Applied for
7	बच्चों के लिए मिड डे मील Mid day meal to children	स्वास्थ्य Health	नहीं No	सिलवासा Silvasa	सिलवासा Silvasa	1.31	नहीं No	अक्षय पात्र The Akshya Patra	आवेदित Applied for
8	आदिवासी क्षेत्रों में औषधियों की आपूर्ति Supply of medicines to tribal area	स्वास्थ्य Health	नहीं No	महाराष्ट्र Maharashtra	पुणे Pune	4.87	नहीं No	वनवासी कल्याण आश्रम Vanvasi Kalyan Ashram	आवेदित Applied for
9	स्वच्छता कार्य योजना Swachhta Action Plan	स्वास्थ्य Health	नहीं No	अखिल भारत All over India		4.99	हाँ Yes	ईसीजीसी की शाखा कार्यालयों की ओर से Through Branch Offices of ECGC	ला न NA
				<b>कुल TOTAL</b>		119.52			

(एम. सेंथिलनाथन)  
(सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष  
डी आई एन 07376766

(M. Senthilnathan)  
CEO & Chairman of the CSR Committee  
DIN 07376766

स्थान : मुंबई  
दिनांक: 16 जुलाई, 2021  
Place: Mumbai  
Date: July 16, 2021

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

## अनुलग्नक V

## MANAGEMENT DISCUSSION &amp; ANALYSIS

## Annexure V

## वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार

कोविड -19 महामारी, दुनिया भर में मंदी एवं 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 4.3 प्रतिशत तक संकुचित करने का कारण बनी। जबकि महामारी से उत्पन्न संकट के कारण जान माल की गंभीर हानि हुई है, अर्थव्यवस्थाओं को ऋणों में वृद्धि के कारण वित्तीय संकट, आपूर्ति शृंखलाओं के अवरोधों एवं मांग एवं निवेश में वैश्विक गिरावट का सामना करना पड़ा है। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि में पुनः गति आरंभ हो गयी है, परंतु निकट भविष्य में इसका महामारी पूर्व स्तर पर लौटने की संभावना नहीं है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर में वर्ष 2019 में 1.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020 में -5.4 प्रतिशत तक कमी आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास दर पिछले वर्ष के 2.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020 में -3.6 प्रतिशत हो गया है। यूरो क्षेत्र में कोविड-19 के पुनरुत्थान ने आर्थिक गतिविधियों को पुनः धीमा कर दिया एवं विकास दर में वर्ष 2019 में 1.3 प्रतिशत की तुलना में 7.4 प्रतिशत तक की गिरावट हुई।

कोविड-19 से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप, उत्पादन में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में वर्ष 2020 के दौरान 2.6 प्रतिशत की गिरावट हुई। महामारी के कारण प्रति व्यक्ति आय में ईएमडीई के प्रतिशत में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई है। पर्यटन एवं सेवाओं एवं कमजोर बाहरी मांग के कारण औद्योगिक वस्तुओं के निर्यातों पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को सबसे अधिक क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त, महामारी के कारण सरकार एवं निजी क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित उल्लेखनीय वित्तीय सहयोग के परिणामस्वरूप ईएमडीई में ऋण-संबंधी जोखिमों को बढ़ा दिया है।

कोविड-19 का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी अत्याधिक तात्कालिक था क्योंकि अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा पिछले वर्ष के आरंभ में प्रतिकूल रुझान दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2020 में, विश्व बहुवस्तु व्यापार की मात्रा में पिछले वर्ष के 0.2 प्रतिशत की तुलना में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई। एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहां निर्यात मात्रा में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तेल की कीमतों में 35 प्रतिशत की गिरावट के कारण निर्यात राजस्व और अधिक गिरावट आई एवं इसके परिणामस्वरूप अफ्रीका (-8.8%), मध्य पूर्व (-11.3%) व दक्षिण अमेरिका (-9.3%) जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आयात मांग में भी गिरावट दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, वर्ष 2020 के दौरान विश्व व्यापार में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। डॉलर मूल्य में माल व्यापार में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गयी। 20 प्रतिशत की गिरावट के साथ सेवा व्यापार की स्थिति भी प्रतिकूल रही। वर्ष 2020 में कुल 17.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के विश्व विविध वस्तु निर्यात रहे, जोकि पिछले वर्ष

## GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The COVID-19 pandemic has caused a worldwide recession, contracting the global economy by 4.3 per cent in 2020. While the pandemic-induced crisis has led to a severe loss of life, economies faced financial stress due to surge in debt levels, supply chain disruptions, and fall in global demand and investment. Although global economic activity is picking up again, it is not likely to return to pre-pandemic levels in the foreseeable future.

The GDP growth rate of Advanced Economies (AEs) slowed markedly from 1.6 per cent in 2019 to -5.4 per cent in 2020. The growth rate for the USA reduced from 2.2 per cent in the previous year to -3.6 per cent in 2020. In the Euro area, a resurgence of the COVID-19 decelerated the emerging rebound in the economic activity and the growth rate contracted to 7.4 per cent as compared to 1.3 per cent growth in 2019.

As a result of the health and economic crisis triggered by the COVID-19, the output in the Emerging and Developing Economies (EMDEs) fell by 2.6 per cent in 2020. The pandemic has also caused per capita incomes to fall in more than 90 per cent of the EMDEs. The economies that suffered the most were those with a heavy reliance on tourism and services, and those that faced decline in industrial-commodity exports due to anaemic external demand. Also, the pandemic exacerbated the debt-related risks in EMDEs due to the unprecedented fiscal support implemented by the government and private sectors.

The impact of COVID-19 was even more immediate on international trade as most of the major economies started recording negative trends early last year. In 2020, the growth in the volume of world merchandise trade fell by 5.3 per cent from 0.2 per cent, the previous year. Asia was the only region where the export volume was up by 0.3 per cent. A 35 per cent fall in the oil prices further weighed down the export revenues and thus the import demand for regions including Africa (-8.8%), the Middle East (-11.3%) and South America (-9.3%).

Overall, world trade recorded a drop in value of about 9 per cent in 2020. In dollar terms, goods trade declined by more than 7 per cent. The services trade also remained depressed with a 20 per cent fall. In 2020, world merchandise exports was valued at US\$17.6 trillion,

की तुलना में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। पिछले वर्ष 6.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कुल वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात रहे। वर्ष 2020 के दौरान सेवा निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबद्ध रहे जिसके कारण यात्रा सेवाओं में 63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। समग्र रूप से 22.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माल एवं सेवाओं के निर्यात रहे जो कि वर्ष प्रति वर्ष के 10 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाते हैं।

विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई मजबूत मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के कारण, व्यापार व वृद्धि दर में संकुचन अपेक्षा की तुलना में कम रहा। इन नीतियों के कारण वैश्विक मांग में तीव्र गिरावट को रोकने में सहायता मिली अन्यथा व्यापार में और अधिक गिरावट आने की संभावना थी।

### परिदृश्य

2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 4 प्रतिशत तक की संभावित है, हालांकि कोविड -19 महामारी वैश्विक संभावनाओं के लिए अभी भी सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। महामारी के बेहतर प्रबंधन और चल रहे टीकाकरण जिसके कारण कई देशों में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को सीमित करने की संभावना को अपेक्षाकृत सीमित कर दिये जाने के उपरांत मजबूत वृद्धि की संभावना है , ।

वर्ष 2021 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ एवं उभरती हुई एवं विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2022 में क्रमशः 3.5 प्रतिशत एवं 4.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि संभावित है। वर्ष 2021 में ईएमडीई में सुधार , बाहरी मांग एवं उचित महामारी प्रबंधन को मजबूत करते हुए चीन में 7.9 प्रतिशत के उल्लेखनीय पुनःवृद्धि को दर्शाता है। ईएमडीई में , पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि एवं दक्षिणी अमेरिका एवं कैरिबन क्षेत्रों में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। वर्ष 2021 के दौरान दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

वर्ष 2021 के दौरान विश्व विविध वस्तु व्यापार की मात्रा में 8 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है, वी-आकार की वृद्धि अथवा सुधार को दर्शाती है। मुख्य रूप से राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण उत्तरी अमेरिका से आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार में सुधार संभावित है। एशिया से 8.4 प्रतिशत के निर्यात संभावित हैं, जिसके फलस्वरूप वैश्विक आयात मांग के पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है।

महामारी के स्थायी प्रभाव के रूप में उत्पादन, खपत एवं निवेश पर असर पड़ना जारी रहेगा। कोविड-19 से होने वाले दूरगामी हानि से निपटने के लिए प्रभावी रोकथाम के उपाय एवं निर्णायक नीतिगत कार्रवाई आवश्यक है। नीतिगत उपायों में सुरक्षित स्वास्थ्य एवं शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्राथमिकता, शासन में सुधार एवं ऋण पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल है। कमजोर वर्ग को समर्थन करने एवं एक स्थायी तथा समावेशी सुधार हेतु वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता आवश्यक है।

which was down by 8 per cent compared to the previous year. The value of commercial services export was close to US\$ 5 trillion, as against US\$ 6.1 trillion the preceding year. The primary reason for tumbling of services exports was attributed to the global travel restrictions due to which travel services were down by 63 per cent in 2020. Collectively, import of goods and services was figured at US\$ 22.5 trillion which exhibited a year-on-year fall of 10 per cent.

Due to robust monetary and fiscal policies exercised by many governments, trade and growth underwent smaller than expected contractions. These policies helped prevent a bigger drop in global demand, which might have reduced trade further.

### OUTLOOK

The global economy is expected to expand by 4 per cent in 2021 although the COVID-19 pandemic continues to pose the greatest threat to the outlook. The growth is expected to strengthen following improved management of the pandemic and ongoing vaccination which is likely to limit the community spread of the COVID-19 in many countries.

AEs and EMDEs are envisioned to grow at 3.3 per cent and 5 per cent respectively in 2021 with growth moderating to 3.5 per cent and 4.2 per cent respectively in 2022. The improvement in EMDEs largely reflects China's expected rebound by 7.9 per cent in 2021, firming external demand and proper pandemic management. Among the EMDEs, the East Asia and Pacific is projected to expand 7.4 per cent followed by the Latin America and the Caribbean at 3.7 per cent. The regional economic activity in South Asia is likely to grow by 3.3 per cent in 2021 buoyed by the growth prospects of the Indian economy at 5.4 per cent.

The volume of world merchandise trade is expected to increase by 8 per cent in 2021, thus ensuring a V-shaped recovery. Trade demand will be driven by imports from North America, largely due to fiscal stimulus, which will kindle trade recovery in other economies. Exports from Asia, foreseen to grow by 8.4 per cent, will meet much of the global import demand.

The pandemic's lasting effects will continue to weigh on production, consumption and investment. Effective containment measures and decisive policy action are going to be essential to deal with the far-reaching damage from the COVID-19. Policy measures including those that safeguard health and education, prioritize investment in digital technologies, improve governance,

**भारतीय निर्यात**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत के कुल निर्यात (विविध वस्तु व्यापार एवं सेवाएँ) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 527.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37,40,881 करोड़) के कुल निर्यात की तुलना में, 496.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹36,73,928 करोड़) रहे, जो कि (-) 6 प्रतिशत की प्रतिकूल वृद्धि दर्शाते हैं। इसी अवधि के दौरान 512.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37,87,888 करोड़) के आयात, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए कुल आयातों की तुलना में (-) 15.4 प्रतिशत की प्रतिकूल वृद्धि को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत का विविध वस्तु व्यापार निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 313.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹22,18,942 करोड़) की तुलना में डॉलर मूल्य में 7.7 प्रतिशत एवं रुपये मूल्य में (-) 3.02 प्रतिशत की प्रतिकूल वृद्धि दर्ज करते हुए, 290.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹21,51,771 करोड़) रहे।

वर्ष 2020-21 के दौरान अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए विविध वस्तु आयात का कुल मूल्य 393.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹29,09,827 करोड़) रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 473.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹33,55,725 करोड़) रहे। जो कि डॉलर एवं रुपये मूल्य में क्रमशः (-) 16.9 प्रतिशत और (-) 13.28 प्रतिशत की प्रतिकूल वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-मार्च 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र माल एवं सेवाओं के लिए कुल 15.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,13,961 करोड़) का व्यापार घाटा रहा, जबकि पिछले वर्ष के समान अवधि के दौरान यह 77.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹5,47,825 करोड़) का घाटा रहा।

**कंपनी के परिचालनों की समीक्षा****अल्पकालिक निर्यात ऋण बीमा नीतियां**

31 मार्च, 2021 तक निर्यात प्राप्यों (अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसी - एसटी-पॉलिसी) के लिए कंपनी की रक्षा का लाभ उठाने वाले विशिष्ट निर्यातकों की संख्या 7372 रही, जबकि 31 मार्च, 2020 तक यह 7843 थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी 12673 पॉलिसियों की तुलना में, वर्तमान वर्ष के दौरान जारी और नवीनीकृत पॉलिसियों की कुल संख्या 12391 रही। 31 मार्च, 2021 तक लागू अल्पावधि पॉलिसियों संख्या 11280 रही, जिसकी कुल अधिकतम देयता (एमएल) ₹46,073.08 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च 2020 को लागू ₹43,432.40 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 11598 पॉलिसियों जारी थीं। जो कि 2020, जारी पॉलिसियों की संख्या में 2.74% की प्रतिकूल वृद्धि एवं कुल अधिकतम देयता में 6.08% की अनुकूल वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान कुल 4475 नई पॉलिसियां जारी की गईं, जिनमें से 1145 सम्पूर्ण पण्यवर्त पॉलिसियां थीं।

कंपनी के पॉलिसी धारकों में “लघु निर्यातकों” (अर्थात ₹40 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर की अधिकतम देयता वाले पॉलिसी रक्षा वाले

and enhance debt transparency shall be the key. Global cooperation is going to be essential for supporting vulnerable populations and achieving a sustainable and inclusive recovery.

**INDIAN EXPORTS**

During the financial year 2020-21, India's overall exports (Merchandise and Services) stood at US \$ 496.08 billion (₹36,73,928 crore), exhibiting a negative growth of 6 per cent over the total exports of US\$ 527.84 billion (₹37,40,881 crore) in FY 2019-20. Overall imports during this period were US \$ 512.05 billion (₹37,87,888 crore), reflecting a negative growth of 15.4 per cent over the same period last year.

India's merchandise exports for the financial year 2020-21 was US\$ 290.81 billion (₹21,51,771 crore) as against US \$313.23 billion (₹22,18,942 crore) over the same period last year, registering a negative growth of 7.7 per cent in dollar terms and 3.02 per cent in rupee terms.

The total value of merchandise imports for the period April 2020 - March 2021 was US\$ 393.60 billion (₹29,09,827 crore), as against US \$ 473.99 billion (₹33,55,725 crore) during the same period previous year. This reflected a negative growth of 16.9 per cent and 13.28 per cent in Dollar and Rupee terms respectively.

Taking merchandise and services together, overall trade deficit for the period April 2020 - March 2021 was US\$ 15.97 billion (₹1,13,961 crore) as compared to the deficit of US\$ 77.7 billion (₹5,47,825 crore) in the corresponding period last year.

**OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS****SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES**

The number of distinct exporters availing the Company's cover for export receivables (Short-Terms Export Credit Insurance Policies - ST-Policy) was 7372 as of March 31, 2021 as against 7843 as of March 31, 2020. During the Financial Year (FY) 2020-21, the total number of Short-Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed was 12391 as against 12673 issued during the previous FY 2019-20. The number of ST-Policies in force as of March 31, 2021 was 11280 with a total Maximum Liability (ML) of ₹46,073.08 crore as against 11598 policies in force with a total ML of ₹43,432.40 crore as of March 31, 2020, showing a negative growth of 2.74% in the number of policies in force and positive growth of 6.08% in the total ML in force. The total number of fresh policies issued during the year was 4475 out of

निर्यातक) की हिस्सेदारी 31 मार्च 2020 को 98.20 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2021 को 97.95% रही।

31 मार्च 2021 तक कुल प्रभावी पॉलिसियों में घोषणा आधारित जैसे पोतलदान (व्यापक जोखिम) (एस सी आर) पॉलिसियां, निर्यात पण्यवर्त पॉलिसियां (ई टी पी), सेवा पॉलिसियां, लघु निर्यातक पॉलिसियां (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसियां, परेषण पॉलिसियां आदि 52.40% पर एक बड़ा हिस्सा साबित हुई। 31 मार्च

2021 तक ₹29,029 करोड़ रु तक की औसत अधिकतम देयता के साथ 31 मार्च 2020 के दौरान ₹29,100 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 6354 पॉलिसियों की तुलना में 5911 कुल प्रभावी घोषणा आधारित पॉलिसियां रहीं जबकि घोषणा आधारित पॉलिसियों की संख्या में 7% की गिरावट दर्ज की गयी , औसत अधिकतम देयता उसी स्तर पर बनी रही। 60 दिनों की औसत ऋण अवधि के साथ


3,47,195 पोतलदानों की घोषणा की गई। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंत में ,जोखिम आधारित पॉलिसियों जैसे बहू खरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी, सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (बहू खरीदार), सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक),का 47.60% की हिस्सेदारी रही। 31 मार्च 2021 के दौरान प्रभावी पॉलिसियों जैसे एम पी ई बी, एस बी ई पी, एम आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि 31 मार्च 2020 तक ₹14,413 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ

प्रभावी 5244 पॉलिसियों की तुलना में ₹16,973 करोड़ रु के 5369 पॉलिसियाँ प्रभावी रहीं जो कि संख्या में 2% एवं औसत अधिकतम देयता में 17% की वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कुल कारोबार पिछले वर्ष के दौरान ₹2,15,021.77 करोड़ की तुलना में ₹2,41,934.18 करोड़ रहा जो कि 12.52% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रीमियम आय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹403.24 करोड़ की तुलना में 6% की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹427.45 करोड़ रही। वित्तीय


which 1145 were Whole Turnover (WT) policies.

The share of distinct exporters belonging to the 'Small Exporter' (i.e. exporter with policy covers with ML less than or equal to ₹40 crore) category, holding the Company's policy products in the total number of distinct exporter clients is 97.95% as of March 31, 2021 as against 98.20% as of March 31, 2020.



Declaration-based policies viz. Shipment Comprehensive Risks Policies (SCR), Export Turnover Policies (ETP), Services Policies, Small Exporters Policies (SEP), Buyer Wise Policies, Consignment Policies etc. continued to maintain a larger share at 52.40% of the policies in force as at the end of FY 2020-21. The total number of declaration-based

policies in force as of March 31, 2021 was 5911 with an aggregate ML of ₹29,100 crore as against 6354 with an aggregate ML of ₹29,020 crore as of March 31, 2020



while the declaration-based policies in force declined by 7% in number, the aggregate ML remained around the same level. The number of shipments declared was 3,47,195 with an average credit period of 60 days. Exposure-based policies like Multi Buyer Exposure Policy, Single Buyer Exposure Policy,

IT-Enabled Services Policy (Multi-Customer), IT-Enabled Services Policy (Specific Customer) etc. had a share of 47.60% of the policies in force as at the end of FY 2020-21. The total number of exposure-based policies in force as of March 31, 2021 viz. MBEP, SBEP, MITES, SITES etc. was 5369 with an aggregate ML of ₹16,973 crore as against 5244 with an aggregate ML of ₹14,413 crore as of March 31, 2020, reflecting a growth of more than 2% in number and more than 17% in aggregate ML.

Total business covered under the ST-Policies during the FY 2020-21 was ₹2,41,934.18 crore, as against



वर्ष 2020-2021 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रदत्त दावों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रदत्त ₹147.02 करोड़ रु के 463 दावों की तुलना में ₹284.87 करोड़ रु के 573 दावे रहे। मूल्य की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कंपनी द्वारा उसके आरंभ से लेकर वर्तमान तक सबसे अधिक मूल्य में दावों की अदायगी की गयी।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान की गयी वसूली पिछले वर्ष के दौरान ₹10.21 करोड़ की तुलना में 2.74% की प्रतिकूल वृद्धि दर्ज करते हुए ₹9.93 करोड़ रहा।

### ग्राहक-विशिष्ट रक्षाएँ

कंपनी ने, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुमोदन से अपने पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कम्पनी ने तब ग्राहक-विशिष्ट रक्षाएँ (सीएससी) आरम्भ की थी, जब उपलब्ध मानक उत्पादों में से कोई उत्पाद उपयुक्त नहीं पाया गया। ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित दो अथवा दो से अधिक मानक उत्पादों की कुछ विशेषताओं के समन्वय से निर्मित की जाती हैं, जिसमें एक उत्पाद की प्रमुख विशेषताएँ होती हैं जिसे आधार पॉलिसी माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान पिछले वर्ष ₹6,666.19 करोड़ की कुल अधिकतम देयता / औसत हानि सीमा ( अ दे / औ हा सी ) की तुलना में ₹10,694.50 की कुल अधिकतम देयता / औसत हानि सीमा ( अ दे / औ हा सी ) के साथ 426 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियाँ जारी / नवीकृत की गयी। 31 मार्च 2021 के दौरान पिछले वर्ष ₹3,493.87 की कुल अधिकतम देयता / औसत हानि सीमा ( अ दे / औ हा सी ) के साथ प्रभावी 112 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹6,090.83 करोड़ की कुल अधिकतम देयता / औसत हानि सीमा ( अ दे / औ हा सी ) के साथ 176 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियाँ प्रभावी रहीं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान अर्जित कुल वार्षिक प्रीमियम पिछले वर्ष ₹89.36 करोड़ रु की तुलना में ₹116.21 करोड़ रु रहा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों के अधीन पिछले वर्ष के दौरान अदा किए गए ₹20.61 करोड़ के दावों की तुलना में ₹28.84 करोड़ के दावों की अदायगी की गयी।

### कोविड - 19 महामारी के दौरान निर्यातकों के लिए जारी राहत उपाय

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम पखवाड़े के दौरान सामने आए कोविड -19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के एक बड़े भाग के दौरान भी जारी रहा। 100% श्रम बल के साथ सामान्य कामकाजी घंटों की अनुमति केवल वर्ष पूर्वार्ध में ही प्रदान की गई थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न बाधाएं, घर से काम करने की पद्धति को अपनाने में आने वाली चुनौतियों एवं पूरी तरह से ऑनलाइन काम करने की पद्धति को अपनाने में कई निर्यातकों की असमर्थता के कारण रक्षा के निबंधनों एवं शर्तों अनुपालन से संबंधित कुछ राहत उपायों को

₹2,15,021.77 crore during the previous year, thereby registering a growth of 12.52%. The premium income under ST-Policies was ₹427.45 crore during the FY 2020-21 as against ₹403.24 crore in the previous FY, registering a growth of 6%. The total number of claims paid under ST-Policies during FY 2020-21 was 573 amounting to ₹284.87 crore as against 463 claims amounting to ₹147.02 crore during the previous FY 2019-20. In terms of value, the claims paid under ST-Policies during FY 2020-21 is the highest in a FY since the inception of the Company.

Recovery under ST-Policy was ₹9.93 crore during the FY 2020-21 as against ₹10.21 crore during the previous year, reflecting negative growth of 2.74%.

### CUSTOMER-SPECIFIC COVERS

The Company had, with the approval of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), introduced Customer-Specific Covers (CSC) which are tailor-made to suit specific requirements of the policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having the predominant features of one product which is considered to be the base policy.

During the FY 2020-21, 426 customized policies were issued/renewed with a total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹10,694.50 crore as against 272 customized policies issued with a total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹6,666.19 crore during the previous year. As of March 31, 2021, 176 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹6,090.83 crore as against 112 CSC policies in force with ML/ALL of ₹3,493.87 crore as of March 31, 2020. Annual premium income under CSC policies was ₹116.21 crore during the FY 2020-21 as against ₹89.36 crore during the previous year. During the FY 2020-21, claims paid under customized policies increased to ₹28.84 crore from ₹20.61 crore during the previous year.

### RELIEF MEASURES EXTENDED TO EXPORTERS DURING THE COVID -19 PANDEMIC:

The adverse effect of the COVID-19 pandemic that unfolded during the last fortnight of FY 2019-20 continued for a major part of the FY 2020-21. Normal working hours with 100% manpower was allowed only in the later part of the year. The constraints emanating from unforeseen circumstances, the challenges in switching to work from

आवश्यक बना दिया। तदनुसार, निम्नलिखित राहत उपाय प्रदान किए गए:

**(क) 30.06.2020 तक वैध उपाय**

(i) मार्च 2020 को समाप्त होने वाली विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी को स्वतः विस्तार की अनुमति

**(ख) 31.08.2020 तक वैध उपाय**

(i) पॉलिसी धारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विवरणों, विस्तार आवेदनों एवं चूक अधिसूचनाओं आदि की समय सीमा में विस्तार;

(ii) पॉलिसी धारकों द्वारा दावा दायर करने, दावा समस्याओं के उत्तर देने एवं प्रतिवेदनों की समय सीमा में विस्तार;

(iii) निर्यातकों को उन पोतलदानों की भुगतान की शर्तों को डी पी से परिवर्तित कर डी ए करने की अनुमति प्रदान की गई जो गंतव्य स्थल पर पहुँच चुके थे एवं गंतव्य देशों में लॉक डाउन के कारण विदेशी खरीदार द्वारा उनका निपटान नहीं किया गया था;

(iv) निर्यातकों के विवेकाधिकार : (क) पूर्व में खरीदारों द्वारा स्वीकृत पोतलदानों के भुगतान की देय तारीख में विस्तार; (ख) गंतव्य देशों में लॉक डाउन के कारण विदेशी खरीदार द्वारा निपटान नहीं किए गए पोतलदानों की पुनरबिकरी / पुनः आयात / अथवा परित्याग पर विचार करने ;

(v) साख सीमा आवेदन शुल्क की अदायगी से छूट ;

(vi) दावा दायर करने की पात्रता अवधि में वर्तमान चार महीनों से घटाकर एक महिना करने;

(vii) लॉक डाउन अवधि के दौरान पूर्व के पोतलदानों से संबन्धित बिलों पर भुगतान प्राप्त न होने पर भी संबन्धित खरीदारों को, संबन्धित पॉलिसी अवधि के अधीन खरीदार पर पहले ही निर्धारित साख सीमा / हानि सीमा के भीतर, वैध खरीद आदेश एवं खरीदार द्वारा पूर्व में स्वीकृत पोतलदानों के लिए निर्यातक एवं खरीदार के आपसी सहमति से पुनः निर्धारित भुगतान अवधि के आधार पर आगे पोतलदान करने की अनुमति;

(viii) ईसीजीसी के पूर्वानुमोदन के बिना, हानि को कम करने के लिए निर्यातक द्वारा मूल खरीदार को रियायत देने अथवा आपदा बिक्री निपटान में सम्मिलित होने की छूट;

**(ग) 31.12.2020 तक वैध उपाय**

(i) वे पॉलिसियों के लिए जो समाप्त हो गई थीं एवं जिन्हें 01/01/2020 व 31/08/2020 के बीच नवीकृत किया जाना शेष था के नवीनीकरण पर विचार करने की समीक्षा अवधि में समाप्ति की तारीख से 90 दिनों तक की अवधि के बजाय 31/12/2020 तक विस्तार कर दिया गया था। तदनुसार, एनसीबी और अन्य पात्र छूटों सहित सभी लाभों में नवीनीकरण

home mode and the inability of many exporters to switch to entirely online mode of working warranted certain relief measures relating to compliance with the cover terms and conditions. Accordingly, the following relief measures were introduced:

**(A) Measures valid till 30/06/2020**

(i) Specific Shipment Policies expiring in March 2020 were extended automatically.

**(B) Measures valid till 31/08/2020**

(i) Extension in time limit for submission of all returns, extension requests and default notification etc. by Policy Holders.

(ii) Extension in time for filing claim, reply to claim queries, representations for Policy Holders.

(iii) Exporter was allowed to convert the terms of payment from DP to DA for the shipment that reached destination but not cleared by overseas buyer due to lockdown in the destination countries.

(iv) Discretion to exporters: (a) to extend due date for payment by buyers for shipments accepted earlier; and (b) to decide about resale / reimport / or abandonment for the shipments that reached destination but not cleared by overseas buyers due to lockdown in the destination countries.

(v) Waiver of Credit Limit Application fee.

(vi) Reduced Claim eligibility period (waiting period) from the present four months to one month.

(vii) Discretion to exporters to make further shipments when bills pertaining to earlier shipments have fallen due during the lockdown period and the relevant bills remained overdue, within the Credit Limit/ Loss Limit already fixed on the buyer under the relevant policy, subject to availability of valid purchase order and mutually agreed payment reschedule for shipments made earlier and duly accepted by the buyer.

(viii) Discretion to exporter to extend discount to the original buyer or engaging in distress sale settlement to minimize loss, without prior approval of ECGC.

**(C) Measures valid till 31/12/2020**

(i) For policies which had expired and were due for renewal between 01/01/2020 and 31/08/2020, the review period for considering renewal was extended up to 31/12/2020 instead of the period up to 90 days from the date of expiry. Accordingly, all the

पर पॉलिसी के अधीन विस्तारित अवधि तक विस्तार किया गया था। यह रियायत उन पॉलिसियों को भी प्रदान की गई थी जो उक्त अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए देय थीं लेकिन बंद हो गई थीं।

#### (घ) 31.03.2021 तक वैध उपाय

पॉलिसियों के जारी / नवीकरण के लिए पॉलिसी प्रस्ताव प्रक्रिया शुल्क में 50% तक की कटौती

#### बैंकों के लिए अल्पकालिक निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) रक्षाएँ

कोविड - 19 महामारी रोकथाम उपायों के कारण अल्पावधि ईसीआईबी के अधीन कंपनी के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जबकि वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान प्रभाव गंभीर था, कंपनी ने आगामी तिमाहियों के दौरान क्षतिग्रस्त व्यवसाय के लिए क्षतिपूर्ति कर पाने में सफल रही। हालांकि, प्रीमियम आय और वसूली के मामले में समग्र उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अल्पावधि ईसीआईबी के अधीन अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष की तुलना में 6.36% की गिरावट दर्ज करते हुए ₹603.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹644.79 करोड़) रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी क्षेत्रों से अर्जित ईसीआईबी प्रीमियम का हिस्सा

कुल प्रीमियम के 56.83% रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए दावों की संख्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान अदा किए गए कुल 91 दावों से बढ़कर 161 हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए दावों का मूल्य भी पिछले वर्ष के ₹261.65 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹761.87 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दावा भुगतान के लिए लगने वाले दिनों की औसत संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 58.62 दिनों की तुलना में बढ़कर 59.09 दिन हो गई, । चालू वर्ष में की गई वसूली पिछले वर्ष के ₹156.17 करोड़ की तुलना में ₹107.53 करोड़ रही। कंपनी द्वारा जारी किए गए विभिन्न ईसीआईबी रक्षाओं के अधीन, सम्पूर्ण पण्यवर्त (डबल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी), एवं एकल रक्षाओं के लिए अधिकतम बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर बैंकों द्वारा ईसीजीसी को ₹88,550 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹85,457 करोड़) की कुल संरक्षित बकाए की रिपोर्ट की गयी। 31 मार्च, 2021 तक के वर्ष के दौरान ईसीआईबी योजनाओं के अधीन संरक्षित खातों की संख्या 15,520 रही, जबकि 31 मार्च, 2020 तक ₹16,248 खाते थे। वर्ष के दौरान रक्षा के माध्यम से कुल 9,535 (पिछले वर्ष - 10,621) अलग-अलग निर्यातकों को समर्थन प्रदान

benefits including NCB and other eligible discounts were extended under the policy upon renewal. This concession was also extended to those policies which were due for renewal during the above period but were closed.


#### (D) Measures valid till 31/03/2021

Reduction in policy proposal processing fee by 50% for issue/renewal of policies.

#### SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The business under ST ECIB was adversely impacted due to COVID-19 pandemic containment measures. While the effect was severe in the first quarter of the year, the Company made up for the lost business in the successive quarters.

However, the overall achievement in terms of premium income and recovery is less compared to previous year. The premium earned under ST ECIB for the FY 2020-21 was ₹603.77 crore (previous year ₹644.79 crore), registering a decline of 6.36% over the previous year. ECIB premium accounted for



56.83% of the aggregate premium for the FY 2020-21, from all sectors. The number of claims paid increased significantly to 161 in FY 2020-21 from 91 in the previous FY and the value of claims paid during FY 2020-21 also increased significantly to ₹761.87 crore as against ₹261.65 crore in the previous year. The average number of days taken for claim payment increased to 59.09 days in FY 2020-21 from 58.62 days in the previous FY. The recovery made in the current year was at ₹107.53 crore as against ₹156.17 crore during last year. The total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Products (ADP) for the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹88,550 crore (Previous Year - ₹85,457 crore). The number of accounts covered under the schemes during the year as of March 31, 2021 is 15,520 compared to 16,248 as of March 31, 2020. A total of 9,535 (Previous Year -10,621) distinct exporters of which more than

किया गया जिसमें से 97.86% से अधिक लघु निर्यातक रहे (अर्थात ₹80 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर मंजूर साख सीमा वाले निर्यातक खाते)। अनुमान है कि पिछले वर्ष के ₹3,41,828 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹3,54,200 करोड़ रुपये के निर्यात ऋण अग्रिमों को संरक्षित किया गया है। अनुमान आरबीआई से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं एवं इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अल्पावधि निर्यातों के अधीन व्यापार चक्र लगभग 90 दिनों का है। तदनुसार, कंपनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋण के आधार पर जोखिम मूल्य की गणना हेतु चार के कारक से गुणा के आधार पर की गयी है। संपूर्ण पण्यवर्त (डब्ल्यूटी) ईसीआईबी रक्षा के अधीन प्रीमियम दरों की गणना तीन साल के दावा-प्रीमियम अनुपात के आधार पर की जाती है एवं रक्षा का प्रतिशत का निर्धारण छह वर्ष के दावा प्रीमियम अनुपात पर किया जाता है। ईसीजीसी के साथ-साथ बैंकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उच्च दावा प्रीमियम अनुपात को देखते हुए रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र के संबंध में उचित जोखिम शमन उपाय जारी रखा गया।

**मध्यम और दीर्घकालिक व्यापार**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यम और दीर्घकालिक (एम एलटी) कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹25.52 करोड़ रुपये की तुलना में ₹28.51 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शीर्ष पांच देशों में कंपनी ने प्रमुख कारोबार किया है, वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तंजानिया, मॉरिटानिया एवं नेपाल। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी) परियोजना निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में 30 की तुलना में 39 ऋण बीमा पॉलिसियाँ जारी की गईं, जिसमें उनके द्वारा आरंभ गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनीतिक जोखिम एवं व्यापक जोखिम शामिल थे। संरक्षित प्रमुख क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रो पावर इक्विपमेंट एवं पूंजीगत माल की आपूर्ति आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंकों (ईसीआईबी) को निर्यात ऋण बीमा के अधीन जारी किए गए रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 89 के मुकाबले 65 रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना एवं निजी खरीदारों के लिए खरीदार ऋण योजना के अधीन कोई रक्षा जारी नहीं की गयी।


**राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट**

97.86% are Small Exporters (i.e. Exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹80 crore) have been supported through the covers. It is estimated that export credit advances worth ₹3,54,200 crore has been supported during this year compared to ₹3,41,828 crore in the previous year. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that the business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value. The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers were fixed based on the three-year claim-premium ratio and percentages of cover were determined on the six-year claim premium ratio. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of the Gems, Jewellery and Diamond sector in view of the high claim premium ratio with an objective of protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

**MEDIUM-AND LONG-TERM BUSINESS**

The premium income from the Medium-and Long-Term (MLT) business, for the FY 2020-21 stood at ₹28.51 crore as against ₹25.52 crore in the previous year. No claim was paid during the FY 2020-21. The top five countries in which the Company has underwritten major business during the FY 2020-21 are Afghanistan, Bangladesh, Tanzania, Mauritania and Nepal.

During the FY 2020-21, 39 credit insurance policies were issued to MLT project exporters as against 30 in the previous financial year, covering political risks and comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered are Power Transmission & Distribution, Hydro Power Equipment and Supply of Capital Goods etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2020-21 was 65 as against 89 in the previous year. No cover was issued under the Overseas Investment Insurance scheme and the Buyer's Credit scheme for private buyers during the FY 2020-21.



एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (भा स) द्वारा मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यात (एमएलटी)/परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई, जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय है। 31 मार्च, 2021 तक ट्रस्ट के पास ₹3,256.71 करोड़ का हामीदारी कोष उपलब्ध है। ट्रस्ट की हामीदारी क्षमता ₹65,134.20 करोड़ है जिसमें से 25% राशि ₹16,283.55 करोड़ कंपनी द्वारा जारी एमएलटी रक्षाओं के समर्थन के लिए निर्धारित की गई है। 45 देशों में ₹38,466.81 करोड़ मूल्य की 188 परियोजनाओं पर रक्षा प्रदान करते हुए 295 रक्षाओं के संबंध में ₹12,262.68 करोड़ की सीमा तक के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹65,134.20 करोड़ का शेष 75% राशि ₹48,850.65 करोड़ रुपये एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के लिए निर्धारित किया गया है। 31 मार्च, 2021 तक, ट्रस्ट ने श्रीलंका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया जैसे देशों में ₹14,393.56 करोड़ मूल्य की 23 परियोजनाओं के लिए ₹20,036.95 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 23 खरीदार ऋण योजनाओं को जारी किया है। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र निर्णायक है एवं ईसीजीसी इसकी प्रबंधन एजेंसी है।

कंपनी द्वारा ट्रस्ट का प्रबंधन किया जाता है। कंपनी ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त करती है एवं वर्ष के दौरान कंपनी को ट्रस्ट से अपनी आय के रूप में ₹3.24 करोड़ प्राप्त हुए।

**फ़ैक्टरिंग**

**पूर्ण विकसित फ़ैक्टरिंग योजना ( एफएफएफएस )**

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 मई 2014 को हुई उसकी बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए पूर्ण विकसित फ़ैक्टरिंग

**NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA) TRUST**


The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term exports (MLT)/ project exports which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹3,256.71 crore as of March 31, 2021. The underwriting capacity of the Trust is ₹65,134.20 crore of which 25% amounting to ₹16,283.55 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk in respect of 295 covers issued supporting 188 projects of value ₹38,466.81 crore in 45 countries has been shared with NEIA Trust to the extent of ₹12,262.68 crore. The balance 75% of ₹65,134.20 crore amounting to ₹48,850.65 crore is earmarked for the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31,2021, the Trust has issued 23 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹20,036.95 crore for 23 projects of value ₹14,393.56 crore in the countries Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D'Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname and Mauritania. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

The Trust is managed by the Company. The Company receives 5% of guarantee fee income earned by the Trust as the management fee and during the year the Company received ₹3.24 crore as its income from the Trust.

**FACTORING**

**FULL-FLEDGED FACTORING SCHEME (FFFS)**

The Board of Directors had at its meeting held on May



योजना (एफएफएफएस) को मंजूरी दी गयी। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा चार निर्यातकों को लाभान्वित करने वाले छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹2.14 करोड़ के नौ बिलों की तुलना में ₹5.02 करोड़ के 21 बिलों की फ़ैक्टरिंग की गयी जो व्यवसाय की मात्रा में 134% की वृद्धि दर्शाती है।

### फ़ैक्टरों के लिए रक्षा

भारत की फ़ैक्टरिंग कंपनियों ने उनके द्वारा संचालित निर्यात प्राप्तियों पर ऋण बीमा रक्षा जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क किया है क्योंकि कभी-कभी आयात फ़ैक्टर उपलब्ध ही नहीं होता है अथवा बहुत महंगा होता है।

निदेशक मंडल एवं आई आर डी ए आई के उचित अनुमोदन से, कंपनी द्वारा अपने एम एस एम ई निर्यातक-ग्राहकों के लिए उनके द्वारा फ़ैक्टर किए गए संबंधित निर्यात बिलों हेतु फ़ैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों के लिए जाने वाले निर्यात प्राप्य (फ़ैक्टर जोखिम) बीमा अनुबंध रक्षा आरंभ किया गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा गैर-एमएसएम ई निर्यातकों के मामले में निर्यात पण्यवर्त की निर्धारित सीमा सहित उत्पाद पात्रता मानदंड के संबंध में संशोधन करने हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है।

उत्पाद, निर्यात प्राप्य (फ़ैक्टर जोखिम) बीमा समझौता उन फ़ैक्टरों / वित्तीय संस्थानों / बैंकों की रक्षा के लिए है, जिन्होंने “फ़ैक्टरिंग” के माध्यम से निर्यातकों को वित्त प्रदान किया एवं संबंधित बिल खरीदार जोखिमों एवं राजनीतिक जोखिमों के कारण अप्राप्त रहे। कंपनी द्वारा अभी तक इस उत्पाद के अधीन कारोबार आरंभ नहीं किया गया है।

### निवेश

31 मार्च, 2021 तक के निवेश पोर्टफोलियो, जिसमें, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयरों, सावधि जमा आदि शामिल हैं में 31 मार्च, 2020 तक ₹12,241.59 करोड़ के निवेश पोर्टफोलियो की तुलना में ₹13,332.03 करोड़ रहा ,जो 8.91% की वृद्धि को दर्ज करते हुए ₹1,090.44 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी प्रवाह एवं निवेशों से अर्जित अधिशेष के कारण हुई। कंपनी द्वारा निवेश के संबंध में सभी विनियामक आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया गया है। आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 45% के मुकाबले अनिवार्य श्रेणी के अधीन निवेश 69.69% रहा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश परिचलनों से उत्पन्न आय (निवेश की बिक्री पर लाभ सहित) में 15.48% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹876.70 करोड़ की तुलना में बढ़कर, ₹1,012.45 करोड़ रही। ऊपर उल्लिखित अनुसार वर्ष के दौरान निवेश आय में हुई वृद्धि का मुख्य कारण निवेश पोर्टफोलियो में परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) में वृद्धि है एवं घरेलू सूचकांकों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण इक्विटी पोर्टफोलियो में उच्च लाभ दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-

13, 2014 approved the Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the Financial Year (FY) 2020-21 the Company has approved six proposals benefitting four exporters. During the FY 2020-21, 21 bills have been factored amounting to ₹5.02 crore as against nine bills amounting to ₹2.14 crore during the previous year showing a growth of 134% in the business volume.

### COVER TO FACTORS

Factoring companies in India have approached the Company for issuance of credit insurance cover in respect of export receivables handled by them due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

With the due approvals of the Board of Directors and IRDAI, the Company has introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors / Financial Institutions / Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter-clients.

Further, the Board of Directors has authorized Chairman-cum-Managing Director to effect amendments in respect of product eligibility criteria including the ceiling of export turnover in case of non-MSME exporters.

The product, Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions / Banks wherein the finance extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill, remains unrealized owing to buyer's risks and political risks. The Company is yet to commence business under the product.

### INVESTMENTS

As of March 31, 2021, the investment portfolio comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹13,332.03 crore as against ₹12,241.59 crore as of March 31, 2020, showing an increase of ₹1,090.44 crore, exhibiting growth of 8.91%. The growth in the Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from investments.

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments. Investment under mandatory category stood at 69.69% as against a minimum of 45% prescribed by IRDAI.

Income generated from investment operations (including profit on sale of investments) increased to ₹1,012.45 crore in FY 2020-21 from ₹876.70 crore in FY 2019-20, recording an increase of 15.48%. Increase in the investment income during the year was mainly due to increase in the Asset Under Management (AUM) of the Investment portfolio,

21 के लिए निवेश पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 8.29% के की तुलना में 8.52% रहा। कंपनी के निवेश संचालन मुख्य रूप से दावा भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता एवं जोखिम एवं अर्जनों के बीच एक सम्झौताकारी तालमेल की स्थापना को सुनिश्चित करने हेतु किए जाते हैं।

### खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बीयूडी) की भूमि का विभिन्न मानदंडों के आधार एवं कारोबार आवश्यकताओं पर समग्र साख सीमा के निर्धारण करते हुए खरीदारों पर उचित बीमांकन निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा विभिन्न ऋण जानकारी एजेंसियों से खरीदारों पर नवीनतम ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उनका

विश्लेषण किया जाता है। सिस्टम-जनरेटेड डेटा एवं स्कोर कार्ड रेटिंग के आधार पर खरीदारों के समव्यवहारों के आधार पर प्राप्त रिपोर्ट एवं समीक्षा के आधार पर विदेशी खरीदारों पर समग्र साख सीमा का निर्धारण किया जाता है जिसमें स्कोर कार्ड आधारित सीमाएं दिशानिर्देशों का कार्य करती हैं।

बीमांकन को सुलभ बनाने हेतु, ऊपर उल्लिखित अनुसार विभिन्न ऋण जानकारी एजेंसियों से प्राप्त खरीदारों रिपोर्ट को कंपनी के अधिकारियों हेतु सिस्टम में उपलब्ध कराते हुए डिजिटलाइज्ड किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले बदलावों के अनुरूप, खरीदार पर स्कोर कार्ड आधारित समग्र सीमा के निर्धारण के लिए प्रधान कार्यालय बीमांकन समिति (एचयूसी) के अनुमोदन से स्कोर कार्ड मॉडल में कुछ मामूली संशोधन किए गए। इन संशोधनों के कारण कंपनी पॉलिसीधारकों की ऋण सीमा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनी।

लॉकडाउन के बाद के चरण में महामारी की स्थिति के दौरान, निर्यातकों को समय पर पर्याप्त ऋण सीमा को अनुमोदित करने के पर्याप्त उपाय किए गए। इस संबंध में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन किए गए, जिससे खरीदारों के लिए स्कोर कार्डों को जल्द तैयार करने एवं समय पर उपलब्ध करवाने की सुविधा हुई तथा साख सीमा पर त्वरित निर्णयों हेतु खरीदार बीमा गतिविधियों के लिए अतिरिक्त श्रम बल को भी तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त महामारी की स्थिति के दौरान एक राहत उपाय के रूप में निर्यातकों से साख सीमा आवेदनों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया एवं साख सीमा आवेदनों तथा संबंधित दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना दस्तावेजों एवं आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ही स्वीकार कर प्रक्रिया की गयी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त साख सीमा आवेदनों की संख्या पिछले

as mentioned above and a higher profit booked in the equity portfolio on account of a significant increase in the domestic indices during the year. The yield on investment for the year FY 2020-21 was 8.52% as against 8.29% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to

meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

### BUYER UNDERWRITING


The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to ensure sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various parameters and taking

into account the business requirements. The department obtains and analyses the latest credit information reports on buyers from various credit information agencies. Based on the reports and review of the transactional behavior of buyers on the basis of system-generated data and the score card rating, overall credit limits are decided on overseas buyers with the score card based suggested limits serving as a guiding post.

Reports received on buyers from different credit information agencies, as mentioned above, are digitalized to make it accessible in the system to the officials for the underwriting purpose.

During the Financial year 2020-21, in line with the developments in international trade, certain minor modifications were made in the Score card model, with the approval of the Head Office Underwriting Committee (HUC), for determination of score card based overall limit on a buyer. The changes enabled the Company to meet the credit limit requirement of the policyholders.

During the pandemic situation in the post lockdown phase, efforts were made to grant adequate credit limit approvals in a timely manner to the exporters. In this regard a few changes were made in the Application Software, which facilitated quicker and timely preparation of score cards of the buyers and also additional manpower was deployed for Buyer Underwriting activities for quicker credit limit decisions. Further, as a relief measure during the pandemic situation exporters were not charged the status enquiry fee for credit limit applications and the same were accepted in electronic mode without insisting on physical submission of credit limit applications and related documents.



वर्ष के 33,424 की तुलना में 31,286 रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, विदेशी खरीदारों के लिए निर्धारित कुल समग्र सीमा पिछले वर्ष के ₹51,981 करोड़ रुपये की तुलना में ₹53,706 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए खरीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 19,068 की तुलना में 12,259 रही।

**देश बीमा**

देश बीमा विभाग द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन की जाती है। यह गंतव्य देशों में व्यापार जोखिम स्तरों की निगरानी हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देश जोखिम के आंकलन एवं मूल्यांकन देश बीमा विभाग द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास एक इन-हाउस उद्देश्य स्कोरिंग प्रणाली है जो देशों की जोखिम प्रोफाइल की सात स्तरीय वर्गीकरण के आधार पर समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है जैसे 'ए1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए2'(कम जोखिम), 'बी1' (मध्यम रूप से कम जोखिम), 'बी2'(मध्यम जोखिम), 'सी1' (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), 'सी2' (उच्च जोखिम) और 'डी' (बहुत उच्च जोखिम)। इस प्रकार की स्कोरिंग प्रणाली से राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापार जोखिमों सहित कई मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है। इस प्रकार प्राप्त काउंटी रेटिंग, प्रीमियम की गणना, रक्षा के प्रकारों एवं शर्तों के निर्धारण एवं निर्यात गंतव्यों पर संव्यवहार के बीमांकन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अल्पावधि (एसटी) एवं मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) के अधीन देशों की रेटिंग के लिए अलग-अलग घटकों एवं उनकी संबन्धित प्रासंगिकता के लिए अलग स्कोरिंग मॉडल उपलब्ध हैं।

देशों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अस्थायी आधार पर की जाती है।

**देश जोखिम वर्गीकरण**

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए :**

- (क) पश्चिमी सहारा को कंपनी द्वारा अपने देश जोखिम वर्गीकरण सूची से हटा दिया गया है।
- (ख) कंपनी द्वारा कुल 239 देशों की समीक्षा की गयी है।
- (ग) अल्पावधि के अधीन कंपनी द्वारा पाकिस्तान को प्रतिबंधित रक्षा वाली श्रेणी में सी 1 में ही बनाए रखा गया है-जहां रक्षा केवल "चिकित्सकीय उत्पादों" के लिए ही उपलब्ध है जिनका विनियामन ड्रग रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ पाकिस्तान द्वारा किया जाता है।


The number of credit limit applications received in FY 2020-21 was 31,286 as against 33,424 in the previous year. During the FY 2020-21, the aggregate Overall Limits fixed on foreign buyers was ₹53,706 crore as against ₹51,981 crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during the FY 2020-21 was 12,259 as against 19,068 in the previous year.

**COUNTRY UNDERWRITING**

Country Underwriting deals with identification, evaluation and measurement of political and economic risks. It is an important tool for monitoring of business exposure levels in destination countries. The assessment and evaluation of the country risk is carried out by the Country Underwriting Department.

The Company has an in-house objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries on a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk), 'A2' (Low Risk), 'B1'(Moderately Low Risk), 'B2' (Moderate Risk), 'C1' (Moderately High Risk), 'C2' (High Risk) and 'D' (Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on a host of parameters, including political, economic and trade risks. The country rating so arrived has an impact on calculation of the premium, determination of type and terms of cover, and measurement of the capacity to underwrite transactions on export destinations. Separate scoring models, with distinct factors and their relative relevance, are in place for rating of countries under Short-Term (ST) and Medium-and-Long-Term (MLT).

A review of risk classification of countries is carried out on a yearly, half-yearly and, if necessary, on an ad-hoc basis taking into account the latest economic and political developments.



**COUNTRY RISK CLASSIFICATION**

**During the FY 2020-21:**

- a) Western Sahara was removed by the Company from its country risk classification list.
- b) The total number of countries reviewed by the Company stood at 239.
- c) Under ST, the Company continues the classification of Pakistan as 'C1' under Restricted cover category – I where cover is available only for 'therapeutic products' which are regulated by the Drug Regulatory Authority of Pakistan.



दिनांक 31.03.2021 तक देश जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा निम्नानुसार है :-

The summary of country risk classification as of 31/03/2021 is as follows:

	ए1 A1	ए2 A2	बी1 B1	बी2 B2	सी1 C1	सी2 C2	डी D
अल्पावधि ST	63	50	51	43	14	9	9
मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) * MLT*	61	55	52	39	15	9	8

\*दिनांक 09.08.2019 से पाकिस्तान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) से बाहर है।

\*Pakistan is off-cover under MLT w.e.f. 09/08/2019

## देश रक्षा

आगे, प्रभावी जोखिम निगरानी हेतु वर्गीकरण सूची में से 239 देशों को “खुली रक्षा” की श्रेणी, “प्रतिबंधित” रक्षा श्रेणी-I (जहां परिक्रामी सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए वैध होती हैं) तथा “प्रतिबंधित रक्षा” श्रेणी-II (जहां मामला दर मामला आधार पर विशिष्ट स्वीकृति दी जाती है) में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक वर्गीकरण सूची में से 211 देशों को “खुली रक्षा” की श्रेणी जबकि 19 देशों को “प्रतिबंधित रक्षा” श्रेणी-I तथा नौ देशों को “प्रतिबंधित रक्षा” श्रेणी-II में वर्गीकृत किया गया है।

## देश जोखिम सीमा


कंपनी ने नवंबर 2020 में अल्पावधि पॉलिसी व्यवसाय के अधीन देश जोखिम सीमा (सीईएल) निर्धारित करने के लिए अपने मानदंडों की समीक्षा की। सीईएल के अधीन वाणिज्यिक एवं राजनीतिक दोनों जोखिमों के अधीन किसी भी समय किए गए पोतलदान के लिए देश पर स्वीकार की जाने वाली औसत देयता निर्धारित की जाती है। सीईएल में संशोधन से कंपनी की जोखिम क्षमता एवं सभी 239 देशों के लिए देश के जोखिम वर्गीकरण में परिवर्तन के कारकों का निर्धारण किया जाता है।

## पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के पास एम एल टी रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी रे से अनिवार्य 5% की पुनर्बीमा (कोटा शेयर-क्यू एस) सहित अल्पावधि पॉलिसी कारोबार के लिए भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं एवं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफ आर बी) से 15% (स्कोर 5%), जी आई सी रे 6% एवं हैनॉर रे 4%

## COUNTRY COVER

Further, the 239 countries are placed under Open Cover Category, Restricted Cover Category-I (where revolving limits are approved normally valid for a year) and Restricted Cover Category-II (where Specific Approval is given on a case-to-case basis) for effective monitoring of exposures in these countries. As of March 31, 2021, 211 Countries are placed in Open Cover, 19 countries in Restricted Cover Category-I and nine countries in Restricted Cover Category-II.



## COUNTRY EXPOSURE LIMIT

The Company reviewed its criteria for determining Country Exposure Limits (CEL) under ST Policy business in November 2020. The CEL sets the aggregate liability that the Company accepts on a country for shipments made at any point in time under both commercial and political risks. The modification in the CEL determines the risk appetite of the Company and factors in changes in the country risk classification for all 239 countries.

## REINSURANCE

For the FY 2020-21 the Company had a Proportional (Quota Share – QS) Reinsurance treaty to the extent of 15% for Short-Term Policy (SCOR 5%, GIC Re 6% and Hannover Re 4%) and 8% for Short-Term ECIB (SCOR 2.5%, GIC Re 2.5% and Hannover Re 3%) from Indian Reinsurers and Foreign Reinsurer Branches (FRB) along with obligatory 5% reinsurance (QS) cover form GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under

तथा अल्पावधि ईसीआईबी (स्कोर 2.5%, जी आई सी रे 2.5% एवं हैनॉर रे 3%) आनुपातिक (कोटा शेयर - क्यू एस ) पुनर्बीमा संधि उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त अल्पावधि पॉलिसी एवं ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन बड़े जोखिमों के लिए इन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ हानि की अधिकता रक्षा भी प्राप्त की गयी।

**जोखिम प्रबंधन**

जोखिम प्रबंधन के सीमा क्षेत्र में कंपनी द्वारा निर्धारित जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण एवं अंतरण शामिल है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां, जोखिम मूल्यांकन, नियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता एवं दीर्घकालिक स्थिरता एवं निरंतरता के आधार पर कंपनी को अपनी बीमांकन नीति एवं उसके रक्षाओं की शर्तों के निर्धारण में सहायता करती है। पिछले छः दशकों से अधिक समय से विकसित वर्तमान संगठन संरचना एवं प्रथाओं में वे मूलभूत संरचनाएं शामिल हैं कंपनी जोखिम निर्धारण के कार्य में सहायक होती है। कंपनी ने 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड अपनाए गए एवं एक निर्यातक, एक निर्यातक समूह, एक खरीदार, एक उद्योग तथा एक देश के लिए जोखिम की सीमाओं का निर्धारण किया। किसी पोर्टफोलियो के संकेंद्री जोखिम का प्रबंधन एक निरंतर जारी प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों को जारी किए गए सम्पूर्ण पण्यवर्त रक्षाओं के अधीन रत्न, आभूषण एवं हीरा क्षेत्र के लिए नयी निर्यात ऋण सीमाओं का अस्थायी निलंबन को आरंभ कर एवं देश जोखिम करने के लिए मानदंडों को निर्धारित कर जोखिम मानदंडों का संशोधन किया गया। इन मानदंडों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधिक पॉलिसियों के अधीन खरीदार/साख पत्र खोलने वाले बैंकों, अल्पावधिक ईसीआईबी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत निर्यातक/समूह निर्यातक, उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों एवं मध्यम व दीर्घकालिक निर्यात समव्यवहारों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को पुनः संशोधित किया गया।

कंपनी द्वारा आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के जरिये जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने हेतु एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली का निर्धारण किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई एवं कंपनी के जोखिम प्रबंधन के सीमा क्षेत्र को और अधिक विस्तारित किया गया। अल्पावधि पॉलिसी रक्षा के अधीन एक औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण बीमांकन निर्णय की सुविधा हेतु, किसी निर्यातक के मूल्यांकन के लिए

Short-Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

**RISK MANAGEMENT**


The scope of Risk Management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by the Company. The risk management activities help the Company to decide its underwriting policy and the terms of its cover, based on risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long-term sustainability. The existing organization structure and practices that have evolved over more than six decades incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms in 2011 and fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter

group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process.

During the FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of fresh export credit limits to the Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers issued to banks and also by introducing criteria for fixing Country Exposure limits. In addition to these norms, during FY 2015-16, the Company further modified the prudential norms for Exposure Limits on buyer/LC opening banks under short term policies, individual exporter/group exporter under short-term ECIB Schemes, exposure norms for industry sector and Medium-and Long-Term export transactions.

The Company is establishing an enterprise-wide information system to regulate risk profile through its internal risk management framework. The Risk Management Policy has been reviewed and the scope of Company's risk management is further enhanced.

In order to facilitate an informed and prudent underwriting decision under ST Policy covers, a streamlined approach for evaluation of an exporter has been introduced. The Company has already in place score card models for the assessment of buyers as well as countries. On similar lines, Exporter Score Card Rating Model (ESCRM) has been introduced to facilitate prudent decision making with regard to issuance of covers to exporters. The model will also be useful while underwriting risk on overseas buyers,



एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कंपनी के पास पहले से ही खरीदारों के साथ-साथ देशों के मूल्यांकन के लिए स्कोर कार्ड मॉडल है। इसी तरह, निर्यातकों को रक्षा जारी करने के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सुविधा के लिए निर्यातक स्कोर कार्ड रेटिंग मॉडल (ईएससीआरएम) उपलब्ध करवाया गया है। यह मॉडल उन विदेशी खरीदारों पर जोखिम का बीमांकन करते समय भी उपयोगी साबित होगा, जहां सीमा की आवश्यकता अधिक है अथवा रिपोर्ट में पर्याप्त वित्तीय जानकारी नहीं है। ई एस सी आर एम का उद्देश्य एक औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण बीमांकन निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यातकों की सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाना है।

परिचालन एवं वित्तीय जोखिमों के अलावा, कंपनी सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी ने आई आर डी ए आई दिशा निर्देशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पैलाडियन द्वारा आ सी ई आर टी – इन में सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा सूचना और साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा को आरंभ किया है। समग्र साइबर जोखिम प्रबंधन ढांचे के संदर्भ में उच्च साइबर परिपक्वता स्तर प्राप्त करने हेतु प्रमुख सुरक्षा नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं कार्यान्वितकी गई हैं।

वर्ष के दौरान, बाहरी परामर्शदाताओं जैसे केपीएमजी की सहायता से, मौजूदा महामारी की स्थिति एवं आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) संरचना को स्थापित किया गया है। सभी प्रमुख विभागों और व्यावसायिक इकाइयों का व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण और कार्यात्मक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

वर्तमान में, कंपनी अधिक मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना के निर्माण एवं जोखिम जागरूक संस्कृति विकसित करने के लिए एक पूर्ण उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना स्थापित करने की प्रक्रिया में प्रक्रियारत है।

## वसूलियां

अल्पावधि ईसीआईबी: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के लिए ₹156.17 करोड़ की तुलना में भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों पर ₹107.53 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

अल्पावधि पॉलिसी : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अल्पावधिक पॉलिसियों के अधीन पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान ₹10.21 करोड़ की वसूली की तुलना अदायगी एवं वसूली के लिए लंबित दावों से ₹9.78 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

where limit requirement is higher or the report does not have sufficient financial information. The ESCRM is intended to be used in determining the relative standing of exporters in order to facilitate an informed and prudent underwriting decision.

Besides operational and financial risks, the Company is also focussed on Information & Cyber Security Risks. The Company has initiated the Information & Cyber Security Audit based on IRDAI guidelines for FY 2020-21 by Paladion, a CERT-In empanelled auditor. Major security controls and processes have been implemented to achieve higher cyber maturity level in terms of overall cyber risk management framework.

During the year, with the help of external consultants KPMG, Business Continuity Management Systems (BCMS) framework has been established taking into consideration the current pandemic situation and guidelines of IRDAI. Business impact analysis and functional recovery procedure of all key departments and business units have been completed.

Currently, the Company is in the process of setting up a full-fledged Enterprise Risk Management (ERM) framework in order to create a more robust Risk Management framework and cultivate a risk aware culture.

## RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2020-21, a sum of ₹107.53 crore was recovered against claims paid and pending for recovery compared to ₹156.17 crore, for the same

period, in the previous FY.


ST Policy: A sum of ₹9.78 crore was recovered from claims paid and pending for recovery under Short-Term Policies during the FY 2020-21 compared to ₹10.21 crore for the same period in the previous FY.

MLT ECIB: During the FY 2020-21, there was

a “NIL” recovery against claims paid and pending for recovery as against the recovery of ₹6.00 lakh in the previous FY.

## INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company has progressed with its Enterprise Resource Planning (ERP) Revamp Project to Development and Integration Phase, and the User Acceptance Test (UAT) has commenced from June, 2021 onwards and the Project is expected to achieve GO-LIVE



एमएलटी ईसीआईबी: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वित्त वर्ष में ₹6.00 लाख की वसूली की तुलना में भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों पर 'शून्य' वसूली हुई।

### सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

कंपनी ने इंटीग्रेशन फेज को विकसित करने के लिए अपनी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) रिवैप प्रोजेक्ट आरंभ किया है एवं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट (यूएटी) जून, 2021 आरंभ हो चुका है तथा इस परियोजना का नवंबर, 2021 तक गो-लाईव प्राप्त करने की संभावना है।

इस परियोजना के साथ, कंपनी आवश्यक कंप्यूटिंग एवं भंडारण संबंधी मूलभूत संरचना की खरीद, स्थापना, प्रबंधन एवं समर्थन के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन बीटा अवस्था में है, एवं राष्ट्रीय विपणन प्रभाग द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है, तथा मोबाइल एप्लिकेशन का पूर्ण रूप से लॉन्च किए जाने के पूर्व इसका चयनित ग्राहकों के लिए लॉन्च किए जाने की संभावना है।

### विपणन और प्रचार

राष्ट्रीय विपणन प्रभाग (एनएमडी) कंपनी के विपणन, विज्ञापन, प्रचार और संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

प्रभाग शाखाओं के लिए व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करने एवं विभिन्न मापदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों में प्रदर्शन की निगरानी करने की जिम्मेदारी वहन करता है। प्रभाग क्षेत्रीय/शाखा/विभाग प्रमुखों के साथ कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा करता है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

कंपनी, निर्यात ऋण जोखिम बीमा के अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (एफआईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), आदि के साथ समन्वय कर कार्य करती है।

विपणन प्रयासों के एक भाग के रूप में, निर्यातकों तथा बैंकरों की सुविधा हेतु बीमा शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ, कौशल विकास कार्यक्रम, ग्राहकों के पास व्यक्तिगत दौरे भी आयोजित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड -19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए, कई व्यक्तिगत दौरे नहीं किए गए। हालांकि, कंपनी ने नीति नियमों और शर्तों सहित महत्वपूर्ण अनुपालन प्रक्रियाओं के विषय में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए 113 बैठकें आयोजित कीं। कंपनी के अधिकारियों ने ईपीसी/सीआईआई आदि द्वारा आयोजित 59 बैठकों में भी भाग लिया और ऋण बीमा रक्षा, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि के नियमों एवं शर्तों से संबंधित प्रमुख विषयों पर चर्चा की। इन बैठकों में लगभग 5000 निर्यातकों ने भाग लिया।

### कंपनी शासन

by November, 2021.

In tandem with this project, the Company is in the process of appointing a System Integrator to procure, install, manage and support the required computing and storage infrastructure.

The mobile application of the Company is in the beta stage and the National Marketing Division is testing the same and is expected to launch the same to selected clients before full-fledged launch of the mobile application.

### MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for the marketing, advertising, publicity and related activities of the Company.

The Division bears the responsibility of fixing business targets for branches and monitoring the performance vis-à-vis the targets fixed under various parameters. The Division holds reviews of the business performance of the Company with the Regional/Branch/Department heads which is presided over by the CMD.

The Company, besides focussing on its core business of export credit risk insurance works in close co-ordination with export promotion agencies like Export Promotion Councils (EPC), Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII), etc.

As a part of marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, skill development programmes, personal visits to clients are also undertaken. In view of the impact of the COVID-19 pandemic during the FY 2020-21, not many personal visits were undertaken. However, the Company conducted 113 meetings to educate the customers about the important compliance procedures including policy terms and conditions. The Company officials also participated in 59 meetings organised by EPCs/CII etc. and discussed issues relating to terms and conditions of credit insurance cover, credit risk management etc. About 5000 exporters attended these meetings.

### CORPORATE PLAN

The concept of a Corporate Plan was introduced to direct the resources- financial, manpower and managerial in a planned and systematic manner. The Corporate Plan is a road map of the Company for the next five years and strategies to achieve its goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and discusses the performance of the organization, comparison with the overseas counterpart, business trends, global and national environment and projections for the next five-year period. The projections broadly encompass the

कंपनी शासन की अवधारणा को एक नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से वित्तीय, श्रम बल एवं प्रबंधकीय संसाधनों को एक दिशा देने हेतु प्रस्तुत किया गया। कंपनी शासन अगले पांच वर्षों के लिए कंपनी के दिशा निर्धारण (रोड मैप) एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति है। यह योजना कंपनी के स्वोट विश्लेषण को भी रेखांकित करती है एवं संगठन के प्रदर्शन, इसके विदेशी समकक्षों के साथ तुलना, व्यापार प्रवृत्तियों, वैश्विक एवं राष्ट्रीय पर्यावरण तथा अगले पांच वर्षों की अवधि के अनुमानों पर चर्चा करती है। अनुमानों में मोटे तौर पर प्रीमियम आय, जोखिम मूल्य रक्षा दावों के भुगतान एवं इसके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के अधीन प्रत्याशित वसूली तथा वित्तीय परिणामों के परिणामी प्रक्षेपण में कंपनी की वृद्धि शामिल है। वार्षिक उपलब्धियों के साथ साथ यह योजना कंपनी को व्यावसायिक रणनीतियों की समीक्षा और सुधार करने में सहाता करती है। राष्ट्रीय विपणन प्रभाग द्वारा 2021-22 से 2025-26 की पंचवर्षीय अवधि के लिए कॉर्पोरेट योजना का अद्यतन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 से अब तक कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन पर कोविड -19 महामारी का निरंतर प्रभाव वित्त वर्ष 2021-22 के प्रक्षेपण में भी परिलक्षित होगा।

### वैकल्पिक विपणन और वितरण चैनल

ऋण बीमा उत्पादों के विपणन एवं वितरण को प्रशस्त करने एवं भारत में ऋण बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय विपणन प्रभाग (एनएमडी) द्वारा 31 मार्च, 2021 तक 169 एजेन्टों एवं एक कॉर्पोरेट एजेंट (बैंक) को सूचीबद्ध किया गया है। इस चैनल को और अधिक प्रशस्त एवं विस्तारित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विपणन प्रभाग एवं क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा एजेन्टों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जो उन्हें विभिन्न पॉलिसियों की विशेषताओं के विषय में शिक्षित करने में मदद करते हैं, ताकि वे कंपनी के बीमा रक्षाओं का प्रभावशाली ढंग से विपणन कर सकें, जिससे ऋण शर्तों पर भारत से किए जाने वाले निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सके।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, एजेन्टों के माध्यम से किए गए व्यवसाय के अधीन अर्जित प्रीमियम ₹112.57 करोड़ रहा, जो कि ₹429.97 करोड़ की अल्पावधिक पॉलिसी प्रीमियम आय के 26.18% है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट एजेंट (बैंक) के माध्यम से किए गए व्यवसाय के अधीन अर्जित प्रीमियम ₹0.70 करोड़ रहा।

### कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल एवं निरंतर विकास (एसडी)

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर नीति को अपनाया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआरके अधीन विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रत्येक वर्ष अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के कम से कम 2% व्यय किया जाना अनिवार्य है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चित

Company's growth in premium income, risk value coverage, claims pay out and recoveries anticipated under its different business segments and the resultant projection of financial results. Annual achievement vis-à-vis the plan helps the Company in reviewing and improving the business strategies. The National Marketing Division is updating the Corporate Plan for the five-year period 2021-22 to 2025-26. The continuing impact of COVID-19 pandemic on the business performance of the Company from FY 2020-21 to till date will be reflected in the projection for FY 2021-22.

### ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase the penetration of credit insurance in India, the National Marketing Division (NMD) has empanelled 169 brokers and one Corporate Agent (Bank) as of March 31, 2021. Continuous efforts are being made to strengthen and expand this channel further. NMD and Regional/Branch offices conduct workshops for brokers which help in educating them about the features of various policies, to enable them to effectively market the Company's insurance covers, thereby protecting and promoting India's exports on credit terms.

During the FY 2020-21, the premium earned under the business procured through the brokers was ₹112.57 crore which constituted 26.18% of the Short-Term policy premium income of ₹429.97 crore. The premium earned under the business procured through Corporate Agent (Bank) was ₹0.70 crore for the FY 2020-21.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it requires to spend at least 2% of its last three years' average net profit every year for various activities under CSR as per Section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently abled and support to Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹3.78 crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2020-21. Further, allocation of ₹2.71 crore has been made for projects already initiated and an amount of ₹0.49 crore has been paid to the Swachha Bharat Kosh (SBK) for the FY 2020-21.

The implementation partners for CSR activities are

करना, पर्यावरण, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, विकलांगों के लिए सेवाओं को प्रशस्त करने एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को समर्थन प्रदान करते हुए स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹3.78 करोड़ व्यय किया गया। इसके अलावा, पहले से आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए ₹2.71 करोड़ का आवंटन किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹0.49 करोड़ की राशि की अदायगी की गयी।

### राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त किये हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राजभाषा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के द्वितीय पुरस्कार से कम्पनी को सम्मानित किया गया है। मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास - उपक्रम) द्वारा कम्पनी के प्रधान कार्यालय को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 07 अक्टूबर 2020 को कम्पनी के दिल्ली बी बी बी शाखा एवं 21 जनवरी 2021 को दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा का माननीय संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासमय अनुपालन किया गया।

कंपनी द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष से सितंबर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के अनुकरण में हिन्दी माह (1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक हिन्दी माह मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितम्बर 2020 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के लिए वर्चुअल अखिल भारत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में कंपनी के अधिकारियों द्वारा स्वरचित एवं अन्य कवियों द्वारा रचित कविताओं का पठन किया गया।

दिनांक 27.03.2021 को ईसीजीसी के प्रधान कार्यालय के एवं शाखाओं के हिन्दी अधिकारियों के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 'इं कंठस्थ इंग्लिश' एक ऑनलाइन हिन्दी अनुवाद टूल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में 70 अधिकारियों ने भाग लिया।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिन्दी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ लागू हैं। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी में लागू प्रोत्साहन योजनाओं की राशि में वृद्धि की गयी एवं नए प्रशिक्षण के लिए नयी प्रोत्साहन योजना आरंभ भी

Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of Social Sciences (TISS), Vivekananda Kendra, Development Education Empowerment of Disadvantaged in Society (DEEDS) and Concern India Foundation, Shanti Seva Nidhi, Rojavanam Trust, Shri Chaitnya Seva Trust, Aastha Mahila Bhachat Gat, Anirudda Academy of Disaster Management and SUADHA (Social Upliftment and Development of Human). A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, skill development, support to differently abled and contribution to the Swachh Bharat Kosh account. The Company continued to support the TISS for distribution of scholarships and running of community study centres in M-Ward area of the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Support is also provided to Vivekananda Kendra in the North East and Odisha for medical activities to provide free primary medical assistance.

### IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is proactive in the implementation of Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved all targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2020-21 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company's Head Office was conferred the second prize of the Rajbhasha Keerti Puraskaar, by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The Company was also awarded the first prize, by the Mumbai Town Official Language Implementation committee (TOLIC), (Undertaking) for effective implementation of the official language policy.

During the financial year 2020-21, the Third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language had inspected two branch offices of the Company namely Delhi BBB, on October 07, 2020 and Delhi LEB on January 21, 2021. The directions given by the above committee have been complied with.

From this FY onwards the Company has decided to celebrate the month of September as the Hindi month. In pursuance of the Hindi month (that was celebrated from September 01, 2020 to September 30, 2020) various competitions were held during the Hindi Month and officers of all levels participated in the competitions enthusiastically. On September 14, 2020 on the occasion of the Hindi day a virtual All India "Kavi Sammelan" was organised wherein officers from all the branches and departments of the Head Office recited poetry either their own poetry or that of other authors.

An online training program was organized on "Kanthasth" an online Hindi Translation tool developed by the OL Department of the Ministry of Home Affairs on March 27,

की गयी।

इसके अतिरिक्त अंतर्विभाग, अंतर्शाखाओं तथा अंतरक्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धा ङ्ग अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार ङ्ग योजना आयोजित की जाती है। कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले हिन्दी में पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कम्पनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फ़ॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को राजभाषा में कार्य करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं। कम्पनी का वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सब स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जो कि सभी द्विभाषी थे। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति के लिए एक अलग सत्र शामिल था।

कम्पनी की सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा उसमें विस्तृत रूप से सम्बंधित शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है, और जहाँ भी कमियां पायी गयी हों उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड - 19 महामारी के कारण नियमित बैठकें संभव नहीं थीं अतः राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्टों के आधार पर संबन्धित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर पायी गयी कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाते हुए आवश्यक निर्देशों के साथ रिपोर्ट परिचालित की गयी।

### अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1957 से, कम्पनी, निर्यात ऋण और निवेश बीमाकर्ताओं के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संघ, बर्न यूनियन (बीयू), इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इंश्योरर्स, की सक्रिय सदस्य रही है। कम्पनी बीयू में शामिल होने वाली पहली एशियाई सदस्य थी एवं उसकी गतिविधियों से नजदीकी से जुड़ी हुई है। सदस्यों को आपस में निरंतर सम्प्रेषण से काफ़ी लाभ होता है, जो निर्यात ऋण बीमा के संबंध में सामान्य समझ को बढ़ाने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विकसित करने में सहायक होता है। सामूहिक रूप से, इसके सदस्य लगभग 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर का भुगतान जोखिम संरक्षण प्रदान करते हैं जो वैश्विक सीमापारीय व्यापार एवं सेवा कारोबार के लगभग 13% है।

कम्पनी बीयू की अल्पावधि (एसटी), मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) तथा निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) समितियों एवं बीयू के एक विशेष मंच एशिया-प्रशांत क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) की सदस्य है।

2021, wherein 70 officers of all the Branch Offices and the Head Office Departments of the Company participated in the training program.

Various incentives have been introduced by the Company, to encourage and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. The limit of financial incentives given under the various schemes / incentives has been increased and new monetary incentives schemes have been also introduced by the Company.

To encourage employees to use Rajbhasha in their day-to-day official work, employees at Branch Offices, Regional Offices and at the Head Office Departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Rajbhasha with its customers has shown steady growth. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, Branch Offices have started sending mails in Hindi to exporters and bankers. Also, the Website of the Company is available in bilingual.

During the FY 2020-21, various training programs, including a training program for sub-staff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. In all training programs conducted by the Company, a separate session on the Official Language Policy is also included.

In the previous year Quarterly Review Meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all Branch Offices, Regional Offices and the Head Office of the Company wherein detailed discussions were held with regard to implementation of the official language policy. Due to the COVID-19 pandemic it was not feasible to organize regular meetings hence the review of official language implementation was done on the basis of the reports received from the Departments at Head Office, Regional Offices and Branch Offices, and after the review, the analysis of Rajbhasha implementation in the form of report along with necessary directives was circulated to all the Heads of the Departments and Rajbhasha Officers.

### INTERNATIONAL RELATIONS

Since 1957, the Company has been an active member of the Berne Union (BU), the International Union of Credit and Investment Insurers, a leading international association for the export credit and investment insurers. The Company was the first Asian member to join the BU and has been closely associated with its activities. The members benefit by continual interaction, which has been

श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), वर्तमान में एसटी समिति के सदस्य के रूप में बीयू की प्रबंधन समिति (एमसी) में ईसीजीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्टूबर 2020 में, श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (नीति मामलों) का दो वर्ष की अवधि के लिए बीयू की एसटी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया।

कोविड - 19 महामारी के कारण, बी यू ने वर्चुअल माध्यम से अपनी बैठकें आयोजित कीं। कंपनी ने मई 2020 में आयोजित स्प्रिंग बैठक, जून, जुलाई, सितंबर 2020 तथा जनवरी 2021 की एमसी बैठक तथा अक्टूबर 2020 में आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लिया।

दिसंबर 2020 में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित 71वीं आरसीजी बैठक द्वारा सदस्यों को कोविड - 19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित अवसरों एवं चुनौतियों पर चर्चा अवसर प्राप्त हुआ। सदस्यों ने कोविड - 19 के कारण उत्पन्न कठिनायियों के दौरान निर्यातकों का समर्थन करने के लिए की गई पहलों को भी साझा किया।

कंपनी ईसीए के साथ मिलकर विश्व स्तर पर काम कर रही है। दिनांक 8 व दिनांक 9 सितंबर, 2020 के दौरान ईसीए के जी-12 प्रमुखों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया। बैठक में ईसीए के प्रमुखों द्वारा व्यापार से संबंधित परियोजनाओं पर सहयोग करने एवं सामान्य हित के मुद्दों पर गहन चर्चा की गयी। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक “2020 में आधिकारिक ईसीए की भूमिका- अपरिहार्य अथवा अप्रासंगिक?” विषय पर एकजिम वार्षिक सम्मेलन के पैनलिस्ट भी रहे।

कंपनी ब्रिक्स एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज फोरम की सदस्य है जिसमें एबीजीएफ (ब्राजील), एक्जियर (रूस), ईसीजीसी (भारत), सिनोसुर (चीन) और ईसीआईसी एसए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं। यह निर्यात ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समूह का भी सदस्य है जिसे 2012 में गठित किया गया था।

instrumental in enhancing common understanding and developing sound principles in export credit insurance. Collectively, members provide around US\$ 2.5 trillion of payment risk protection which corresponds to nearly 13% of global cross-border merchandise and service trade.



The Company is a member of the Short-Term (ST), Medium and Long-term(MLT) and Export Credit Agency(ECA) Committees of the BU and the Regional Co-operation Group (RCG), a special forum of the BU members from the Asia-Pacific region. Shri M. Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director (CMD), presently represents ECGC on the Management Committee (MC) of the BU as a member of the ST committee. In October 2020, Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters) was elected as the Vice-Chair of the ST Committee of the BU for a two-year term.

Due to the COVID-19 pandemic, the BU held its meetings over virtual platform. The Company participated in the Spring Meeting held in May 2020, MC meetings of June, July, September 2020 and January 2021 and the Annual General Meeting (AGM) held in October 2020.

The 71st RCG meeting, conducted online in December 2020, enabled the members to discuss the opportunities and challenges faced due to the unprecedented situation that resulted due to the outbreak of the COVID-19 pandemic. The members also shared the initiatives



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान ईसीजीसी और ईसीआई ECGC and ECI during the signing of the MoU

undertaken to support exporters during the COVID-19 stress.

The Company works in close association with ECAs globally. The virtual meeting of the G-12 Heads of ECAs was held during September 8 & 9, 2020 and the Company was represented by CMD. The meeting provided opportunity to the Heads of the ECAs to collaborate on trade related projects and have in-depth discussion on issues of common interest. CMD was also a panelist to



21 दिसंबर 2020 को, कंपनी एवं एतिहाद एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी पीजेएससी (ईसीआई), यूई फेडरल एक्सपोर्ट क्रेडिट कंपनी, द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी तथा श्री मस्सिमो फ्रेलसियोनी सी ई ओ, ईसीआई द्वारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित एक बैठक में हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दो एजेंसियों के बीच संबंधों के लिए एक सामान्य संरचना को तैयार करना तथा भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग बढ़ाना तथा जहां भी उपयुक्त हो, एक परियोजना के हिस्से के रूप में अपने संबंधित देशों से एक तृतीय देश को वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति करना है।

कंपनी ने क्रेडिट ओमान, (ओमान) को परामर्श सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है, जिसमें उनके परिचालन एवं उत्पादों के सभी पहलुओं की समीक्षा करना तथा भविष्य की कार्य योजना पर सुझाव देना शामिल है। दिनांक 17 जुलाई 2020 को आयोजित एटीआई की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान श्री सेंथिलनाथन को अफ्रीकी व्यापार बीमा (एटीआई) एजेंसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे, तीन वर्ष की अवधि के लिए एटीआई का पहला गैर-अफ्रीकी राष्ट्र, भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत सरकार की ओर से, कंपनी ने, एटीआई, एक अखिल अफ्रीकी तथा बहुपक्षीय निवेश एवं ऋण बीमाकर्ता में 11.7 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया एवं जून 2019 में 100 मबीफ श्रेणी शेयरों के लिए अंशदान किया गया। व्यापार को बढ़ावा देने एवं समग्र कारोबारी वातावरण को समर्थन देने के लिए, कंपनी ने दावा व वसूली, डिजिटलीकरण विशेषज्ञ, राजनीतिक जोखिम को दृष्टि में रख कर परिदृश्य निर्माण एवं पद्धति, लिबोर संक्रमण और ब्लॉकचैन के संदर्भ में कार्यप्रणाली सहित विविध विषयों पर बीयू द्वारा आयोजित विशेष बैठकों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया। आईएफएफटीआई ग्लोबल संगोष्ठी, बीयू-आईसीआईएसए नियामक संगोष्ठी और निर्यात ऋण रिश्त विरोधी कार्यशाला में भी कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने ग्लोबल ट्रेड रिव्यू (जीटीआर) द्वारा आयोजित “कोविड - 19 की अवधि में भू-राजनीतिक जोखिम” सत्र में भी भाग लिया। इन सत्रों का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया गया था।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (मुंबई कार्यालय) एवं मोजाम्बिक की बीमा कंपनी एम्प्रेसो मोकैम्बिकाना डी सेगुरोस (ईएमओएसई) के अधिकारियों के साथ, निर्यात ऋण बीमा से संबंधित मुद्दों पर, आभासी मंच के माध्यम से द्विपक्षीय चर्चा की।

### मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2021 तक कंपनी में कर्मियों की संख्या 536 रही जिसमें 516 कार्यपालक स्तर एवं 20 गैर-कार्यपालक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। इसमें 150 महिला कर्मी शामिल हैं, जो कुल कार्यबल का लगभग अड्डईस प्रतिशत है।

the EXIM Annual Conference on the topic “Role of Official ECAs in 2020’s—Indispensable or Irrelevant?”.

The Company is a member of the BRICS Export Credit Agencies Forum which includes ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), ECGC (India), SINOSURE (China) and ECIC SA (South Africa). It is also a member of the International Working Group on export credit which was created in 2012.

On December 21, 2020, the Company and the Etihad Export Credit Insurance Company PJSC (ECI), the UAE Federal export credit company, signed a Memorandum of Understanding (MoU). The MoU was signed by CMD, ECGC and Mr. Massimo Falcioni, CEO, ECI in a meeting held through a virtual platform. The MoU aims to create a general framework for the relations between the two agencies and increase co-operation for stimulating trade and investment between India and the UAE and, where appropriate, the supply of goods and services from their respective countries as part of a project to a third country.

The Company continued to provide consultancy services to Credit Oman, (Oman) which involved reviewing all aspects of their operations and products and suggested future plan of action. Shri Senthilnathan was appointed as a Director on the Board of the African Trade Insurance (ATI) Agency during the 20th AGM of the ATI which was held virtually on July 17, 2020. He shall represent the Republic of India, the first non-African nation in the ATI, for a period of three years. On behalf of the Government of India, the Company has invested US\$ 11.7 mn in the ATI, a pan-African and multilateral investment and credit insurer, and subscribed to 100 Class ‘B’ shares in June 2019.

With a view to fostering trade and supporting the overall business environment, the Company participated in specialist meetings and workshops organised by the BU on topics including Claims and Recoveries, Digitalisation Specialist, Scenario building and methodology in the context of political risk, LIBOR transition and Blockchain. IfTI Global Symposium, BU-ICISA Regulatory Seminar and Export Credits Anti-Bribery Workshop were also attended by the delegates from the Company. Officials also attended the session on ‘Geopolitical risk in the age of COVID-19’ organised by Global Trade Review (GTR). These sessions were arranged via webinars.

During the financial year, the Company held bilateral discussions, through virtual platform, with the officials of Export Development Canada (Mumbai Office) and Empresa Mocambicana de Seguros (EMOSE), the insurance company of Mozambique, on the issues related to export credit insurance.

### HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

बदलते कारोबारी वातावरण को देखते हुए कंपनी ने निर्यातक समुदाय एवं बैंकों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपने परिचालन सेवातन्त्र को समेकित किया है। समेकन का उद्देश्य एक ही शहर में कई शाखाओं के बीच प्रयासों में दोहराव को कम करना, बेहतर ग्राहक सेवा दक्षता, श्रम बल का अधिकतम उपयोग एवं संचालन में तालमेल है, जिसके परिणामस्वरूप उन प्रशासनिक व्ययों में कमी आएगी जिन्हें ताला जा सके। तदनुसार, कंपनी की बाईस शाखाओं को नौ शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय के एक विभाग में समेकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान औद्योगिक संबंधों एवं श्रम कानूनों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण रोप से अनुपालन किया गया। कंपनी में सम्पूर्ण वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी में नई कर्मचारी कल्याण सुविधाओं को आरंभ किया एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य, आर्थिक कल्याण आदि की देखभाल के लिए वर्तमान सुविधाओं को भी जारी रखा गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, कार्य जीवन संतुलन को आगे बढ़ाने के लिए विश्राम अवकाश की योजना, घर से स्वास्थ्य लाभ लेते हुए कर्मचारियों द्वारा कोविड - 19 संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई, महामारी की अवधि के दौरान कर्मचारियों के छुट्टी प्रबंधन को उदार बनाया गया था। महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र/राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपस्थिति की आवश्यकता को संशोधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ऑनबोर्ड परीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई एवं संबंधित प्रक्रिया का जल्द पूर्ण होने की संभावना है।

अस्पताल में भर्ती एवं औषधि की लागत में वृद्धि को देखते हुए, समूह मेडिकलेम नीति के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रक्षा के प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि की गयी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कंपनी की नीति के अनुकरण में कम से कम 10 कर्मियों वाली सभी शाखाओं/कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) कार्यरत हैं। प्रधान कार्यालय में एक में आंतरिक शिकायत समिति कार्यरत है जिसमें प्रधान कार्यालय के सभी विभाग एवं मुंबई स्थित वे सभी शाखाएँ शामिल हैं जहाँ कर्मियों की संख्या 10 से कम है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इस अधिनियम के अधीन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

### प्रशिक्षण

आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में कुशल प्रदर्शन हेतु उनके कौशल को मजबूत एवं उन्नत बनाने में प्रशिक्षण की

The employee strength of the Company as of March 31, 2021 was 536 which consisted of 516 executive-level and 20 non-executive-level employees. This includes 150 women employees, constituting almost twenty-eight per cent of the total work force.

In light of the changing business environment, the Company has consolidated its operational network to effectively cater to the business needs of the exporting community and banks. The objective of the consolidation is to reduce duplication in efforts among multiple branches in the same city, for better customer service efficiency, optimum utilization of manpower and synergy in operations which will result in reduction of avoidable administrative expenses. Accordingly, twenty-two branches of the Company were consolidated into nine branches and one department of the Head Office.

All statutory provisions pertaining to industrial relations and labour laws were complied with during the FY 2020-21. Harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the Company.

During the year, the Company introduced new employee welfare facilities and also continued the existing facilities to take care of the employees' health, economic wellbeing, etc.

In the FY 2020-21, various welfare schemes were introduced including a scheme of Sabbatical Leave to pursue work life balance, reimbursement of COVID-19 related expenses incurred by employees while convalescing at home, leave management of the employees was made liberal during the pandemic period. Attendance requirement was modified in line with the guidelines issued by the central/state/local authorities to contain the pandemic.

Recruitment examination to onboard probationary officers for the FY 2021-22 was conducted and the selection process is likely to be completed soon.

In view of the increase in the cost of the hospitalisation and medication over the years, the coverage of retired employees under the Group Mediclaim policy was increased significantly.

In accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Company's Policy on prevention of sexual harassment of women at the workplace, Internal Complaints Committees (ICC) have been functioning in all the branches/offices, employing at least 10 employees. One ICC is functioning at the HO which includes all the departments at the Head Office and those Mumbai-based branches where employee strength is fewer than 10. During the FY 2020-21 no cases were filed under this Act.

भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी स्तरों पर कर्मचारियों को विभिन्न इन-हाउस एवं प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया। ऑनलाइन मोड में अखिल भारतीय स्तर पर पॉलिसी एवं ईसीआईबी दोनों क्षेत्रों के लिए दावा तथा बीमांकन विषयों पर अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नीति निर्धारण एवं नेतृत्व प्रमाणन के लिए आईआईएम इंदौर में एक साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया। कंपनी में क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

### दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी निरंतर दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास करती है। 31 मार्च, 2021 तक, कंपनी में दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित 15 कर्मचारी थे। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के अधीन संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी की सेवा में दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण अनुबंध तख में उल्लिखित है।

### अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी द्वारा भर्ती एवं आंतरिक पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। भारत सरकार के संबंधित निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी द्वारा ज्ञ पद आधारित रोस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के अधीन विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों का विवरण अनुबंध तख में उपलब्ध है। 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न संवर्गों में कुल श्रम बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनुबंध तख में उल्लिखित है।

### सामान्य प्रशासन

1. कंपनी के राजस्व और पूंजीगत व्यय का उचित रूप से नियंत्रण किया जाता है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट के भीतर व्यय किए गए हैं।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से खरीद के संबंध में भारत सरकार की नीति को लागू करने के लिए सभी शाखा कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। अप्रैल 2012 में निर्मित भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में सभी एमएसएमई के लिए यह अनिवार्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता की खरीद का 25% की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से की जाये। भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों से 3% वस्तु एवं सेवाओं की खरीद तथा अनु जा / अनु जन

### TRAINING:

The role of training has assumed critical importance in today's competitive environment in strengthening and upgrading the skills of officers for efficient performance in their roles. During the FY 2020-21, employees at all levels were nominated to various in-house and sponsored training programs. Claim and Underwriting Workshops were separately organized for both Policy and ECIB sectors at All-India level in the online mode.

A few senior officials of the Company have been nominated for a one-year on-line training program at IIM Indore for Strategy & Leadership Certification. Training Programs were also conducted for the Field Officers in the Company.

### REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of March 31, 2021, the Company had 15 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under The Rights of Persons with Disabilities, 2016, are furnished in **Annexure VI**.

### REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to relevant rules relating to Reservation for SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In adherence to the relevant instructions from the Government of India, the Company has adopted a 'Post-based Roster system'. Details of Reserved vacancies filled in by direct recruitment at different level under reservation for SC, ST and OBC are furnished in **Annexure VII**. Representation of SCs, STs, and OBCs in the total manpower in various cadres as of March 31, 2021 is furnished in **Annexure VIII**.

### GENERAL ADMINISTRATION

1. Revenue and Capital expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the annual budget approved by the Board of Directors.
2. All the Branch Offices / Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement the Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India Public Procurement Policy framed in April 2012, for all MSMEs mandates that 25% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprises (MSEs). The Government of India has also prescribed a sub-target of 3% procurement

जा के उद्यमियों से 5% की खरीद का उप-लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मार्च 2021 के अंत में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी की कुल खरीद ₹30.81 करोड़ रही, जिसमें से ₹5.28 करोड़ (17.13%) एमएसएमई के माध्यम से एवं एमएसएमई से कुल खरीद के भीतर ₹1.09 करोड़ (20.63%) की खरीद महिला उद्यमियों एवं ₹38.26 लाख (7.25%) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के माध्यम से की गई।

3. कंपनी ने ई-प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है जो भारत सरकार की 2012 की ई-खरीद नीति का एक भाग है।
4. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुकरण में, कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए जीईएम पोर्टल में पंजीकरण किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा की गई कुल ₹9.39 करोड़ की खरीदारी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जी ईएम पोर्टल के माध्यम से ₹4.60 करोड़ की खरीदारी की गई जो कि कंपनी द्वारा की गयी कुल खरीदारी की तुलना में 48.99% है। निर्देश के अनुसार, मार्च, 2021 तक मासिक खरीद डेटा एमएसएमई के संबंध पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

### भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

आई आर डी ए आई द्वारा अपने परिपत्र संदर्भ संख्या खठउअख/अअ/उखठ/अउडड/023/01/2020 दिनांक 21 जनवरी 2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि बीमाकर्ताओं को आई एफ आर एस 17 के समकक्ष भारतीय लेखा मानक 109 एवं भारतीय लेखा मानकों को अन्य सभी लागू भारतीय लेखा मानकों के साथ-साथ लागू करना होगा। कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा आई एफ आर एस 17 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद निर्धारित की जाएगी। तदनुसार, कंपनी इस संबंध में आईआरडीआई से आगे के निर्देशों हेतु प्रतीक्षारत है।

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से

(एम. सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डी आई एन 07376766

स्थान : मुंबई

दिनांक: 16 जुलाई, 2021

of goods and services from women enterprises and 5% from SC/ST entrepreneurs. During the Financial Year 2020-21, the total procurement of the Company at the end of March 2021 stood at ₹30.81 crore, out of which ₹5.28 crore (17.13%) was procured through MSMEs and within MSME procurement worth ₹1.09 crore (20.63%) was done through SC/ ST entrepreneurs and ₹38.26 lakh (7.25%) was done through women entrepreneurs.

3. The Company has identified a list of goods and services which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.
4. The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of the Government of India.

As per the directions received from the Ministry of Commerce & Industry regarding procurement through Government e-Marketplace (GeM), the Company has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services. During the FY 2020-21, procurement through the GeM Portal amounted to ₹4.60 crore which is 48.99% of the total procurement done by the Company during the Financial Year 2019-20 amounting to ₹9.39 crore. As per the directive, the monthly procurement data up to March, 2021 is uploaded on MSME Sambandh Portal.

### IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The IRDAI has vide its circular reference No. IRDAI/F&A/CIR/ACTS/023/01/2020 dated January 21, 2020, informed that insurers should implement Ind AS 109 and Ind AS equivalent of IFRS 17 simultaneously along with all other applicable Ind AS. The effective date of implementation shall be decided after the finalization of IFRS 17 by the International Accounting Standards Board (IASB). Accordingly, the Company awaits further instructions from IRDAI in this regard.

For and on behalf of the Board of Directors  
Sd/-

(M. Senthilnathan)

Chairman-cum-Managing Director

DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: July 16, 2021

## अनुलग्नक - VI

## Annexure - VI

31.03.2021 को कंपनी की सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

Representation of Persons with Disabilities in the Services of the Company as on 31/03/2021

संवर्ग	दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या			कुल
	दृश्य	श्रव्य	शारीरिक	दृ + श्र + शा
क	3	1	5	9
ख	2	1	2	5
ग	0	0	0	0
घ	1	0	0	1
<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>

दृ.दि. दृश्य दिव्यांग  
श्र.दि. श्रव्य दिव्यांग  
शा.दि. शारीरिक दिव्यांग

Group	No. of Disabled Persons			Total
	VI	HI	OC	VI+ HI+OC
A	3	1	5	9
B	2	1	2	5
C	0	0	0	0
D	1	0	0	1
Total	6	2	7	15

VI Visually Impaired  
HI Hearing Impaired  
OC Orthopedically Challenged

## अनुलग्नक - VII / Annexure VII

कंपनी में भर्ती से संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व 2020-21

Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes pertaining to recruitment in the Company FY 2020-21

समूह ECGC Ltd Group	कर्मियों की कुल सं Total Number of Employees	भर्ती किए गए अनु जा के कर्मी No. of SC Employees recruited	भर्ती किए गए अनु जनजा के कर्मी No. of ST Employees recruited	भर्ती किए गए अ पि व के कर्मी No. of OBC Employees recruited
समूह क Group A	239	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
समूह ख Group B	277	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
समूह ग Group C	14	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
समूह घ Group D	6	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
<b>कुल TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>शून्य NIL</b>	<b>शून्य NIL</b>	<b>शून्य NIL</b>

नोट - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं भर्ती पूरी होने की प्रक्रिया जारी है।

Note - Recruitment examination has been conducted for the FY 2021-22 and the Recruitment is in the process of being completed.

## अनुलग्नक VIII / Annexure VIII

31.03.2021 को कंपनी के श्रम बल की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

Representation of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Castes in the services of the Company's workforce as on 31/03/2021

ईसीजीसी लिमिटेड संवर्ग ECGC Ltd Group	कर्मियों की कुल सं Total No. of Employees	अनु जा के कर्मियों की संख्या No. of SC Employees	अनु जा के कर्मियों का % % of SC employees	अनु जन जा के कर्मियों की संख्या No. of ST Employees	अ.ज.जा. के कर्मचारियों का % % of ST employees	अ पि व के कर्मियों की संख्या No. of OBC Employees	अ पि व के कर्मियों का % % of OBC employees
समूह Group A	239	41	17%	17	7%	49	21%
समूह ख Group B	277	52	19%	24	9%	70	25%
समूह ग Group C	14	3	21%	3	21%	1	7%
समूह घ Group D	6	1	17%	0	0%	1	17%
<b>कुल TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>97</b>	<b>18%</b>	<b>44</b>	<b>8%</b>	<b>121</b>	<b>23%</b>

फॉर्म संAOC - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र के तीसरे परंतुक के अधीन कुछ निश्चित विशेष संव्यवहार शामिल हैं।

1. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा निश्चित विशेष संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	शून्य
क)	संबन्धित पक्ष ( क्षों ) के नाम एवं संबंध की प्रकृति	श्री शरद कुमार सराफ, ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक एवं टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष तथा शांति सेवा निधि (एसएसएन) के ट्रस्टी
ख)	अनुबंध / व्यवस्थाओं / समव्यवहारों की प्रकृति	सी एस आर गतिविधियों के अधीनमैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए सात छात्रों के लिए वित्त पोषण हेतु टेक्न-ोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त शांति सेवा निधि (एसएसएन) के प्रस्ताव को तीन वर्षों के लिए कुल 34.72 लाख रुपये का अनुमोदन ।
ग)	अनुबंध / व्यवस्थाओं / समव्यवहारों की अवधि	तीन वर्ष
घ)	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं की मूल्य सहित समव्यवहारों, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	उक्त उल्लिखित कॉलम ( ख ) में उल्लिखित अनुसार
ङ)	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन की तारीख	24.11.2020
च)	अग्रिम रूप में अदा की गयी राशि, यदि कोई हो तो	Yes, ₹12,77,500.00

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

(एम. सेंथिलनाथन )

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डिन 07376766

## Annexure IX

## FORM NO. AOC -2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transaction under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions at Arm's length basis.

Sr. No.	Particulars	Details
a)	Name (s) of the related party & nature of relationship	Shri Sharad Kumar Saraf, Director of ECGC Ltd. and Chairman of Technocraft Industries (India) Ltd. and Trustee of Shanti Seva Nidhi (SSN)
b)	Nature of contracts/arrangements/ transaction	Proposal from Shanti Seva Nidhi (SSN) received through Technocraft Industries (India) Limited approved under CSR for funding the cost of seven students for Diploma in Mechanical Engineering for the total cost of ₹34.72 lakh for three years.
c)	Duration of the contracts/ arrangements/transaction	Three years
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any	As mentioned above at Col (b)
e)	Date of approval by the Board	24.11.2020
f)	Amount paid as advances, if any	Yes, ₹12,77,500.00

For and on behalf of the Board of Directors

(M. Senthilnathan)  
Chairman-cum-Managing Director  
DIN 07376766

## वित्तीय विवरणों पर प्रमाण पत्र

## Certificate on Financial Statements

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनाने एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की गलत अथवा भ्रामक बयान अथवा आंकड़े नहीं हैं और न ही किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा गया है जो उसमें निहित बयानों या आंकड़ों को भ्रामक बना सकता है।

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एम सेंथिलनाथन )

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(Nirdosh Chopra)  
Chief Financial  
Officer(M Senthilnathan)  
Chairman-cum  
Managing Director

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई , 2021

Place : Mumbai

Date : 16<sup>th</sup> July, 2021



## वित्तीय विवरण

## FINANCIAL STATEMENTS

फॉर्म बी- आर ए / FORM B-RA

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021

पंजीकरण संख्या 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002

Registration No. 124

Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1.	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	827,30,63.57	831,15,51.19
2.	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		108,92,91.45	40,53,64.86
3.	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि Loss on Sale/Redemption of Investment		(30,25,69.93)	(14,63,54.48)
4.	अन्य / Others			
	- शुल्क / Fee		92,07.61	1,41,58.78
	- विविध आय / Miscellaneous Income		9,59.10	61,72.30
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		9,07.89	76.10
5	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		498,42,64.58	491,35,19.69
	<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>1405,51,24.27</b>	<b>1350,44,88.44</b>
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	884,52,05.49	958,41,52.78
2	कमीशन / Commission	3	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	270,92,57.55	267,63,23.61
4	अन्य / Others			
	- प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency		106,24,00.00	18,92,00.00
	- निवेश पर व्यय Expenses towards Investments		10,92,75.81	9,27,83.51
	- प्रावधान, निवेशों पर बड़े खाते में डाली गई राशि Provision, Write Off towards Investments		-	46,44,89.65
	<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>1246,41,52.86</b>	<b>1263,53,80.74</b>
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business C =(A-B)		159,09,71.41	86,91,07.70
	<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholder's Account		159,09,71.41	86,91,07.70
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		-	-
	<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>		<b>159,09,71.41</b>	<b>86,91,07.70</b>

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(एम. सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(M. SENTHILNATHAN)

Chairman-cum-Managing Director

DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)

निदेशक

(DEVESH SRIVASTAVA)

Director

DIN - 08646006

(शिरीष चन्द्र मुर्मु)

निदेशक

(SHIRISH CHANDRA MURMU)

Director

DIN - 08664748

(सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक

(SUNIL JOSHI)

Executive Director

DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(NIRDOSH CHOPRA)

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

(SMITA PANDIT)

Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015

For abm & associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 109176W

For SNK & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)

भागीदार - M.No. 107659

कोल्हापूर

(ANIL CHIKODI)

Partner - M.No. 107659

Kolhapur

(संजय कपाडिया)

भागीदार - M. No. 38292

(SANJAY KAPADIA)

Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2021

Place : Mumbai

Dated : 16th July, 2021

फॉर्म बी- पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021पंजीकरण संख्या 124  
Registration No. 124पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002  
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	परिचालन लाभ/(हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(क) अग्नि बीमा / (a) Fire Insurance		-	-
	(ख) मरीन बीमा / (b) Marine Insurance		-	-
	(ग) विविध बीमा / (c) Miscellaneous Insurance		159,09,71.41	86,91,07.70
2	निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS			
	(क) ब्याज व लाभांश- सकल (a) Interest, Dividends & Rent-Gross		376,00,59.24	341,44,79.79
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		82,17,46.18	28,16,94.23
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		(22,82,54.51)	(10,17,03.96)
3	अन्य आय / OTHER INCOME			
	(क) एन ई आई ए आय / (a) NEIA Income		2,65,29.75	2,48,68.09
	(ख) किराया व अन्य व्याज आय / (b) Rent & Other receipts		18,32.03	11,55.33
	(ग) अन्य व्याज आय / (c) Other Interest Income		1,52,22.60	1,57,15.99
	(घ) विविध आय एवं फैक्ट्रिंग आय (d) Other Miscellaneous Income and Factoring Income		1,30,22.49	3,78.82
	<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>600,11,29.19</b>	<b>450,56,95.99</b>
4	प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (Other than Taxation)			
	(क) निवेशों के मूल्य हास के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
	(ख) प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डालना (b) Provision, Write Off - Investments		-	-
	- मानक आस्ति / Standard Asset		-	-
	- निम्न मानक आस्ति / Sub Standard Asset		-	-
	-संदिग्ध आस्ति / Doubtful Asset		-	32,27,80.95
	- हानि संपत्ति / Loss Asset		-	-
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		(30.80)	50.37

5	<b>अन्य व्यय / OTHER EXPENSES</b>			
	(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	निवेश के लिए खर्च Expenses towards Investments		8,24,36.14	6,44,76.68
	कॉर्पोरेट सोशल के प्रति व्यय ज़िम्मेदारी Expenses towards Corporate Social Responsibility		3,77,53.48	11,82,01.07
	विविध खर्च Miscellaneous Expense		(0.05)	(2.29)
	<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>12,01,58.77</b>	<b>50,55,06.78</b>
	<b>कर पूर्व लाभ (क - ख) / Profit Before Tax (A - B)</b>		<b>588,09,70.42</b>	<b>400,01,89.21</b>
	<b>घटाएँ / Less:</b>			
(क) कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation				
आस्थगित कर / Deferred Tax		(2,95,89.55)	(10,59,28.58)	
वर्तमान कर / Current Tax		127,00,00.00	87,00,00.00	
(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		5,44,88.94	4,72.34	
(ग) कर समायोजन - पहले के वर्ष (c) Tax Adjustments - Earlier years		(1,69,77.93)	(27,51.96)	
	<b>विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for appropriation</b>		<b>460,30,48.96</b>	<b>323,83,97.41</b>

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
<b>विनियोग / APPROPRIATIONS</b>			
(क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividends Paid During the Year		-	-
(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend		-	-
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed Final Dividend		-	-
(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर (d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend		-	-
(ङ) फैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में स्थानांतरण (e) Transfer to Reserve for Factoring Scheme		-	-
(च) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण (f) Transfer to General Reserve		300,80,48.96	323,83,97.41
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि का संतुलन बैलेंस शीट को आगे ले जाया गया बैलेंस Balance of profit/loss brought forward from last year		-	-
Balance carried forward to Balance Sheet		159,50,00.00	-

(एम. सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

**(M. SENTHILNATHAN)**

Chairman-cum-Managing Director

DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)

निदेशक

**(DEVESH SRIVASTAVA)**

Director

DIN - 08646006

(शिरीष चन्द्र मुर्मू)

निदेशक

**(SHIRISH CHANDRA MURMU)**

Director

DIN – 08664748

(सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक

**(SUNIL JOSHI)**

Executive Director

DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(NIRDOSH CHOPRA)**

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

**(SMITA PANDIT)**

Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015

**For abm & associates LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 109176W

**For SNK & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी )

भागीदार – M.No. 107659

कोल्हापूर

**(ANIL CHIKODI)**

Partner - M.No. 107659

Kolhapur

(संजय कपाडिया )

भागीदार – M. No. 38292

**(SANJAY KAPADIA)**

Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2021

Place : Mumbai

Dated : 16th July, 2021

फॉर्म बी-बीएस / FORM B-BB

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2021 तक का तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2021

पंजीकरण संख्या 124  
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002  
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1.	<b>निधियों का स्रोत/ SOURCES OF FUNDS</b>			
	शेयर पूंजी / Share Capital	5	3190,00,00.00	2500,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	6	3175,22,29.27	2714,91,80.31
	शेयर पूंजी पर अग्रिम Advance Against Share Capital		-	300,00,00.00
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारक Fair Value Change Account - Shareholder		276,04,67.00	(40,20,20.00)
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारक Fair Value Change Account - Policyholder		365,92,24.23	(57,85,16.12)
	ऋण / Borrowings	7	-	-
	आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
	<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>7007,19,20.50</b>	<b>5416,86,44.19</b>
2.	<b>निधियों का प्रयोग/ APPLICATION OF FUNDS</b>			
	निवेश-शेयरधारक / Investments - Shareholder	8	5347,30,07.86	4528,29,98.03
	निवेश-पॉलिसीधारक / Investments - Policyholder	8A	7088,28,24.32	6516,33,38.62
	ऋण/Loans	9	-	-
	अचल संपत्ति / Fixed Assets	10	303,63,70.76	293,49,15.15
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred Tax Assets		44,24,70.76	41,28,81.21
	वर्तमान परिसंपत्तियाँ Current Assets			
	नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	11	1551,46,00.97	1100,83,30.75
	अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ Advances and Other Assets	12	968,67,46.93	942,73,27.81
	<b>उप कुल (क) / Sub Total (A)</b>		<b>2520,13,47.90</b>	<b>2043,56,58.56</b>
	वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities	13	7354,55,68.58	7187,18,57.81
	प्रावधान / Provisions	14	941,85,32.52	818,92,89.57
	<b>उप कुल (ख) / Sub Total (B)</b>		<b>8296,41,01.10</b>	<b>8006,11,47.38</b>

शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ ( ग ) = (क-ख) Net Current Assets ( C ) = (A-B)		(5776,27,53.20)	(5962,54,88.82)
विविध व्यय/ Miscellaneous Expenditure (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) लाभ और हानि खाते में नामे शेष (to the extent not written off or adjusted) Debit Balance in Profit & Loss Account	15	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>7007,19,20.50</b>	<b>5416,86,44.19</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(एम. सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

**(M. SENTHILNATHAN)**Chairman-cum-Managing Director  
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)

निदेशक

**(DEVESH SRIVASTAVA)**Director  
DIN - 08646006

(शिरिश चन्द्र मुर्मू)

निदेशक

**(SHIRISH CHANDRA MURMU)**Director  
DIN - 08664748

(सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक

**(SUNIL JOSHI)**Executive Director  
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(NIRDOSH CHOPRA)**

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

**(SMITA PANDIT)**

Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी  
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015

**For abm & associates LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं  
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 109176W

**For SNK & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)

भागीदार - M.No. 107659

कोल्हापूर

**(ANIL CHIKODI)**

Partner - M.No. 107659

Kolhapur

(संजय कपाडिया)

भागीदार - M. No. 38292

**(SANJAY KAPADIA)**

Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2021

Place : Mumbai

Dated : 16th July, 2021

**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

**अनुसूची - 1 / SCHEDULE - 1**

**अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	सीधे कारोबार से प्रीमियम Premium from Direct Business Written	1062,28,19.61	1075,47,39.68
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	199,95,87.70	283,18,44.44
	<b>शुद्ध प्रीमियम / Net Premium</b>	<b>862,32,31.91</b>	<b>792,28,95.24</b>
	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(35,01,68.34)	38,86,55.95
	<b>कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)</b>	<b>827,30,63.57</b>	<b>831,15,51.19</b>

**अनुसूची - 2 / SCHEDULE - 2**

**उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	प्रदत्त दावे / Claims Paid		
	सीधे / Direct	1046,74,05.69	408,41,21.62
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance accepted	-	-
	घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा Less : Reinsurance ceded	290,65,78.90	118,09,13.69
	घटाएँ : / Less :		
	वर्ष के दौरान वसूल किए गए Recovered during the year	117,46,79.60	166,43,65.31
	जोड़ें : प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज Add : Interest received on Recovery of Claims Paid	24,51.76	20,51.21
	घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को लौटाए गए Less : Share of reinsurer	34,97,37.04	38,29,53.70
	<b>82,73,94.32</b>	<b>82,73,94.32</b>	<b>128,34,62.82</b>
	शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid (A)	673,34,32.47	161,97,45.11
	जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)	6885,34,79.90	6674,15,73.27



	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)	1,33.61	-
	(ख) / (B)	6885,33,46.29	6674,15,73.27
	घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)	6674,15,73.27	5877,71,65.60
	वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)	-	-
	(ग) / (C)	6674,15,73.27	5877,71,65.60
	कुल उपगत दावे (क + ख - ग) Total Claims Incurred (A + B - C)	884,52,05.49	958,41,52.78

## अनुसूची - 3 / SCHEDULE - 3

## कमीशन / COMMISSION

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
	सीधे / Direct	11,28,78.42	9,39,09.98
	कुल (क) / TOTAL (A)	11,28,78.42	9,39,09.98
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Commission on Reinsurance Accepted	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	37,48,64.41	46,54,78.79
	शुद्ध कमीशन / Net Commission	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)
	नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप. <b>Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures. Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:</b>		
	एजेंट / Agents	-	-
	ब्रोकर / Brokers	11,18,54.07	9,24,44.28
	कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	10,24.35	14,65.70
	अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)	11,28,78.42	9,39,09.98
	नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए Note: Total (A) and (B) above should tally.		

अनुसूची - 4 / SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं Employees' Remuneration and Welfare benefits	172,37,03.13	164,25,23.35
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle running expenses	5,79,50.57	11,55,45.02
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	15,11.27	88,28.23
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	26,54,00.75	26,56,86.07
5	मरम्मत / Repairs	20,74,45.21	22,26,70.57
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,62,77.84	1,71,67.52
7	सूचना व्यय / Communication	1,07,84.81	1,30,89.75
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges	7,00,60.92	5,15,38.64
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	70,27.08	67,47.18
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में (b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / (i) Taxation matters	15,23.30	14,42.08
	(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / (iii) Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	65,00.27	75,89.95
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	5,10,39.78	6,54,85.78
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	5,29.56	6,22.36
12	अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	22,29,34.76	21,21,52.44
13	मूल्यहास / Depreciation	6,65,68.30	4,52,34.67
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>270,92,57.55</b>	<b>267,63,23.61</b>

## अनुसूची - 5 / SCHEDULE -5

## शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each)	5000,00,00.00	5000,00,00.00
2	निर्गमित पूंजी / Issued Capital 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर 31,90,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 25,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	3190,00,00.00	2500,00,00.00
3	अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर 31,90,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 25,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	3190,00,00.00	2500,00,00.00
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर 31,90,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 25,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each) जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि) - - Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य - - Less : Par Value of Equity Shares bought back घटाएँ : आरंभिक व्यय / Less : Preliminary Expenses - - शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय - - Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscrip- tion of shares	3190,00,00.00	2500,00,00.00
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>3190,00,00.00</b>	<b>2500,00,00.00</b>

अनुसूची - 5 क / SCHEDULE - 5 A

शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) / (As Certified by the Management)

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान अवधि Current Period		पिछली अवधि Previous Period	
	शेयरों की संख्या No.of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No.of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	31,90,00,000.00	100.00	25,00,00,000.00	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
<b>कुल / Total</b>	<b>31,90,00,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25,00,00,000.00</b>	<b>100.00</b>

अनुसूची 6 / SCHEDULE - 6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा General Reserve - Opening Balance	2654,91,80.31	2331,07,82.90
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year	300,80,48.96	323,83,97.41
		2955,72,29.27	2654,91,80.31
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during year	-	-
		<b>2955,72,29.27</b>	<b>2654,91,80.31</b>
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	159,50,00.00	-
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>3175,22,29.27</b>	<b>2714,91,80.31</b>

## अनुसूची 7 / SCHEDULE - 7

## उधार / BORROWINGS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures / Bonds	-	-
2	बैंक Banks	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## अनुसूची 8 / SCHEDULE - 8

## निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	<b>दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1850,83,62.33	1407,29,19.08
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	182,65,04.89	100,42,88.02
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	746,06,31.60	475,55,00.59
	खख. अधिमानित शेयर / (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures / Bonds	561,41,33.72	624,93,64.37
	ड. अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO)	-	-
	च. गौण मद (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1363,09,06.96	1137,57,42.39

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
5	अन्य निवेश / Other than approved Investments	57,00,77.33	61,57,08.07
	<b>कुल (क) / Total ( A )</b>	<b>4761,06,16.83</b>	<b>3807,35,22.52</b>
	<b>अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड राजकोषीय बिल Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	58,37,07.43	119,67,77.92
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Other Investments		
	क. निवेश / (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	-	-
	खख. अधिमानित (bb) Preference Share	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड / (b) Mutual Funds	242,90,80.02	328,53,21.66
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / (d) Debentures/Bonds	185,18,15.37	204,71,67.92
	ड. अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO)	10,74,50.40	-
	च. गौण मद (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	52,44,59.41	37,32,54.14
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा / Other than Approved Investments	36,58,78.40	30,69,53.87
	<b>कुल (ख) / Total ( B )</b>	<b>586,23,91.03</b>	<b>720,94,75.51</b>
	<b>कुल ( क + ख )/ TOTAL ( A + B )</b>	<b>5347,30,07.86</b>	<b>4528,29,98.03</b>
	<b>नोट : अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गए सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान</b> <b>Note: Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A</b>	109,97,70.60	109,97,70.60

## अनुसूची 8 अ / SCHEDULE - 8 A

## निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	<b>दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2453,43,40.76	2025,12,73.81
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	242,11,80.90	144,51,94.96
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	988,96,74.45	684,32,81.33
	खख. अधिमानित शेयर / (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures / Bonds	744,19,91.20	899,29,87.75
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO)	-	-
	च. गौण मद (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1806,88,76.66	1636,99,70.76
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा / Other than Approved Investments	75,56,83.90	88,60,18.93
	<b>कुल (क) / Total (A)</b>	<b>6311,17,47.87</b>	<b>5478,87,27.54</b>
	<b>अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	77,37,51.70	172,21,92.61
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Other Investments		
	क. निवेश / (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	-	-
	खख. अधिमानित / (bb) Preference Share	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड / (b) Mutual Funds	321,99,43.28	472,76,57.99
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / (c) Derivative Instruments	-	-

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / d. Debentures/Bonds	245,47,32.00	294,59,24.56
	इ. अन्य प्रतिभूतियाँ	14,24,34.24	-
	e. Other Securities (CBLO)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	69,52,13.63	53,71,21.82
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा / Other than Approved Investments	48,50,01.60	44,17,14.10
	<b>कुल (ख) / Total ( B )</b>	<b>777,10,76.45</b>	<b>1037,46,11.08</b>
	<b>कुल ( क + ख )/ TOTAL ( A + B )</b>	<b>7088,28,24.32</b>	<b>6516,33,38.62</b>

**अनुसूची - 9 / SCHEDULE - 9**

**ऋण / LOANS**

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	<b>प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY - WISE CLASSIFICATION</b>		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) भारत में / In India	-	-
	(bb) भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities		
	(ग) अन्य	-	-
	(c) Others		
	गैर जमानती / Unsecured	-	-
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
2	<b>लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION</b>		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	-	-
	(ग) अनुषंगी (c) Subsidiaries	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	-	-
	(इ) अन्य (e) Others	-	-
	<b>कुल / TOTAL</b>	-	-
3	<b>निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION</b>		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard		
	(aa) भारत में / In India	-	-
	(bb) भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण (b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) भारत में / In India	-	-
	(bb) भारत के बाहर / Outside India	-	-
	<b>कुल / TOTAL</b>	-	-
4	<b>परिपक्वता आधारित वर्गीकरण MATURITY - WISE CLASSIFICATION</b>		
	(क) अल्पावधि (a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि (b) Long Term	-	-
	<b>कुल / TOTAL</b>	-	-

**अनुसूची-10 / SCHEDULE -10**  
**अचल संपत्तिया / FIXED ASSETS**

राशि ₹ '000 में / Figures in ₹ '000

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block			मूल्यहास / Depreciation			शुद्ध ब्लॉक / Net Block			
		प्रारंभिक Opening	परिवर्धन Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम Closing	31.03.2020 तक Up to 31.03.2020	वर्ष के लिए For the Year	बिक्री पर/ समायोजन On Sale / Adjustments	दिनांक तक To date	31.03.2021 तक As at 31.03.2021	31.03.2020 तक As at 31.03.2020
1	साख / Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त Intangibles	6,41,89.22	1,38,24.88	-	7,80,14.10	5,15,83.31	52,31.22	-	5,68,14.53	2,11,99.57	1,26,05.91
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाला / Land - Free Hold	74,81,52.33	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति / Lease-hold Property	6,89,31.54	53,68,98.56	-	60,58,30.10	1,52,72.31	1,85,19.44	(2,57,50.98)	5,95,42.73	54,62,87.37	5,36,59.23
5	भवन/Building	43,61,13.69	-	-	43,61,13.69	15,18,23.10	75,08.58	-	15,93,31.68	27,67,82.01	28,42,90.59
6	फर्नीचर तथा फिटिंग्स Furniture and Fittings	18,13,74.78	3,16.01	7,84.06	18,09,06.73	14,89,52.67	56,12.28	7,84.06	15,37,80.89	2,71,25.84	3,24,22.11
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	17,76,01.75	3,01,87.23	75,05.69	20,02,83.29	15,43,16.14	2,19,15.10	72,28.28	16,90,02.96	3,12,80.33	2,32,85.61
8	वाहन / Vehicles	7,25,73.06	3,71,85.15	27,68.21	10,69,90.00	7,05,95.23	18,76.54	27,68.21	6,97,03.56	3,72,86.44	19,77.83
9	कार्यालयी उपकरण Office Equipment	8,29,86.29	8,22.69	12,12.69	8,25,96.29	6,87,17.09	59,05.14	12,12.69	7,34,09.54	91,86.75	1,42,69.20
	<b>कुल / Total</b>	<b>183,19,22.66</b>	<b>61,92,34.52</b>	<b>1,22,70.65</b>	<b>243,88,86.53</b>	<b>66,12,59.85</b>	<b>6,65,68.30</b>	<b>(1,37,57.74)</b>	<b>74,15,85.89</b>	<b>169,73,00.64</b>	<b>117,06,62.81</b>
	प्रगतिरत कार्य Work in Progress									133,90,70.12	176,42,52.34
	<b>कुल योग / Grand Total</b>	<b>183,19,22.66</b>	<b>61,92,34.52</b>	<b>1,22,70.65</b>	<b>243,88,86.53</b>	<b>66,12,59.85</b>	<b>6,65,68.30</b>	<b>(1,37,57.74)</b>	<b>74,15,85.89</b>	<b>303,63,70.76</b>	<b>293,49,15.15</b>
	पिछले वर्ष Previous Year	183,21,01.41	91,78.50	93,57.25	183,19,22.66	62,47,69.06	4,52,34.67	87,43.88	66,12,59.85	293,49,15.15	243,32,93.23

## अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11

## नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	95,11.62	14,35.91
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): (aa) Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास/ With Banks	1350,42,00.00	363,36,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	59,99,99.00	701,89,10.00
	(खख ) अन्य / (bb) Others		
	बैंकों के पास/ With Banks	127,00,00.00	25,00,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institution		
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	13,07,90.35	10,42,84.84
	(ग ) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c ) Others - Balance with Reserve Bank of India	1,00.00	1,00.00
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>1551,46,00.97</b>	<b>1100,83,30.75</b>

## अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12

## अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	<b>अग्रिम / ADVANCES</b>		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान / Prepayments	11,11,30.12	12,96,34.01
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम / Advance to Directors	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	180,14,22.30	234,74,85.14
6	कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	26,81,58.54	28,55,84.37

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
7	व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses	25,27,49.99	18,59,03.06
	<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>	<b>243,34,60.95</b>	<b>294,86,06.58</b>
	<b>अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS</b>		
1	निवेशों पर प्रौद्गत आय Income accrued on Investments	324,69,88.06	303,08,74.95
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष / Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) इकाइयों से प्राप्य Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	254,78,34.31	197,39,90.54
6	गौण/धारक इकाइयों से प्राप्य Due from subsidiaries / holding	-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)	-	-
8	आवास ऋण पर प्रौद्गत ब्याज Interest accrued on Housing Loan	1,83,58.24	2,15,49.75
9	विविध देनदार- / Sundry Debtors-		
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset	48,91.24	1,25,91.20
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	19.57	50.37
	(क) (I)	48,71.67	1,25,40.83
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ / Sub - Standard Asset	-	-
	घटाएँ : सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset	-	-
	(ख) / (II)	-	-
	सदिग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset	7,04,26.80	7,04,26.80
	घटाएँ : सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80	7,04,26.80
	(ग) / (III)	-	-
	<b>(क + ख + ग) / (I + II + III)</b>	<b>48,71.67</b>	<b>1,25,40.83</b>
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	22,62,74.71	23,74,52.93
	घटाएँ : सदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94,71.30	94,71.30
		21,68,03.41	22,79,81.63
		21,68,03.41	22,79,81.63

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits घटाएँ : सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	37,53,74.39 -	38,22,28.24 -
		37,53,74.39	38,22,28.24
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावित राशि Unclaimed Amount for Policyholder Assets जोड़ें : पॉलिसी धारकों की परिसंपत्तियों की अदावित राशि पर ब्याज Add: Interest earned on Unclaimed Amount for Poli- cyholder Assets	1,49,70.60 35,87.41	1,42,48.63 29,75.66
		1,85,58.01	1,72,24.29
13	भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी ATI Participation on behalf of Govt. of India कुल (ख) / TOTAL (B) कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)	82,44,97.90 725,32,85.98 968,67,46.93	81,23,31.00 647,87,21.23 942,73,27.81

## अनुसूची -13 / SCHEDULE -13

## वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	एजेंटों का शेष / Agent's Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	80,45,36.20	93,54,19.25
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा / Deposits held on re- insurance ceded	-	-
4	प्राप्त अग्रिम प्रीमियम / Premiums received in advance	219,68,70.77	217,16,08.73
5	अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium	40,17,53.94	48,63,80.92
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि Unclaimed Amount of Policyholders जोड़ें : पॉलिसी धारकों की अदावित राशि से अर्जित ब्याज Add: Interest earned on Unclaimed Amount of Policyholders	1,50,69.05 34,69.27	1,51,38.81 31,86.08
		1,85,38.32	1,83,24.89
7	विविध लेनदार / Sundry Creditors	37,04,00.43	81,59,85.26
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय/Due to subsidiaries/ holding company	-	-
9	बकाया दावे / Claims outstanding	6885,33,46.28	6674,15,73.27
10	कर्मचारियों को देय / Due to Employees	68,37,97.23	27,22,30.99
11	अन्य / Others - एन ई आई ए / - NEIA	18,48,85.20	18,21,36.04

12	- फ़ैक्टरिंग / - Factoring	23,14.75	27,14.15
	- विविध / - Miscellaneous	2,11,53.03	2,74,98.22
	- जी एस टी / - GST Liability	79,72.43	1,02,26.39
	बैंक की बिना रिकॉर्ड वाली रसीद Unrecorded Receipt in Bank	-	20,77,59.70
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>7354,55,68.58</b>	<b>7187,18,57.81</b>

**अनुसूची -14 / SCHEDULE -14**

**प्रावधान / PROVISIONS**

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	431,16,15.96	396,14,47.62
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	316,54,00.00	210,30,00.00
3	कराधान के लिए For Taxation	-	-
	- आय कर (अग्रिम कर को घटा कर ) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
4	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	-	-
5	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	-	-
6	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits	-	-
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service	54,17,81.86	49,50,72.55
	- उपादान / - Gratuity	5,50,06.43	2,81,49.26
	- पेंशन / - Pension	24,49,57.67	50,18,49.54
7	कम कारोबार के शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	-	-
	सर्दिंध परिसंपत्तियां-निवेश हेतु	-	-
8	For Doubtful Assets - Investment	109,97,70.60	109,97,70.60
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>941,85,32.52</b>	<b>818,92,89.57</b>

**अनुसूची -15 / SCHEDULE -15**

**विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed on issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

#### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

##### 1. लेखा प्रणाली

1.1 कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन गठित विनियम ; बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के विनियामक प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार तथा ये कम्पनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखामानकों की आवश्यकताओं के अनुकरण में तथा ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप पर तैयार किए गए हैं।

##### 1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आयेंगे।

##### 2. अचल संपत्ति तथा मूल्य हास

- 2.1 अचल सम्पत्तियों का अंकन अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य हास को घटा कर किया गया है।
- 2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची खख के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य हास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल / निपटाई गयी परिसंपत्तियों का मूल्यहास उन्हें शामिल किए जाने / निपटाने की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य हास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।
- 2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।
- 2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर

##### 1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

##### 1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

##### 2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- 2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.
- 2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.
- 2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.
- 2.4 The computer software forming integral part of

को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है, को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

- 2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखमानक नियम 2006 द्वारा जारी अड - 26 - अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं , को ङ अमूर्त ङ शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।
- 2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (उत्पन्न) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित ठेकेदारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है ।

### 3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देने हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है । जहां कहीं भी परिसंपत्ति की आगे बढ़ाई जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है ।

### 4. निवेश

- 4.1 अल्पावधि मुद्रा बाजार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।
- 4.2 शेयर, बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री के ठेकों को संव्यवहार की तारीख को “निवेश” के रूप में स्वीकार किया गया है।
- 4.3 निवेश मूल्य में अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय शामिल है तथा यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।
- 4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तर्निमित्त लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।
- 4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारत औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (फीफो) पर की गयी है।

hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

- 2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head “Intangibles” and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.
- 2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

### 3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

### 4. INVESTMENTS

- 4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.
- 4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as “Investments” as on date of Transaction.
- 4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.
- 4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.
- 4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).



- 4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।
- 4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा छूट के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।  
ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एनएवी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।
- 4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनएसई तथा बीएसई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए समव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।  
ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आईआरडीए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) जोकि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को बीएसई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारत औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया गया है।
- 4.9 अल्प व्यापारित इक्विटियों तथा असूचीबद्ध इक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।
- 4.10 सूचीबद्ध इक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी हास
- 4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.
- 4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.  
b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.
- 4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.  
b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.
- 4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.
- 4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are

हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बड़े खाते में डाला गया है।

4.11 अ) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

क) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया।

ग) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य हास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यहास के मूल्य की गणना की जाती। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बड़े खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बड़े खाते में डाला जाएगा।

ब) एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।

4.12 प्रतिवर्ती पुनर्खरीद संव्यवहारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यवहारों के 1ले व 2रे चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, "त्रिपक्षीय पुनर्खरीद प्रणाली" (टीआरईपीएस), जो कि अंकित मूल्य पर रियायत के रूप में जारी किया जाता है, को मुद्रा बाजार उपकरण के रूप में जाना जाता है। टीआरईपीएस के ज़रिये जारी किये जाने

considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs.1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Rs.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Rs. 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "TriParty Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.

वाले ऋण पर अर्जित रियायत को आय के रूप में दर्शाया गया है जिसे सामयिक आधार पर प्रभाजित किया गया है।

4.14 क) अप्राम लाभ, सूचीबद्ध ईबिट्टी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को “अंकित मूल्य परिवर्तन खाता” शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित, “अंकित मूल्य परिवर्तन खाता” में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 “शेयरधारकों” एवं “पॉलिसीधारकों” की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति ( पैरा सं) 10.2 में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः “शेयरधारकों की निधियों” व “पॉलिसीधारकों की निधियों” शीर्ष “शेयरधारकों” व “पॉलिसीधारकों” की निधि में आबंटित किया गया है ।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/अग्रिमों/डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

## 5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।आई आर डी ए आई द्वारा अपने पत्र एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी के जरिये जारी निर्देशों के अनुकरण में मार्च माह के दौरान निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदानों/बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋणों को तत्पश्चात के वर्ष के दौरान, जोखिम का अधिग्रहण एवं प्रीमियम आय के रूप में पहचान की गई है एवं उक्त निर्देशों का निरंतर पालन किया जाता रहा है।

## 6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमिय आय के 50% तक प्रावधान किया गया है ।

## 7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब मानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो तो ।

## 8. बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियाँ

8.1 रिपोर्ट की तारीख को अल्पावधि (अ.व.) रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया किए गए दावों के मामले में एवं माध्यम एवं दीर्घावधि रक्षाओं के अधीन सभी बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधि को अनुमानित देय प्रारक्षित निधि माना गया है। अल्पावधिक रक्षाओं (अ.व.) के अधीन प्रक्रिया के लिए शेष बकाया दावों के लिए

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head “Fair Value Change Account” and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the “Fair Value Change Account” is not available for distribution.

4.15 “Allocation of Investments into Shareholders’ & Policyholders’ Funds”: Investments of the Company are allocated to Shareholders’ and Policyholders’ funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders’ Fund and Policyholders’ Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

## 5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk. The assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters/export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year as per the directions of IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, and the same is consistently followed.

## 6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

## 7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

## 8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years claim paid experience. Such provision is

पूर्व के वर्षों में प्रदत्त दावा अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण पर आधारित औसत दर की गणना पर प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान का उपलब्ध जानकारी / जांच / सहायक दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर निरंतर उचित संशोधन किए जाते रहेंगे।

- 8.2 यह भी कि, दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए लेखांकित किया गया है।
- 8.3 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :
- (i) कंपनी द्वारा नामंजूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा/अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के मामलों के लिए वित्तीय विवरणों में दावों के अधीन प्रावधान किया गया है।
- (ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं द्वारा पुष्टि अनुसार देयों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।
- उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में यदि ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

## 9. पुनर्बीमा

- 9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से किया गया है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का निर्धारण उसी वर्ष किया गया जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।
- 9.2 पुनर्बीमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में किया गया है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।
- 9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की गणना लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित अनुसार की गयी है।
- 9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्तियोग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

## 10. प्रबंधन व्यय

- 10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित

progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

- 8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.
- 8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:
- (i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.
- (ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.
- Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

## 9. REINSURANCE

- 9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.
- 9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.
- 9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.
- 9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

## 10. EXPENSES OF MANAGEMENT

- 10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account.

व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखनीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

- 10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः “शेयरधारक निधि” व “पॉलिसीधारक निधि” के रूप में प्रभाजित किया गया है। “शेयरधारक निधि” में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। “पॉलिसीधारकों” की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।
- 10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

## 11. कर्मचारी लाभ

- 11.1 कंपनी सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान, एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा कंपनी में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।
- 11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों लिए प्रावधान किए गए हैं।
- 11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान, दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 11.4 भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभाजित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।
- 11.5 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। निगम, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होंने 31/03/2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का

Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

- 10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Unexpired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.
- 10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

## 11. EMPLOYEE BENEFITS

- 11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.
- 11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.
- 11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of avilment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.
- 11.4 Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.
- 11.5 Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan,

विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्ति को गारंटी देता है, प्राप्ति में हुई कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई कंपनी करेगी।

- 11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करती है। वे कर्मचारी जिन्होंने 31/03/2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगा।
- 11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करती है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।
- 11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।
- 11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

## 12. आय कर

- 12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी यह विश्वास दिलाते हुए सबूत प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

@ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.

- 11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.
- 11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis
- 11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.
- 11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.
- ## 12. INCOME TAX
- 12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित कानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यहास है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

### 13. प्रावधान, आकस्मिक देयताए व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधानों करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी की संभावित देयता अथवा वर्तमान दायित्व होते हैं तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो आँका गया है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

### 14. फ़ैक्टरिंग

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न होते हैं तब की गयी है।

14.2 फ़ैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फ़ैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Company will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

### 13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

### 14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in

- 14.4 निपटान/मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।
- 14.5 समय समय पर अधिसूचित आईआरडीए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आईआरडीए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है:

मानक परिसंपत्तियाँ:	i. 10% के सामान्य प्रावधान ii. असुरक्षित अटल आरम्भ (जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य अटल आरम्भों 10% से अधिक न हो) के लिए 10% के अतिरिक्त प्रावधान
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
-सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक 20% ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक 30% iii. तीन वर्षों से अधिक 100%
-असुरक्षित अंश	100%
हानि परिसंपत्ति :	100%

#### 15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एनईआईए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

#### 16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 16.1 आरंभिक मान्यता-विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है
- 16.2 परिवर्तन-विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत गत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।
- 16.3 विनिमय अंतर-मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है

foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients

- 14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab- initio)
Doubtful Assets:	
-Secured portion:	i. Upto one year – 20% ii. One to three years – 30% iii. More than three years – 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

#### 15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

#### 16. FOREX TRANSACTIONS

- 16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.
- 16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- 16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.



**अनुसूची 17 / SCHEDULE 17****लेखों से संलग्न तथा उनका हिस्सा बनाने वाली टिप्पणियाँ****NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:****1. वित्तीय विवरण तैयार करना**

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ( आई आर डी ए ) ( वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ) विनियमन 2002 ; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

**2. स्वीकृत राशियों की वसूली क्षमता**

प्रबंधन की राय में कारोबार की सामान्य स्थिति में , चालू परिसंपत्तियों , ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

**3. अचल आस्तियां**

3 (क) अचल परिसंपत्तियों में, ₹398.47 हजार (पिछले वर्ष ₹398.47 हजार) के वे “बिल्डिंग” शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें ₹5,77,43.90 हजार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हजार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं/वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि , इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को - ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

3 (ख) कम्पनी ने “दलामल हाउस” को पट्टे पर लिया है एवं कथित संपत्ति के लिए पट्टे के समझौते के आधार पर निर्धारित दर पर खरीद के लिए प्रति रूपांतरणीय अधिकारों का उपयोग किया है। तथापि पट्टेकर्ता द्वारा इसे मंजूर नहीं किया गया है एवं ईसीजीसी द्वारा निर्धारित निष्पादन के लिए दावा दायर किया गया है । हालाँकि दिनांक 07/07/2016 के आदेश के ज़रिये दावे का निर्णय कम्पनी के लिए प्रतिकूल रहा जिसके विरुद्ध कम्पनी ने अपील किया है. अपील अभी लंबित है । यह नोट किया गया है कि कथित परिसर को अभी तक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है , तथापि कम्पनी द्वारा कथित परिसर की खरीद के लिए प्रति रूपांतरण के अधिकारों के लिए न्यायालय के समक्ष दावा दायर किया गया है ।

**4. अग्रिम तथा अन्य आस्तियां :**

4 (क) अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :  
कंपनी के खिलाफ दायर मामलों तथा निर्णय हेतु प्रतीक्षित मामलों

**1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

**2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS**

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

**3. FIXED ASSETS:**

3 (a) “Buildings” under Fixed Assets include certain properties costing ₹3,98.47 thousand (previous year ₹3,98.47 thousand) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousand (previous year ₹5,77,43.90 thousand) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

3 (b) The Company had taken the “Dalamal House” on lease and had exercised reversionary rights to purchase the said property at a given rate as per the Lease Agreement. However, the Lessor did not agree and ECGC filed a suit for specific performance. This suit was decided unfavourable to the Company vide Order dated 07/07/2016 against which Company filed an Appeal. The Appeal is pending. It is noted that the said premises is not yet classified as asset, however the Company is contesting the matter before a Court of Law to exercise reversionary rights to purchase the said assets.

**4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:**

4 (a) Advances and other assets include:

में न्यायालय के आदेशों के अनुकरण में न्यायालयों में कुल ₹24,17,68.89 हजार (पिछले वर्ष ₹17,81,87.22 हजार) जमा किए गए हैं। उसे विविध जमाओं के अधीन दर्शाया गया है।

- 4 (ख) कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़े तो अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।
- 4 (ग) समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) के लिए सू प्रौ विक्रेता से वसूली योग्य ₹17,23,92.70 हजार (पिछले वर्ष के लिए ₹17,23,92.70 हजार) का प्रावधान शामिल है जिसे “अन्यों से वसूलीयोग्य राशि” में दर्शाया गया है। मामला मध्ययता के अधीन है , क्योंकि विक्रेता ने कम्पनी के ₹29,17,48.34 हजार की मांग के खिलाफ ₹146,98,02.40 हजार दावा दायर किया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)
- 4 (घ) अग्रिम एवं अन्य आस्तियां (अनुसूची 12) में एक पुनर्बीमा कम्पनी से उनके साथ जून 2014 में की गयी अतिरिक्त हानि सम्बन्धी संधि के कारण उनके द्वारा दायर किये गए दावे के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रायों में ₹ 171,78,48.42 शामिल हैं। कम्पनी द्वारा पुनर्बीमा कम्पनी के साथ कई अनुकूल विचार विमर्श किये गए एवं संभावना है कि इस राशि की वसूली की जाए ।
- 4 (च) अग्रिम एवं अन्य आस्तियां (अनुसूची 12) में रु में ₹82,44,97.90 हजार (₹81,23,31.00) का भारत सरकार की ओर से अफ्रीकन ट्रेड इंश्योरंस ( ए टी आई ) को स्थानांतरित किया गया है। ए टी आई ने ₹1,21,66.90 हजार (1,62.00 हजार अमेरिकी डॉलर) का लाभांश घोषित किया एवं उसे इसी वित्तीय वर्ष के दौरान आहारित कर लिया गया।

## 5. चालू देयताएं :

- 5 (क) चालू देयताओं में, कम्पनी के कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना ( पी एल एल आई ) के लिए ₹70,20.00 हजार (पिछले वर्ष ₹1,39,50.00 हजार ) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2021 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।
- 5 (ख) कंपनी ने, प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए देय वेतन संशोधन हेतु ₹65,11,48.00 हजार का प्रावधान किया गया है जिसमें 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए ₹21,99,69.00 हजार का विभेदक प्रावधान शामिल है तथा कर्मचारियों को उसकी

An amount of ₹24,17,68.89 thousand (previous year ₹17,81,87.22 thousand) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

- 4 (b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.
- 4 (c) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹17,23,92.70 thousand for the year ended (previous year ₹17,23,92.70 thousand) recoverable from an IT Vendor and is mentioned as “Amount Recoverable from Others”. This matter is under arbitration as the Vendor has filed a counter claim of ₹146,98,02.40 thousand as against Company's demand of ₹29,17,48.34 thousand. The amount of ₹146,98,02.40 thousand is also included in Contingent Liability (refer note below).
- 4 (d) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹171,78,48.42 thousand as receivables from one of the Reinsurance companies on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. The Company had several rounds of positive discussions with the Reinsurance Company and there is a high probability that the amount shall be recovered.
- 4 (e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes amount of ₹82,44,97.90 thousand (previous years ₹81,23,31.00 thousand) capitalised in African Trade Insurance (ATI) on behalf of the Govt. of India. ATI has declared dividend of ₹1,21,66.90 thousand (USD 1,62.00 thousand) and the same is capitalised during the current year.

## 5. CURRENT LIABILITIES:

- 5 (a) Current Liabilities include ₹70,20.00 thousand (previous year ₹1,39,50.00 thousand) towards Productivity Linked Lump sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31<sup>st</sup> March, 2021 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.
- 5 (b) The Company has made a provision of ₹65,11,48.00 thousand towards wage revision due to its employees based on prevalent Industry practices which includes differential provision of ₹21,99,69.00 thousand attributable to the period 1<sup>st</sup> August, 2017 to 31<sup>st</sup> March, 2020 and the same will

अदायगी वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

5 (ग) कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावों के लिए किए गए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) ₹5740,47,70.49 हजार (पिछले वर्ष य ₹4819,59,31.75 हजार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

#### 6. प्रावधान

₹110,00,00.00 हजार (109,97,70.60 हजार अंकित मूल्य वाले) के डिबेंचरों में किये गए निवेश को पूर्ण रूप से अशोध्य माना गया है एवं आई आर डी ए आई ए के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पूर्व के वर्षों में उसके लिए लेखों में प्रावधान किया गया है। इसे अशोध्य आस्तियों के लिए प्रावधान-निवेश शीर्ष में-अनुसूची 14 में दर्शाया गया है।

#### 7. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹19.57 (पिछले वर्ष रु 50.37) तथा आई आर डी ए आई मानदंडों के अनुसरण में संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए ₹7,04,26.80 हजार (पिछले वर्ष ₹7,04,26.80) प्रावधान किया है।

#### 8. पुनर्बीमा

कंपनी द्वारा, भारतीय साधारण बीमा कंपनी के लिए आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक अनुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा गया। पॉलिसी के अधीन 15% (पिछले वर्ष 26%), जी आई सी आर ई (6%), स्कोर आर ई (5%), हैनोवर आर ई (4%), एवं ईसीआईबी के अधीन 8% (पिछले वर्ष 14.5%) जी आई सी आर ई (2.5%), स्कोर आर ई (2.5%), हैनोवर आर ई (3%) के साथ कोटा शेयर का अध्यापण की संधि की गयी। कम्पनी ने उक्त पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि (एस टी) के लिए हानि की अधिकता संधि (XOL) अध्यापित की है।

be payable to the employees upon approval from the Ministry of Commerce & Industry, Government of India.

5 (c) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management, the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹5740,47,70.49 thousand (previous year ₹4819,59,31.75 thousand) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

#### 6. PROVISIONS

Investment in Debentures amounting to ₹110,00,00.00 thousand Face Value (Book Value 109,97,70.60) is fully treated as doubtful and provided in the Books of accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Doubtful Assets - Investment – Schedule 14.

#### 7. FACTORING

The Company has made provision of ₹19.57 thousand (previous year ₹50.37 thousand) on account of standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousand in line with IRDAI norms.

#### 8. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short-Term as well as Medium and Long-Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance company of India. Quota Share cession under Policy is 15% (previous year 26%) – with GIC Re (6%), SCOR Re (5%), Hannover Re (4%) and under ECIB is 8% (previous year 14.5%) – with GIC Re (2.5%), SCOR Re (2.5%) and Hannover Re (3%). The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for short Term (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier year was as under:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्स ओ एल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	कोई XOL उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	XOL उपलब्ध
2009-10	10%	15%	XOL उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	कोई XOL उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	XOL उपलब्ध
2012-13	10%	12%	XOL उपलब्ध
2013-14	5%	15%	XOL उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	XOL उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	XOL उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	XOL उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	XOL उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	XOL उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	XOL उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	XOL उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	XOL उपलब्ध
2018-19 (पॉलिसी)	5%	26%	XOL उपलब्ध
2018-19 (ईसीआईबी)	5%	21.50%	XOL उपलब्ध
2019-20 (पॉलिसी)	5%	26%	XOL उपलब्ध
2019-20 (ईसीआईबी)	5%	14.5 %	XOL उपलब्ध

Financial year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (Only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available
2018-19 (Policy)	5%	26%	XOL available
2018-19 (ECIB)	5%	21.5%	XOL available
2019-20 (Policy)	5%	26%	XOL available
2019-20 (ECIB)	5%	14.5%	XOL available

**9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते ( ए आर टी )**

कंपनी ने, कोटा शेयर आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए 46 म व दी रक्षाओं (पिछले वर्ष 50 म व दी र) के लिए शुल्क की अदायगी कर एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹4,88,44.53 हजार ( पिछले वर्ष ₹4,74,82.00 हजार ) एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किए।

**9. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)**

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with the NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from the NEIA Trust for 46 MLT covers (previous year 50 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2020-21. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹4,88,44.53 thousand (previous year ₹4,74,82.00 thousand) to

**10. प्रीमियम आय**

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2021 के अंत तक, किए गए पोटलदानों/प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹ 49,52,47.60 हजार (पिछले वर्ष ₹67,07,47.92 हजार) के प्रीमियम को पिछले वर्ष के प्रीमियम के रूप में स्वीकार किया है। आई आर डी ए के पत्र सं ३४४अ/३४४उ/डठ/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी 2014 के जरिये निगम द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई।

**11. एन ई आई ए ट्रस्ट**

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल ₹2,65,29.75 हजार (पिछले वर्ष ₹2,48,68.09 हजार)को अन्य आय में शामिल किया गया है। अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹18,48,85.20 हजार (पिछले वर्ष ₹18,21,36.04 हजार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं - अन्य - एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

**12. कोविड - 19**

महामारी के असर को कम करने के लिए भा रि बै ने भारत में निर्यात प्राप्तियों की वसूली की अवधि एवं वापस लाने के लिए कुछ रियायत उपाय किये हैं। सरकार के रियायतों के सामानांतर कम्पनी ने भी अपने ग्राहकों के लिए जारी की गयी रक्षाओं की शर्तों में कुछ छूट प्रदान किये हैं। कम्पनी परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए चालू वर्ष के लिए अपने वित्तीय स्थिति का कोविड-19 का अपने कारोबार पर होने वाले प्रभाव का संज्ञान लिया। कम्पनी को विश्वास है कि परिणामी दावे को भी निपटाया जा सकता है। बीमांकिक अनुमानों के आधार पर हमने हमारे लेखा बहियों में योग्य प्रावधान कर लिए हैं एवं उसका उल्लेख आई बी एन आर व आई बी एन ई आर में शामिल किया गया है। परिणामी चूकों एवं अपेक्षित दावों को ध्यान में रखते हुए आई बी एन आर व आई बी एन ई आर में किए गए प्रावधानों को पिछले वर्ष के ₹4819.59 करोड़ रु से बढ़ा कर ₹5740.48 करोड़ रु किया गया है। आई बी एन आर हेतु अनुमानों के लिए, किए गए अनुमानों में, कोविड जोखिम के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावी अनिश्चितता हेतु दूरदर्शी मार्जिन शामिल किए गए हैं। आगे आई आर डी ए आई द्वारा सूचित अनुसार हमने निम्नलिखित परिस्थितियों में शोधन क्षमता का तनाव परिक्षण किया है :-

13(क) कम्पनी ने पॉलिसी धारक के दावे को नामंजूर कर दिया है, जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक ने संविदा के निष्पादन के लिए कम्पनी के खिलाफ दावा दायर कर दिया है एवं मामला दिनांक 31.03.2021 तक निर्णयाधीन है। आगे अनुसूची 13-चालू देयताएं' के अधीन विभिन्न पॉलिसी धारकों से प्रीमियम के रूप में प्राप्त ₹2,32,44.55 हजार की राशि का पॉलिसी धारक से धोषणा की अप्राप्ति के कारण समायोजन नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009

NEIA Trust.

**10. PREMIUM INCOME**

Premium income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2020 at ₹49,52,47.60 thousand (previous year ₹67,07,47.92 thousand) which is recognised in subsequent year. IRDAI vide its letter No. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

**11. NEIA TRUST**

The administrative charges receivable by the Company from the NEIA Trust of ₹2,65,29.75 thousand (previous year ₹2,48,68.09 thousand) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹18,48,85.20 thousand (previous year ₹18,21,36.04 thousand), are included in Current Liabilities - Others - NEIA Trust.

**12. COVID 19**

In order to reduce the impact of pandemic, RBI has brought in certain measures relaxing period of realisation and repatriation of export proceeds to India. In line with the Govt. relaxations the Company has also relaxed its terms of covers issued to its clients. The Company has further taken cognizance of the impact of COVID 19 on its business and made assessment of the situation on its financials for the current year. The Company is confident that the resultant claims will be manageable. On the basis of actuarial estimation we have provided the suitable provisions in our books of accounts and same is included in IBNR & IBNER provision. The IBNR & IBNER provision has been increased to Rs.5740.48 crore from Rs.4819.59 crore previous year due to resultant increase in defaults and expected claims. For the IBNR estimates, the assumptions used have prudent margins to reflect any uncertainty arising out of COVID exposure.

13. (a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2021 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 - Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousand of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousand as the minimum premium to the Company and the

को समाप्त हो गयी है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक ने कम्पनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में कम्पनी को ₹2,40,00.00 हजार की अदायगी की थी। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का प्रावधान है तथा विचाराधीन मामला होने के कारण ₹2,32,44.55 हजार की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम प्रीमियम के अतिरिक्त के ₹30,000 हजार रु सहित) अनुसूचि 13 के “विविध देनदार” शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

- 13(ख) आगे अनुसूची 13 - चालू देयताओं के अधीन “विविध देनदारों” में बैंकों द्वारा निर्यातक - उधारकर्ता को प्रदान किये गए गारंटी पर विभिन्न बैंकों को कम्पनी द्वारा रक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम पर ₹24,61.77 हजार ( पिछले वर्ष ₹24,61.77 हजार ) की राशि शामिल है। कम्पनी द्वारा कथित राशि को स्वीकार नहीं किया गया है एवं इस सम्बन्ध में बैंकों को , रक्षा में विस्तार करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए पत्र जारी किया जा चुका है। कम्पनी ने कथित प्रीमियम राशि को वापस लौटा दिया है परन्तु कुछ बैंकों ने वापस लौटाई हुई राशि को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार कम्पनी ने सम्बंधित राशि को “विविध देनदार” शीर्ष में दर्शाया है।
14. विविध लेनदारों, विविध देनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन होंगे।
15. निगम द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कम्पनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है।

16. पूर्व अवधि समायोजन:

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	52,12.36	-
अन्य	1,55.88	20.00
मूल्यहास	2,57,50.98	-
मरम्मत एवं रखरखाव	1,34.05	2,38.39
संपत्ति कर-अंधेरी संपत्ति	2,32,35.67	-
आवास ऋण पर ब्याज	-	2,13.95
<b>कुल</b>	<b>5,44,88.94</b>	<b>4,72.34</b>

balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousand (including amount of ₹30,00.00 thousand being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

13. (b)Further, ‘Sundry Creditors’ under ‘Schedule 13 - Current Liabilities’ includes an amount of ₹24,61.77 thousand ( previous year ₹24,61.77 thousand) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head ‘Sundry Creditors’.
14. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including amount recoverable, Deposits premium accounts including personal ledger balances of insureds, minimum premium account, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.
15. As per the Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Head Office Claims Committee (HCC) within their delegated powers by condoning some lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

16. Prior Period Adjustments Include:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	52,12.36	-
Others	1,55.88	20.00
Depreciation	2,57,50.98	-
Repair and Maintenance	1,34.05	2,38.39
Property Tax - Andheri Premises	2,32,35.67	-
Interest On Housing Loan	-	2,13.95
<b>Total</b>	<b>5,44,88.94</b>	<b>4,72.34</b>

## 17. विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं व्यय :

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किये गए दावे	-	1,19,43.75
पुनर्बीमा *	39,08,29.67	68,48,69.66
अन्य प्राप्तियां	46.56	1,86,70.85

(₹ '000)

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क एवं अन्य व्यय	24,15.22	35,40.18
यात्रा व्यय	-	46,33.35
हैसियत जांच शुल्क	1,30,39.93	1,09,16.85
पुस्तक एवं पुस्तिकाएं	40,79.79	40,30.26

\*पुनर्बीमा अर्जन, पुनर्बीमा प्रीमियम के निवल प्रदत्त दावों के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त वसूलियां हैं।

18. कम्पनी के किसी भी प्रकार के व्युत्पन्न अनुबंध अथवा वायदा अनुबंध नहीं हैं। कम्पनी का विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का जोखिम नहीं है (अरक्षित)।

## 19. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी एकल खंड "निर्यात ऋण बीमा" में परिचालन करती है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है। वर्ष के दौरान ₹5,02,35.43 हजार रु (पिछले वर्ष ₹2,14,44.43 हजार रु) के बिल फैक्टर किए गए हैं। वर्ष के दौरान ₹6,80.40 हजार रु (पिछले वर्ष ₹3,78.82 हजार रु) राजस्व उपाजित हुए हैं। लाभ अथवा हानि एवं आस्तियां कुल क्षेत्रवार गतिविधि के 10% हैं अतः यह ए एस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य नहीं है।

20. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन

## (i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

क्र सं	नाम	पदनाम
1	श्री एम सेंथिलनाथन	दि 29.04.2020 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक दि 28.04.2020 तक कार्यपालक निदेशक (पॉ मा) एवं दि 01.11.2019 से 28.04.2020 तक अ प्र नि अतिरिक्त प्रभार

## 17. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	-	1,19,43.75
Re-insurance*	39,08,29.67	68,48,69.66
Other Receipt	46.56	1,86,70.85

(₹ '000)

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	24,15.22	35,40.18
Travelling expenses	-	46,33.35
Status Enquiry Fees	1,30,39.93	1,09,16.85
Books and periodicals	40,79.79	40,30.26

\*Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

18. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

## 19. SEGMENTAL REPORTING (Accounting Standard 17)

The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. The Company also provide factoring activities to exporters. Total bill factored during the year amounting to ₹5,02,35.43 thousand. (previous year ₹2,14,44.43 thousand) Total revenue during the year is ₹6,80.40 thousand (previous year ₹3,78.82 thousand). Since factoring revenue, profit or loss and assets are less than 10% of total segment activity, therefore, it is not reportable segment as per AS 17.

20. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

## (i) Key Management Personnel:

Sr. No.	Name	Designation
1	Shri M. Senthilnathan	Chairman-cum-Managing Director Since 29.04.2020 Executive Director (Policy Matters) up to 28.04.2020 and additional charge as CMD from 01.11.2019 to 28.04.2020

2	श्रीमती आर पद्मावती	दि 15.05.2020 से 30.06.2020 तक कार्यपालक निदेशक (पॉ मा) दि 15.05.2020 तक कार्यपालक निदेशक (परिचालन)
3	श्री सुनील जोशी	दिनांक 01.07.2020 से कार्यपालक निदेशक ( पॉ मा ) दिनांक 15.05.2020 से 30.06.2020 तक कार्यपालक निदेशक ( परिचालन ) दिनांक 15.05.2020 तक महाप्रबंधक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक
4	श्री सी एन ए अंबरसन	दिनांक 23.09.2020 से कार्यपालक निदेशक ( परिचालन ) दिनांक 22.09.2020 तक महाप्रबंधक , मुख्य बीमांकन अधिकारी ( ई सी आई बी - अल्पावधि )
5	श्री पी एल ठाकुर	दिनांक 24.09.2020 से महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी ( ई सी आई बी - अल्पावधि ) दिनांक 21.05.2020 से महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी ( म व दी अ ) एवं 20.05.2020 तक मुख्य बीमांकन अधिकारी (पॉलिसी - अल्पावधि)
6	श्री शिवाजी नार्वेकर	दिनांक 28.02.2021 तक महाप्रबंधक, मुख्य विपणन अधिकारी एवं पारदर्शिता अधिकारी
7	श्री ईशनाथ झा	दिनांक 21.05.2020 से महाप्रबंधक, मा सं वि व दिनांक 08.05.2019 से 20.05.2020 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी
8	श्री सृष्टिज अंबष्ठ	दिनांक 21.05.2020 से महाप्रबंधक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक दिनांक 20.05.2020 तक महाप्रबंधक ( मा सं वि )
9	श्री निर्दोष चोपड़ा	दिनांक 21.05.2020 से मुख्य बीमांकन अधिकारी (पॉलिसी - अल्पावधि) दिनांक 01.07.2019 से 20.05.2020 आरके महाप्रबंधक , मुख्य बीमांकन अधिकारी ( म व दी अ )
10	श्री निर्दोष चोपड़ा	दिनांक 21.05.2020 से मुख्य वित्तीय अधिकारी , पारदर्शिता अधिकारी एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
11	सुश्री स्मिता पंडित	मुख्य अनुपालन अधिकारी
12	सुश्री पृसीला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक
13	सुश्री अर्पिता सेन	मुख्य निवेश अधिकारी

2	Smt R Padmavathy	Executive Director (Policy Matters) from 15.05.2020 to 30.06.2020 Executive Director (Operations) up to 15.05.2020
3	Shri Sunil Joshi	Executive Director (Policy Matters) Since 01.07.2020 Executive Director (Operations) from 15.05.2020 to 30.06.2020 General Manager, Chief Vigilance Officer, Chief of Internal Audit up to 15.05.2020
4	Shri C N A Anbarasan	Executive Director (Operations) Since 23.09.2020 General Manager, Chief Underwriting Officer (ECIB-ST) up to 22.09.2020
5	Shri P L Thakur	General Manager, Chief Underwriting Officer ECIB-ST) Since 24.09.2020 General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) Since 21.05.2020 and Chief Underwriting Officer (Policy ST) up to 20.05.2020
6	Shri Shivaji Narvekar	General Manager, Chief Marketing Officer and Transparency Officer up to 28.02.2021
7	Shri Ishnath Jha	General Manager, HRD from 21.05.2020. Chief Financial Officer from 08.05.2019 to 20.05.2020
8	Shri Sristiraj Ambastha	General Manager, Chief Vigilance Officer, Chief of Internal Audit Since 21.05.2020 General Manager (HRD) up to 20.05.2020 Internal Audit Since 21.05.2020 General Manager (HRD) up to 20.05.2020
9	Shri Subir Kumar Das	Chief Underwriting Officer (Policy-ST) Since 21.05.2020 General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) Since 01.07.2019 up to 20.05.2020
10	Shri Nirdosh Chopra	Chief Financial Officer, Transparency Officer and Chief Risk Officer Since 21.05.2020
11	Smt. Smita V Pandit	Chief Compliance Officer
12	Ms. Priscilla Sinha	Appointed Actuary
13	Ms. Arpita Sen	Chief Investment Officer



(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां :

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	4,15,26.96	4,60,95.63
नियुक्त बीमांकिक	85,43.28	80,03.97

(iii) वर्ष के दौरान सम्बंधित पक्षों के साथ किये गए संव्यवहार

(क) एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

क्र सं	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	2,65,29.75	2,48,68.09
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (आज की तारीख तक शेष)	18,48,85.20	18,21,36.04
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम (आज की तारीख तक बकाया)	7,37,88.39	10,40,95.92
4	वर्ष के अंत तक बकाया शेष-नामे शेष	3,23,53.19	3,84,68.97
5	प्रदत्त गारंटी शुल्क	4,88,44.53	4,74,82.00

(ख) मेसर्स टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ( इंडिया )

(₹ '000)

क्र सं	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	सी एस आर गतिविधियों के अधीन दान	12,77.50	-

**21. आस्थगित कर लेखांकन**

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल ₹ 2,95,89.55 हजार (पिछले वर्ष ₹10,59,28.58 हजार का जमा) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक ₹44,24,70.76 हजार (पिछले वर्ष ₹ 41,28,81.21 हजार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं :

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and Allowances	4,15,26.96	4,60,95.63
Appointed Actuary	85,43.28	80,03.97

(iii) Transactions during the year with related parties:

(a) NEIA Trust

(₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	2,65,29.75	2,48,68.09
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	18,48,85.20	18,21,36.04
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	7,37,88.39	10,40,95.92
4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	3,23,53.19	3,84,68.97
5	Guarantee Fees paid	4,88,44.53	4,74,82.00

(b) M/s Technocraft Industries (India)

(₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous year
1	Donation Under CSR Activity	12,77.50	-

**21. DEFERRED TAX ACCOUNTING**

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Debit during the year amounting to ₹2,95,89.55 thousand (previous year debit ₹10,59,28.58 thousand). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹44,24,70.76 thousand (previous year Deferred Tax Assets ₹41,28,81.21 thousand). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

विवरण	01/04/2019 का आरम्भ शेष	वर्ष के दौरान प्रभारित/जमा	31/03/2020 तक
देयता			
मूल्यहास	2,57,50.72	(35,11.84)	2,22,38.88
<b>कुल</b>	<b>2,57,50.72</b>	<b>(35,11.84)</b>	<b>2,22,38.88</b>
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	12,45,99.86	1,17,55.80	13,63,55.66
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	29,69,11.70	(7.76)	29,69,03.94
उपदान हेतु प्रावधान	62,19.35	76,24.67	1,38,44.02
पी एल एल आई	35,10.94	(17,44.15)	17,66.79
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	73,90.08	84,49.15	1,58,39.23
<b>कुल</b>	<b>43,86,31.93</b>	<b>2,60,77.71</b>	<b>46,47,09.64</b>
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	41,28,81.21	2,95,89.55	44,24,70.76

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01-04-2020	Charge/ Credit during the year	Closing at 31-03-2021
<b>Liability</b>			
Depreciation	2,57,50.72	(35,11.84)	2,22,38.88
<b>Total</b>	<b>2,57,50.72</b>	<b>(35,11.84)</b>	<b>2,22,38.88</b>
<b>Assets</b>			
Provision for leave encashment	12,45,99.86	1,17,55.80	13,63,55.66
Provision for doubtful debts	29,69,11.70	(7.76)	29,69,03.94
Provision for gratuity	62,19.35	76,24.67	1,38,44.02
PLLI	35,10.94	(17,44.15)	17,66.79
Wage Revision (PF& leave encashment)	73,90.08	84,49.15	1,58,39.23
<b>Total</b>	<b>43,86,31.93</b>	<b>2,60,77.71</b>	<b>46,47,09.64</b>
<b>Deferred Tax Asset/ (Liability)</b>	<b>41,28,81.21</b>	<b>2,95,89.55</b>	<b>44,24,70.76</b>

22. प्रति शेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :  
(₹ '000)

क्र स	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹000)	460,30,48.96	323,83,97.41
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	28,74,82,192	22,98,63,691
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	16.01	14.09
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

22. Earnings Per Share is calculated as under:

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	460,30,48.96	323,83,97.41
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	28,74,82,192	22,98,63,691
c)	Earnings per share: Basic (₹)	16.01	14.09
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

## 23. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	172,65,64.00	172,82,61.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	1053,66,45.00	1052,15,10.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	377,00,00.00	377,00,00.00
6.	आय कर	47,64.75	47,64.75

## 24. पूँजी दायित्व

कुल बकाया पूँजी दायित्व ₹ 205,38,10.02 हजार (पिछले वर्ष ₹ 203,63,09.93 हजार)

25. आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा किये गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर ₹ 316,54,00.00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 210,30,00.00 हजार) के प्रीमियम में कमी हेतु प्रारक्षण किये गए हैं।

## 26. निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए प्रारक्षित निधि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

विवरण	राशि
व्यय हेतु निर्धारित राशि (क)	35,34.02
कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार व्यय हेतु निर्धारित राशि (ख)	7,00,00.00
कुल उपलब्ध राशि (ग = क + ख)	7,35,34.02
वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि (घ)	3,77,53.48
सी एस आर गतिविधियों के अधीन शेष कुछ अव्ययित राशि (च = ग घ)	3,57,80.54

## 23. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	172,65,64.00	172,82,61.00
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	1053,66,45.00	1052,15,10.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Income Tax	377,00,00.00	377,00,00.00
6.	ESI, EPF and Stamp Act.	47,64.75	47,64.75

## 24. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹ 205,38,10.02 thousand (previous year ₹ 203,63,09.93 thousand).

25. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, premium deficiency reserve of ₹ 316,54,00.00 thousand (previous year ₹ 210,30,00.00 thousand) is provided as per IRDAI requirements.

## 26. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2020-21 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(₹ '000)

Particulars	Amount
Amount committed to be spent (A)	35,34.02
Amount to be spent as per section 135 of Companies Act, 2013 (B)	7,00,00.00
Total available amount (C=A+B)	7,35,34.02
Amount spent during the year (D)	3,77,53.48
Total unspent amount balance under CSR activities (E=C-D)	3,57,80.54

27. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

**28. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों ( अनुसूची 8 ) में शामिल निवेशों में :**

क) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार समव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को ₹4,99,25.00 हजार ( पिछले वर्ष ₹4,99,25.00 हजार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड ) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

ख) निगम द्वारा पार्ष्विक उधारों तथा उधार देने दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कम्पनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17.00 हजार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हजार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड ) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

**29. निवेश**

वर्ष 2018-19 में कम्पनी ने ₹290,58,37.42 हजार के बही मूल्य (₹275,00,00.00 हजार अंकित मूल्य ) को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन में से शेयरधारक निधि के लिए अलग वर्गीकृत किया. पैरा 4 ( छ ) में उल्लिखित अनुसार अप्रीकन ट्रेड इन्श्योरेंस में अंतरित करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2021 को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन के रूप में ₹237,73,86.62 हजार बही मूल्य (₹225,89,65.97 हजार अंकित मूल्य) शेष रहा ।

**30. कर्मचारी लाभ :**

(ख) कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना ( एन पी एस ) में शामिल किया गया है।

(ग) कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

(घ) परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

(ङ) आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 ( 2005 में संशोधित ) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों

27. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure – 1A & 1B.

**28. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:**

(a) 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25.00 thousand (previous year ₹4,99,25.00 thousand 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

(b) 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17.00 thousand (previous year ₹93,17.00 thousand 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

(c) 7.06% 2046 Government of India bonds having face value of ₹40,00,00.00 thousand (previous year NIL) is charged to National Stock Exchange Limited towards margin for secondary market equity transactions entered into by the company as per the regulatory requirement.

**29. Investments**

In the year 2018-19, Company has segregated ₹290,58,37.42 thousand Book Value (Face Value ₹275,00,00.00 thousand) for Shareholders Fund in excess of solvency margin. After transfer to the African Trade Insurance as mentioned in para 4(e), balance in the Shareholders fund in excess of Solvency Margin as on March 31, 2021 is ₹237,73,86.62 thousand Book Value (Face Value ₹225,89,65.97 thousand).

**30. EMPLOYEE BENEFITS:**

(a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by the New Pension Scheme (NPS) under the Defined Contribution Scheme.

(b) The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each eligible employee.

(c) In case of employees who are eligible for the Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

(d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that

द्वारा स्थापित भविष्य निधि , जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।

- (च) भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि , भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है। तथापि कंपनी द्वारा पिछले वर्ष 2019-2020 के लिए ब्याज की कमी से निपटने के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट को वर्ष के दौरान ₹25,75.12 हजार की अदायगी की गयी है।
- (छ) उपदान तथा अधिवर्षिता (पेंशन), जो वित्त पोषित कर्मचारी लाभ योजनाएँ हैं के लिए अवधि के दौरान कर्मचारी लाभ के विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

क्र स	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	तुलन पत्र में स्वीकार किया गया		
	निर्धारित सुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य	54,17,81.86	49,50,72.55
	वर्ष के आरंभ में देयता	49,50,72.55	45,12,51.38
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	(4,67,09.31)	(4,38,21.17)

- (छ) उपदान तथा अधिवर्षिता (पेंशन), जो वित्त पोषित कर्मचारी लाभ योजनाएँ हैं के लिए अवधि के दौरान कर्मचारी लाभ के विवरण निम्नानुसार हैं :

## पेंशन

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	364,75,12.12	336,34,47.37
	ब्याज लागत	24,83,95.58	26,16,76.21
	वर्तमान सेवा लागत	12,50,24.11	11,42,42.30
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(40,26,58.20)	(51,85,52.90)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	22,29,71.59	42,66,99.14
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ देयताएं	384,12,45.20	364,75,12.12

provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

- (e) As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the interest payable on the Provident fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account. However, the Company has paid ₹25,75.12 thousand during the year to the Provident Fund Trust to meet the shortfall of Interest for the previous year 2019-20.
- (f) The employees of the Company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the Company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	54,17,81.86	49,50,72.55
	Liability at the beginning of the year	49,50,72.55	45,12,51.38
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	(4,67,09.31)	(4,38,21.17)

- (g) The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

## Pension

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligations		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	364,75,12.12	336,34,47.37
	Interest Cost	24,83,95.58	26,16,76.21
	Current Service Cost	12,50,24.11	11,42,42.30
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(40,26,58.20)	(51,85,52.90)
	Actuarial (Gain) / Loss	22,29,71.59	42,66,99.14
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	384,12,45.20	364,75,12.12

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	314,56,62.58	303,84,00.00
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	21,42,19.62	23,63,87.52
	अंशदान	52,99,28.06	35,56,13.33
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(40,26,58.20)	(51,85,52.90)
	बीमांकिक ( लाभ )/ हानि	10,91,35.47	3,38,14.63
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	359,62,87.53	314,56,62.58
3	तुलन पत्र में स्वीकृत		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	384,12,45.20	364,75,12.12
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	359,62,87.53	314,56,62.58
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	24,49,57.67	50,18,49.54
4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	12,50,24.11	11,42,42.30
	ब्याज लागत योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	3,41,75.96	2,52,88.69
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	11,38,36.12	39,28,84.51
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	27,30,36.19	53,24,15.50

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
2	<b>Change in Plan Assets</b>		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	314,56,62.58	303,84,00.00
	Expected return on Plan Assets	21,42,19.62	23,63,87.52
	Contributions	52,99,28.06	35,56,13.33
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(40,26,58.20)	(51,85,52.90)
	Actuarial Gain / (Loss)	10,91,35.47	3,38,14.63
	Plan Assets at the end of the year at fair value	359,62,87.53	314,56,62.58
3	<b>Recognized in the Balance Sheet</b>		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	384,12,45.20	364,75,12.12
	Plan Assets at the end of the year at fair value	359,62,87.53	314,56,62.58
	Liability recognised in the Balance Sheet	24,49,57.67	50,18,49.54
4	<b>Cost for the year</b>		
	Current Service Cost	12,50,24.11	11,42,42.30
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	3,41,75.96	2,52,88.69
	Actuarial (Gain) / Loss	11,38,36.12	39,28,84.51
	Expense recognised in the Revenue account	27,30,36.19	53,24,15.50

## उपदान

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	44,17,03.76	43,55,74.18
	ब्याज लागत	3,02,12.54	3,39,31.23
	चालू सेवा लागत	82,27.00	70,83.93
	पिछली सेवा लागत निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(5,97,22.02)	(6,11,51.44)
	बीमाकिक (लाभ)/हानि	1,80,65.15	2,62,65.86
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ दायित्व	43,84,86.43	44,17,03.76
	2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन	
वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ		314,56,62.58	303,84,00.00
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन		21,42,19.62	23,63,87.52
अंशदान		52,99,28.06	35,56,13.33
अंतरित परिसंपत्तियाँ		-	-
प्रदत्त लाभ		(40,26,58.20)	(51,85,52.90)
बीमाकिक (लाभ)/हानि		10,91,35.47	3,38,14.63
वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ		359,62,87.53	314,56,62.58
3		तुलन पत्र में उल्लिखित	
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	43,84,86.43	44,17,03.76
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	38,34,80.00	41,35,54.50
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी (देयता)	5,50,06.43	2,81,49.26
4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	82,27.00	70,83.93
	ब्याज लागत (योजना आस्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित )	19,25.41	11,79.33
	बीमाकिक (लाभ)/ हानि	1,90,23.31	3,01,61.65
	पिछली सेवा लागत-निहित लाभ		
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	2,91,75.72	3,84,24.91
	श्रेणी	पेंशन	उपदान

## Gratuity

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year	
1	<b>Change in Benefit Obligations</b>			
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	44,17,03.76	43,55,74.18	
	Interest Cost	3,02,12.54	3,39,31.23	
	Current Service Cost	82,27.00	70,83.93	
	Past Service Cost – Vested Benefit			
	Benefits paid	(5,97,22.02)	(6,11,51.44)	
	Actuarial (Gain) / Loss	1,80,65.15	2,62,65.86	
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	43,84,86.43	44,17,03.76	
	2	<b>Change in Plan Assets</b>		
		Plan Assets at the beginning of the year at fair value	41,35,54.50	42,04,35.18
Expected return on Plan Assets		2,82,87.13	3,27,51.90	
Contributions		23,18.55	2,54,14.65	
Assets Transferred In		-	-	
Benefits paid		(5,97,22.02)	(6,11,51.44)	
Actuarial Gain / (Loss)		(9,58.16)	(38,95.79)	
Plan Assets at the end of the year, at fair value		38,34,80.00	41,35,54.50	
3		<b>Recognized in the Balance Sheet</b>		
		Present Value of the Defined Benefit Obligation	43,84,86.43	44,17,03.76
	Plan Assets at the end of the year at fair value	38,34,80.00	41,35,54.50	
	Liability recognised in the Balance Sheet	5,50,06.43	2,81,49.26	
4	<b>Cost for the year</b>			
	Current Service Cost	82,27.00	70,83.93	
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	19,25.41	11,79.33	
	Actuarial (Gain) / Loss	1,90,23.31	3,01,61.65	
	Past Service Cost – Vested Benefit			
Expense Recognised in the Revenue account	2,91,75.72	3,84,24.91		

क्र. सं.	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
5	अनुमान		
	भुनाने पर ब्याज दर	6.91% (6.81%)	6.90% (6.84%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	6.91% (6.81%)	6.90% (6.84%)
	वेतन संवर्धन	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कर्मचारी पण्यवर्त की दर	0.50%	0.50%
6	मूल्यांकन की पद्धति	मूल्यांकन की पद्धति	
	योजना आस्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो, निवेश नीति तथा बाजार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।	

Sr. No.	Category	Pension	Gratuity
5	Assumptions		
	Interest rate for Discounting	6.91% (6.81%)	6.90% (6.84%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	6.91% (6.81%)	6.90% (6.84%)
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%
6.	Method of Valuation	Projected Unit Credit Method	
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.	

### 31. परिचालन पट्टे

कंपनी पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविधा पर अलग होती हैं। परिचालन पट्टों के लिए ₹14,57,77.33 हजार (पिछले वर्ष ₹13,92,14.20 हजार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है। ए एस - 19 के अनुसार "पट्टों" के परिचालन के लिए भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की न्यूनतम राशि ₹34,80,26.79 हजार (पिछले वर्ष ₹35,29,38.59 हजार) है।

### 32. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार :

- क. बकाया राशि ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)
  - ख. सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किये गए लंबित भुगतान ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)
  - ग. देय तारीख के पश्चात निपटान किये गए मूलधन देयों पर देय ब्याज ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)
33. कम्पनी द्वारा, नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) की वसूलियों के निवल जैसे कमीशन, बैंक प्रभार आदि को घटा कर शेष राशि, ₹117,46,79.60 हजार (पिछले वर्ष ₹166,43,65.31 हजार) को निवल व्यय में दर्शाया गया है।
34. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं. 067/IRD/F/CIR/MR-08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिये जारी विनियामक आवश्यकताओं के अधीन अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

### 31. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹14,57,77.33 thousand (previous year ₹13,92,14.20 thousand). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹34,80,26.79 thousand (previous year ₹35,29,38.59 thousand).

### 32. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

- (a) Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
  - (b) Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
  - (c) Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL).
33. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹117,46,79.60 thousand (previous year ₹166,43,65.31 thousand) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.
34. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:



(₹ '000)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i	आउटसोर्सिंग व्यय	10,91,45.51	25,89,16.80
ii	कारोबार विकास	1,23,91.87	1,93,42.18
iii	विपणन समर्थन	3,86,47.91	4,61,43.60

**35. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात**

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध 2 में संलग्न है।

36. निम्न दशायें अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

वित्तीय वर्ष	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण				
	प्रीमियम				
	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2020-21	1062,28,19.61	862,32,31.91	81.18%	199,95,87.70	18.82%
2019-20	1075,47,39.68	792,28,95.24	73.67%	283,18,44.44	26.33%

37. आई आर डी ए परिपत्र संख्या आई आर डी ए/एफ एंड आई / परि/सी एम पी /174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों की अदावीत राशि की अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण अनुबंध 3क एवं 3ख में दर्शाया गया है।

38. आई आर डी ए के परिपत्र सं 005आई आर डी ए/एफ एंड ए/परि/मई-09 दिनांक 07/05/2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

क्र. सं.	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	₹ 000 में राशि		
			दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी/ कम
1.	बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i	Outsourcing Expenses	10,91,45.51	25,89,16.80
ii	Business Development	1,23,91.87	1,93,42.18
iii	Marketing Support	3,86,47.91	4,61,43.60

**35. RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES**

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

36. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding catastrophe reinsurance)

FY	Premium Statistics for the Period April 2020 to March 2021				
	Premium				
	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2020-21	1062,28,19.61	862,32,31.91	81.18%	199,95,87.70	18.82%
2019-20	1075,47,39.68	792,28,95.24	73.67%	283,18,44.44	26.33%

37. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Master Circular no. IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated 17/11/2020 is given in Annexure-3A & 3B.

38. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

Sr No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Amount in ₹ '000		
			Penalty Levied	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	GST/Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities.	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL

5	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी / फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	कंपनी अधिमयम 1956 /2013 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार/एन सी एल टी /सी एल बी/कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड, जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8	सिक्वोरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	कम्पनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है अतः लागू नहीं			
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	57 अस्थायी कर्मियों के सम्बन्ध में *ई पी एफ व एम् पी अधिनियम 1952	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		**कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना 1976	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		***महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958	4,46.71	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Registrar of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956/2013	NIL	NIL	NIL	NIL
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority	*Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952 in respect of 57 casual workers.	NIL	NIL	NIL
		**Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952, and Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme 1976.	NIL	NIL	NIL
		***The Maharashtra Stamp Act, 1958	4,46.71	NIL	NIL

**नोट**

\* कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 - ईसीजीसी ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- ख द्वारा जारी आदेश दिनांक 9.8.2016 और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त (सी एंड आर), मुंबई, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी दिनांक 18.11.2016 के आदेश को निष्पादित करते हुए, सितंबर 2010 से जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए (अगस्त 2017 के पश्चात से आकस्मिक श्रमिकों के संबंध में ईपीएफओ को नियमित पीएफ अंशदान सहित) ईसीजीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट से आकस्मिक श्रमिकों के संबंध में पीएफ अंशदान को स्थानांतरित कर दिया एवं पीएफ अंशदान के दोनों शेरों यथा नियोक्ता और आकस्मिक श्रमिकों की ओर से सदस्य के अंशदान को उनके संबन्धित नियुक्ति की तारीख से अगस्त, 2010 तक प्रेषित कर दिया।

सहायक पीएफ आयुक्त, द्वारा कंपनी को ईपीएफओ यू/एस.7क्यू ईपीएफ व एम पी अधिनियम के अधीन दिनांक 10.04.2017 को एक समान जारी किया गया जिसमें दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए ₹24,27,917/- एवं ₹43,18,042/- के पीएफ अंशदान पर जुर्माना के रूप में ब्याज के भुगतान के निर्देश जारी किए गए थे। पिछली सुनवाई 07 जून, 2019 को एपीएफसी, ईपीएफओ के समक्ष आयोजित की गई थी जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई एवं उसके आदेश सुरक्षित रखे गए।

\*\*कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 - एपीएफसी, ईपीएफओ ने अधिनियम की धारा 14बी (एवं धारा 7T के तहत ब्याज के भुगतान का आदेश) के अधीन 12.03.2019 (जिसमें 10.04.2017 के समन पर ब्याज और जुर्माना भी शामिल है) कंपनी को निम्नलिखित अवधि के दौरान किए गए विलंबित प्रेषण हेतु तीन नोटिस जारी किए गए :

- (i) जुलाई 1989 से फरवरी 1996 तक - की अवधि के दौरान कुल राशि (जुर्माना एवं ब्यास सहित)- ₹1,94,395/-;
- (ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 तक - की अवधि के दौरान कुल राशि ( जुर्माना एवं ब्यास सहित )- ₹1,32,20,020/-; एवं
- (iii) सितंबर 2010 से अगस्त 2016 तक - की अवधि के दौरान कुल राशि (जुर्माना एवं ब्यास सहित) - ₹81,69,947/-.

प्राप्त नोटिसों की कुल राशि (जुर्माना एवं ब्यास सहित) ₹2,15,84,362/-.

पिछली सुनवाई 07 जून, 2019 को एपीएफसी, ईपीएफओ के समक्ष आयोजित की गई थी जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया था।

**Note:-**

\* Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952 - ECGC while executing the order dated 9.8.2016 issued by the Regional Provident Fund Commissioner-I and further order dated 18.11.2016 issued by the Regional PF Commissioner (C&R), Mumbai, Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) had transferred the PF Contribution in respect of Casual workers from ECGC Employees' Provident Fund Trust to EPFO for the period from September 2010 to July 2017 (with regular PF Contribution with EPFO in respect of casual workers started from August 2017 onwards) and remitted both the shares of PF Contribution i.e. Employer and Member contribution on behalf of casual workers from the date of their respective engagements to August, 2010.

A Summons dated 10.04.2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.7Q under EPF & MP Act for payment of interest on PF Contribution for ₹24,27,917/- and ₹43,18,042/- being damages u/s.14B for damages for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017. The last hearing before APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and the orders are reserved.

\*\*Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952 - APFC, EPFO has issued three notices dated 12.03.2019 (which also includes the interest and Penalty towards Summons dated 10.04.2017) Under Section 14B of the Act (and order of payment of Interest under Section 7Q) for delayed remittances made during the following period were issued to the Company:

- (i) July 1989 to February 1996 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,94,395/-;
- (ii) March 1996 to August 2010 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,32,20,020/-; and
- (iii) September 2010 to August 2016 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹81,69,947/-.

Total amount (including damages and interest) of the notices received is ₹2,15,84,362/-.

The last hearing before the APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019

सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई एवं आदेश सुरक्षित रखे गए।

\*\*\*महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम, 1958: स्टैम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने 07/04/2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/- के स्टैम्प शुल्क की अदायगी न करने के कारण अपने दिनांक 06/01/2015 के पत्र के जरिये ₹4,46,710/- (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है।

हालांकि, कंपनी ने उप महानिरीक्षक के समक्ष 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के दंड से छूट के लिए मामले का प्रतिवेदन किया एवं जल्द से जल्द मामले पर निर्णय हेतु संबंधित प्राधिकारी से नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है।

चूंकि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण और पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास आदेशों हेतु अपील लंबित है, आज की तारीख में मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

### 39. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए / 231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 तथा वित्त वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

40. निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन कंपनी के प्रति शेयर पर ₹5 के हिसाब से लाभांश का प्रस्ताव किया है। कंपनी लेखा नियम 2016 में संशोधनों के जरिये कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार संशोधित लेखा मानक एएस-4 के शर्तों में तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं एवं घटनाओं के लिए कंपनी द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से ₹159,50,00.00 हजार की राशि के प्रस्तावित लाभांश झर विनियोजन नहीं किया गया है।

41. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान अवधि/वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः वर्गीकृत किया गया है।

and the orders are reserved.

\*\*\* The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakhs forty six thousand seven hundred ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

However, the Company had represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

As the appeal is pending for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, as on date there is no further progress in the matter.

### 39. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment incomes and expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

40. The Board of Directors at their meeting has proposed a dividend of ₹5 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company has not appropriated proposed dividend amounting to ₹159,50,00.00 thousand from the Profit Loss Account for the year ended on March 31, 2021.

41. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/year's figures.

(एम सेंथिलनाथन)  
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  
**(M SENTHILNATHAN)**  
Chairman cum Managing Director  
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष  
**(DEVESH SRIVASTAVA)**  
Director  
DIN - 08646006

(शिरिष चन्द्र मुर्मू )  
अध्यक्ष  
**(SHIRISH CHANDRA MURMU)**  
Director  
DIN - 08664748

(सुनील जोशी)  
कार्यपालक निदेशक  
**(SUNIL JOSHI)**  
Executive Director  
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
हमारी समतारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार  
**(NIRDOSH CHOPRA)**  
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)  
कंपनी सचिव  
**(SMITA PANDIT)**  
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी  
सनदी लेखाकर  
**For abm & associates LLP**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कंपनी  
सनदी लेखाकर  
**For SNK & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)  
**(ANIL CHIKODI)**  
Partner - M. No. 107659  
Kolhapur

(संजय कपाडिया)  
**(SANJAY KAPADIA)**  
Partner - M. No. 38292

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 16 जुलाई 2021  
Place: Mumbai  
Dated: 16th July, 2021

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में a) In India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	205,38,10.02	203,63,09.93
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	756,08,26.79	290,32,07.93
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
4	दावा देयता, जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5	छ: महीनों से अधिक से बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या / Number of Claims	261	332
	राशि / Amount	921,22,31.31	1804,68,57.76
	छ: महीनों से कम से बकाया दावे सकल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	दावों की संख्या / Number of Claims	429	479
	राशि / Amount	619,31,24.31	763,23,54.07
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross- Indian)	690	811
	राशि / Amount	1540,53,55.62	2567,92,11.83
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	862,32,31.91	792,28,95.24
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	431,16,15.96	396,14,47.62
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना: सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
12	निवेशों के मूल्यहास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन Basis of amortisation of debt securities	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की बिन्दु सं. 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की बिन्दु सं. 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy
	के आधार पर निवेशों के मूल्यों में कमी का प्रावधान Provision for diminution in the value of the investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	641,96,91.23	(98,05,36.12)
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं b) Pending realisation, credit balance in Fair value change a/c not available for distribution.	641,96,91.23	-
14	निगम ने 'रीयल ईस्टेट निवेश संपत्ति' में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Company does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15 क) a)	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या / Number of Claims	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	राशि / Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil



क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
ख) b)	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
ग) c) 1	वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 ( Face Value 1000.00 lacs)	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	13736,00,31.18	11999,88,46.65
	अनर्जक निवेश Non Performing Investments	110,00,00.00	110,00,00.00
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	13846,00,31.18	12109,88,46.65
3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत Percentage of business sectorwise		
	जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है As the Company caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है। A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	अनुबंध 1ख के अनुसार As per Annexure 1b	अनुबंध 1ख के अनुसार As per Annexure 1b

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)	वृद्धि % Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है ) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम/ Gross Premium	1062,28,19.61	1075,47,39.68	-1.23
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	862,32,31.91	792,28,95.24	8.84
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	81.18	73.67	10.19
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	18.44	16.00	15.22
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	9.24	7.67	20.47
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	7.23	6.21	16.43
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	28.37	27.22	4.22
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	110,97.14	70,85.90	56.61
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण / Unexpired Risks Reserve	431,16,15.96	396,14,47.62	8.84%
	बकाया दावे / Outstanding Claims	6885,33,46.28	6674,15,73.27	3.16%
	प्रीमियम में कमी / Premium Deficiency	316,54,00.00	210,30,00.00	50.52%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण / Total Technical Reserves	7633,03,62.24	7280,60,20.89	4.84%
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	862,32,31.91	792,28,95.24	8.84%
	अनुपात / Ratio	8.85	9.19	-3.67

## ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

**वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन**  
**DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ 000)

क्र. सं. Sr. No	विवरण Particular	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
	<b>परिचालन परिणाम</b> <b>OPERATING RESULTS</b>					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1062,28,19.61	1075,47,39.68	1247,54,25.98	1240,41,70.70	1267,62,48.71
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	862,32,31.91	792,28,95.24	870,02,07.14	838,82,48.95	839,64,91.37
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	566,17,10.29	507,97,46.56	484,33,90.96	421,18,52.23	377,94,12.18
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts )	1,10,74.60	2,04,07.18	2,34,38.90	3,85,05.23	2,48,01.65
5	<b>कुल आय / Total Income</b>	<b>1429,60,16.80</b>	<b>1302,30,48.98</b>	<b>1356,70,37.00</b>	<b>1263,86,06.41</b>	<b>1220,07,05.20</b>
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) ( Including Brokerage)	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)	(58,09,97.22)	(70,04,80.73)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	270,92,57.55	314,08,13.26	265,94,06.60	192,78,45.75	195,49,31.98
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	884,52,05.49	958,41,52.78	1141,16,19.58	1138,58,81.99	1056,65,01.81
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन / Change in Unexpired Risk Reserve	(35,01,68.34)	38,86,55.95	(15,59,79.10)	41,21.21	31,92,36.41
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	159,09,71.41	86,91,07.70	(42,76,63.30)	(130,05,02.90)	138,09,89.14
	<b>गैर परिचालन परिणाम</b> <b>NON OPERATING RESULTS</b>					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय / Total Income under Shareholders' account	428,99,99.01	313,10,81.51	357,15,43.20	253,46,72.77	269,39,52.70
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	588,09,70.42	400,01,89.21	314,38,79.90	123,41,69.87	407,49,41.84
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	12779,21.46	76,17,91.80	70,00,52.77	55,49,97.61	125,35,00.55

क्र. सं. Sr. No	विवरण Particular	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax	460,30,48.96	323,83,97.41	244,38,27.13	67,91,72.26	282,14,41.29
	विविध MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारकों खाता Policyholders' Account*	8027,76,02.10	7644,96,74.89	6923,69,85.54	6289,14,37.20	5640,60,00.59
	कुल निधियाँ/Total Funds	7892,22,17.77	7144,83,19.52	6722,76,41.55	5458,50,54.42	4996,80,82.41
	कुल निवेश # Total Investments #	8.52	8.29	8.76	9.08	8.50
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments					
16	शेयरधारकों का खाता* Shareholders Account*	6056,02,96.32	5312,60,45.27	4066,29,91.51	3854,63,64.73	3760,40,00.39
	कुल निधियाँ/Total Funds	5953,78,13.41	4965,05,27.13	3948,29,00.59	3345,53,55.94	3331,20,54.94
	कुल निवेश # Total Investments #	8.52	8.29	8.76	9.08	8.50
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments					
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	3190,00,00.00	2500,00,00.00	2000,00,00.00	1500,00,00.00	1450,00,00.00
18	निवल मालियत / Net Worth	6365,22,29.27	5214,91,80.31	4463,41,14.66	3737,11,20.47	3619,19,48.21
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	15303,60,21.60	13422,97,91.57	11840,49,31.53	10447,07,12.65	9775,15,06.80
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	8.52	8.29	8.76	9.08	8.50
21	प्रति शेयर आय (₹) Earnings Per Share (Rs.)	16.01	14.09	13.41	4.98	20.90
22	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) Book Value per share (Rs.)	199.54	208.60	223.17	270.50	270.45
23	कुल लाभांश Total Dividend	-	-	60,00,00.00	15,00,00.00	72,50,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share(Rs.)	-	-	3.00	1.00	5.00

\* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

\* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

अनुसूची 11 - नकद व बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं।

# Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

## ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि को विश्लेषक अनुपात**  
**Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2021**

अनुसूची 17 का संलग्न 2 / Annexure 2 to Schedule 17

क्र.सं Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर /Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium	1062,28,19.61	1075,47,39.68
	वृद्धि /Growth	-1.23%	-13.79%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Total Gross Direct Premium	1062,28,19.61	1075,47,39.68
	निवल मालियत (समापन) /Net Worth (Closing)	6365,22,29.27	5214,91,80.31
	अनुपात (गुना) /Ratio (times)	0.17	0.21
3	निवल मालियत की वृद्धि दर /Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) /Net Worth (Opening)	5214,91,80.31	4463,41,14.66
	निवल मालियत (समापन) /Net Worth (Closing)	6365,22,29.27	5214,91,80.31
	निवल मालियत की वृद्धि दर /Growth rate of Net Worth	22.06%	16.84%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात /Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	862,32,31.91	792,28,95.24
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर /Gross Direct Premium	1062,28,19.61	1075,47,39.68
	निवल प्रतिधारण अनुपात /Net Retention Ratio	81.18%	73.67%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात /Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन /Net Commission	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	862,32,31.91	792,28,95.24
	अनुपात /Ratio	-3.04%	-4.69%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय /Expenses of Management	301,38,17.07	292,75,41.86
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium	1062,28,19.61	1075,47,39.68
	अनुपात /Ratio	28.37%	27.22%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय /Expenses of Management	301,38,17.07	292,75,41.86
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम /Net Written Premium	862,32,31.91	792,28,95.24
	अनुपात /Ratio	34.95%	36.95%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे /Net Incurred Claims	884,52,05.49	958,41,52.78
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	827,30,63.57	831,15,51.19
	अनुपात /Ratio	106.92%	115.31%

क्रसं Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
9	सम्मिलित अनुपात /Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे /Net Incurred Claims	884,52,05.49	958,41,52.78
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	827,30,63.57	831,15,51.19
	अनुपात (क) /Ratio (a)	106.92%	115.31%
	प्रबंधन व्यय / Expenses of management	263,89,52.66	246,20,63.07
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Written Premium	862,32,31.91	792,28,95.24
	अनुपात (ख) /Ratio (b)	30.60%	31.08%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) / Combined Ratio (a + b)	137.52%	146.39%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि /Reserve for Outstanding Claims	6885,33,46.28	6674,15,73.27
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि /Reserve For Un-expired Risks	431,16,15.96	396,14,47.62
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि /Reserve for Premium Deficiency	316,54,00.00	210,30,00.00
	कुल /Total	7633,03,62.24	7280,60,20.89
	शुद्ध प्रीमियम/ Net Premium	862,32,31.91	792,28,95.24
	अनुपात (गुना) /Ratio (Times)	8.85	9.19
11	बीमांकन शेष अनुपात /Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ /Underwriting Profit	(408,18,13.48)	(376,65,56.39)
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	827,30,63.57	831,15,51.19
	अनुपात /Ratio	-49.34%	-45.32%
12	परिचालन लाभ अनुपात /Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ /Underwriting Profit	(408,18,13.48)	(376,65,56.39)
	निवेश आय /Investment Income	566,17,10.29	461,52,56.91
	राजस्व खाते में अन्य आय /Other Income in Revenue account	1,10,74.60	2,04,07.18
	परिचालन लाभ /Operating Profit	159,09,71.41	86,91,07.70
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	827,30,63.57	831,15,51.19
	अनुपात /Ratio	19.23%	10.46%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियाँ : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) / Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ /Liquid Assets	2914,79,68.45	2859,23,17.34
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ /Policy Holder Liabilities	7633,03,62.24	7280,60,20.89
	अनुपात (गुना) /Ratio (Times)	0.38	0.39
14	शुद्ध अर्जन अनुपात /Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ /Profit After Tax	460,30,48.96	323,83,97.41
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	862,32,31.91	792,28,95.24
	अनुपात /Ratio	53.38%	40.87%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति /Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ /Profit After Tax	460,30,48.96	323,83,97.41
	निवल मालियत /Net Worth	6365,22,29.27	5214,91,80.31
	अनुपात /Ratio	7.23%	6.21%

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता /Available Solency Margin	5745,67,36.00	4865,08,85.63
	आवश्यक शोधन क्षमता /Required Solvency Margin	298,40,97.90	323,83,70.70
	अनुपात(गुना) /Ratio (Times)	19.25	15.02
17	अनर्जक खाता अनुपात /NPA Ratio		
	निवेश: /Investment:	0.787%	0.907%
	फैक्टरिंग /Factoring	93.53%	84.89%

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRD/FI/CIR/F/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी, 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्धि पत्र IRD/F/CIR/F/126/07/2013 के आधार पर की गयी है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5<sup>th</sup> October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3<sup>rd</sup> July, 2013 effective from FY 2013-14.

(एम सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(M SENTHILNATHAN)

Chairman cum Managing Director

DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

(DEVESH SRIVASTAVA)

Director

DIN - 08646006

(शिरिश चन्द्र मुर्मू)

अध्यक्ष

(SHIRISH CHANDRA MURMU)

Director

DIN - 08664748

(सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक

(SUNIL JOSHI)

Executive Director

DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(NIRDOSH CHOPRA)

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

(SMITA PANDIT)

Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our Report of even date attached:

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी

सनदी लेखाकर

For abm & associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कंपनी

सनदी लेखाकर

For SNK & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)

(ANIL CHIKODI)

Partner - M. No. 107659

Kolhapur

(संजय कपाडिया)

(SANJAY KAPADIA)

Partner - M. No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2021

Place: Mumbai

Dated: 16<sup>th</sup> July, 2021

## ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

### 31 मार्च, 2021 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि

#### Due to Insured - Unclaimed as on 31<sup>st</sup> March, 2021

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क / Annexure 3(A) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में / Amount in ₹ '000

क्रं. सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल राशि Total Amount	0-6 माह 0-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 माह 31-36 months	37-120 माह 37-120 Months	120 माह से अधिक More than 120 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों स्वरूप से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the policyholders/beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/beneficiaries	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है / Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders/beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	97,73.17	10,87.96	31,54.65	43.38	-	29.85	-	53,18.60	1,38.73
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। / Cheques issued but not encashed by the policyholder/beneficiaries	52,95.88	40.19	82.83	1,06.53	5,65.15	11,60.92	31.71	31,47.28	1,61.27
	<b>Total</b>	<b>1,50,69.05</b>	<b>11,28.15</b>	<b>32,37.48</b>	<b>1,49.91</b>	<b>5,65.15</b>	<b>11,90.77</b>	<b>31.71</b>	<b>84,65.88</b>	<b>3,00.00</b>

**नोट:** उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

**Note :** Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.



## ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

## 31 मार्च, 2021 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31<sup>st</sup> March, 2021

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में/ Amount in ₹ '000

विवरण Particular	चालू वर्ष (2020-21) Current Year (2020-21)		पिछले वर्ष (2019-20) Previous Year (2019-20)	
	पॉलिसी देय Policy Dues	अर्जित आय Income Accrued	पॉलिसी देय Policy Dues	अर्जित आय Income Accrued
आरंभिक शेष Opening Balance	1,51,38.81	31,86.08	1,41,24.10	25,10.50
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित अदावित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	10,88.40	-	44,31.79	-
जोड़े: अदावित राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने हैं) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	3,13.27	-	2,12.49	-
जोड़े: अदावित निधि से अर्जित निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-	4,27.04	-	6,80.64
घटाएँ: तिमाही के दौरान अदा किए गए दावे Less: Amount of claims paid during the quarter	9,34.50	18.03	35,72.96	5.06
घटाएँ: एस सी डबल्यू एफएफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में दावों का निवल) Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	5,36.93	1,25.82	56.61	-
<b>अदावित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount Fund</b>	<b>1,50,69.05</b>	<b>34,69.27</b>	<b>1,51,38.81</b>	<b>31,86.08</b>

**ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited**

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

**31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)  
Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021  
(₹ '000)**

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2020-21	2019-20
<b>क A</b>	<b>परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY</b>		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	1086,95,13.07	1166,68,09.01
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क / Other Receipts / Recoveries / Fees	108,23,09.82	141,32,09.10
3	कमीशन और दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान Payments to reinsurers net of commission and claims	24,65,58.26	(43,10,78.85)
4	दावों का भुगतान / Payments of Claims	(1046,74,05.69)	(409,06,38.16)
5	आयोग और ब्रोकरेज के भुगतान Payments of Commission & Brokerage	(8,70,30.21)	(5,57,16.18)
6	अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान Payments of Other operating expenses	(251,74,14.42)	(262,44,17.91)
7	जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	(5,80,41.70)	(91,20,24.91)
8	आयकर अदा (नेट) / Income Tax Paid (Net)	(69,00,00.00)	(156,64,37.80)
9	जीएसटी का भुगतान किया गया/ GST Paid	(3,27,22.93)	(2,20,54.64)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध) / Other Payments/Collection (net)	(8,77,87.62)	(19,90,41.52)
	<b>अतिरिक्त साधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items</b>	<b>(174,20,21.42)</b>	<b>317,86,08.14</b>
11	<b>अतिरिक्त साधारण संचालन से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>(174,20,21.42)</b>	<b>317,86,08.14</b>
<b>ख B</b>	<b>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजीकार्य सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	(21,94,79.46)	(38,89,88.49)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	9,10.43	5,03.72
3	निवेश की खरीद और बिक्री की शुद्धराशि Net of Purchase and Sale of Investments	(582,92,08.19)	(1371,75,62.53)
4	किराया / ब्याज / लाभांश प्राप्त हुआ Rent / Interest / Dividends Received	861,14,52.41	794,00,04.32
5	मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	-
6	निवेश से संबंधित खर्च Expenses related to investments	(72,71.07)	(84,47.83)
	<b>निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>255,64,04.12</b>	<b>(617,44,90.81)</b>

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2020-21	2019-20
ग C	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह <b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
1	शेयर पूँजी जारी करने की कार्यवाही Proceeds from issuance of share capital (Includes Advance Received for Share Capital)	390,00,00.00	800,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान / Interest / Dividend paid	-	(60,00,00.00)
3	लाभांश वितरण कर / Dividend Distribution Tax	-	(12,33,31.76)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) <b>Net Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	390,00,00.00	727,66,68.24
घ D	नकद और नकद समकक्ष, पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव <b>Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net</b>	(3,52.78)	(2,12.39)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ) / <b>Net Cash Flow (A+B+C+D)</b>	471,40,29.92	428,05,73.18
च E	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि: <b>Net increase in Cash and Cash equivalents:</b>		
1	-- वर्ष के आरंभ में -- at the beginning of the year	1080,05,71.05	651,99,97.87
2	-- वर्ष के आंत में -- at the end of the year	1551,46,00.97	1080,05,71.05
	नकद और नकद समकक्ष में परिवर्तन <b>Change in Cash and Cash equivalent</b>	471,40,29.92	428,05,73.18

(एम सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

**(M SENTHILNATHAN)**

Chairman cum Managing Director

DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

**(DEVESH SRIVASTAVA)**

Director

DIN - 08646006

(शिरिष चन्द्र मुर्मू )

अध्यक्ष

**(SHIRISH CHANDRA MURMU)**

Director

DIN - 08664748

(सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक

**(SUNIL JOSHI)**

Executive Director

DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(NIRDOSH CHOPRA)**

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

**(SMITA PANDIT)**

Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our Report of even date attached:

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी

सनदी लेखाकर

**For abm & associates LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कंपनी

सनदी लेखाकर

**For SNK & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)

**(ANIL CHIKODI)**

Partner - M. No. 107659

Kolhapur

(संजय कपाड़िया)

**(SANJAY KAPADIA)**

Partner - M. No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई, 2021

Place: Mumbai

Dated: 16<sup>th</sup> July, 2021

## प्रबंधन की रिपोर्ट

### MANAGEMENT REPORT

#### बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बीमा कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची "ख" के भाग IV की आवश्यकता अनुसार।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2020-21 के लिए नवीकृत किया गया है।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है / प्रावधान किया जा चुका है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों ऋणों, निवेशों, विविध देनदारों, नकद तथा चालू परिसंपत्तियों के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के अनुसार निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ₹ 100000,00,00 हजार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹ 101238,01,81 हजार है। कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए आई द्वारा अनुबद्ध संबन्धित सीमाओं के भीतर है।
8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं है।
9. पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया लंबित दावों का अवधिवार विवरण अनुबंध "I" के अनुसार है।
10. पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति के अनुसार लंबित दावों की अवधि अनुबंध "II" के अनुसार है।
11. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।
12. आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें

#### MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2020-21.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans", "Investments", "Sundry Debtors", "Cash", and the several items specified under "Current Assets".
7. The overall exposure of the Company is ₹101238,01,81 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDAI in this regard for general insurance companies.
8. We do not have any overseas operations.
9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per **Annexure I**.
10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per **Annexure II**.
11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
12. All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-

- निष्पादन एवं गैर निष्पादन आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।
13. हम पुष्टि करते हैं कि :-
- क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।
- ख. प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।
- ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।
- घ. प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।
- ङ. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है।
14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फर्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

performing based on IRDAI norms.

13. We hereby confirm:
- a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.
- b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.
- c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.
- e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.
14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

(एम सेंथिलनाथन)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(M SENTHILNATHAN)

Chairman cum Managing Director

DIN - 07376766

(शिरिश चन्द्र मुर्मू)

अध्यक्ष

(SHIRISH CHANDRA MURMU)

Director

DIN - 08664748

(देवेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

(DEVESH SRIVASTAVA)

Director

DIN - 08646006

(सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक

(SUNIL JOSHI)

Executive Director

DIN - 08778530

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई, 2021

Place: Mumbai

Dated: 16th July, 2021

अनुबंध I / Annexure I

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया लंबित दावे  
Ageing of Claim outstanding as on Financial Year end

(₹ '000)

अवधि Period	2020-21		2019-20		2018-19		2017-18		2016-17	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	107	105,22,75.43	102	144,39,15.20	137	433,26,82.28	152	222,40,53.78	100	289,62,03.90
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	322	514,08,48.88	377	618,84,38.87	330	1511,19,49.84	257	912,16,99.19	185	1010,91,08.40
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	150	262,34,73.89	200	775,84,21.04	84	761,31,39.08	84	730,94,48.66	145	1113,28,86.64
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	111	658,87,57.42	132	1028,84,36.72	35	545,58,38.80	60	429,14,12.50	36	391,34,63.50
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल योग / Total</b>	<b>690</b>	<b>1540,53,55.62</b>	<b>811</b>	<b>2567,92,11.83</b>	<b>596</b>	<b>3251,36,10.00</b>	<b>553</b>	<b>2294,66,14.13</b>	<b>466</b>	<b>2805,16,62.44</b>

## अनुबंध II / Annexure II

वित्तीय वर्षों के दौरान दावा निपटान के लंबित मामलों  
Ageing of Claim settlement during Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2020-21		2019-20		2018-19		2017-18		2016-17	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	46	8,29,16.25	41	7,05,56.70	48	8,36,74.42	79	20,10,79.22	126	25,98,28.19
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	430	257,86,14.47	424	184,52,13.31	538	313,44,99.37	481	262,48,56.37	538	376,97,39.86
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	177	168,36,24.40	77	154,75,50.96	88	292,01,80.79	91	847,69,72.78	84	242,82,44.91
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	81	612,22,50.57	11	62,08,00.65	51	399,47,17.13	27	152,87,47.54	30	239,55,77.20
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल योग / Total</b>	<b>734</b>	<b>1046,74,05.69</b>	<b>553</b>	<b>408,41,21.62</b>	<b>725</b>	<b>1013,30,71.71</b>	<b>678</b>	<b>1283,16,55.91</b>	<b>778</b>	<b>885,33,90.16</b>

\*कम्पनी केवल एक खंड निर्यात ऋण बीमा में परिचालन करती है। अतः किसी प्रकार की खंडवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।  
\*The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided.

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### AUDITOR'S REPORT

<b>एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी</b> चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं 9, शाह हेरिटेज सेक्टर 42 ए डी मार्ट के सामने सीवूड्स, वेस्ट ठाणे - 400706	<b>एसएनके एंड कंपनी</b> चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 303, 3 <sup>री</sup> मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, 156, ताडदेव, मुंबई - 400034
---	--

<b>abm &amp; associates LLP</b> Chartered Accountants Office No. 210, Plot No.09, Shah Heritage, Sector-42A Opp. D-Mart, Seawoods, West, Thane - 400706	<b>SNK &amp; Co.</b> Chartered Accountants 303, 3 <sup>rd</sup> Floor, Konark Shram Building, 156, Tardeo, Mumbai - 400034
---	---

#### स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

गद्य

हमने ईसीजीसी के वित्तीय विवरणों के लेखा का परीक्षण किया है। ("कंपनी") जिसमें दिनांक मार्च 31 2021 को समाप्त तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्य एवं भुगतान खाता) एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत में स्थित साठ शाखाओं के रिटर्न शामिल है, जिसमें से अद्यतन शाखाएं नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं।

हमारी जानकारी एवं मतानुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीएआई') एवं और विनियम अधिनियम और 2013 अधिनियम ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं एवं मार्च 31, 2021 तक इससे संबंधित नियमों को इस प्रकार बनाया गया है, कि जिस भी प्रकार से आवश्यक हो तथा कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने में सक्षम हों।

- i. तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च 2020 तक कंपनी के मामलों की स्थिति
- ii. राजस्व खातों के मामलों में उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु अधिशेष से;
- iii. लाभ और हानि खाते के मामले में, उस वर्ष के लिए लाभ का वर्ष समाप्त हो गया
- iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियों एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस वर्ष की समाप्ति के दौरान प्राप्तियों और भुगतानों की तारीख।

#### INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Ltd. ("the Company") which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated returns of sixty branches situated in India out of which fifty eight branches are audited by branch auditors appointed by Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 ("IRDAI") and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013 ("the Act"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021 in so far as it relates to:

- i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021
- ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;
- iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;



**1. राय का आधार**

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेषण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं नियम बनाए गए, बीमा अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि जो लेखा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

**मामले का विश्लेषण****हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:**

- क. अनुसूची 17 के नोट 3(क) के अनुसार संपत्ति से संबंधी जहां उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं एवं संपत्ति से संबन्धित समझौते खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।
- ख. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (डी) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है।
- ग. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 12 के अनुसार अनिश्चितता और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय प्रभाव और शोधन क्षमता के प्रबंधन के आकलन एवं कोविड-19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य स्थितियाँ, जिनका निश्चित मूल्यांकन प्रमुख रूप से उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस संबंध में, प्रबंधन ने कोविड-19 के वित्तीय प्रभाव को अलग से ना दर्शाते हुए नियुक्त बीमांकिक के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि किए गए दावों के संबंध में देनदारियों का प्रावधान किया गया है लेकिन कोई देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर) एवं प्रावधान किया गया है लेकिन कोई पर्याप्त देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोविड का प्रभाव शामिल है।
- घ. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 (सी) व 25 के अनुसार दावों के संबंध में देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर), पर्याप्त नहीं बल्कि रिपोर्ट

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

**1. Basis of Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

**Emphasis of Matter****We draw attention to the following:**

- a. Note no. 3(a) to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests with the Company, with legal ownership of the properties;
- b. Note no. 4 (d) to Schedule 17 regarding amount receivable from Reinsurance Company, which is outstanding since June 2014.
- c. Note No. 12 to Schedule 17 which explains the uncertainties and the management's assessment of the financial impact and the solvency position due to the lockdown and other restrictions imposed by the Government and conditions related to the COVID-19 pandemic situation, for which a definitive assessment of the impact is highly dependent upon circumstances as they evolve in the subsequent period. In this respect, the management has not separately disclosed the financial impact of COVID-19 but the Appointed Actuary has certified that the Provision of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and Incurred But Not Enough Reported (IBNER) includes the impact of covid on financial statement of the company.

की गई (आईबीएनईआर) और 31 मार्च, 2021 तक प्रीमियम कमी जो कि कंपनी के नियुक्त बीमांकिक ('नियुक्त बीमांकिक') का दायित्व है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा 31 मार्च, 2021 तक इन देनदारियों, आईबीएनआर, आईबीएनईआर और प्रीमियम की कमी के कारण मूल्यांकन को विधिवत प्रमाणित किया है एवं उनके विचार में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणाएं खटखट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों एवं आईआरडीएआई के साथ सहमति में भारत के बीमांकिक संस्थान के अनुसार हैं। हमने निगम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर विश्वास किया है।

ड. लंबित सामंजस्य और कुछ शेष राशि के परिणामी समायोजन के अंतर्गत विविध देनदार, विभिन्न लेनदार व जमा, अन्य दायित्व, ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति सहित वसूली योग्य राशि एवं बीमाधारक के व्यक्तिगत खाता बही सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता एवं पुनर्बीमा खाता से संबन्धित अनुसूचित 17 के नोट संख्या 14 के अनुसार।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

### वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है तथा ऐसा करने में, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी अथवा हमें प्राप्त जानकारी कहीं मुख्य विषयों में असंगत तो नहीं है अथवा मुख्य विषयों में अन्यथा तो नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का महत्वपूर्ण विषय पर गलत विवरण है, तो हमें संबन्धित कार्यों के प्रबंधन से जुड़े प्राधिकारियों को इस विषय में सूचना देनी होगी एवं लागू कानूनों व विनियमों के अधीन निर्धारित कार्यवाही करनी होगी।

### 2. प्रबंधकीय दायित्व एवं वित्तीय विवरण हेतु शासन के साथ उनके प्रभार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के धारा 134 (5) एवं

- d. Note No. 5 (c) and 25 to Schedule 17 regarding the Actuarial Valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31<sup>st</sup>, 2021 which is the responsibility of the Company's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of these liabilities IBNR, IBNER and Premium Deficiency as at March 31, 2021 and in her opinion the assumptions considered by her for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the Financial Statements of the Company.
- e. Note no. 14 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

Our opinion is not modified in respect of these matters.

### Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If based on the work we have performed we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matters to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

### 2. Management's Responsibility and Those Charged

साथ ही लेखांकन मानक, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुकरण में तैयार वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं उचित विवरण देते हैं, को तैयार करने में कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इन दायित्वों में, बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव एवं अनुप्रयोग, निर्णय व अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि सही एवं उचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके एवं धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण किसी भी प्रकार के गलत बयानों, से मुक्त वित्तीय विवरणों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन को रोकने अथवा ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता होने पर संस्थान से संबन्धित मामलों को प्रकट करने का अधिकार रखता है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य है कि उचित आश्वासन के साथ, पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो, उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार किए गए ऑडिट में गलत जानकारीयों का पता लगाया जा सके। गलत जानकारीयों प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा गलती का नतीजा हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

**सांविधिक लेखा परीक्षकों के अनुसार की जाने वाली लेखा परीक्षा का भाग होने के कारण हम सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम :-**

### with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance Act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain

- वित्तीय विवरण के झूठे विवरण के जोखिम को पहचानना व मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने एवं निष्पादित करने, एवं हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उचित व पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करते हैं। चूक की अपेक्षा, धोखाधड़ी के कारण प्राप्त होने वाली झूठी जानकारी की समय पर पहचान न कर पाना अत्यधिक जोखिम का कार्य है क्योंकि कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, गलत बयानी, एवं आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकते हैं।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- व्याप्त अनिश्चितता एवं ऐसी घटनाएँ जो कंपनी का लाभकारी संस्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होने पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर एवं लेखांकन को लाभकारी संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर, निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। यद्यपि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण एक लाभकारी संस्था के रूप में कंपनी समाप्त हो सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना, तथा यह निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सकें।

हम अन्य मामलों एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ साथ, प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम शासन हेतु प्राधिकृत लोगों को एक बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमने स्वतन्त्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों

professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

जिनका हमारी स्वतन्त्रता पर प्रभाव हो, एवं जहां भी ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हुआ हो, के साथ संवाद करने हेतु संबन्धित सुरक्षा उपाय किए हैं।

### अन्य मामलें

- हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल साथ शाखाएँ जिनके वित्तीय विवरण/जानकारी 31 मार्च 2021 तक की रु. 2964,62,04.83 हजार की कुल परिसंपत्तियों तथा सम तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्रीमियम के रूप में रु. 1062,28,19.61 हजार के कुल परिचालन राजस्व तथा कुल रु. 1046,74,05.69 हजार के प्रदत्त दावों में परिलक्षित होती है व जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। अद्युक्त शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है (इसमें वे 2 अलेखा परीक्षित शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी भी शामिल हैं) जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी हैं तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटन मुख्य रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

**इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।**

### 2. अन्य कानूनी व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

- 31 मार्च 2021 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- विनियमों के अधीन आवश्यक अनुसार हमने 16 जुलाई 2021 को अलग प्रमाण पत्र जारी करते हुए, आई आर डी ए आई की अनुसूची सी के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित विषयों को प्रमाणित किया है।
- इस रिपोर्ट में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 (11) की शर्तों में कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों पर किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध कारवाई गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

### 3. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;
- हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

### Other Matter

- We did not audit the financial statements/information of sixty branches included in the financial statements of the Company whose financial statements/financial information reflect total assets of Rs.2964,62,04.83 thousands as at March 31<sup>st</sup>, 2021, total operating revenues in terms of Premium of Rs.1062,28,19.61 thousand and Claims paid of Rs.1046,74,05.69 thousand for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/information of fifty eight branches have been audited by the branch auditors (in which financial statements/information of 2 unaudited branches have been merged) whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

**Our opinion is not modified in respect of these matters.**

### 2. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The financial statements as at March 31, 2021 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.
- As required by the Regulations, we have issued a separate certificate dt. July 16, 2021 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the IRDAI Financial Statements Regulations.
- This report does not include a statement on the matters specified in paragraph 3 of the Companies (Auditor's Report) order 2016, ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, since in our opinion and according to the information and explanation given to us, the Order is not applicable to the Company.

### 3. As required by section 143(3) of the Act, we report that;

- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account, as required by law, have been kept by the Company, so far as appears from our

- बहियों की जांच के उपरांत यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है;
- ग. प्रबंधन द्वारा, शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखा परीक्षित कंपनी के अड्डवन शाखा कार्यालयों तथा 2 अलेखपरीक्षित शाखाओं के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है;
- घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है।
- ङ. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है;
- च. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/06/2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;
- छ. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ मंत्र एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक क" का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावशालीता पर स्वतंत्र राय व्यक्त की गयी है।
- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में;
- i. कंपनी को अपनी वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 23 में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है;
- ii. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है।
- iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है;
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-
- examination of those books;
- c) The reports on the accounts of the fifty eight branch offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and accounts of 2 unaudited branches provided by the management of the company, have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;
- e) In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act.
- f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
- B** With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over the financial statements.
- h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer note 23 to Schedule 17 to the financial statements;
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;
- 4. With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:**

क्रम संख्या	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सू प्रौ प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं। यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू प्रौ प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई है तो, दर्शाएँ।	<p>क) कंपनी के पास निम्नलिखित को छोड़कर सू प्रौ सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली उपलब्ध है:</p> <p>→ पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य एवं अचल परिसंपत्तियों में पूंजी के मूल्यहास की गणना। यद्यपि मैनुअल नियंत्रण उपलब्ध है परंतु ये पर्याप्त नहीं हैं एवं सिस्टम के माध्यम से पुनर्बीमा तथा अचल परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है।</p> <p>→ निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के मुख्य परीक्षण शेष को सू प्रौ प्रणाली में समेकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है। यद्यपि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है और निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सू प्रौ प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए।</p>
2	क्या किसी वर्तमान ऋण पर कोई पुनर्गठन या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा दिये गए ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ बही खाते में डाले जाने के मामलों हैं? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। क्या इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से दर्शाया गया है ? ( यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तब इस प्रकार के निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होंगे।	लागू नहीं कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है न ही किसी अन्य कंपनी को ऋण प्रदान किया है।
3	क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/ प्राप्य का उनके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हाँ, केंद्र सरकार से शेर पूंजी के रूप में प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही तरीके से निर्धारण/ उपयोग किया जाता है।

Sr. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	<p>i) The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following:-</p> <p>→ Working of Reinsurance Business &amp; Depreciation Working of Fixed Assets. Though manual controls are available, they may not suffice and Reinsurance &amp; Fixed Assets are also required to be routed through system.</p> <p>→ Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in IT system for consolidation.</p> <p>Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trail Balance, it may not suffice and Investment Software should also be merged with the main IT system.</p>
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	Not Applicable as the Company has not borrowed any money nor it has lended any money to other company
3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, funds received from central government, in the form of share capital were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम संख्या	उप- निर्देश	उत्तर
1	भौतिक/ डीमैट रूप से उपलब्ध सी जी एस/ एसजीएस/ बण्ड्स/ डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शयी राशी से मेल नहीं खाती हो का सत्यापन किया जाए तथा यदि कोई विसंगति पायी जाए तो उसे रिपोर्ट किया जाए।	सीजीएस/ एसजीएस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं और उनका रिकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गई है। सीजीएस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा सीबीएसओ परिचालनों के लिए सीसीआईएल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। बॉन्ड्स/डिबेंचरों को स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संरक्षक) के पास डीमैट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गई है:
2	क्या निवेशों के संबंध में हानी रोकने की सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या सीमाओं का पालन किया गया है? यदि नहीं तो विवरण प्रदान किया जाए।	प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मैच्योरिटी)/ ए एफ़ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। तदनुसार कंपनी के पास हानि को रोकने की पॉलिसी/हानि को रोकने की सीमा नहीं है।

6. वे मामले जिनकी अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, परंतु बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 की अनुसूची ग के विनियम 3 में निर्धारित के अनुसार कार्यवाही आवश्यक है।

क. निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियाँ उचित हैं व इस संबंध में कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 7 एवं विनिर्दिष्ट लागू लेखा मांकाओं तथा आईआरडीआई द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों / निर्देशों के

5. With respect to additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

Sr. No.	ADDITIONAL DIRECTIONS	ANSWER
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations of Government Securities and TREPS operations & further one Security is kept with National Stock Exchange towards margin requirement against equity operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the ICICI Bank (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found.
2	Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	As informed by the Management of the Company, its entire investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity) / AFS (Available-for-Sale) category. Company is not having trading portfolio. Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits.

6. Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:

- the accounting policies adopted by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDAI in this regard;
- we have reviewed the management report attached



जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में हैं;

- ख. हमने, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट, शाखा स्तर पर की गई समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित प्रबंध रिपोर्ट की समीक्षा की तथा इस संबंध में वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट त्रुटियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी हैं।
- ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4 में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया गया है;
- घ. हमने (उन शाखाओं के अतिरिक्त जहां लेखा परीक्षा उस शाखा से संबन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है तथा ऐसी शाखाओं, जिनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किए गए हैं) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत, सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है, से संबन्धित नकद शेषों तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है।
- ङ. हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशों का मूल्यांकन, अधिनियम व इसके दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- फ. हमें कंपनी द्वारा प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा
- स. कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों की निधियों तथा पोलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ हानी खाते में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11 (1ख) की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों तथा पॉलिसी धारकों से संबन्धित कोई भी अलग खाता नहीं रखा गया हाइतथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों से निधियों के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। लेखा बहियों के सत्यापन व जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जहां पोलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पोलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 105016WW-100015 फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

कृते एसएनके एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

(अनिल चिकोडी)

भागीदार

सदस्यता सं.: 107659

(संजय कपाडिया)

भागीदार

सदस्यता सं. 38292

स्थान : कोल्हापूर

दिनांक : 16/07/2021

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16/07/2021

यूडीआईएन :

21107659AAAAEV2222

यूडीआईएन :

21038292AAAACN1909

to the financial statements, and there are no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;

- c. as per the explanation given by the management, the Company has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;
- d. we have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;
- e. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these regulations;
- f. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and
- g. the Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

For abm & associates LLP

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 105016W/W-100015

For SNK & Co.

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 109176W

(Anil Chikodi)

Partner

Membership No. 107659

(Sanjay Kapadia)

Partner

Membership No. 38292

Place : Kolhapur

Date : 16/07/2021

Place : Mumbai

Date : 16/07/2021

UDIN :

21107659AAAAEV2222

UDIN :

21038292AAAACN1909

<p>एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी                  चार्टर्ड अकाउंटेंट्स                  ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं 9,                  शाह हेरिटेज सेक्टर 42 ए                  डी मार्ट के सामने                  सीवूड्स, वेस्ट                  ठाणे - 400706</p>	<p>एसएनके एंड कंपनी                  चार्टर्ड अकाउंटेंट्स                  303, 3 री मंजील,                  कोणार्क श्रम बिल्डिंग,                  156, ताडदेव,                  मुंबई - 400034</p>
---	---

<p>abm&amp; associates LLP                  Chartered Accountants                  Office No 210, Plot No 9,                  Shah Heritage,                  Sector, 42A, Opp. D Mart,                  Seawoods West,                  Thane - 400706</p>	<p>SNK &amp; Co.                  SNK &amp; Co. Chartered                  Accountants 303, 3rd                  Floor, Konark Shram                  Building, 156, Tardeo,                  Mumbai – 400034</p>
---	---

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

( 16 जुलाई 2021 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अंश बनाने वाले "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा 3 (2) में संदर्भित)

प्रति,  
 ईसीजीसी लिमिटेड  
 एक्सप्रेस टॉवर्स,  
 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट,  
 मुंबई - 400021

1. यह प्रमाण पत्र ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") मुंबई के डीजनांक 31.03.2021 तक के वित्तीय विवरणों के संबंध में विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी ) के विनियमों 2002, के अधीन अनुसूची ग के पैराग्राफ 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

**प्रबंधन दायित्व**

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की तैयारी ) विनियमों 2002 ("विनियम" ) एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / परिपत्रों , जिसमें बही खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा प्रबंधन रिपोर्ट शामिल है के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऊपर उल्लिखित अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आकड़ों को एकत्र करना एवं सत्यापित करना एवं उनकी रूपरेखा का निर्धारण करना, आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित करना आदि शामिल है।

**लेखा परीक्षक का दायित्व**

3. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर बहियों एवं रिकॉर्डों की जांच एवं लेखा परीक्षा के आधार पर राय बनाना कि कंपनी द्वारा विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े

**INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE**

(Referred to in paragraph 3 (2) under "Report on other legal and regulatory requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated July 16th, 2021)

To,  
 ECGC Limited  
 Express Towers,  
 10th Floor, Nariman Point,  
 Mumbai – 400021

1. This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, read with regulation 3 of the Regulations in respect of financial statements as at 31.03.2021, of ECGC Ltd ("the Company"), Mumbai.

**Management Responsibility**

2. The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of Companies Act, 2013, Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") and orders/ circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) which includes the preparation and maintenance of books of accounts and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of Internal Controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

**Auditors' Responsibility**

3. Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Company has complied with the matters

जाने वाले विनियमों की अनुसूची ग के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित मर्दों का पूर्ण अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

4. हमने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तत्काल समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है एवं हमने दिनांक 16 जुलाई 2021 को हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है। हमने लेखा परीक्षा के मानकों एवं भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान ( आई सी ए आई ) द्वारा जारी अन्य प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार ही इन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार ही इस आश्वासन के साथ कि संबन्धित वित्तीय विवरणों में महतावपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी अथवा गलत प्रदर्शन नहीं किया गया है, हमने लेखा परीक्षा की योजना बनाई एवं उसे कार्यान्वित किया। हमने हमारी लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन उन समव्यवहारों के लिए नहीं किया था जिसमें तृतीय पक्ष का कोई संभावित हित निहित हो।
5. आई सी ए आई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं प्रमाणपत्रों पर दिशानिर्देश नोट के अनुकरण में हमने अपनी जांच पूरी की। दिशा निर्देशों के नोट में यह अनिवार्य होता है कि हम आई सी ए आई द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आचार नीति का स्वतन्त्र रूप से अनुकरण करें।
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण ( एस क्यू सी ) - 1 के मानकों की लागू संगत आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया है। किसी भी फ़र्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण वह पद्धति होती है जिसके जरिये लेखा परीक्षा एवं एटिहाइक वित्तीय जानकारी एवं अन्य आश्वासन एवं संबन्धित सेवा सहभागिताओं को पूरा किया जाये।

#### राय

7. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हमें प्रदान जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर एवं हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा बहियों एवं अन्य रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि :-
  - (क) हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की एवं हमारी समीक्षा के आधार पर , प्रबंधन रिपोर्टों एवं स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।
  - (ख) प्रबंधन प्रतिवेदनों पर एवं अनुपालन के लिए प्राधिकृत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर , हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जो आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित पंजीकरण निबंधनों एवं शर्तों के अनुकरण में न हो।

contained in paragraphs 3 and 4 of Schedule C of the Regulations read with Regulation 3 of the Regulations.

4. We audited financial statements of the Company as of and financial year ended March 31, 2021 on which we issued an unmodified audit opinion vide our audit report dated July 16, 2021. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the ICAI. The Guidance note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC)-1, Quality control for Firms that performs audits and reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related service engagements.

#### Opinion

7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of accounts and other records maintained by the ECGC Ltd., for the year ended March 31, 2021, we certify that :
  - a) We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2021 and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements.
  - b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Company charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of the registration stipulated by IRDA.
  - c) We have verified the cash balances (except of

- (ग) हमने नकद शेष ( सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा संबन्धित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है एवं संबन्धित नकद शेष का सत्यापन संबन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा उन अलेखा परीक्षित शाखाओं के जहां की लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गयी हो ) एवं कंपनी द्वारा किए गए ऋणों व निवेशों की वास्तविक निरीक्षणों अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त संरक्षक तथा / अथवा निक्षेपागार भागीदार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र / पुष्टिकरणों के सबूतों को सत्यापित किया है।
- (घ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बीमा अधिनियम एवं उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुकरण पर निवेशों को महत्व दिया गया है।
- (ङ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी किसी न्यास की न्यासी नहीं है।
- (च) कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर ने शेयरधारकों एवं पॉलिसी धारकों की निधियों को वर्गीकृत किया है एवं तदनुसार आय को राजस्व खाते व लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11 (1बी) के अनुसार शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों से संबन्धित अलग अलग खाते नहीं हैं एवं शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार निधियों के उपयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। बही खातों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर एवं उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हमें ऐसे कोई मामले नहीं दिखे जहां पॉलिसी धारकों की आस्तियों के किसी भी अंश का , पॉलिसी धारकों की निधियों के उपयोग एवं निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।

the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants appointed by the Company or the other documentary evidences.

- d) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act and its regulations;
- e) to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and
- f) The Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.:105016W/W-100015 फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

कृते एसएनके एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

(अनिल चिकोडी)

भागीदार

सदस्यता सं.:107659

(संजय कपाडिया)

भागीदार

सदस्यता सं. 38292

स्थान : कोल्हापूर

दिनांक : 16/07/2021

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16/07/2021

यूडीआईएन :

21107659AAAAEV2222

यूडीआईएन :

21038292AAAACN1909

For abm & associates LLP

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 105016W/W-100015

For SNK & Co.

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 109176W

(Anil Chikodi)

Partner

Membership No. 107659

(Sanjay Kapadia)

Partner

Membership No. 38292

Place : Kolhapur

Date : 16/07/2021

Place : Mumbai

Date : 16/07/2021

UDIN :

21107659AAAAEV2222

UDIN :

21038292AAAACN1909

**लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए 'अनुलग्नक-ए'**

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने ईसीजीसी लिमिटेड ('कंपनी') के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2021 तक लेखा परीक्षण किया है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों का हमारा लेखा परीक्षण शामिल है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थिर करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव जिसमें अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, शामिल हैं।

**लेखा परीक्षक का दायित्व**

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("दिशानिर्देश लेख") एवं आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित

**"Annexure-A" to the Auditors' Report**

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of ECGC Limited ("the Company"), which comprise as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit

होते हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना शामिल है, जो कि एक सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फ्रैसले, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, पर निर्भर करती हैं।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि:

- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय

evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:-

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

### अन्य मामले

31 मार्च, 2021 तक किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) एवं किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों तथा प्रीमियम की कमी के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित है एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर भरोसा किया गया है। तदनुसार, पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मूल्यांकन और सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय शामिल नहीं है।

### राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर मार्च 31, 2021 तक प्रभावी रूप से परिचालित की जा रही थी

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.:105016WW-100015 फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

(अनिल चिकोडी)

भागीदार

सदस्यता सं.:107659

स्थान : कोल्हापूर

दिनांक : 16/07/2021

यूडीआईएन :

21107659AAAAEV2222

कृते एसएनके एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

(संजय कपाडिया)

भागीदार

सदस्यता सं. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16/07/2021

यूडीआईएन :

21038292AAAACN1909

of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Other Matter

The actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred but not Reported (IBNR) and those incurred but not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2021 is as certified by the Company's Appointed Actuary and has been relied upon by us as mentioned in our audit report on the financial statements for the year ended on March 31, 2021. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

### Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For abm & associates LLP

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 105016W/W-100015

(Anil Chikodi)

Partner

Membership No. 107659

Place : Kolhapur

Date : 16/07/2021

UDIN :

21107659AAAAEV2222

For SNK & Co.

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 109176W

(Sanjay Kapadia)

Partner

Membership No. 38292

Place : Mumbai

Date : 16/07/2021

UDIN :

21038292AAAACN1909

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
(नौवहन), मुंबई



INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT  
(SHIPPING), MUMBAI.

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जीए/सीए-1/ ECGC - लेखा/ 2020-21/ 164

15/09/2021

सेवा में,  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
ईसीजीसी लिमिटेड,  
एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल,  
नरीमन पॉइंट,  
मुंबई - 400 021.

विषय:- 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रेषित की जाए। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जायें।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(पी. वी. हरि कृष्णा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

संलग्न: यथोपरि।



## नियंत्रक एवं महालेखकपरीक्षक की टिप्पणिया

## COMMENTS OF CAG

कम्पनी अधिनियम 143(6)(ख) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को, बीमा अधिनियम 1938 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण को तैयार करना तथा बीमा कम्पनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) नियम, 2002 के साथ पढ़ने के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार, तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन पर है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर अपने विचार व्यक्त हेतु जिम्मेदार है जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत दिए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होगा। दिनांक 16 जुलाई 2021 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उक्त का अनुपालन किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया गया है। पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से, सांविधिक लेखापरीक्षक के किसी भी कार्यकारी दस्तावेज के संदर्भ के बिना तथा मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा कंपनी के कर्मचारियों तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों के चयनित परीक्षा के आधार पर किया गया है। अपने पूरक लेखापरीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी नज़र में वित्तीय विवरणों तथा संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

कृते एवं भारत के  
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(पी. वी. हरिकृष्णा)

लेखा परीक्षा (नौवहन) के मुख्य निदेशक, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15.09.2021

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021**

The preparation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16<sup>th</sup> July 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31<sup>st</sup> march, 2021 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India

(P. V. Hari Krishna)

Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Date: 15.09.2021

## सेवा तंत्र / SERVICE NETWORK

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<p>पंजीकृत कार्यालय <b>REGISTERED OFFICE</b> एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66590500/510	<a href="mailto:webmaster@ecgc.in">webmaster@ecgc.in</a>
<p>विपणन विभाग <b>MARKETING DEPARTMENT</b> निर्मल बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल, 241/242, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 Nirmal Building, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66590700/10/11	<a href="mailto:marketing@ecgc.in">marketing@ecgc.in</a>
<b>प्रधान कार्यालय को सीधे रिपोर्ट करने वाली शाखाएँ / BRANCHES REPORTING DIRECTLY TO HEAD OFFICE</b>		
<p>नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई <b>NARIMAN POINT BRANCH, MUMBAI</b> दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66138800	<a href="mailto:narimanpoint@ecgc.in">narimanpoint@ecgc.in</a>
<p>बांद्रा शाखा, मुंबई <b>BANDRA BRANCH, MUMBAI</b> द मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी - 26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051</p>	(022) 6144 8110 / 8181	<a href="mailto:bandra@ecgc.in">bandra@ecgc.in</a>
<p>नई दिल्ली, शाखा <b>NEW DELHI BRANCH</b> एनबीसीसी प्लेस, दक्षिण टावर, चौथी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003</p>	(011) 49284011	<a href="mailto:newdelhi@ecgc.in">newdelhi@ecgc.in</a>
<b>पश्चिमी क्षेत्र / WESTERN REGION</b>		
<p>पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय <b>WESTERN REGIONAL OFFICE</b> 506, टाउन सेंटर ख, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के निकट, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 051 506, Town Centre I, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri East, Mumbai-400059</p>	(022) 28597614/0907/3856	<a href="mailto:wro@ecgc.in">wro@ecgc.in</a>
<p>ठाणे शाखा <b>THANE BRANCH</b> कुसुमांजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम) - 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602</p>	(022) 25347807	<a href="mailto:thane@ecgc.in">thane@ecgc.in</a>

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<b>अहमदाबाद शाखा</b> <b>AHMEDABAD BRANCH</b> नागिन्दास चैम्बर्स, पहली मंजिल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 27544932	<a href="mailto:ahmedabad@ecgc.in">ahmedabad@ecgc.in</a>
<b>पुणे शाखा</b> <b>PUNE BRANCH</b> वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 25531998/ 12871	<a href="mailto:pune@ecgc.in">pune@ecgc.in</a>
<b>इंदौर शाखा</b> <b>INDORE BRANCH</b> 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर - 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544215	<a href="mailto:indore@ecgc.in">indore@ecgc.in</a>
<b>राजकोट शाखा</b> <b>RAJKOT BRANCH</b> निर्मल-दूसरी मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal - 2 <sup>nd</sup> Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281)2465162/ 169	<a href="mailto:rajkot@ecgc.in">rajkot@ecgc.in</a>
<b>वडोदरा शाखा</b> <b>VADODARA BRANCH</b> 504, कॉन्कोर्ड, 6 वीं मंजिल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2353304/ 4728	<a href="mailto:vadodara@ecgc.in">vadodara@ecgc.in</a>
<b>नागपुर शाखा</b> <b>NAGPUR BRANCH</b> प्लॉट न .317, दूसरी मंजिल, एम.जी. हाउस के पास में, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर - 440 001 Plot No.317, 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 2550504	<a href="mailto:nagpur@ecgc.in">nagpur@ecgc.in</a>
<b>सूरत शाखा</b> <b>SURAT BRANCH</b> 503, 21 सेंचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत- 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 2364074	<a href="mailto:surat@ecgc.in">surat@ecgc.in</a>

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<p>गिफ्ट सिटी शाखा <b>GIFT CITY BRANCH</b> आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं-304, तीसरी मंजिल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग, ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गान्धीनगर- 382 355 IFSC Insurance Office, Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1, Gandhinagar-382355</p>	9826259893	<a href="mailto:giftcityiio@ecgc.in">giftcityiio@ecgc.in</a>
<b>पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION</b>		
<p>पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय <b>EASTERN REGIONAL OFFICE</b> एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सारनी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071</p>	(033) 40884999	<a href="mailto:ero@ecgc.in">ero@ecgc.in</a>
<p>कोलकाता शाखा <b>KOLKATA BRANCH</b> एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सारनी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071</p>	(033) 40884999	<a href="mailto:kolkata@ecgc.in">kolkata@ecgc.in</a>
<p>वाराणसी शाखा <b>VARANASI BRANCH</b> पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002</p>	(0542) 2507864	<a href="mailto:varanasi@ecgc.in">varanasi@ecgc.in</a>
<p>भुवनेश्वर शाखा <b>BHUBANESHWAR BRANCH</b> प्लॉट नंबर 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर - 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneswar -751 007</p>	(0674) 2547772	<a href="mailto:bhubaneswar@ecgc.in">bhubaneswar@ecgc.in</a>
<p>रायपुर शाखा <b>RAIPUR BRANCH</b> तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड संख्या 1, तेलीबांधा, रायपुर - 492 006 3rd Floor, Udyog Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492 006</p>	(0771) 4918826/28	<a href="mailto:raipur@ecgc.in">raipur@ecgc.in</a>
<p>गुवाहाटी उप कार्यालय <b>GUWAHATI SUB-OFFICE</b> शर्मा बिल्डिंग, एच.पी. ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी.ओ. रेबारी, गुवाहाटी - 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008</p>	(0361) 2635983	<a href="mailto:guwahati@ecgc.in">guwahati@ecgc.in</a>

## दक्षिणी क्षेत्र -I/ SOUTHERN REGION - I

<p>दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय I <b>SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I</b> तीसरी मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, एल- 756, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 3rd Floor, Overseas Towers, L-756- Anna Salai, Chennai - 600 002</p>	(044) 42284450 / 2854 5080	<a href="mailto:sro-i@ecgc.in">sro-i@ecgc.in</a>
<p>चेन्नई शाखा <b>CHENNAI BRANCH</b> ओवरसीज टावर, तीसरी मंजिल, 756-एल, माउंट रोड, चेन्नई - 600 002 Overseas Towers, 3rd Floor, L-756- Anna Salai, Chennai - 600002</p>	(044) 42284488-99	<a href="mailto:chennai@ecgc.in">chennai@ecgc.in</a>
<p>चेन्नई दक्षिण शाखा <b>CHENNAI SOUTH BRANCH</b> 15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, दूसरी मेन रोड, नई कालोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई-600 044 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai - 600 044</p>	(044) 22413540/ 4540/ 5540	<a href="mailto:chennaisouth@ecgc.in">chennaisouth@ecgc.in</a>
<p>कोयम्बटूर शाखा <b>COIMBATORE BRANCH</b> चेन्नई प्लाजा, दूसरी मंजिल, 1090 त्रिची रोड, कोयम्बटूर- 641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore- 641 018</p>	(0422) 2304775/ 6/9	<a href="mailto:coimbatore@ecgc.in">coimbatore@ecgc.in</a>
<p>मदुरै शाखा <b>MADURAI BRANCH</b> पहली मंजिल, 69 पी.टी राजन सलाई, चोक्किकुलम, केंद्रीय विद्यालय, मदुरै-625 002 1st Floor, 69 P. T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya, Madurai- 625 002</p>	(0452) 2525521/ 0340	<a href="mailto:madurai@ecgc.in">madurai@ecgc.in</a>
<p>सेलम शाखा <b>SALEM BRANCH</b> शांति प्लाजा, तीसरी मंजिल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नूस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, मंडपम फेयर लैंड्स, सेलम 636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem, - 636 004</p>	(0427) 2442275	<a href="mailto:salem@ecgc.in">salem@ecgc.in</a>
<p>तिरुपुर शाखा <b>TIRUPUR BRANCH</b> 137/2, सीजी कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर- 641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601</p>	(0421) 2232812	<a href="mailto:tirupur@ecgc.in">tirupur@ecgc.in</a>
<p>तूतिकोरिन शाखा <b>TUTICORIN BRANCH</b> 209/ए- 1, वी ई रोड (पहली मंजिल), बैंक ऑफ बड़ौदा के उपर, सुगम होटल के समीप, तूतिकोरिन- 628 003 209/A-1, V E Road, (1st Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel, Tuticorin - 628 003.</p>	(0461) 2324351	<a href="mailto:tuticorin@ecgc.in">tuticorin@ecgc.in</a>

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<p><b>करूर शाखा</b> <b>KARUR BRANCH</b> तीसरी मंज़िल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुंथपुरम, करूर-639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002</p>	(04324) 233911 / 244910	<a href="mailto:karur@ecgc.in">karur@ecgc.in</a>
<b>दक्षिणी क्षेत्र-II / SOUTHERN REGION – II</b>		
<p><b>दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय-2</b> <b>SOUTHERN REGIONAL OFFICE-2</b> रहेजा टॉवर, 11वीं मंज़िल, वेस्ट विंग, 26, एमजी रोड, बेंगलुरु - 560001 Raheja Tower, 11th Floor, West Wing, 26, M.G Road, Bengaluru - 560001</p>	(080) 25591139/82575	<a href="mailto:sro-ii@ecgc.in">sro-ii@ecgc.in</a>
<p><b>बेंगलुरु शाखा</b> <b>BANGALORE BRANCH</b> रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरु- 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001</p>	(080) 25585375/ 2578	<a href="mailto:bangalore@ecgc.in">bangalore@ecgc.in</a>
<p><b>कोची शाखा</b> <b>KOCHI BRANCH</b> एचडीएफसी हाउस, दूसरी मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, एर्नाकुलम, कोची-682 015 HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015</p>	(0484) 2359437/ 57	<a href="mailto:kochi@ecgc.in">kochi@ecgc.in</a>
<p><b>कोल्लम शाखा</b> <b>KOLLAM BRANCH</b> सेवेंथ डे चर्च के पास, रेसीडेंसी रोड, कडप्पकड़ा, कोल्लम- 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008</p>	(0474) 2748715	<a href="mailto:kollam@ecgc.in">kollam@ecgc.in</a>
<p><b>हैदराबाद शाखा</b> <b>HYDERABAD BRANCH</b> हाका भवन, दूसरी मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद - 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004</p>	(040) 23234334/ 40833	<a href="mailto:hyderabad@ecgc.in">hyderabad@ecgc.in</a>
<p><b>विशाखापत्तनम शाखा</b> <b>VISAKHAPATNAM BRANCH</b> पहली मंज़िल, शंकर प्लाज़ा, शंकर मठम मंदिर के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम-530 016 1st Floor, Shankar Plaza, Opp Shankar Mattam Temple, Shankar Matham Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam - 530 016</p>	(0891) 2748653/ 54	<a href="mailto:visakhapatnam@ecgc.in">visakhapatnam@ecgc.in</a>

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<b>गुंटूर शाखा</b> <b>GUNTUR BRANCH</b> कृष्णा प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 26-21-22, नागरम पालेम, जी.टी.रोड, गुंटूर-522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337096	<a href="mailto:guntur@ecgc.in">guntur@ecgc.in</a>
<b>मंगलूर शाखा</b> <b>MANGALORE BRANCH</b> पहली मंज़िल, एस्सेल टॉवर्स, बंट्स हॉस्टल सर्कल, मंगलूर - 575 003. 1st floor, Essel Tower, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444288/289, 8341626980	<a href="mailto:mangalore@ecgc.in">mangalore@ecgc.in</a>
<b>उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION</b>		
<b>उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय</b> <b>NORTHERN REGIONAL OFFICE</b> ब्लॉक 3, प्लेट ए, चौथी मंज़िल, एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर, पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली-110 023 Block 3, Plate A, 4th Floor, NBCC Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi- 110 023	(011) 24346900	<a href="mailto:nro@ecgc.in">nro@ecgc.in</a>
<b>पश्चिम दिल्ली शाखा</b> <b>WEST DELHI BRANCH</b> 305-306, के एल जे टावर(पूर्व), तीसरी मंज़िल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142/ 43/ 44	<a href="mailto:west.delhi@ecgc.in">west.delhi@ecgc.in</a>
<b>गुरुग्राम शाखा</b> <b>GURUGRAM BRANCH</b> प्लॉट नं. 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुरुग्राम, हरियाणा- 122 016 Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana -122 016	(0124) 4300603/04	<a href="mailto:gurgaon@ecgc.in">gurgaon@ecgc.in</a>
<b>लुधियाना शाखा</b> <b>LUDHIANA BRANCH</b> 92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल दि मॉल रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 281, लुधियाना- 141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082/ 2405684	<a href="mailto:ludhiana@ecgc.in">ludhiana@ecgc.in</a>
<b>जालंधर शाखा</b> <b>JALANDHAR BRANCH</b> ऑफिस सं-1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समीप, 21-22 जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब-144 001 Office No.1, Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank, 21-22 G.T. Road, Jalandhar, Punjab -144 001	(0181) 2233235	<a href="mailto:jalandhar@ecgc.in">jalandhar@ecgc.in</a>

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<p><b>कानपुर शाखा</b> <b>KANPUR BRANCH</b> 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, चुन्नीगंज, कानपुर - 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001</p>	(0512) 2535855	<a href="mailto:kanpur@ecgc.in">kanpur@ecgc.in</a>
<p><b>मुरादाबाद शाखा</b> <b>MORADABAD BRANCH</b> पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad-244 001</p>	(0591) 2415476/ 2435395	<a href="mailto:moradabad@ecgc.in">moradabad@ecgc.in</a>
<p><b>जयपुर शाखा</b> <b>JAIPUR BRANCH</b> दूसरी मंज़िल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर-302 001 2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001</p>	(0141) 2367292	<a href="mailto:jaipur@ecgc.in">jaipur@ecgc.in</a>
<p><b>आगरा शाखा</b> <b>AGRA BRANCH</b> दीपक वासन प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा- 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002</p>	(0562) 2521676	<a href="mailto:agra@ecgc.in">agra@ecgc.in</a>
<p><b>पानीपत शाखा</b> <b>PANIPAT BRANCH</b> मलिक प्लाज़ा, पहली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत-32 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103</p>	(0180) 2634933/ 3139	<a href="mailto:panipat@ecgc.in">panipat@ecgc.in</a>
<p><b>जोधपुर शाखा</b> <b>JODHPUR BRANCH</b> 178, नारायणम, दूसरी मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्किल के समीप, जोधपुर-342 003 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003</p>	(0291) 2770302/ 03	<a href="mailto:jodhpur@ecgc.in">jodhpur@ecgc.in</a>
<p><b>चंडीगढ़ शाखा</b> <b>CHANDIGARH BRANCH</b> पी.एच.डी. चेम्बर्स हाउस, पहली मंज़िल, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़- 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031</p>	(0172) 5003628/27	<a href="mailto:chandigarh@ecgc.in">chandigarh@ecgc.in</a>
<p><b>नोएडा शाखा</b> <b>NOIDA BRANCH</b> 1121, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सी-1, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र.-201 301 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 16, Noida, UP - 201 301</p>	(0120) 4249186	<a href="mailto:noida@ecgc.in">noida@ecgc.in</a>



पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<b>फरीदाबाद शाखा</b> <b>FARIDABAD BRANCH</b> एससीओ- 149 दूसरी मंज़िल, सेक्टर-21-सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	(0129) 4315114/ 115/ 116/ 117	<a href="mailto:faridabad@ecgc.in">faridabad@ecgc.in</a>
<b>श्रीनगर शाखा</b> <b>SRINAGAR BRANCH</b> दूसरी मंज़िल, जे.के. बैंक बिल्डिंग, सफ़ीना प्लाज़ा के निकट, हरि सिंह हाइ स्ट्रीट, श्रीनगर-190 001 2nd Floor, JK Bank Building, Near Safina Plaza, Hari Singh High Street, Srinagar - 190 001	0194-2477947	<a href="mailto:srinagar@ecgc.in">srinagar@ecgc.in</a>



**ई सी जी सी लिमिटेड**

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई - 400 021  
टेली : 6659 0500 / 6659 0510 • वेबसाइट : [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)

IRDA Regn. No. 124

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे.

**ECGC Limited**

(A Government of India Enterprise)

Registered Office : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point,  
Mumbai - 400 021, India. Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • Website: [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)

CIN No. U74999MH1957GOI010918

**You focus on exports. We cover the risks.**